छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा चतुर्दश सत्र

शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2022

(आषाढ़ 31, शक सम्वत् 1944)

[अंक 03]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2022

(आषाढ़ 31, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति को बधाई</u>

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में प्रथम बार महिला आदिवासी माननीय राष्ट्रपति के संवैधानिक पद पर विराजमान हुई हैं । मेरा आपसे आग्रह है और मैं यह चाहता हूं कि प्रश्नकाल शुरू करने से पहले आपकी ओर से और इस सदन की ओर से हम सभी उन्हें समवेत स्वर में बधाई दें ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को बधाई देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- पूरे सदन की ओर से...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग सहमति दे देंगे, बोलेंगे नहीं । यह सदन समवेत स्वर में बधाई देता है करके या सदन के नेता बोल लें ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल 15वें राष्ट्रपति पद का चुनाव संपन्न हुआ । आदरणीया द्रौपदी मुर्मू जी 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुईं । मैं सदन की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा । उनके नेतृत्व में संविधान की रक्षा होगी, हम सबकी सुरक्षा जो संविधान में निहित है उनके अनुरूप वे काम करेंगी । इन्हीं अपेक्षाओं के साथ उन्हें बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएं । (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक में प्रत्याशी घोषित होने के बाद पूरे देश के लोग श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के लिये लालायित थे । उसका कारण है कि 75 सालों के बाद एक आदिवासी की बेटी इस देश की संवैधानिक प्रमुख बनने का अवसर प्राप्त हुआ । लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनको समर्थन दिया और छत्तीसगढ़ में भी 2 वोट ज्यादा मिला । मैं राष्ट्रपति जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और यहां जिन्होंने अतिरिक्त वोट दिया है, मैं उन्हें भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी अंतरात्मा की आवाज से जिन्होंने 2 वोट दिया है उन्हें हम इसके साथ ही धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री देवेन्द्र यादव ।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बीएसपी प्रबंधन द्वारा ठेका श्रमिकों को प्रदाय की जा रही सुरक्षा

[श्रम]

1. (*क्र. 547) श्री देवेन्द्र यादव : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2019 से जून, 2022तक बीएसपी संयंत्र के अंदर तक कितनी दुर्घटना घटित हुई हैं, एवं कितने कार्यरत बीएसपी ठेका श्रमिकों की मौत/गंभीर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं ? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) बीएसपी में कार्यरत ठेका श्रमिकों की सुरक्षा की व्यवस्था, क्या निर्धारित सुरक्षा मानकों के आधार पर है? यदि है, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं ? इस पर प्रबंधन का क्या नियंत्रण हैं। (ग) क्या संयंत्र के अंदर कार्यरत ठेका श्रमिकों की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर प्रबंधन द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में आश्रित परिवारों में किसी एक को नौकरी देने का राज्य शासन के इस नीति नियमों का पालन किया जा रहा है ? यदि हां तो वर्ष 2019 से अब तक कितनों को नौकरी, प्रदाय की गई है ? विवरण देवें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) वर्ष 2019 से जून 2022 तक भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई में 22 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें 12 ठेका श्रमिकों की मृत्यु, 09 ठेका श्रमिक गंभीर रूप से घायल तथा 03 नियमित श्रमिकों की मृत्यु हुई है। वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) भिलाई इस्पात संयंत्र में दुर्घटनाओं की जांच करने पर बीएसपी प्रबंधन द्वारा कार्यों में सन्निहित खतरो का आंकलन किये बगैर श्रमिको को नियोजित कर असुरक्षित कार्यविधि अपनाये जाने से दुर्घटनाएं घटित होना परिलक्षित हुआ। कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानानुसार कारखाने में नियोजित समस्त श्रमिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व एवं नियंत्रण कारखाना प्रबंधन पर निहित है। (ग) श्रम अधिनियमों के अंतर्गत कारखानों में श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नौकरी देने संबंधी प्रावधान नहीं है, परन्तु श्रम विभाग द्वारा मानवीय आधार पर मृतक श्रमिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाए जाने का प्रयास किया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई द्वारा दुर्घटनाओं में मृतक श्रमिक के आश्रित में से किसी एक को अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही कम्पनी की नीति के अनुसार की जाती है। वर्ष 2019[1] से जून 2022 तक दुर्घटनाओं में

[1] परिशिष्ट "एक"

मृतक 12 ठेका श्रमिकों में से 04 ठेका श्रमिकों के आश्रितों को एवं मृतक 03 नियमित श्रमिको में से 02 नियमित श्रमिकों के आश्रितों को कारखाना प्रबंधन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बीएसपी प्रबंधन में ठेका श्रमिकों की सुरक्षा प्रदाय और अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर प्रश्न किया था जिसमें जो जवाब आया है उसके आधार पर परिशिष्ट क्रमांक-1 में वर्ष 2019 में 4 घटनाएं हुईं जिसमें लोगों की मृत्यु हुई, वर्ष 2020 में 6, वर्ष 2021 में 7 और वर्ष 2022 में अभी तक 5 हो गयी है जिससे यह समझ आता है कि निरंतर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पूर्व में ही विधानसभा में लगाये एक प्रश्न का जो जवाब आया था उसके आधार पर यह पता चलता है कि वर्ष 2019 में जब परीक्षण करने के लिये अधिकारी बीएसपी कारखाना गये तब उन्होंने निरीक्षण के दौरान यह पाया कि कारखाने में सुरक्षा समिति का गठन नहीं हुआ है । यह अप्रेल, 2019 की बात है फिर नवम्बर, 2019 में जाते हैं तब भी ये यही कहते हैं कि सुरक्षा समिति का गठन नहीं हुआ है । वर्ष 2020 में जाते हैं तब भी यही कहते हैं कि सुरक्षा समिति का गठन नहीं हुआ और वर्ष 2021 में जाते हैं तब भी यही कहते हैं कि सुरक्षा समिति का गठन नहीं हुआ और इस तरह से लगभग 40 बार परीक्षण होता है और परीक्षण में 38 बार बीएसपी की कमी मानी जाती है और उन सभी प्रकरणों को श्रम न्यायालय भेज दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे यह प्रश्न उद्भुत होता है कि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं । बीएसपी प्रबंधन का जो जवाब आया है उसके अनुसार 12 श्रमिकों की मौत हुई है जिसमें केवल और केवल 4 लोगों को अभी तक अनुकम्पा नियुक्ति मिली है । माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 रेगुलर कर्मचारियों की मृत्यु हुई है जिसमें 2 लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति मिली है तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह प्रश्न करता हूं कि यह जो अनुकम्पा नियुक्ति समयबद्ध तरीके से नहीं दी जा रही है और इसमें जो नियम-कायदे का पालन नहीं हो रहा है इसके लिये क्या मंत्री जी एक उच्चस्तरीय राज्यशासन की समिति बनाकर पीएसयू से संवाद करके क्या अनुकम्पा नियुक्ति दिलवायेंगे ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि 40 निरीक्षणों के दौरान 38 बार बीएसपी की कमी पाने के बावजूद भी श्रम विभाग के अधिकारी उस कमी को न तो पूरा कर पाते हैं और न ही उचित कार्यवाही करते हैं तो क्या उन पर माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भिलाई इस्पात संयंत्र में जो दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी मैंने माननीय सदस्य जी को दे दिया है। उनकी चिंता से हम लोग भी वाकिफ हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार आने के बाद दुर्घटनाओं में कमी आयी है। वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक मृत श्रमिकों की संख्या 24 थी। घायल श्रमिकों की संख्या 19 थी, लेकिन हमारे कार्यकाल में जो दुर्घटनाएं हुईं, उसमें हम लोग निरीक्षण करवाते हैं और जो कमियां पायी जाती हैं, उसको

सुधरवाने का काम करते हैं। इन 3 वर्षों में 15 श्रमिक मृत हुए हैं और 9 श्रमिक घायल हुए हैं। यह इसलिए हुआ है, क्योंकि हमारे द्वारा नियमित रूप से हमारे श्रम विभाग द्वारा जांच की जाती है और जो कमियां रहती हैं, उनको बताया है। कमियों को दूर करके श्रमिकों की सुरक्षा के मापदण्ड का पालन होना चाहिए। निश्चित रूप से पिछले समय भी इन लोगों का 3 वर्ष में जो निरीक्षण हुआ था, यदि 57 निरीक्षण हुए थे तो 25 प्रकरण दायर किये थे। हम लोगों ने वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक 132 निरीक्षण किया है, उसमें 47 प्रकरण दायर किये गये हैं। बी.एस.पी. प्रबंधन के बहुत सारे प्रकरण न्यायालय में भी दायर हुए हैं। जहां तक हमारे सदस्य की चिंता है कि अनुकंपा नियुक्ति समयबद्ध मिलना चाहिए तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रतिष्ठान है और उन लोगों ने अपने श्रमिकों के लिए अलग से नियम बनाया है। जिस श्रमिक कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो रेग्यूलर वालों को अनुकंपा नियुक्ति देते हैं। ठेका श्रमिकों को देने का प्रावधान नहीं रखा है, लेकिन हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो ठेका श्रमिक हैं, उन्हें उनका मुआवजा भी मिलना चाहिए और उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रावधान होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हम इस संबंध में बी.एस.पी. प्रबंधन से चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, मेरा यह अनुरोध है कि आप चर्चा तक सीमित मत रखिए। उन्हें जितने कड़ा से कड़ा निर्देश दे सकते हैं, दीजिए। क्योंकि आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा पता लग रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय जी..।

अध्यक्ष महोदय :- राज्य शासन के श्रम विभाग को वे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इसलिए आप भिलाई स्टील प्लांट के लिए थोड़ा सा कड़ाई से पेश आइए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जरूर-जरूर। हम आपके निर्देश का पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लैण्ड ऑफ लॉ के अंतर्गत बी.एस.पी. प्रबंधन की भी सारी संपत्ति, हमारी PSUs की भी संपत्ति राज्य शासन को ही आती है तो मेरा अनुरोध है कि इस पर सख्ती से कार्रवाई की आवश्यकता है और एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर समन्वय समिति मंत्रालय स्तर की अगर बन जाये, PSUs उसे हैण्डल करे। जो इश्यूस है, उसे सॉल्व करे तो निश्चित रूप से इसका समाधान होगा और मेरा अनुरोध है। मुझे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि मैंने यही प्रश्न किया था कि क्या राज्य स्तर की एक समिति बनाकर PSUs से अनुकंपा नियुक्ति के लिए नीति तय करेंगे क्या ? जो अधिकारी इस पर कार्यरत नहीं थे, जिन्होंने निरीक्षण के दौरान कमियां पाये जाने के बावजूद उसका पूर्णत: पालन नहीं किया, उन पर कार्रवाई करेंगे क्या?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमित रूप से निरीक्षण होता है। मैंने बताया कि पिछले सरकार के समय जो निरीक्षण हुए थे, उनकी संख्या कम थी। हमने हमारे यहां निरीक्षण की संख्या बढ़ा दी है। मैंने सदस्य जी को बताया कि उन लोगों ने 57 निरीक्षण किये थे। हमारे यहां 132 निरीक्षण हुए हैं और जो 47 प्रकरण हैं, वे न्यायालयीन प्रकरण में थे, इसलिए कोर्ट में उसके निराकरण के लिए कोर्ट में प्रकरण दायर किया गया है और निश्चित रूप से हमारी चिंता है।

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा उसके अनुसार अनुकंपा नियुक्ति कराइए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हम लोगों ने 4 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दिया है। बाकी के प्रकरण लंबित हैं और उनका निराकरण जल्द ही करा लिया जायेगा।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात कम्प्लीट नहीं हुई थी। मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। स्वर्गीय जिलाधर स्वर्णकार, ये बी.एस.पी. एस.एम.एस. 2 में काम करते थे। उनकी मृत्यु वहां पर हो गई और इसके बाद बी.एस.पी. ने उनके परिवार को एक लेटर दिया, जिस पर यह लिखा हुआ था कि इसकी नियमत: निष्पक्ष जांच करके आपको अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी, लेकिन आज तक न जांच हुई है, न नियुक्ति मिली है और परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है। इसलिए इसका एक आर्गनाइज्ड फार्मूला सेट होना चाहिए, जिसके आधार पर अगर कोई घटना-दुर्घटना होती है तो उस पीड़ित परिवार को बी.एस.पी. प्रबंधन से जो सहयोग मिलना चाहिए, वह मिले, जो कि नहीं हो पाया।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय यादव जी, यह घटना कब की है? यह घटना किस सन् की है?

श्री देवेन्द्र यादव :- यह घटना दिनांक 07/04/2022 की है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी-अभी की है।

श्री देवन्द्र यादव :- अभी की है।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो वहां के महापौर हैं। कुछ डंडा आप भी चलाइए।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी-जी, हम लोग अपने स्तर पर निरंतर कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ए.डी.बी. द्वारा निर्मित सड़क का चौड़ीकरण होने से उत्पन्न स्थिति

[लोक निर्माण]

2. (*क्र. 530) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि : **(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम भरदा, परसवानी, कमरौद, एवं सांकरा में ए.डी.बी. द्वारा निर्मित सड़क का चौड़ीकरण होने से सड़क की उंचाई उक्त गांवों से अधिक हो गई है? क्या उक्त गांवों में जल निकासी हेतु नाली निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तक बनाया जायेगा ? **(ख)** क्या सड़क चौड़ीकरण के पूर्व सर्वे करते समय उक्त गांव एवं सड़क का लेवल देखा गया था ? यदि हां, तो उसका मापदण्ड क्या है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** जी हां। ग्राम भरदा एवं परसवानी में नाली निर्माण हेतु प्रस्ताव ए.डी.बी. नई दिल्ली की ओर भेजा गया है, स्वीकृति उपरांत कार्य कराया जावेगा। ग्राम कमरौद में तकनीकी दृष्टि से नाली निर्माण की आवश्यकता नही है। ग्राम सांकरा में नाली निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। ग्राम भरदा एवं परसवानी में नाली निर्माण की पूर्णता तिथि बताया जाना संभव नही है। **(ख)** जी हां। सड़क चौड़ीकरण के पूर्व डी.पी.आर. कंसलटेंट द्वारा सर्वे करते समय गांव एवं सड़क का लेवल देखा गया था, जिसे प्लान एवं प्रोफाईल में अंकित किया गया है। ग्राम भरदा व परसवानी में सड़क की ऊंचाई गांव से अधिक होने से पानी की निकासी हेतु नाली का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। तदानुसार ग्राम भरदा व परसवानी में नाली निर्माण का प्रस्ताव ए.डी.बी. नई दिल्ली को भेजा गया है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ए.डी.बी. की सड़क से संबंधित है । परसवानी, सांकरा, भरदा और कमरौद में ए.डी.बी. की सड़क बन रही है और गांव से बहुत ऊंचा होने के कारण बरसात में गांव में पानी घुस जाता है । गांव वाले उससे बहुत परेशान हैं और मुझे उत्तर मिला है कि नाली निर्माण की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव दिल्ली भेजा गया है । मेरा मतलब यह है कि करोनाकाल से लेकर अब तक इन चारों गांव के रहवासी बहुत परेशान होते हैं, गांव में घुस जाता है । अभी जी.सी.बी. से पानी हटाया गया है, वे लोग उसे ठीक कराने के लिए विधायक को बार-बार बहुत ज्यादा फोन करते हैं । मेरी अपील है कि जल्दी से जल्दी नाली निर्माण करा दें ताकि पानी और कींचड़ से राहत मिल सके ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, इसके लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, इसको जल्दी से जल्दी कराएंगे ।

प्रश्न संख्या : 3 XX XX

<u>स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयनित नगरों को प्राप्त राशि</u>

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

4. (*क्र. 496) श्री धनेन्द्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के कौन-कौन से नगरों को स्मार्टसिटी योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है तथा किस-किस नगर की स्मार्टसिटी योजना कितने-कितने लागत की है ? **(ख)**अभी तक किन-किन नगरों को विकास कार्य हेतु भारत शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कितनी-कितनी राशि प्रदान की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गई है ? इन योजनाओं की क्रियान्वयन एजेन्सी किस विभाग को बनाया गया है तथा कितनी-कितनी राशि का ठेका किस-किस कम्पनी फर्म या ठेकेदार को दिया गया है? कृपया जानकारी देवें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : **(क)**स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत प्रदेश के 03 शहरों रायपुर, बिलासपुर एवं नवा रायपुर अटल नगर का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है। नगरवार योजना की लागत राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - 'अ' अनुसार है**। **(ख)**स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत रायपुर, बिलासपुर एवं नवा रायपुर अटल नगर के विकास कार्य हेतु भारत शासन एवं राज्य शासन से प्राप्त राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - 'अ' अनुसार है**। स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु माननीय मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड नाम से कम्पनियों (विशेष प्रयोजन यान) का गठन किया गया है। उक्त योजना हेतु निविदा राशि, कम्पनी फर्म या ठेकेदार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - 'ब' अनुसार है**।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने परिशिष्ट में जानकारी दी है कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए अभी तक कुनल 582 करोड़ रूपए प्राप्त हुए हैं, बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए 252 करोड़ और नवा रायपुर अटल नगर कार्पोरेशन के लिए 236 करोड़ प्राप्त हुए हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि परिशिष्ट में तीनों स्मार्ट सिटी की क्रमश: जानकारी दी गई है, उसमें अभी तक निविदाएं बुलाई गई हैं । बिलासपुर का लगभग 764 करोड़ निविदाएं और टेंडर में खर्च होने की जानकारी दी गई है, रायपुर में 680 करोड़ और नवा रायपुर में 928 करोड़ । यह राशि करोड़ में है या लाख में है । परिशिष्ट के अनुसार तो यह जानकारी करोड़ में है, यह राशि कब प्राप्त हुई है और यह राशि लाख में है या करोड़ में ? आपको नवा रायपुर के लिए 236 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है जबकि आपने टेंडर 928 करोड़ का टेंडर बताया है, वैसे ही रायपुर में 582 करोड़ के विरूद्ध 680 करोड़ खर्च बता रहे हैं और बिलासपुर में 252 करोड़ के विरूद्ध 764 करोड़ का । यह राशि करोड़ में है या लाख में ? आपने परिशिष्ट में अभी तक किए गए टेंडर की जानकारी दी है । तीनों स्मार्ट सिटी के टेंडर किए गए हैं, इसके बारे में जानना चाह रहा हूं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी के गठन के बाद जो राशि प्राप्त हुई है और जो व्यय हुआ है उसकी जानकारी दी गई है । जहां तक टेंडर की बात है, टेंडर तो रायपुर और बिलासपुर में हो गया है। बिलासपुर में सिर्फ 6 काम स्वीकृत हुए थे, उन 6 कामों का टेंडर हो गया है । वही लंबित है, बाकी कहीं लंबित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- लाखों में है या करोड़ो में है, यह बता दीजिए ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बता दिया, करोड़ो में है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- करोड़ो में है । जो राशि आपको प्राप्त हुई है, कब प्राप्त हुई है ?

डॉ शिवकुमार डहरिया :- राशि प्राप्त होने का समय अलग-अलग है । जैसे-जैसे आप काम करते जाएंगे, वैसे-वैसे राशि जारी की जाती है । इसमें कई हजार काम है, किसी पर्टिक्यूलर काम का आप बताएंगे तो मैं आपको अलग से जानकारी दे दूंगा । किसी जगह के काम की जानकारी चाहिए तो बता दीजिए ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि नवा रायपुर स्मार्ट सिटी के लिए जो प्लानिंग की गई है, उसमें क्या पुरानी बसाहट के गांवों को भी शामिल किया गया है ? अभी जो कार्य स्वीकृत हुए हैं उनमें तो पुरानी बसाहट के गांवों में एक भी काम शामिल नहीं है । देखिये, स्मार्ट सिटी नवा रायपुर बन रहा है लेकिन उसमें जो गांव अधिगृहीत किये गये हैं, जो गांव उसमें शामिल हैं, वहां कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है । उनको सिटी बनाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है । आज भी "दिया तले अंधेरा" जैसे वे गांव के गांव ही हैं । वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो मास्टर प्लान में वे गांव शामिल हैं या नहीं हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नवा रायपुर क्षेत्र के लिए आपके अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के जो गांव आते हैं ।

श्री धनेन्द्र साहू :- मैं केवल अभनपुर विधानसभा का नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूरा गांव का नाम पूछ रहा हूं। मैं अभनपुर विधानसभा और आरंग विधानसभा, दोनों का पूछ रहा हूं। इन दोनों विधानसभा में जितने गांव आ रहे हैं, वह भी आपके मास्टर प्लान में शामिल हैं या नहीं हैं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हाँ, सभी गांव शामिल हैं।

श्री धनेन्द्र साहू :- लेकिन अभी तक आपके जितने भी टेण्डर हुए हैं, जो आपने अभी नवा रायपुर के लिए 928 करोड़ का टेण्डर किया है, उसमें जो पुरानी बसाहट वाला इलाका है, पुरानी बसाहट वाला गांव हैं, उसमें अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। इसको आप आगे अपने मास्टर प्लान में लेंगे क्या? आपने प्लान तो पूरा फाईनल कर दिया होगा तो उसमें कुछ संशोधन की गुंजाइश है?

श्री अजय चंद्राकर :- भाटो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय जी, आपको भी एकाध प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने भाटो की मदद नहीं कर रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, अजय चंद्राकर जी को भी एकाध प्रश्न पूछ लेने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- करेंगे-करेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सदस्य जी, यह पुरानी बसाहट के गांवों में स्कूल और विलेज रोड की अभी स्वीकृति हुई है। उसके टेण्डर जारी किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी।

अप्रकाशन/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि जहां स्मार्ट सिटी नवा रायपुर के लिए आपने लगभग 1771 करोड़ रूपये की प्लानिंग की है। उसमें अभी तक कोई भी कार्य नहीं लिये जा रहे हैं। 928 करोड़ रूपये के टेण्डर हो गये हैं। हमारा जो मूल गांव हैं, जिसके कारण नई राजधानी बनी है, जिससे लोग प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, वहां विकास के लिए राशि की मांग करते हैं तो उसके लिए बजट नहीं है कहा जाता है। जितने भी हमारे गांव का विकास है, उसके लिए आप तरफ स्मार्ट सिटी शहर बसा रहे हैं, उसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो गांव की दुर्दशा है, वहां कोई सी.सी. रोड नहीं बन पा रहा है, वहां कोई भवनें नहीं बन पा रही हैं, वहां पर कोई विकास का कार्य नहीं है। तो आप उन कामों को प्राथमिकता देकर प्लान में शामिल करेंगे क्या?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एन.आर.डी.ए. में नई स्मार्ट सिटी आती है, उसको आवास पर्यावरण विभाग देखता है, लेकिन हम लोग उस क्षेत्र के हैं। धनेन्द्र भैया भी उस क्षेत्र के हैं और मैं भी हूं। तो हम लोग वहां की नियमित मॉनिटरिंग करते रहते हैं और हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को अवगत भी कराया है। उन्होंने बहुत सारी कार्यों की स्वीकृति भी दी है। यदि कुछ छूट गया होगा तो माननीय सदस्य बता दें, मैं माननीय मंत्री जी से चर्चा करके उसको शामिल करवा दूंगा।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि आप लोग कहते हैं कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण में फण्ड ही नहीं है, एक भी पैसा नहीं है। आपके पास जो 1770 करोड़ रूपये का प्लान है, तो पुराने गांवों को भी डेव्हलपमेंट में शामिल कर लीजिये। एन.आर.डी.ए. और स्मार्ट सिटी की सीमा क्या है? आखिर स्मार्ट सिटी की भी सीमा वही है। नया रायपुर विकास प्राधिकारण के अंतर्गत ही आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो आप हमारी पुरानी बसाहट के गांव को क्यों छोड़ रहे हैं? उसको भी डेव्हलमेंट में शामिल करिये। जहां कोई आदमी की बसाहट नहीं है, जहां कोई लोग नहीं रह रहा है, वहां डेव्हलपमेंट हो रहा है और जहां ऑलरेडी सैकड़ों साल से लोग बसे हैं, उसको प्लानिंग में प्राथमिकता नहीं देंगे तो असंतुलित विकास होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले स्मार्ट सिटी प्लान की बैठक में जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता था, उसके बाद अब वहां के विधायकों को भी बैठक में नहीं बुलाया जा रहा है। हालांकि आप तो इस विभाग के मंत्री हैं, लेकिन मैं वहां का विधायक हूं। कभी प्लान बनाने के लिए, प्लान फाइनल करने के लिए, अपना कोई सुझाव देने के लिए कम से कम सुनिश्चित करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- चंद्राकर जी, पहली भाटो ला पूछन दे, तैं हर बइठ जा।

श्री धनेन्द्र साहू :- मेरा यह कहना है कि इसके प्लान को संशोधन करके इन पुरानी बसाहट के गांवों को प्राथमिकता से कामों को लीजियेगा। मेरा यह अनुरोध है।

श्री अजय चंद्राकर :- भाटो, सत्तारूढ़ दल मा तोर कतना पूछ हे तेला बता?

श्री धनेन्द्र साहू :- अभी आप बैठ जाईये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्लान बना था, वह प्लान राशि 1771 करोड़ है, जो कि हमारे आरदणीय धनेन्द्र भैया जी निश्चित से बता रहे हैं। इसमें 50-50 प्रतिशत राशि केन्द्र से राशि आनी चाहिये। अभी तक केन्द्र से राशि प्राप्त नहीं हुई है। अभी केन्द्र सरकार ने नई राजधानी के लिए 118 करोड़ रूपये ही दी है और राज्य सरकार ने 118 करोड़ हमारे दी है। कुल 236 करोड़ रूपये बता रहे हैं। तो कार्य उतना ही होगा जितनी राशि स्वीकृत है। आगे जैसे राशि आयेगी तो आगे धनेन्द्र भैया से चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप दोनों का क्षेत्र एक ही है, आप दोनों चिंता को सम्मिलित करके, उसको चिंतामुक्त करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- यह बात सदन में आना चाहिये। यह गंभीर विषय है।

श्री धनेन्द्र साहू :- नहीं, उसको प्लानिंग में शामिल करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, जो इनके गांव हैं, बसाहट हैं, वह ऑलरेडी प्लानिंग में शामिल है।

श्री धनेन्द्र साहू :- हम लोगों को मालूम तो चले कि प्लानिंग में क्या-क्या काम शामिल है? कौन-कौन से क्या-क्या काम प्लानिंग में लिये गये हैं? हम लोगों को उसका जानकारी तो हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बिल्कुल, मैं आपको वहां से जानकारी मंगा कर उपलब्ध करा दूंगा।

श्री धनेन्द्र साहू :- नहीं, पहले बैठकों में...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपका दूसरा प्रश्न यह है कि आपको बैठकों में नहीं बुलाते हैं तो इसके लिए एडवाइसरी फोरम का गठन किया गया है। उसमें ऑलरेडी आप भी मेम्म्बर हैं।

श्री धनेन्द्र साहू :- लेकिन इसकी बैठक ही नहीं बुलाई जाती है।

श्री धर्मजीत सिंह :- लेकिन इसकी बैठक तो बुलानी चाहिए न।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, यदि आपने एडवाइसरी कमेटी बनाई है तो आप उसकी बैठक लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रश्न में कुछ बोल रहा हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो एन.आर.डी.ए. नया रायपुर राजधानी का है उसका तो कुर्सी-टेबल तक कुर्की हो चुका है। वहां पर पैसा कहां है ? दूसरी बात यह है कि आपके अधिकारियों को विधायकों को बुलाने में शर्म क्यों आती है ? आप उनको बुलावा कर कम से कम बैठ तो लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- उसकी बैठक हुई हो, तब बुलाएंगे न।

श्री धर्मजीत सिंह :- हर जगह उनको बुलाते नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- पहले आप माननीय मंत्री जी से यह पूछ लीजिए कि उसकी बैठक हुई है या नहीं हुई है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धनेन्द्र साहू :- यह मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि यह विधायक जी बोल रहे हैं कि इनको नहीं बुलाया गया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से 3-4 साल पहले इस कमेटी की एक बैठक हुई थी और उसके बाद आज तक इसकी एक भी बैठक नहीं हुई है, जिसमें हमको बुलाएं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जी। मैं आपकी चिंता से वाकिफ हूं। निश्चित रूप से आने वाले समय में...।

श्री अजय चंद्राकर :- जिस बैठक में खर्चा का अनुमोदन होता है उस बैठक में आपको नहीं बुलाया जाता है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी निर्धारित समय में बैठक होगी तो माननीय सदस्य जी को आमंत्रित किया जाएगा। मैं निर्देश दूंगा कि माननीय सदस्य को हर बैठक में बुलाएं।

अध्यक्ष महोदय :- जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिये आगे बढ़िये। धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो कब से खड़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जी। आप खड़े रहिये। आप अपना प्रश्न पूछिये।

धान की खरीदी व कस्टम मिलिंग

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

5. (*क्र. 586) श्री धर्मजीत सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खरीफ विपणन वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में समर्थन मूल्य पर कितनी मात्रा में धान खरीदी हुई, इसमें से कितनी मात्रा में धान कस्टम मिलिंग के लिए राईस मिलर्स को दिया गया ? **(ख)** कंडिका "क" के कस्टम मिलिंग के लिए क्या राईस मिलर्स से अनुबंध किया गया? **(ग)** कंडिका "क" के मिलर्स द्वारा उन्हें प्रदायित धान के विरूद्ध कितनी-कितनी मात्रा में चावल जमा कराया जाना था, कितनी मात्रा में किया गया एवं विलंब से चावल जमा करने की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : **(क)**खरीफ विपणन वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान तथा कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिलर्स को प्रदाय किये गये धान की मात्रा की जानकारी निम्नानुसार है :-

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(मात्रा लाख मे. टन में)

क्र	खरीफ विपणन वर्ष	खरीदे गये धान की मात्रा	कस्टम मिलिंग के लिए राईस मिलर्स को प्रदाय धान की मात्रा
1	2018-19	80.38	79.73
2	2019-20	83.94	81.49
3	2020-21	92.02	80.35

(ख) जी, हां । **(ग)** प्रश्नांकित अवधि में राईस मिलर्स द्वारा उन्हे प्रदायित धान के विरूद्ध जमा चावल की मात्रा तथा जमा करने हेतु शेष चावल की मात्रा की जानकारी निम्नानुसार है:-

(मात्रा लाख मे. टन में)

खरीफ विपणन वर्ष	प्रदायित धान की मात्रा के विरूद्ध जमा करने योग्य चांवल की मात्रा	जमा चावल की मात्रा	जमा करने हेतु शेष चावल की मात्रा
2018-19	53.77	53.74	0.03
2019-20	54.99	54.98	0.01
2020-21	54.07	54.07	0.00

राईस मिलरों द्वारा विलंब से चावल जमा करने पर कस्टम मिलिंग अनुबंध की शर्तो के अनुरूप पेनाल्टी अधिरोपित की गई है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत ही सिम्पल है। मैं माननीय मंत्री जी से वर्ष 2018-2019, वर्ष 2019-2020 और वर्ष 2020-2021 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान, कस्टम मिलिंग और राईस मिलर्स को प्रदान किये गये धान की मात्रा और आपके पास धान का जो बचा हुआ स्टॉक है मैंने उसके बारे में आपसे जानकारी मांगी है। आपने मुझे जानकारी दी है कि इन 3 वर्षों में 14.77 लाख मीट्रिक टन धान न तो राईस मिलर्स को दिया गया और न ही आप उस धान का कोई दूसरा उपयोग बता रहे हैं तो मैं आपसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि इन 3 वर्षों का 14.77 लाख मीट्रिक टन धान आज कहां पर है ? क्या वह धान चोरी हो गया या सड़ गया या जल गया या गल गया या उस धान का क्या हुआ ? माननीय मंत्री जी, आप जरा यह बताने की कृपा करें।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वर्ष 2018-2019, वर्ष 2019-2020 और वर्ष 2020-2021 के धान के बारे में जो जानकारी चाही थी तो जो धान खरीदी गई है उसके बारे में भी आपको चार्ट उपलब्ध करा दिया गया है। वह चार्ट इस प्रश्न के उत्तर में है और वहां से

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

जिस धान का उठाव करके राईस मिलर्स को मिलिंग के लिए दिया गया है, उसकी जानकारी भी उस चार्ट में दी गई है और यदि आपको इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी चाहिए तो बता दीजिए, क्योंकि वर्ष 2018-2019 में 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, उसमें से 79.73 लाख मीट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को दिया गया।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। माननीय सदस्य तो सिर्फ यह पूछ रहे हैं कि आपने उस बचे हुए धान का क्या किया ?

श्री अमरजीत भगत :- वर्ष 2019-2020 में 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, जिसमें से 81 लाख मीट्रिक टन धान...।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अमरजीत भगत :- मैं उस विषय पर आ रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, आप सुनिये न। भैय्या, मैं तो उसको पढ़ लिया हूं। आप उसमें समय को क्यों खराब कर रहे हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- वर्ष 2020-2021 में 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जिसमें से 80 लाख मीट्रिक टन धान को...।

श्री धर्मजीत सिंह :- भैय्या, मैं वह सब पढ़ लिया हूं। उसके बाद जो डिफरेंस बचा है और वह जो 11.77 लाख मीट्रिक टन धान का वहां से उठाव नहीं हुआ है, मैं आपसे उस धान के बारे में पूछ रहा हूं। मुझे तो यह मालूम है कि आप कितना धान दिये। मुझे यह भी पता है कि मिलर्स उसमें से कितना धान वापस किये और कितना धान बाकी है। मैं वह सब आंकड़ा भी पढ़ लिया हूं। आप मुझे 14.77 लाख मीट्रिक टन धान के बारे में बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, पहले आप यह क्लियर कीजिए कि 14.77 लाख मीट्रिक टन धान है या 11.77 लाख मीट्रिक टन धान है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे अंकगिणत में मैंने जो जोड़ा है उसके अनुसार यह 14.77 लाख मीट्रिक टन धान है।

अध्यक्ष महोदय :- हां। आप यही पूछना चाहते हैं कि वह धान कहां है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- जी। मैं यही पूछना चाहता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य धान के जिस अंतर के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि वह शेष धान कहां गया तो इसके बारे में...।

श्री अजय चंद्राकर :- इसके बारे में कागज में बता दिया गया है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व के बजट सत्र फरवरी-मार्च, वर्ष 2020 में इसके बारे में माननीय सदस्य श्री अजय चंद्राकर जी के द्वारा तारांकित प्रश्न क्रमांक 886 के द्वारा धान

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खरीदी, सूखा, कस्टम मिलिंग की जानकारी मांगी गई थी। विभागीय सम्यक दिनांक 02.03.2022 को विधानसभा सचिवालय को इस विषय में उत्तर दिया जा चुका है। उक्त विषय पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में जनहित याचिका क्रमांक 75/2020-2022 अजय चंद्राकर एवं अन्य विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन में दायर की गई है, जो वर्तमान में अभी माननीय उच्च न्यायालय में है इसलिए इसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं होगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- कोई बात नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझ गया।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं आपको बता रहा हूं। अभी यह स्वीकार नहीं हुई है और जिस दिन यह स्वीकृत हो जाएगी, उस दिन हम मान लेंगे कि विभाग उत्तर मत दे। लेकिन अभी वह स्वीकृत नहीं हुई है सिर्फ शासन से जवाब मांगा गया है। वह स्वीकृत नहीं हुई है और शासन को कोई नोटिस नहीं दी गई है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, आप यह बता दीजिए कि आपने इन 3 वर्षों में इन केन्द्रों में कितने धान की नीलामी की है ? आप यह बता दीजिए। उसमें थोड़ी न हाईकोर्ट का स्टे है।

श्री अजय चंद्राकर :- हाईकोर्ट का कोई स्टे नहीं है। यह गलत उत्तर है।

श्री अमरजीत भगत :- नीलाम की गई धान की मात्रा 8.46 लाख मीट्रिक टन है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, 11. कुछ मीट्रिक टन धान कहां है ? आपने उसको नीलामी से बाहर कैसे रखा, क्यों रखा है, यह बता दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मजीत भैया, आपको मालूम है कि जो प्रकरण न्यायालय में चला जाता है, वह न्यायालय के अधीन होता है । न्यायालय से जो आदेश पारित होगा, उसका पालन किया जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह रहा हूं । माननीय उच्च न्यायालय ने अभी उसको स्वीकृत नहीं किया है, शासन को नोटिस नहीं हुई है, लेटेस्ट स्थिति आपको बता रहा हूं । इसलिए जब मामला दर्ज हो जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा, तब यह माना जाएगा कि यह न्यायालयीन प्रकरण है । अभी वह न्यायालयीन प्रकरण नहीं हुआ है । अभी उसको सी.जे. साहब सुन रहे हैं । उन्होंने अतिरिक्त जानकारी मंगवाई है कि यह मामला स्वीकार करने योग्य है या नहीं है । यहां सदन को गुमराह किया जा रहा है । सरकार की आदत पड़ गई है कि विधायिका को बार-बार गुमराह करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायालय के नाम पर करोड़ों रूपए के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का यह प्रयास है । यह बताईए, इस प्रश्न में थोड़ी न्यायालय आएगा कि कौन-कौन से मिलर्स जिनको आपने जितना धान दिया, उसके बदले में उन्होंने आपको कम चांवल वापस किया, उस

प्रकरण में इन तीन वर्षों में कुल कितने मिलर्स पर आपने कुल कितने रूपए की पेनाल्टी लगाई है और आपने उसमें कितनी राशि वसूली ?

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, 2018-19 में चांवल जमा करने की निर्धारित मात्रा 53.77 लाख मीट्रिक टन में से 53.74 लाख मीट्रिक टन चांवल जमा किया गया । शेष 0.03 टन था । 2019-20 में चांवल जमा करने की निर्धारित मात्रा 54.99 लाख मीट्रिक टन थी, उसके विरूद्ध में 54.98 लाख मीट्रिक टन जमा किया गया । अंतर केवल 0.01 टन था । 2020-21 में चांवल जमा करने की निर्धारित मात्रा 54.07 लाख मीट्रिक टन थी, वह पूरा जमा हो गया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़ा लिखित में दिया है, मैंने उसे पढ़ लिया है । इसमें इन्होंने लिखा है कि राईस मिलर्स द्वारा विलंब से चांवल जमा करने पर कस्टम मिलिंग अनुबंध की शर्तों के अनुरूप पेनाल्टी अधिरोपित की गई है । मैं इसके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं । आंकड़े तो मेरे पास भी हैं, जो आपने ही लिखित उत्तर में दिया है, मैं उसी को पढ़ रहा हूं। आपने कौन से मिलर्स से कितनी राशि वसूली की और ऐसे मिलर्स की संख्या कितनी है, आपने कितने रूपए की पेनाल्टी वसूल की है ? इतना ही प्रश्न तो पूछ रहा हूं, इसमें हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी आया है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राईस मिलरों द्वारा विलंब से चांवल जमा करने पर कस्टम मिलिंग अनुबंध की शर्तों के अनुरूप पेनाल्टी अधिरोपित की गई है और जो-जो मिलर्स का चांवल जमा था, उसमें जितना समायोजन करने लायक था, उसे समायोजित कर दिया गया है और जो अधिरोपित करने लायक था, उसे अधिरोपित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- भगत जी, धर्मजीत जी मिलर्स की संख्या पूछ रहे हैं। अगर आपके पास जानकारी है तो बता दीजिए, नहीं तो बाद में दे दीजिएगा, अभी कोई जरूरी थोड़ी है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संख्या तो नहीं है । आपको हम अलग से जानकारी उपलब्ध करा देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा बोलिए न, आप क्यों परेशान हो रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दूसरों के विषयों के विशेषज्ञ हैं । अपने विषय में तो इतने सज्जनता से उत्तर देते हैं, उस ओर ध्यान दीजिए । अभी दूसरे मंत्री का केस आएगा तो देखिएगा कि वे कितनी बार खड़े होंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे मंत्रियों के मामले में अमरजीत जी इधर बोल-बोल कर उत्तेजित कर देते हैं, ताकि उधर दूसरा मंत्री निपट जाये।

पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा बस्तर में सड़क निर्माण

[जेल]

6. (*क्र. 226) श्री सौरभ सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**-पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा पिछले 2 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनॉक 31/05/2022 तक बस्तर संभाग के किस-किस जिले में कौन-कौन से सड़क का निर्माण किस-किस एजेंसी से कराया गया हैं ? **(ख)**-उपरोक्त सड़क के निर्माण के लिए किस-किस मद से कब-कब कितनी राशि प्राप्त हुई है ? कितने कार्य पूर्ण हुए हैं और कितने कार्य किस कारण से अधूरे हैं?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"अ"**[2] पर है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"ब"** पर है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक हमें यह जानकारी थी कि पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन भवन बनाती है, पर सुकमा जिले में सुदूर आदिवासी अंचल में 200 करोड़ रूपए की सड़क भी बना रही है, उसी का यह प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- सुकमा जिला यानी बस्तर में है न ?

श्री सौरभ सिंह :- हां ।

अध्यक्ष महोदय :- और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ।

श्री सौरभ सिंह :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- कुछ भी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । आपने उत्तर में जानकारी दी है कि दोरनापाल से चिंतलनार-जगरगुण्डा सड़क 39 किलोमीटर से 58 किलोमीटर तक सड़कों का जो ठेका था, वह पूर्व में एक कम्पनी को दिया गया था । वह काम नहीं किया, काम छोड़ दिया और आपने दूसरी कम्पनी को ठेका दिया । जिस कम्पनी ने काम छोड़ा, उस पर क्या पेनाल्टी लगाई गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- एक बार फिर से प्रश्न बोलेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, दोरनापाल से चिंतलनार-जगरगुण्डा तक दो सड़क बन रही है, पर मैं एक सड़क की बात कर रहा हूं । एक सड़क 49 किलोमीटर की बन रही है और दूसरी सड़क 13 किलोमीटर की बन रही है । दोनों सी.सी. रोड़ बन रही है । उसमें से एक सड़क दोरनापाल-चिंतलनार-जगरगुण्डा में 39 किलोमीटर से 58 किलोमीटर तक, यह आपके द्वारा दिए गए परिशिष्ट में है, में पहले एक कम्पनी काम कर रही थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं । पहले एक कम्पनी काम कर रही थी, उसी कम्पनी को 10-10 किलोमीटर मे पैकेज पर 4-5 काम दिया गया था, उसी कम्पनी को

[2] परिशिष्ट "दो"

काम दिया गया था और उस कम्पनी ने काम छोड़ दिया। जिस कम्पनी ने काम छोड़ा, उस कम्पनी पर क्या पेनाल्टी लगाई गई, क्या उस पर कोई दंड अधिरोपित किया गया, उस कम्पनी ने काम क्यों छोड़ दिया ? अगर काम छोड़ दिया तो कम्पनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी कम्पनी ने काम पूरा नहीं किया, कम्पनी को 3-4 अवसर दिया गया है। उसके बाद उसको निरस्त करते हुए दूसरी कम्पनी को काम दिया गया है। अनुबंध की कण्डिका-3 के अनुसार 10 प्रतिशत पेनाल्टी और राजसात करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस नई कम्पनी को काम दिया गया, उस नई कम्पनी को काम देने का क्या आधार था ? क्या ओपन टेण्डर बुलाया गया ?

अध्यक्ष महोदय :- जब आप प्रश्न पूछ ही रहे हैं तो नाम बताईये, नई और पुरानी मत कीजिये, नाम लीजिये के इस कम्पनी को दिया गया और इस कम्पनी को नहीं दिया गया।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पुरानी मेसर्स गुप्ता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी थी, जिसका काम निरस्त हो गया और नई एक मेसर्स सिंह कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जिसको काम दे दिया गया है। पूरा पैकेज मेसर्स गुप्ता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का था, जो निरस्त हुआ और एक ही साल में, एक ही वित्तीय वर्ष में पूरा पैकेज मेसर्स सिंह कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को दे दिया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में वह काम कर रहा था और आपने वर्ष 2020-21 में इसको दे दिया।तो जो इस नई कम्पनी को काम दिया गया तो किस आधार पर इस नई कम्पनी काम को दिया गया ? आपने पुरानी कम्पनी पर पेनाल्टी लगा दी तो नई कम्पनी को किस आधार पर काम दिया गया ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष 2019-20 का नहीं है, वर्ष 2020-21 का है। वर्ष 2020-21 में 39 से 41 किलोमीटर तक मेसर्स गुप्ता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 42 से 44 किलोमीटर तक मेसर्स गुप्ता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 45 से 47 किलोमीटर तक मेसर्स गुप्ता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 48 से 49 किलोमीटर तक मेसर्स गुप्ता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी तथा 53 से 54 किलोमीटर तक मेसर्स गुप्ता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया था। यह पूरा मेसर्स शैलेन्द्र बहादुर सिंह इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड और मेसर्स राम शरण सिंह को दिया गया है और यह निविदा के आधार पर दिया गया है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसके आधार पर ?

श्री मोहम्मद अकबर :- टेण्डर।

अध्यक्ष महोदय :- निविदा के आधार पर।

श्री सौरभ सिंह :- ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे काम का पैसा भारत सरकार दे रही है, एन.एच.ए.आई. से भुगतान होता है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि रिटेण्डरिंग

नहीं करने के लिए क्या भारत सरकार ने रोक लगाई थी या भारत सरकार से कोई चिट्ठी आई थी कि इस तरह की रिटेण्डरिंग नहीं की जायेगी ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रकार के रोक बारे में जानकारी दे रहे हैं, इस प्रकार का कोई रोक नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। जब केन्द्र सरकार के संज्ञान में आया, पैसा एन.एच.ए.आई. देती है। वह अलग बिन्दु है कि आपके पुलिस हाऊसिंग बोर्ड के पास सेटअप है या नहीं है ? वह कैसे बिल बनाते हैं, किस ढंग से भुगतान करते हैं ? केन्द्र सरकार पैसा देती है। जब केन्द्र सरकार पैसा देती है तो केन्द्र सरकार ने एक चिट्ठी लिखी थी कि इस तरह से फिर से tendering ना की जाये और इस तरह से Subletting और Sub tendering का काम ना किया जाये। क्या आपके पास वैसा पत्र आया है ? अगर वैसा पत्र आया है तो उस पर क्या कार्रवाई की ?

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने बताया कि नहीं आया है। आपने बताया है न ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नहीं बताया है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। आपने पहले पूछा कि निविदा के जरिये दूसरे को दिया गया ? तो हां, निविदा के जरिये दिया गया। दोबारा कर सकते हैं या नहीं ? तो इस बारे में जो प्रश्न किया, मैंने उनको जवाब दे दिया। अब भुगतान के बारे में प्रश्न आ गया तो उक्त दोनों निर्माण कार्य हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन को कोई भी राशि का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ एवं क्षेत्रीय अधिकारी भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय रायपुर के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भुगतान के बारे में पूछ ही नहीं रहा हूं। भुगतान तो एन.एच.ए.आई. करती है। आपके पास एन.एच.ए.आई. का पैसा आता है, स्वीकृति आई, वह एक अलग पहलू है। मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन को चिट्ठी लिखी थी कि जब एक काम बंद हो गया और दूसरा काम चालू होगा तो उसको इस ढंग से टेण्डर ना किया जाये।

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, छोड़िये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या आपने दोनों कम्पनी मेसर्स गुप्ता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी और जो नई कम्पनी है, उसको कितना escalation दिया है। काम नहीं किया है, escalation दिया है या नहीं दिया है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- यह वित्तीय जानकारी है। अभी भारसाधक मंत्री उत्तर दे रहे हैं, उसको सुरक्षित रखिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अकबर भाई सक्षम आदमी हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। अगर अकबर भाई नहीं होते तो मैं थोड़ा सा down कर देता। अकबर भाई सक्षम आदमी हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, escalation की बात आती है। यदि किसी मामले में मूल्य वृद्धि हो जाये तो escalation होता है। अब निविदा ही निरस्त हो गई है। इसमें वैसे भी escalation क्लॉज नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय चन्द्राकर जी, इन अकबर के सामने महान क्यों नहीं लिखा जा रहा है ? इन अकबर के सामने महान क्यों नहीं लिखा जा रहा है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- कद इधर बढ़ रहा है और जवाब वह दे रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन अकबर के सामने महान लिखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए लिखना चाहिए कि सारा जवाब ये ही दे रहे हैं और जब मंत्रिमण्डल बांटने की बात आती है तो मंत्रिमण्डल नहीं मिलता है। तो हमारी तो मांग है कि उनको मंत्रिमण्डल मिलना चाहिए। पूरे विभाग का जवाब तो आप ही दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चन्द्राकर जी प्लीज, जल्दी करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पैसा भारत सरकार का है, क्षेत्रीय अधिकारी से पैसा मिलता है, जैसा मंत्री जी ने उत्तर में बताया । उसमें पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन को एजेंसी भारत सरकार की सलाह से बनाया गया कि राज्य सरकार ने उसको एजेंसी बनाई और एजेंसी बनाई तो हाऊसिंग कार्पोरेशन के लिये उसका गठन किया गया था, उसके पास सड़क बनाने की क्या विशेषज्ञता है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा भुगतान किया जा रहा है, पूरा मेजरमेंट करके भेज रहे हैं । यदि अनुमति नहीं होती तो काम कैसे कर लेते ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, निर्माण की ढेर सारी एजेंसियां हैं, क्या भारत सरकार ने कहा कि पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन को एजेंसी बनाई जाये कि आपने अपने मन से एजेंसी बनाया ? मैं यह पूछ रहा हूँ ।

श्री मोहम्मद अकबर :- यह काम भारत सरकार द्वारा ही किया जा रहा है, माध्यम केवल हाऊसिंग है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- किसने उसमें एजेंसी बनाई ? भारत सरकार ने उसको एजेंसी बनाई है ना ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- केशव चन्द्रा जी ।

<u>विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में बजट में शामिल सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति</u>

[लोक निर्माण]

7. (*क्र. 484) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में बजट वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में किन-किन सड़कों को शामिल किया गया है, वर्षवार, सड़कवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के उत्तर में उपरोक्त सड़कों की क्या प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है, यदि हां तो किन-किन सड़कों की, सड़कवार जानकारी देवें ? **(ग)** प्रश्नांश "क" के तहत बजट में शामिल सड़कों में से किन-किन सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई तथा क्यों ? **(घ)** प्रश्नांश "क" अनुसार बजट में शामिल सड़कों का कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) **: (क) (ख) (ग)** एवं **(घ)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** [3] अनुसार है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैजेपुर विधान सभा के वर्ष 2020-2021, वर्ष 2021-2022 और वर्ष 2022-2023 में जो बजट सड़क में सम्मिलित है, उसमें मेरा प्रश्न है । इसमें जवाब आया है कि वर्ष 2020-2021 में छैः सड़क, दर्राभाठा से झालरौंदा, ठठारी से अकलसरा होते हुये केकराभाठ, बंसुला से कपिसदा, ओड़ेकेरा से जुनवानी, डभरा, कोसमझर, मांजरकूद, मरघट्टी, मरघट्टी मिरौनी से अमोदा ...।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो सब लिखा हुआ है, आप प्रश्न करिये ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- सोंठी आश्रम से संजय ग्राम दर्राभाठा, यह छैः सड़क दो वर्ष पूर्ण होने के कारण वित्त विभाग के बजट से लुप्त हो गया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगर यह बजट में सम्मिलित था, इन दो वर्षों में इस सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति क्यों नहीं दी गई ? क्या विभाग से एस्टीमेट आने में विलम्ब हुआ या सरकार के पास पैसा नहीं था या फिर यह कारण हो सकता है कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, इसलिए इसकी स्वीकृति नहीं दी गई ? कृपया बतायें कि यह छैः सड़क क्यों स्वीकृत नहीं की गई ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय संसाधन के ऊपर यह स्थिति आती है । ऐसा एक ही नहीं अनेक प्रकरण हैं, जो दो साल बाद लेप्स हो जाता है और सभी सड़कों को प्राथमिकता पर प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है । प्राथमिकता देखकर निर्णय लिया जाता है ।

---

[3] परिशिष्ट "तीन"

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो सड़क आपने स्वीकृत किया, बड़गड़ी से चारपारा 2.2 किलोमीटर, झर्रा से भदरा 2 किलोमीटर, स्वीकृत हो गया है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है । आपने जवाब दिया है कि काम कब प्रारंभ होगा, नहीं बता सकते । मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि विभाग क्यों नहीं बता सकता है कि काम कब शुरू होगा ? कृपया बतायें कि आप कब काम शुरू करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- बड़गड़ी से चारपारा और झर्रा से भदरा ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति 299 लाख की थी । भू अर्जन की संवाहित राशि 22.8 लाख, तकनीकी स्वीकृति 269 लाख, निविदा आमंत्रण 2-01-2021 और मामला भू-अर्जन से संबंधित है । इस कारण से समयसीमा बताना संभव नहीं है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भू-अर्जन कौन करे ? सरकार । क्या सरकार की यह जवाबदारी नहीं है कि वर्ष 2014-2015 की सड़क है ? मेरे क्षेत्र में दो सड़क स्वीकृत हुआ है, बेलादुला से कलमीडीह और खम्हरिया से छीतापंडरिया, यह वर्ष 2014-2015 में स्वीकृत हुआ है, केवल भू-अर्जन के कारण आज वर्ष 2022 में प्रारंभ नहीं हो पाया है । यह जवाबदारी किसकी है ? भू-अर्जन के प्रकरण का निपटारा करें और सड़क बनने दें । यह सरकार की संयुक्त जवाबदारी है । आप लोग बोलते हैं तो इतने समय तक भू-अर्जन क्यों नहीं होता ? अगर विभाग में समीक्षा बैठक होता है, इस पर चर्चा क्यों नहीं की जाती है ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कब तक भू-अर्जन करेंगे और कब तक इस सड़क को बनाना प्रारंभ करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, भू-अर्जन के लिए जल्दी प्रयास कर लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल जी कौशिक ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जिले का है, आप ही के पत्र में एक सड़क दर्राभाठा से झालरौंदा स्वीकृत हुआ था । यह वर्ष 2020-2021 के द्वितीय अनुपूरक में है और उसमें डोलोमाईट की गाड़ी चलती है, आज पैदल चलना भी दूभर हो गया है, प्रतिनिधिमंडल आये थे, वे मंत्री जी से मिले, सेक्रेटरी से मिले, सभी लोगों से मिले, ई.एन.सी. से मिले और यह बजट से बाहर हो गया है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने सड़क बजट से बाहर हुये हैं, सड़क बनना चाहिये या नहीं बनना चाहिये, उसका क्या आप परीक्षण करायेंगे ? अगर आपके विभाग के परीक्षण में आ जाता है कि इन सड़कों की आवश्यकता है तो आने वाले बजट को सम्मिलित करके क्या आप उसको बनाने का काम करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- उसका परीक्षण करेंगे, यह भारसाधक मंत्री जवाब दे सकते हैं । मगर शामिल करेंगे, आने वाले मंत्री जवाब देंगे ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आ जाये। वह परीक्षण ही कर लें।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने बता दिया कि वह परीक्षण करेंगे। वह ज्यादा जवाब नहीं दे सकते हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- 1-1 किलोमीटर की सड़क, पहुंचविहीन गांव हैं और उसमें सरकार के पास पैसा नहीं होना यह दुर्भाग्य की बात है।

अध्यक्ष महोदय :- परीक्षण करेंगे।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यख महोदय, मैं दिखवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही प्रश्न उठा रहे हैं। यह तो 1 किलोमीटर बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वह गलत समय में उठा रहे हैं न। ताम्रध्वज साहू जी की तबियत खराब है। उनको वायरल हो गया है। जब वह आयेंगे तो तब करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है। वह बहुत विद्वान मंत्री हैं, ताम्रध्वज साहू जी को बिल्कुल अक्षरश: बता देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- उनको तत्काल में प्रभार दिया गया है, मुझे पता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- संजय महाभारत में वॉच करता था, वैसा वह माननीय मंत्री जी को बता देंगे। मेरा कहना यह है कि यह तो केवल 1 किलोमीटर सड़क की बात है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासकीय स्वीकृति केवल दुर्ग जिले को मिल रही है, प्रदेश में बाकी जिले को प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल रही है। दुर्ग जिले में पैसे खत्म हो जा रहे हैं। बाकी जगह कहॉ से मिलेगा? उनके क्षेत्र में खुद सड़क खराब है, वह अपने क्षेत्र की सड़क की स्वीकृति करा नहीं पा रहे हैं। पूरा पी.डब्ल्यू.डी. केवल एक जिले के लिए है।

अध्यक्ष महोदय :- अब वह आप छोड़िये।

श्री अजय चन्द्रकार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुर्ग जिला को छोड़ करके पूरे प्रदेश का विषय है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बात तो सुन लीजिए। हमें एक मिनट मौका दे दीजिए, यह गरीबों के हित का मामला है। जांजगीर जिला हो या मुंगेली जिला हो, बजट में सब ornamental व्यवस्था करते हैं और उसके बाद उसकी बधाई भी लेते हैं कि आपने हमारे काम को बजट में शामिल किया। माननीय मंत्री जी, आपने बहुत बड़ी कृपा की, दया की। उसका बाद टॉय-टॉय फिस्स हो जाता है। न उसका पता रहता है और न वह मंजूर होता है और न वह बनती है। फिर वह बजट से गायब हो जाता है, फिर उसको मंजूर कराओ, फिर वही बजट से गायब हो जाता है। हम आपसे एक मांग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करते हैं कि कृपा करके लोरमी विधानसभा क्षेत्र में जितने ऐसे फालतू टाइप के बजट प्रावधान हैं, उसको सबको आप यहां निरस्त करने की घोषणा कर दीजिए। हम चाहते हैं कि आप सब निरस्त कर दीजिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- केवल लोरमी नहीं पूरे प्रदेश में, जिसके लिए सरकार के पास बजट में पैसा होगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पूरा बजट ले लो, पूरे बजट को दुर्ग जिले में लगा लो। पूरा बजट दुर्ग जिले में गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम जनता को जाकर बतायेंगे कि आप लोग राजनीतिक चश्मे से देखकर मंजूरी देते हैं। आप लोग अपने इन लोगों को उपकृत करने के लिए मौका देते हैं। हम लोगों को दुश्मन समझते हैं। हम लोगों के यहां जनता नहीं रहती। क्या हमारे यहां लोग वोट नहीं डालते? आप लोगों को इस प्रकार से जो अहंकार है न, वह आप लोगों को ले डूबेगा। यह बिल्कुल गलत है। आप लोगों के विभाग में, हर विभाग में यह भर्राशाही चल रही है। तमाशा मचाये हुए हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- पूरा पैसा दुर्ग जिले में भेज दो।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम इसमें बिल्कुल विरोध करेंगे। हर जगह बजट में इस प्रकार से होता है।

श्री धरम लाल कौशिक :- पूरा पैसे को दुर्ग जिले में भेज दीजिये। बजट में सजाकर दिखाने की जरूरत नहीं है।

श्री अजय चन्द्रकार :- पूरा पैसा दुर्ग जिले का है। ... (व्यवधान).. दुर्ग जिले में काम किये हो। आप सदन से पूरा दुर्ग जिले को बजट दिलवा दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- जितना काम मंजूर किये हैं, आप निरस्त कर दीजिए। क्या कोई हमारे घर का काम मंजूर किये हैं ? यह जनता का काम है। अगर वहां की जनता को आप दुश्मन समझ रहे हैं, अगर वहां की जनता को तंजानिस्तान की जनता समझ रहे हैं.. (व्यवधान).. मैं इस निर्णय के विरोध में बहिर्गमन कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सब लोग तैयार हैं। चलिये।

समय :
11:42 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>शासन के उत्तर के विरोध में।</u>

(श्री धर्मजीत सिंह सदस्य के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अशोधित/असंपादन के लिए नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय :- ममता चन्द्रकार जी।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जिला कबीरधाम में आबंटित राशन कार्ड के संबंध में है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आप बाहर गये ही नहीं हैं?

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- नेता जी, आप बहिर्गमन नहीं किये हैं ? किनके नेतृत्व में बहिर्गमन हुआ है ?

श्री धरम लाल कौशिक :- चलिये, मैं वेल में बैठ जाता हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, आप बोलिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप प्रश्न करिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं, मैं तरीका नहीं बोलूंगा। यदि हम आधा मिनट या एक मिनट के लिए बहिर्गमन करके जा रहे हैं। कल वहां से जाते-आते तक के समय में बृजमोहन जी के आगे 3 प्रश्न हो गया। मैं इस सीट से हटा नहीं हूं और आप नाम पुकारे हैं और बोले कि आपका खत्म हो गया। चलिये, आप आगे बढ़ा लीजिये, मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप नाराज मत होईये।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप पूछिये, नाराज मत होईये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप प्रश्न पूछिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी नहीं हुआ है कि बहिर्गमन करके बाहर पायें और उसके बाद में आप नाम पुकारें और आप यह कहें कि आपका खत्म हो गया है, मैंने नाम पुकार दिया। या तो जो हमारी प्रक्रिया है उससे आप डिलीट कर दीजिए कि यहां से वॉकआउट नहीं करेंगे। वॉकआउट करके वहां तक जायेंगे और आप 3 नाम पुकार देंगे और उसके बाद कहेंगे कि आपका नाम पुकार दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- हमने 03 नाम कल इसलिए पुकारा कि तीनों गायब थे।

श्री धरम लाल कौशिक :- इतना ही हुआ था न। अध्यक्ष महोदय, आपको लगता है कि प्रश्न नहीं करना है तो नहीं करेंगे। हम आसंदी का सम्मान करेंगे। मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप नाराज मत होईये।

प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि सत्तारूढ़ दल ऐसा चाहता है तो हम प्रश्नकाल में बैठे रहेंगे, यह भी हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- सत्तारूढ दल नहीं चाहता।

श्री अमितेश शुक्ल :- कौशिक जी, कृपया प्रश्न करें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप प्रश्न किरये।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, बाकी का प्रश्न नहीं पूछते, चलिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कृपया प्रश्न कीजिए।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं इसलिए बोल रहा हूं। मैं इस सीट से उठ करके बाहर तक नहीं गया हूं। आप बोले कि आपका बढ़ गया, मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि बढ़ गये हैं। मंत्री जी मेरे को तो मालूम है कि आपकी और हमारे महान मंत्री की तैयारी कितनी है। अपने विभाग को छोड़ करके सारे विभाग में तैयारी है, केवल आपके विभाग की तैयारी नहीं है। वही स्थिति डहरिया जी की है और अभी माननीय अमरजीत भगत जी की बारी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- चलिये, अब पूछिये, प्रश्न करिये।

अध्यक्ष महोदय :- आपके लिये अमरजीत भगत जी तैयार हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- धरमलाल जी, अध्यक्ष महोदय आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- अनुमति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं अनुमति दे रहा हूं, आप प्रश्न पूछिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं छोटा-छोटा तीन प्रश्न करूंगा।

श्री अमरजीत भगत :- धरम भैया, आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं हमेशा मुस्कुराते रहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप प्रश्न करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं.. (हंसी)।

श्री अमरजीत भगत :- अब आप अच्छे लग रहे हो।

<u>धान खरीदी में किया गया भुगतान</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

8. (*क्र. 476) श्री धरम लाल कौशिक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 01 अप्रैल 2019 से अप्रैल 2022 तक धान खरीदी में कुल कितना भुगतान किसानों को किया

अप्रकाशन के लिए नहीं

गया है, इसमें कितनी राशि केन्द्र सरकार व कितनी राशि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है ? अभी कितना भुगतान किया जाना शेष है, कब तक भुगतान किया जायेगा ? **(ख)** कंडिका 'क' की अवधि में किसानों को प्रति क्विंटल कितनी राशि का भुगतान समर्थन मूल्य व राजीव गांधी न्याय योजनांतर्गत किया गया है ? किन-किन वर्षो में प्रति क्विंटल 2500 रू. का भुगतान नहीं किया गया है तथा क्यों व शेष भुगतान कितना है व कब तक किया जायेगा ? **(ग)** वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य व राजीव गांधी न्याय योजना की चारों किस्तों में प्रति क्विंटल कितनी-कितनी राशि दी गई है तथा क्या यह 2500 रू. प्रति क्विंटल की दर से भुगतान की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : **(क)** प्रश्नांकित अवधि में सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की राशि 51563.47 करोड़ रूपये का भुगतान कृषकों को किया गया है तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अन्तर्गत कुल 11148.45 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। धान खरीदी हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अग्रिम राशि राज्य शासन को उपलब्ध नहीं कराई जाती है, अतः मार्कफेड द्वारा वाणिज्यिक बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाती है तथा भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय चावल की राशि तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं में वितरण हेतु उपार्जित चावल की मात्रा के समतुल्य धान के समर्थन मूल्य की राशि केन्द्र सरकार द्वारा देय है। केन्द्रीय पूल के धान के समर्थन मूल्य की राशि के केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण भुगतान की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2019-20 में कॉमन धान हेतु 1815 रूपये प्रति क्विंटल, ग्रेड 'ए' धान हेतु 1835 रूपये प्रति क्विंटल खरीफ वर्ष 2020-21 में कॉमन धान हेतु 1868 रूपये प्रति क्विंटल, ग्रेड 'ए' धान हेतु 1888 रूपये प्रति क्विंटल तथा खरीफ वर्ष 2021-22 में कॉमन धान हेतु 1940 रूपये प्रति क्विंटल एवं ग्रेड 'ए' धान हेतु 1960 रूपये प्रति क्विंटल की समर्थन मूल्य राशि का भुगतान किया गया है। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत प्रति क्विंटल के मान से राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत धान उत्पादक किसानों को वर्तमान में 9000 रूपये प्रति एकड़ के मान से आदान सहायता राशि देय है।**(ग)** खरीफ वर्ष 2020-21 हेतु समर्थन मूल्य की राशि का एकमुश्त भुगतान प्रश्नांश 'ख' में उल्लेखित दर पर किसानों को किया जा चुका है तथा राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 4 किश्तों में किसानों को देय कुल 5521.43 करोड़ रूपये की राशि का किसानों को भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत प्रति क्विंटल की दर से नहीं बल्कि 9,000 रूपये प्रति एकड़ के मान से किसानों को भुगतान किया गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, धान खरीदी होती है और धान खरीदी के लिये चावल के माध्यम से जो समर्थन मूल्य की राशि दी जाती है तो उस समर्थन मूल्य में जो धान खरीदी हुई है

और आपने जो चावल दिया है, उसके अंतर्गत अप्रैल, 2019 से लेकर अभी 2022 तक केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि दी गयी है ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न पूछा है कि ..।

अध्यक्ष महोदय :- मुस्कुराकर प्रश्न पूछा है।

श्री नारायण चंदेल :- वे मुस्कुराकर पूछे हैं, आप हंसकर जवाब दीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- वर्ष 2019 से 2022 तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा धान खरीदी में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है। उसका उत्तर यह है कि प्रश्नांकित अवधि में सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की राशि 51,563.47 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने दो प्रश्न पूछा है। राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि दी गयी है ? इन दोनों प्रश्नों का एक बार में जवाब आ जाये।

श्री अमरजीत भगत :- देखिये, यह जो धान खरीदी होती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में करती है और जो राशि ...।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कौन किसका प्रतिनिधि है।

श्री अमरजीत भगत :- मैं जो बोल रहा हूं, आप उसको पहले पूरा सुनेंगे तब तो..।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने तो यह कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा आपने जो चावल दिया उसकी एवज में या समर्थन मूल्य में जो धान खरीदी हुई, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कितनी राशि दी ?

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने 11148 करोड़ रूपये का भुगतान किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- केंद्र सरकार ने कितना भुगतान किया?

श्री अमरजीत भगत :- केंद्र सरकार सीधे-सीधे राशि नहीं देती है। जो हम चावल जमा करते हैं उसके एवज में राशि देती है।

श्री धरमलाल कौशिक :- हां, चावल के एवज से कितना पैसा आया ?

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, हम जो चावल एफ.सी.आई. और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में जमा करते हैं, उसके एवज में केन्द्र सरकार ने 51,563.47 करोड़ रूपये राशि दी है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने 51,563.47 करोड़ रूपये और राज्य सरकार ने 11148 करोड़ रूपये दिया।

श्री अमरजीत भगत :- जी।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 रूपये में धान खरीदी की घोषणा की थी। वर्ष 2020-21 में जो धान खरीदी हुई, उस धान खरीदी में केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य के रूप में 1868 रूपये दिये और आपने 2500 रूपये के एवज में 600 रूपये दिया। आपने 2500 में कितना पैसा दिया उसको थोड़ा-सा मिलाकर बताईये। 1868 रूपये और 600 रूपये को जोड़कर बताईये।

श्री अमरजीत भगत :- आपने पूछा कि जिस समयावधि में कितने एम.एस.पी. में धान खरीदी की गयी, मैंने उसका उत्तर दिया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- कुछ नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि आप पर्ची बुलवा लो और 1868 और 600 को जोड़कर बता दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- आप ही बता दीजीये, काहे के लिये परेशान हो रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अलग से कितनी राशि दी गयी। खरीफ वर्ष 2020-21 में..।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो सवाल है कि धान खरीदी में केन्द्र सरकार का और राज्य सरकार का हिस्सा कितना है। यह व्यवस्था पिछली सरकार में भी थी और इस सरकार में भी है। धान खरीदी के मामले में केन्द्र सरकार एक पैसा भी नहीं देती है। राज्य सरकार गारण्टी देती है और मार्क फेड बैंकों से लोन लेती है, उसके माध्यम से पूरी धान खरीदी होती है। धान खरीदी के बाद, मिलिंग करने के बाद जो चावल जमा होता है, उसका पैसा, मिलिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टिंग और भी जो दूसरी प्रक्रियाएं हैं, उसमें भारत सरकार चावल के एवज में पैसा देती है। भारत सरकार धान खरीदी में कोई पैसा नहीं देती है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने यही पूछा था कि चावल के माध्यम से कुल कितना पैसा आया तो मंत्री जी ने बता दिया कि 51,563.47 करोड़ रूपये आया। आपने चावल जमा किया तो केन्द्र सरकार ने चावल का भुगतान किया।

श्री भूपेश बघेल :- जो चावल जमा होगा, वह उसका पूरा पैसा देगी। जो सेंट्रल पूल में जायेगा, उसका पैसा केन्द्र सरकार देगी। जो स्टेट पूल है, जो नान ले जाता है, जो राज्य सरकार खरीदती है, उसका पैसा राज्य सरकार देती है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न में यही कहा। मंत्री जी ने यही जवाब दिया।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय,अगर समर्थन मूल्य में धान खरीदी होती है तो उसमें केन्द्र सरकार अनुदान राशि देती है। केन्द्र सरकार खर्च की राशि देती है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार खर्च की राशि देती है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी भी राज्य में समर्थन मूल्य में धान खरीदी होती है तो उसमें केन्द्र सरकार प्रोत्साहन की राशि देती है।

श्री भूपेश बघेल :- केन्द्र सरकार प्रोत्साहन की राशि देती है ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खर्च आता है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार प्रोत्साहन की राशि नहीं देती है। देखिए, वर्ष 2014 के बाद प्रोत्साहन की राशि बंद है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यय आता है जो खरीदी में व्यय करते हैं जो ट्रांसपोटिंग करते हैं जो अन्य व्यय करते हैं तो प्रोत्साहन राशि देती है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 के बाद प्रोत्साहन की राशि बंद है। वह आगे का है कि प्रोत्साहन राशि, जो भी राज्य सरकार देगी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपका प्रशासनिक व्यय है, जो आपका व्यय होता है, जो स्टेबलिशमेंट होता है, उसका 170 रूपये देती है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सुनिये तो। वर्ष 2014 के बाद भारत सरकार ने प्रोत्साहन की राशि बंद कर दिया है। यदि जो भी राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि देगी, उसका चावल या अनाज नहीं लेंगे। यह आदेश है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार, जब आप मिनीमम सपोर्ट प्राईज में खरीदी करते हैं तो आपको केन्द्र सरकार 170 रूपये देती है, जिसको आप सोसायटियों में बांटते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई नई चीज थोड़ी है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, आपने बता दिया कि केन्द्र सरकार ने 51 हजार करोड़ रूपये दिया और राज्य सरकार ने 11 हजार करोड़ रूपये दिया। मुख्यमंत्री जी ने 2500 रूपये समर्थन मूल्य में धान खरीदी की घोषणा की। और यह घोषणा करने के बाद, हर जगह मुख्यमंत्री जी जाकर बोल रहे हैं कि हम किसानों को 2500 रूपये समर्थन मूल्य दे रहे हैं। केन्द्र ने समर्थन मूल्य की राशि 1868 रूपये दी है और आपने 600 रूपये दिया तो दोनों को मिलाकर कुल कितनी राशि हो गई? यह राशि 2468 रूपये हो गई। अब उसमें जो राशि बची है तो 32 रूपये कम हुआ। तो यह आपका 294 करोड़ रूपये हो रहा है। यदि किसानों को 2500 रूपये समर्थन मूल्य देंगे तो। यह किसानों को 2500 रूपये समर्थन मूल्य का 294 करोड़ रूपये कब भुगतान किया जायेगा?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने वर्ष 2018-19 में 2500 रूपये समर्थन मूल्य में खरीदा। पिछली सरकार ने ही यह आदेश लाया था कि दो साल के लिए हमको यह छूट दी जाए, क्योंकि यदि हम बोनस नहीं देंगे, तो माननीय शिवरतन शर्मा जी इसके गवाह हैं कि हम किसानों

के बीच नहीं जा पायेंगे। ये सारे उठकर गये थे और 2 सालों की अनुमति मिली । उसी आधार पर हम लोगों ने भी पहले साल वर्ष 2018-2019 में हम लोगों ने 2500 रूपये में पेमेण्ट किया। यह 300 रूपये दे रहे थे हमने 600 रूपये दिया। उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि चूंकि आप बोनस दे रहे हैं इसलिये हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, इनपुट सब्सीडी दी। जो पहले साल 10000 रूपये दी और इस साल फिर 9000 रूपये के हिसाब से देंगे। यह हमने कहा। चूंकि भारत सरकार के अडंगे के बाद, हम 2500 रूपये नहीं दे सकते थे। क्योंकि वह कहते कि यह बोनस है और इसके लिए हम लोगों की मिटिंग भी हुई। कृषि, खाद्य मंत्री भी गये थे, उनके सारे मंत्रियो, कृषि से भी बात हुई है। खाद्य मंत्री से भी बात हुई है। प्रधानमंत्री जी से अनेक पत्राचार हुआ, हम लोगों ने समय मांगा। हमें समय नहीं मिला। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस पवित्र सदन में घोषणा की कि हम समर्थन मूल्य में खरीदी करेंगे और 9 हजार प्रति एकड़ इनपुट सब्सीडी के रूप में देंगे। माननीय नेता जी, अब आप वह वाली जो बात कह रहे हैं, वह समाप्त हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो बोल रहा हूँ। आप अभी भी बोल रहे हैं कि 2500 रूपये समर्थन मूल्य देंगे। लेकिन आप 2500 रूपये समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हैं। मैं भी इसी बात को बोल रहा हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। माननीय नेता जी बैठ जाएं। पिछले साल जैसे कह रहे हैं कि 2468 रूपये पड़ा, यह कम पड़ा। इस साल हम 9 हजार रूपये दे रहे हैं और यह जो धान का समर्थन मूल्य है उसमें यदि यह जोड़ेंगे तो 2540 रूपये पड़ेगा। हमने वर्ष 2021 में एक किश्त दी और 20 अगस्त को दूसरी किश्त देंगे और 1 मई को तीसरी किश्त देंगे। यह सब 2540 रूपये होगा। उसके बाद अभी भारत सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है। तो अभी जो धान बोये हैं वह धान बिकेगा तो 2640 रूपये होगा। भारत सरकार, अगर चुनावी साल में कहीं 150 रूपये हो गया तो किसान को 2800 रूपये के आसपास धान की मदद मिलेगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां मेज थपथपाने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्र सरकार ने 190 रूपये एम.एस.पी. बढ़ाया।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय,यह 190 रूपये कब बढ़ा दिया ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तीन सालों का जोड़िए। आपने जो 2500 रूपये समर्थन मूल्य की घोषणा की। उसके बाद में 190 रूपये बढ़ाया। तो उसमें 190 रूपये को जोड़ दीजिए और उसके बाद किसानों को देंगे तब आप लोग यह मेज थपथपाना। अभी मेज थपथपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसानों को एम.एस.पी. का लाभ नहीं मिल रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा प्रश्न छोटा सा है। आपने 15 क्विंटल धान की खरीदी की व्यवस्था की। हम लोगों ने भी 15 क्विंटल धान की खरीदी की व्यवस्था की थी। हम लोंगों ने किसानों से 15 क्विंटल धान खरीदा।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में कितना समर्थन मूल्य मिल रहा है?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, समय कम बचा है। आप बैठ जाईये। कल उत्तर नहीं दे पाये। आपको तो बोलने का भी अधिकार नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इन्होंने बढ़िया उत्तर दिया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय नेता जी, आप प्रश्न कीजिए। अब समय कम है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। माननीय अकबर जी बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे पाये। माननीय अकबर जी से पूछिए, मंत्री जी क्या बतायेंगे?

श्री अमरजीत भगत :- धरम भैया, एक मिनट सुन लीजिए। मैं आप ही के पक्ष में बात कर रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, छोटा सा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- आपने बोला तो हमने सुना न। आपकी बातों को हमने इतनी देर तक सुनी। हमारी बातों को भी सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर बाद में दे देना।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप प्रश्न मेरे से मत कीजिए। आपको जवाब देना है। आप यहां आने के लिए तैयार हो क्या ? आप इधर आ जाईए।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, मैं आप ही के हित में बोल रहा था।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम लोग जवाब देंगे। आप बैठ जाईए।

श्री अमरजीत भगत :- आज आप इतना चिड़चिड़ा क्यों जा रहे हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष जी, 15 क्विंटल धान खरीदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में उसको तय किया। सरकार को 15 क्विंटल धान की खरीदी किसानों से खरीदनी है। लेकिन अभी सरकार के द्वारा 1480 किलो धान में 23 बोरे लग रहे हैं। आप 20 किलो धान कम खरीद रहे हैं। आपने 15 क्विंटल धान खरीदेंगे कहा, वह भी आप खरीद नहीं पा रहे हैं। यदि आप 15 क्विंटल धान खरीदेंगे तो आपको 310 करोड़ रूपए किसानों को और देना पड़ेगा। आप 15 क्विंटल धान खरीदने में पीछे हट गए, आपने किसानों का धान नहीं खरीदा। दूसरी बात, आपने 2500 रूपए क्विंटल देने का वादा किया, आप 2500 रूपए देने में फेल हो गए। आप कह रहे हैं कि हमने 1 लाख करोड़ रूपए

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

किसानों को दिया तो मैं बोल रहा हूं कि आप किसानों को 1 लाख करोड़ रूपए नहीं दे रहे हैं, उसमें से 3 चौथाई पैसा केन्द्र सरकार दे रही है और 25 प्रतिशत केवल राज्य सरकार दे रही है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- बिल्कुल गलत है, झूठी बात, गलत बात मत कहिए। एक पैसा भारत सरकार ने नहीं दिया है। जो दिया है, राज्य सरकार ने दिया है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इतना असत्य मत बोलिए। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- जो भी है, राज्य सरकार दे रही है। केन्द्र सरकार कुछ नहीं दे रही है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- 51 हजार करोड़ तो मंत्री का वादा था। सफाई देने की क्या जरूरत है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- वह तो चावल जमा करने के लिए है, कोई अनुदान नहीं दे रही है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- भारत सरकार फूटी कौड़ी नहीं दे रही है। चावल तो उनको चाहिए, वह पैसा दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय...।

अध्यक्ष महोदय :- आपका उत्तर हो गया।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, मैं यह बोल रहा था कि आज धरम भैया को कुछ भी उत्तर दे दीजिए। उनका असंतुष्ट होना तो धर्म है। क्योंकि विपक्ष का धर्म असंतुष्ट रहना है। उत्तर इतना क्लीयर आने के बाद भी असंतुष्ट होना, वह तो विपक्ष का धर्म है। उसको हम जानते हैं। केन्द्र सरकार ने हमको कोई भी अग्रिम राशि धान खरीदी के लिए नहीं देती है। हम एफ.सी.आई. में जो चावल जमा करते हैं, उसके एवज में राशि मिलती है और जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा जमा होता है, उसको हमने बता दिया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी के मामले में जन घोषणा पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 2500 रूपए क्विंटल में हम धान खरीदेंगे और इन्होंने समर्थन मूल्य पर नौ हजार रूपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की। यह नौ हजार रूपये को हम भागित करते हैं तो किसान को वर्ष 2019-20 में 2415 रूपये प्रति क्विंटल पड़ता है और वर्ष 2020-21 में 2468 रूपये प्रति क्विंटल पड़ता है। माने, वर्ष 2019-20 में 2500 रूपये क्विंटल समर्थन मूल्य में घोषणा थी उसमें 85 रूपये कम मिला और वर्ष 2020-21 में किसान को 32 रूपये कम मिला। एक यह खरीदी है। दूसरी बात, 15 क्विंटल धान के स्थान पर 14 क्विंटल 80 किलो धान किसानों से खरीदा गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो 2500 रूपये क्विंटल में वर्ष 2019-20 में 85 रूपये

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किसानों को कम मिला और वर्ष 2020-21 में किसानों को 32 रूपये कम मिला, यह राशि किसान को अपने वादे के अनुसार देने की व्यवस्था करेंगे क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, इनका जो प्रश्न है, पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। यह केवल राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का हर किसान खुश है। छत्तीसगढ़ के किसान पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा राशि पा रहे हैं1

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मैंने प्वाईटेंड प्रश्न किया है, यह टाईमपास कर रहे हैं। अगर आपने 2500 रूपए क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की है तो जो राशि कम है, उसको देने की व्यवस्था करेंगे क्या, आप इस बात का जवाब दीजिए ?

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, एक मिनट बैठ जाईये। शिवरतन जी, आपने कहा था न कि 300 रूपये बोनस हर साल देंगे। क्यों नहीं दिये ?

श्री शिवरतन शर्मा :- उसके चलते हम यहां आ गए।

श्री भूपेश बघेल :- सुनिए तो भाई, मेरी बात तो सुनिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, यह उत्तर नहीं है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आप सुनिए तो, मैं उत्तर दे रहा हूं। (व्यवधान) आप बात मत करिए। (व्यवधान) मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। (व्यवधान) आपने किसानों को झकझोर दिया है। (व्यवधान) आपने किसानों को पैसा नहीं दिया। (व्यवधान) हमने किसानों को पैसा दिया है। 2500 रूपये दिया है। अभी 9 हजार रूपया दे रहे हैं। इस साल 2540 रूपये, अगले साल 2640 रूपये और उसके बाद 2800 देंगे। आप क्या बात करते हैं ? यह किसान हितैषी नहीं हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए)

समय :
11:59 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- माननीय श्री भूपेश बघेल (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- राजनीति करने आते हैं। केवल राजनीतिक प्रश्न पूछते हैं।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- घडियाली आंसू बहाना बंद करो।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- ये खुद तो नहीं दिये हैं। बोनस 300 रूपये नहीं दिये थे वैसी भाग गये। उत्तर सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री अजय चंद्राकर :-आज आपके सारे वरिष्ठ मंत्री गायब हैं। मोर्चा आपको संभालना है। सोच लीजिये । हम दो क्रास अलग हो गये माननीय मुख्यमंत्री जी।

<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>

(1) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियां -

(i) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड,

(ii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,

(iii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा

(iv) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियां -

(i) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड,

(ii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,

(iii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा

(iv) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पटल पर रखता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(2) छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूं।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/खाद्य/2009/29-1, दिनांक 1 सितंबर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम (9) के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक जी।ध्यानाकर्षण सूचना

पूच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष जी, शून्यकाल की सूचना है। आज प्रदेश की राजधानी में लगभग 1 लाख शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन का मूल कारण यह है कि राज्य सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र में उनके जो वेतन विसंगति को दूर करने का वायदा किया था। वर्ष 2021 में भी शिक्षक स्ट्राइक में गये थे। लगभग 18 दिन स्ट्राइक चली थी और बाद मेंमाननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिंगुआ समिति का गठन किया था। समिति गठन करकर 3 माह में वेतन विसंगति दूर करने का आश्वासन दिया गया था। समिति को 3 महीने में

अशोधित/असंपादन के लिए नहीं

रिपोर्ट देनी थी। उस समिति को गठित किये8 से 10 महीने हो गये हैं। समिति की आज तक रिपोर्ट नहीं आई है।

समय :

12:03 **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुये)**

श्री शिवरतन शर्मा :- और वेतन विसंगति के चलते हजारों करोड़ों रूपये का नुकसान शिक्षकों को उठाना पड़ रहा है। इसके चलते पूरे प्रदेश के शिक्षक आज स्ट्राइक में हैं। प्रदेश की सारी स्कूलें बंद हैं। माननीय सभापति जी जनघोषणा पत्र में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, रोजगार सहायक हो, मितानिन हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता हो, सबके लिये इस सरकार ने व्यवस्था करने की बात की थी। सबको नियमित करने की बात की गई थी। सरकार के लगभग पौने चार साल कार्यकाल पूरा हो गया है।

सभापति महोदय :- आपने सूचना क्या दी है ?

श्री शिवरतन शर्मा:- सरकार ने इसमें कोई व्ययवस्था नहीं की है।

सभापति महोदय :- आपने सूचना क्या दी है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- हमने स्थगन की सूचना दी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि स्थगन को ग्राह्य करें और स्थगन को ग्राह्य करकर इसमें चर्चा करायें। यह निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, आज से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के करीब 4 लाख अधिकारी- कर्मचारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेश में सभी ऑफिसों में कामकाज ठप हो गया है और लगातार पिछले एक साल से सारे अधिकारी- कर्मचारी तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, प्रदेश की राजधानियों में, जिला केंद्रों में, विकासखंडों में लगातार हड़ताल कर रहे हैं, सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है और आम जनता परेशान और हैरान हो रही है । सरकारी ऑफिसों में कोई काम नहीं हो रहा है और खाद के लिये किसान सोसायटियों में भटक रहे हैं वहां पर कोई अधिकारी-कर्मचारी नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में हड़ताल का आलम है । प्रशासन ठप्प है और इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, उस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करके उस पर चर्चा करायें ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के लगभग 71 कर्मचारी संगठनों ने जो विभिन्न मुद्दों में असहमत रहते हैं लेकिन सरकार के इस वादाखिलाफी के खिलाफ उन्होंने जितने मांग-पत्र दिये हैं, उनमें से माननीय शिवरतन शर्मा जी ने जन घोषणा-पत्र का कुछ का उल्लेख किया है । माननीय मुख्यमंत्री को 10 दिन तत्काल किया जायेगा, कमेटी बनायी जायेगी, कमेटी-कमेटी का इतना

खेल खेलते हैं कि जिसकी हद नहीं । अभी ट्रांसफर की नीति के लिये लेटेस्ट कमेटी बनी है यानी कमेटी 10 दिन घोषणा-पत्र और अभी आप देखियेगा कि चर्चा बहुत सारी आयेगी । इसको किया जायेगा, इस घोषणा-पत्र को भी यानी इसी सत्र के प्रश्नोत्तरी में पूरा मान लिया गया है। 19 और 17-36 में लिखा गया है कि ऐसा किया जायेगा उसको पूरा मान लिया गया है तो इस सरकार की स्थिति यह है कि जो शासन तंत्र को चलाते हैं, जनता को सुविधा देते हैं, जनता का काम करते हैं । इस सरकार के अड़ियल रवैये से, इस सरकार की धोखाधड़ी से, इस सरकार की वादाखिलाफी से सड़क में हैं और अनंतकाल तक, अंतिम चूंकि अभी समय घोषित नहीं किया है तो इसलिये प्रदेश की जनता को राहत देने के लिये आपसे आग्रह है कि इस स्थगन प्रस्ताव को तत्काल ग्राह्य किया जाये ताकि छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से परेशान है तो परेशान है लेकिन ऑफिस में जो छोटे-मोटे काम हो जाते हैं, उससे परेशान मत हों ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, शिक्षकों की हड़ताल 22 जुलाई को शिक्षक वेलफेयर एसोसियेशन द्वारा विधानसभा का घेराव किया जा रहा है । इसी तरह से इस प्रदेश की सहायिका, मितानिन, रसोईया, सफाई कर्मचारी, मनरेगाकर्मी, पंचायत सचिव, वनकर्मी, होमगार्ड, विद्युतकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, अंशकालीनकर्मी और कई कर्मी जो इस सरकार से बहुत आस लगाये बैठे थे कि उनके हितों की रक्षा यह सरकार करेगी लेकिन उन्हें कोरे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है जबकि इनके घोषणा-पत्र के अध्यक्ष श्री टी.एस. सिंहदेव जी ने उस समय बड़ी-बड़ी बातें कही थी तो वे तो कल आधा निपट चुके हैं और आधा बचे हैं लेकिन कम से कम इस घोषणा-पत्र की बातों को मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान में ले लीजिये और इनकी बातों का ध्यान रखिये । आप एक तरफ अग्निवीर का विरोध करते हैं कि ये बेकार है या यह ऐसा है और दूसरी तरफ जो बेचारे हमारे यहां हैं उनको आप अग्निवीर से भी बद्तर स्थिति में ला रहे हैं तो दोनों चीज अच्छी नहीं होगी इसे आप करिये । अब तो घोषणा-पत्र अध्यक्ष भी और मुख्यमंत्री भी सब आप हैं । अब आप बढ़िया निर्णय कर दीजिये और सब विभाग के लोगों का भला कीजिये । हड़ताल की स्थिति न आये, इनसे काम लेना । ये हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, इनके हितों की रक्षा करना आपका धर्म है और आप कर भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, इसके लिये थोड़ा अच्छे से कोशिश करिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कमेटी बनी है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कमेटी मतलब यह है कि टरकाना है तो कमेटी बना दो । यह पुराना इतिहास है, मैं कोई आपको ही नहीं कह रहा हूं । यह पुराना रिकॉर्ड है कि कमेटी बना दो, कभी राउत कमेटी बना दो, कभी साहू कमेटी बना दो, कभी जैन कमेटी बना दो, कभी और कमेटी बना दो ।

सभापति महोदय :- माननीय पुन्नूलाल जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप भी तो दारू कमेटी के अध्यक्ष हैं लेकिन उसके बारे में पता ही नहीं है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारी एकमत सरकार है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शिवरतन जी बैठिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, ये हड़ताल के जो कर्मचारी हैं, चाहे सहायक शिक्षक हों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या सहायिका हो, मितानिन हो, रसोईया हो, सफाई-कर्मचारी हों, मनरेगाकर्मी हैं, पंचायत कर्मी हैं, होमगार्ड हैं, विद्युतकर्मी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, अंशकालीन सचिव हैं, अंशकालीनकर्मी हैं समस्त कर्मचारी सभी लोगों के लिये सरकार ने घोषणा की थी कि उनकी जो-जो विसंगति है उसको हम दूर करेंगे । प्रमोशन करेंगे और ऐसी घोषणा करके सरकार ने थोथी घोषणा की । पौने 4 वर्ष हो गये हैं और सरकार अपने हाथ में हाथ धरे बैठी है। 4 लाख कर्मचारी असंतुष्ट हैं और वहां का कार्यक्रम स्थानीय स्तर ठप्प है । न तो मास्टर पढ़ाने जाता है, न खाद की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था ऐसे मतलब सरकार का विरोध खुद कर्मचारी लोग कर रहे हैं और मैदान में आ चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन पर विचार किया जाये और हमने जो स्थगन दिया है, उस पर चर्चा के लिए अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश का आलम यह है कि पौने चार में तीन साल कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं। मैं तो दुखी हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूरे कर्मचारियों का रोज पंडाल लगे रहता है। रोज रास्ता जाम रहता है। सरकार कोई निराकरण नहीं कर रही है। एक-एक लाख लोग अगर पूरे प्रदेश में हड़ताल करें, आप भी देखते हैं। आपके पास भी कर्मचारी संगठन मिलने के लिए आते हैं। आखिर इस छत्तीसगढ़ में यह क्या हो रहा है ? कोई शासन चल रहा है या यह सरकार चूं-चूं का मुरब्बा हो गई है। आज टी.एस. सिंहदेव साहब ने जनघोषणा पत्र बनाया तो वह उनका जनघोषणा पत्र था या आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी का जनघोषणा पत्र था। अगर पूरी कांग्रेस पार्टी का जनघोषणा पत्र था तो उसके वादे को आपने विधान सभा में आत्मसात किया है। उसे आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- दस्तखत तो उनका था। उनको सजा तो मिल गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसको आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? आज पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अपने डी.ए. के लिए अपने महंगाई भत्ते के लिए हड़ताल कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने 34 प्रतिशत डी.ए. दे दिया। आप केवल 22 प्रतिशत डी.ए. दे रहे हैं। आखिर यह कब चलेगा? आज पूरे प्रदेश में बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। कभी वहां के खाना बनाने वाले रसोइया लोग हड़ताल करते हैं। कभी वहां के सफाई कर्मचारी हड़ताल करते हैं। कभी सहायक शिक्षक हड़ताल करते हैं। आखिर छत्तीसगढ़ का भविष्य कहां जायेगा?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- ये तो स्कूल शिक्षा मंत्री थे तब तो कुछ किये नहीं। हम लोगों ने तो शिक्षकों का संविलियन किया है। आप लोगों ने कहां कुछ किया है।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- ग्राह्य कर लीजिए, फिर चर्चा करिए न। ग्राह्य करवा लो फिर चर्चा कर लेते हैं। फिर आप बोल लेना।

श्री धर्मजीत सिंह :- इन्होंने नहीं किया तो आपसे ही तो कह रहे हैं। आप कर दीजिए। आप करिए, यही तो बोल रहे हैं न। कोई गाली थोड़े न दे रहे हैं और न कोई विरोध कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है। जो सरकारी अधिकारी-कर्मचारी हैं, वे सरकार के हाथ-पैर हैं। अगर हाथ-पैर काम नहीं करेंगे तो छत्तीसगढ़ को लकवा मार जायेगा और मुझे तो ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ को लकवा मार रहा है। (शेम-शेम की आवाज) धीरे-धीरे पूरे अंग शिथिल हो रहे हैं। कोई काम नहीं हो रहा है। कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं। सब लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिस छत्तीसगढ़ को हमने विकास के रास्ते पर दौड़ाया था, अब वह रेंग भी नहीं रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो कर्मचारियों की इतनी बड़ी हड़ताल हो रही है, उसके ऊपर में आप यहां पर तुरंत चर्चा करवायें और चर्चा करके इसका निराकरण करवायें तो छत्तीसगढ़ का भला होगा। छत्तीसगढ़ की पौने 3 करोड़ जनता का भला होगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस विषय पर चर्चा करवायें। इसे स्वीकार करें। इस बात का आपसे आग्रह है।

(माननीय सदस्य श्री पुन्नूलाल मोहले द्वारा अपने स्थान पर खड़े होने पर)

सभापति महोदय :- आप तो बोल चुके हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय अग्रवाल जी ने कहा कि हमारी सरकार के अंग शिथिल हो रहे हैं और कौन सा अंग शिथिल हो रहा है?

सभापति महोदय :- पुन्नूलाल जी, आपकी बात आ गई।

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन सा अंग शिथिल हुआ है, उसे अग्रवाल जी ने स्पष्ट नहीं किया है न। (हंसी)

सभापति महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज स्थिति यह है कि प्रशासनिक कार्य पूरे ठप पड़े हैं और किसी भी प्रशासनिक कार्य की गति यदि धीमी होती है और सरकार द्वारा जनहित में चलायी गयी योजनाओं की गति यदि धीमी होती है तो कहीं न कहीं इन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन आज स्थिति यह है कि यही जिम्मेदार जो अधिकारी-कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या 4 लाख है, आज वे सरकार को एक बार नहीं, दो बार नहीं, इन्होंने कई बार सरकार को चेतावनी दी और चेतावनी देते हुए इन्होंने हड़ताल में जाने का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निर्णय लिया। आज भी स्थिति यह है कि इन्होंने 25 जुलाई से 29 जुलाई तक सरकार को चेतावनी दी और ये फिर हड़ताल पर जा रहे हैं तो कहीं न कहीं प्रशासनिक कार्य ठप हो रहे हैं और इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो यह सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने अपने जनघोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट तौर पर उनका वेतन बढ़ाने से लेकर, वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए जो दैनिक शिक्षाकर्मी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से 4 सितंबर, 2021 को वेतन विसंगति को दूर करने के लिए मुलाकात की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर उन्हें आश्वासन देते हुए 90 दिनों का समय देते हुए उन्होंने कमेटी बनाने की घोषणा की, लेकिन आज तक कमेटी ने न एक भी बैठक की और न ही उनके वेतन विसंगति को दूर करने का किसी प्रकार का निर्णय लिया है। आज की जो स्थिति हम प्रदेश में देख रहे हैं, कहीं न कहीं इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है और आज इस विषय में हम लोगों ने स्थगन दिया है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया इसे स्वीकार करके इस पर चर्चा करायी जाये।

सभापति महोदय :- प्रमोद कुमार शर्मा जी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय सभापति महोदय, हम सभी ने स्थगन के लिए आवेदन दिया है और आपसे निवेदन है कि इस पर चर्चा करायी जाये। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगतियां हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। वे लाखों की संख्या में हड़ताल पर हैं और यह मौन सरकार, यह भ्रष्टाचारी सरकार उनकी विसंगति की छोटी सी समस्या को दूर नहीं कर पा रही है। सब सरकारी कर्मचारी आंदोलनरत् हैं । सरकार अपने घोषणा पत्र को आत्मसात करने की सोचे और आपसे निवेदन है कि इस पर सदन में चर्चा कराएं ।

सभापति महोदय :- बांधी जी, रजनीश जी कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- सभापति महोदय, हम लोगों ने आज स्थगन प्रस्ताव दिया है । किसी भी देश, प्रदेश के लिए शिक्षा रीढ़ की हड्डी होती है बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना के कारण पिछले दो साल से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप रही । अब सरकार की वायदा खिलाफी के कारण हर वर्ग, हर कर्मचारी आज सड़कों पर है । शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक सप्ताह के लिए प्रदेश की राजधानी में विधान सभा का घेराव करने के लिए आ रहे हैं । दुर्भाग्य की बात यह भी है कि मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसी स्थिति बनी हो, पहली बार नरेगा का काम, जिसमें हमारे गांव के लोगों को उम्मीद रहती है, लोगों को रोजी रोजगार मिलता है । इस पूरे सीजन में काम नहीं चला । इसी प्रकार तमाम कर्मचारी हड़ताल पर हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत गंभीर स्थिति बन रही है कि यदि इस प्रकार चला तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से कार्यालयों में गरीब जनता का काम होगा । आपसे आग्रह है कि हमने जो स्थगन दिया है उसको स्वीकार करें । इसमें हमारे सम्मानित साथी और भी बहुत सी बात कहेंगे ।

(माननीय सदस्य डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी के खड़े होने पर)

सभापति महोदय :- बांधी जी आप हाथ तो उठाते नहीं हो, अब नेताजी के खड़े होने के बाद आप हाथ उठाते हो ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- पहले भी उठाया था सर । आपकी कृपा दृष्टि मेरी तरफ नहीं रहती है ना ।

सभापति महोदय :- चलिए, संक्षेप में कहिए ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- सभापति महोदय, इतने कर्मचारी हैं, ये कौन हैं ? जिनके साथ अन्याय हो रहा है । ये लोग वही लोग हैं जिनके साथ कांग्रेस के नेता बैठकर चाय पीते थे, जूस पीते थे और उन्हें आश्वासन देकर आते थे, भरोसा दिलाते थे, विश्वास दिलाते थे । आज वे उसी भरोसे और विश्वास की मांग करते हैं । कैसे मांग करते हैं ? तपती धूप में मांग करते हैं । बच्चों को नौपते में लेकर, सड़कों पर बैठकर मांग करते हैं । उनके साथ क्या-क्या अत्याचार नहीं हुआ ? उन्होंने सबको सहा और वे मांग करते रहे कि हमारी सुन लो, हमारी बात सुन लो । आज इसी विसंगति के कारण परिणाम यह है कि आज रोजगार गारंटी के 2000 रूपए लोगों की जेब में जाता, पंचायत का विकास होता, वह पैसा ही नहीं मिल पाया । इस तरीके से जो मैदानी कर्मचारी हैं । इनकी मांग के कारण, इनकी मांग पूरी नहीं होने के कारण हड़ताल पर गए । उनके कारण पूरे छत्तीसगढ़ का नुकसान हुआ, ग्राम पंचायतों का नुकसान हुआ, गरीबों का नुकसान हुआ, उनकी सब चीज लुट गई, क्योंकि सब सर्विस सेक्टर में काम करते हैं । आपने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया उनका भरोसा न तोड़ें । यदि उनका भरोसा और विश्वास को तोड़ेंगे तो जब वो आपके प्रति दृष्टिकोण बदलेंगे, आपके प्रति विचार बदलेंगे तो आप भी कहीं के नहीं रह जाएंगे, इसलिए इसको स्वीकार करें ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, आज पूरे प्रदेश में 1 लाख, 9 हजार सहायक शिक्षक सड़कों पर हैं । एक वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो में जब वे रायपुर की तरफ आ रहे हैं तो पुलिस के द्वारा उनको रोका गया और रोकने के बाद उनके साथ झूमा-झटकी हुई है और मुझे अंदेशा है कि उनके साथ मारपीट भी हुई है । मुख्यमंत्री जी, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने बड़े-बड़े वायदे किये । ऐसा कोई स्टाल नहीं था, ऐसा कोई तम्बू नहीं था जिसमें वे नहीं गए थे । वहां जाकर सबको आश्वासन देकर आए और उसके बाद आज जब सरकार आ गई तो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष की जब बात आई तब हमारे मंत्री जी बोल रहे थे तो उसका फल उनको मिलेगा, भुगत रहा है । डहरिया जी, यह सब आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यह सरकार लोगों को धोखा देकर आई है, दगा देकर आई है । आने के पहले जिस प्रकार से सब लोगों को आश्वासन दिया गया और आश्वासन देकर वोट बटोरे गए । आखिर आज सब लोग स्ट्राईक में क्यों जा रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, उन्होंने जब 2021 में 18 दिन का धरना प्रदेर्शन किये थे, उसके बाद में वे लोग मुख्यमंत्री जी से मिले तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके लिए एक कमेटी बनाई गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 90 दिन

के अंदर में आपकी समस्या का निराकरण हो जायेगा। अभी 10 महीने हो गयें हैं। 10 महीना होने के बाद में उस कमेटी का प्रतिवेदन नहीं आया है। सभापति जी, आपको तो मालूम है कि आप भी कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपकी कमेटी का भी प्रतिवेदन नहीं आया है। यह जो कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी का प्रतिवेदन आये, प्रतिवेदन के ऊपर में विचार हो, उनकी समस्या का निराकरण हो। आखिर वह कब तक धैर्य रखेंगे? उनकी धैर्य की सीमा टूटती जा रही है।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- नेता प्रतिपक्ष जी, आपने वर्ष 2003, 2008 व 2013 में जो घोषणा किया था, उसका निराकरण किया क्या?

श्री धरमलाल कौशिक :- आप बोलिये ना कि हम भी नहीं करेंगे। हमने किया या नहीं किया, तो आप बोलिये ना कि हमने धोखा देकर उनसे वोट लिया है। आप बोलिये न कि हम सत्ता में आ गये हैं, अब हम नहीं करेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हम करेंगे। उसके लिए कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आ जाये, फिर हम करेंगे। उसके लिए कोई तारीख निश्चित थोड़ी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, इतना बोल रहे हैं तो इसको ग्राह्य करा कर चर्चा करवाईये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- ग्राह्य कर लीजिये। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोग मना कर देते हैं, हम लोग करेंगे ना।

सभापति महोदय :- बांधी जी, शर्मा जी, बैठिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसको आप ग्राह्य करिये। चर्चा के लिए हमारे पास इतने सारे विषय हैं। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति जी, चर्चा के लिए ग्राह्य करवा दीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, वे लोग मुझे बोलने का मौका तो दें।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप बैठिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैं विचार करूंगा। मैं स्वीकार करता हूं कि उन्होंने जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री जी यह ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि आपका निराकरण होगा। आखिर उनकी समस्या का निराकरण कब होगा? अभी जो केन्द्र से शिक्षा की रैंकिंग आई है, उस रैंकिग में आपका छत्तीसगढ़ 30वें नंबर पर है, यह जानकारी मिल रही है। जब शिक्षक हड़ताल में रहेंगे, कॉलेज प्राध्यापक हड़ताल में रहेंगे, पढ़ाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री का ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है, बल्कि उनका ध्यान दारू की तरफ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दारू पीना कैसे सीखें और इससे शिक्षा व्यवस्था चौपट होते जा रही है।

सभापति महोदय :- आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इसमें विलोपन का तो कुछ नहीं है। स्कूल में बच्चे दारू पी रहे हैं, इस प्रदेश में यह स्थिति बन गई है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज आपकी शिक्षा में क्या स्थिति है? आखिर इन समस्याओं का निराकरण कौन करेगा? आपसे उम्मीद है, आप सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार आपकी है, आप आश्वासन दे रहे हैं, आवश्वासन देने के बाद में यदि उसका निराकरण नहीं होगा तो जब वह लोग रायपुर आ रहे हैं तो उनके साथ में धक्का-मुक्की हो रही है, यह बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से उनकी मांगे हैं और वह जो कमेटी बनाई गई है, उस पर आप विचार नहीं करेंगे तो आप ही बताईये कि उनके पास में क्या रास्ता है? मेरे पास में सारे Documents हैं। यदि आप इस स्थगन को स्वीकार करेंगे तो हमारे पास पर्याप्त तथ्य हैं, हम सारे तथ्य को आपके सामने रखेंगे और रखकर हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप यह स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करें और ग्राह्य करके चर्चा करायें। यह हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप आसंदी से निर्देश करें। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इसे ग्राह्य करके इस पर चर्चा करायें।

सभापति महोदय :- सभी माननीय सदस्यों से विचारों को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूं। इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति जी, इसमें चर्चा कराई जाये।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, 4 लाख शिक्षक सड़कों में धरने पर हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, इसमें चार्च कराई जाये। यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री नारायण चंदेल :- यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति जी, इसमें चर्चा करवाईये। हमारे पास में पर्याप्त तथ्य हैं। हम सारे तथ्य को यहां पर रखेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, आप इसमें चर्चा करवायें। आप किसी न किसी रूप में चर्चा करवायें। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आपको अपनी बात कहने का अनेक अवसर मिलेंगे। आपको चर्चा के लिए अनेक अवसर मिलेंगे। आप उस अवसर का उपयोग करना। इसे मैंने अग्राह्य कर दिया है। अब इस पर पुन: विचार नहीं हो सकता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरे प्रदेश की स्कूलों में ताला लगा हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप किसी न किसी रूप में चर्चा करवायें।

(विपक्ष के सदस्यों के द्वारा नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

(12:25 से 12:33 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12:33 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, अभी शून्यकाल चल रहा है। मेरा दूसरा विषय है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ दिल्ली में और रायपुर में उनके प्रदर्शन को लेकर और उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। दूसरा, माननीय कानून मंत्री, मोहम्मद अकबर जी और संसदीय सचिव के बारे में आपकी आसंदी से व्यवस्था आ चुकी है। आपकी व्यवस्था आने के पश्चात् भी मैंने उसमें दस्तावेज लगाये हैं कि विभिन्न समाचार पत्रों, विभिन्न मीटिंग और बाकी सभी चीजों में संसदीय सचिव शब्द का उपयोग किया जा रहा है और इसलिए मैंने उस विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार भंग की सूचना इसलिए और महत्वपूर्ण है कि यदि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आंदोलन का नेतृत्व करता है तो फिर कानून-व्यवस्था को देखने वाले क्या करेंगे ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के पाटन में अग्निवीर के लिए धरना दिया।

सभापति महोदय :- आपका प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह मेरे विचाराधीन है।

श्री अजय चंद्राकर :- दूसरा, दिल्ली में भी उनकी गिरफ्तारी हुई। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा। उस दिन छत्तीसगढ़ में संवैधानिक संकट था। मुख्यमंत्री जी गिरफ्तार हुए थे या कुछ और है ? इस सदन में उसकी वस्तुस्थिति आनी चाहिए।

सभापति महोदय :- मैंने निवेदन किया है। आपका प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है।

श्री अजय चंद्राकर :- इसलिए मैं यह चाहता हूं क्योंकि यह विशेष ध्यानाकर्षण की सूचना है कि मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी पेपरों में छपी हैं। इसलिए इस पर तत्काल चर्चा कराई जानी चाहिए।

सभापति महोदय :- अब मैं नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचना लूंगा। मैंने आपको बताया है कि आपका प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, प्राप्त हुआ है, वह ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं धरना दें, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो तो यह तो संवैधानिक संकट की स्थिति है और संवैधानिक संकट की स्थिति है तो विशेषाधिकार पर चर्चा करनी चाहिए और उस पर तो सारे काम को रोककर चर्चा करानी चाहिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- मैंने निवेदन किया कि प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, मेरे पास विचाराधीन है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी पहली बार गिरफ्तार हुए हैं । यह संवैधानिक संकट की स्थिति है । उस दिन सरकार यहां नहीं थी । संवैधानिक मुखिया प्रदेश में हड़ताल करता है, हड़ताल का नेतृत्व करता है । कल भी हड़ताल का नेतृत्व करने गए थे ।

सभापति महोदय :- अब नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचना लूंगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- इसको लेना चाहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, आप बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं । क्या मुख्यमंत्री का किसी आन्दोलन का नेतृत्व करना, क्या मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हो?

श्री अमितेश शुक्ल :- पीसीसी अध्यक्ष नेतृत्व कर रहे हैं । ये क्या बात कर रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोला यह विषय समझ में नहीं आवय । तै खाना खाकर आ जा ।

श्री अमितेश शुक्ल :- पीसीसी अध्यक्ष नेतृत्व कर रहे थे । आप फालतू बात मत करो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तै ह उती ले खाना खाके आ ।

श्री अमितेश शुक्ल :- खाना आप खाने जाओ । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी गिरफ्तार हुए या नहीं हुए ? यदि गिरफ्तार हुए हैं, पेपरों में छपा है, यह समाचार सही है तो छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व स्थिति है । (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- पीसीसी अध्यक्ष नेतृत्व कर रहे थे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, आपकी व्यवस्था के बाद संसदीय सचिव का विषय हमने समाप्त मान लिया था ।

सभापति महोदय :- मैंने आपको बताया कि प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, वह विचाराधीन है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह आसंदी की व्यवस्था का अपमान है । यदि आसंदी का अपमान है तो उस पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए ।

सभापति महोदय :- माननीय कौशिक जी, आप अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें । चन्द्राकर जी, आपकी बात आ गई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो चर्चा में प्रमाणित करेंगे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष जी निराकरण करेंगे ।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि प्रमाणित होगी, चर्चा में आप स्वीकार करेंगे, तब तो । मुख्यमंत्री जी के गिरफ्तार होने के बाद छत्तीसगढ़ में संवैधानिक संकट था । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं । ये लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, ये लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ की विधान सभा में विशेषाधिकार भंग की किसी भी सूचना पर चर्चा नहीं हुई है । अगर कोई गंभीर विशेषाधिकार सूचना दी गई है और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ दी गई है तो उसके लिए आपकी तरफ से व्यवस्था आनी चाहिए, आसंदी की तरफ से व्यवस्था आनी चाहिए।

सभापति महोदय :- मैंने निवेदन कर लिया है । प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, वह विचाराधीन है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कितने दिनों तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मेरा भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

सभापति महोदय :- इसके अलावा कुछ और कहना है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है न ।

सभापति महोदय :- बतायें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद होता है और अगर मुख्यमंत्री एक घंटे के लिए भी कहीं गिरफ्तार हो जाये तो प्रदेश में सरकार नाम की चीज समाप्त हो जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं गिरफ्तारी दी । माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर लाठी चार्ज हुआ । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रदेश है । पूरे प्रदेश को शर्मनाक स्थिति में पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और हमारा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है । हमने पहले भी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है और एक भी विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई । हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर सदन के नेता के खिलाफ विशेषाधिकार भंग की सूचना है तो सारे काम छोड़कर विशेषाधिकार भंग की सूचना पर पहले सदन में चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद बाकी काम आगे बढ़ने चाहिए ।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई । माननीय कौशिक जी अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, हम लोगों ने, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने मिलकर प्रस्ताव दिया है ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- आपकी बात भी आ गई, चन्द्राकर जी की भी बात आ गई, शिवरतन जी की भी बात आ गई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप यह बताएं कि कोई मुख्यमंत्री जी यह कहे कि हमारा नक्सल प्रदेश है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पुलिस के लोग हाथ पकड़कर उठायें, उनको धक्का दें तो क्या छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं होगा । अगर छत्तीसगढ़ के अपमान के लिए कोई जिम्मेदार है तो भूपेश बघेल जी जिम्मेदार हैं और इसलिए इसके ऊपर में आपको चर्चा करवानी चाहिए । पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है, पूरा छत्तीसगढ़ अपमानित हुआ है और उसके लिए कोई दोषी है तो भूपेश बघेल जी दोषी हैं । इसके ऊपर में चर्चा करानी चाहिए ।

सभापति महोदय :- जो प्रस्ताव मिला है, वह विचाराधीन है, यह मैं कह चुका हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसमें चर्चा करवाएं, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं ।

सभापति महोदय :- परीक्षण के उपरांत बताया जाएगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप समय निर्धारित कर दीजिए । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- नेता प्रतिपक्ष की बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- परीक्षण किया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अत्यंत गंभीर स्थिति है, आप जानते हैं । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- सभापति महोदय, सभापति पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय कौशिक जी, अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें। कृपा करके सूचना पढ़ें । सौरभ सिंह जी, आप बैठिए । शिवरतन जी, बैठिए । बृजमोहन जी, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, बैठिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, आप मध्यप्रदेश की विधान सभा में विधायक रहे हैं, इतने वरिष्ठ विधायक हैं, संसदीय कार्यमंत्री रहे हैं, आप भी समझते हैं कि किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, किसी मुख्यमंत्री का धरना देना कितनी बड़ी बात है । इसके ऊपर में चर्चा करानी चाहिए । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- जो बात आ गई है, मैंने उसका जवाब दे दिया है । सौरभ जी, प्लीज बैठिए । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ रहे हैं । आपके नेता सूचना पढ़ रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- नेता प्रतिपक्ष जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, घोर आपत्तिजनक है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कौशिक जी, सूचना पढ़ रहे है। सौरभ जी, बैठिये। (व्यवधान)

अप्रशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या संदेश देना चाहते हैं, यह संघीय ढांचा के खिलाफ है।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये।

समय :
12:45 बजे

ध्यान आकर्षण सूचना

1. वन मण्डल बिलासपुर में कैम्पा के माध्यम से किये गये कार्यों में अनियमितता की जाना।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

वन मण्डल बिलासपुर में कैम्पा के माध्यम से किए गए कार्यों में अनियमितता की जा रही है। इस सम्बन्ध में परिक्षेत्र बेलगहना के अन्तर्गत 29 सितम्बर, 2021 को शिकायत की गई, जिसमें वनमण्डलाधिकारी ने उप वनमण्डलाधिकारी कोटा को 06.10.2021 को जांच हेतु पत्र लिखा था तथा उप वनमण्डलाधिकारी कोटा द्वारा 05.03.2022 को वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर को अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शासन के साथ धोखाधड़ी करते हुए कूटरचना कर फर्जी प्रमाणक तैयार कर भुगतान किया गया। साथ ही 15 व्यक्तियों के खाते में श्रमिकों के द्वारा काम नहीं किया गया, फिर भी फर्जी तरीके से 8,59,407 रूपये जमा कर वसूली की गई, जो कि शासकीय राशि का गबन है। इसमें उन्होंने तात्कालीन परिक्षेत्र सहायक व परिक्षेत्र अधिकारी बेलगहना को दोषी माना है। बेलगहना क्षेत्रान्तर्गत आमानाला ब्रशवुड चेक डेम में इस अनियमितता के सम्बन्ध में प्रतिवेदन मिलने के बाद भी वनमण्डलाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं करना संदेह को जन्म देता है। इसी प्रकार इसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत कहुआ नाला कक्ष क्रमांक 1174 व 1175 में मजदूरों को फर्जी भुगतान किया गया है। दस्तावेजों के अनुसार मोंगरा बाई ग्राम छुईया को 14,900 रूपये के स्थान पर 25,362 रूपये, अखिलेश ग्राम छुईया को 6,179 के स्थान पर 34,406 रूपये, गोमती बाई को 5,811 रूपये के स्थान पर 40,953 रूपये का भुगतान किया गया है। ऐसे एक नहीं, अनेक प्रकरण हैं तथा प्रमाणक के अनुसार 2,39,419 रूपये के स्थान पर 8,73,411 रूपये का भुगतान किया गया है। इस निर्माण कार्य में अनियमितता के सम्बन्ध में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई। यही नहीं, इस वनमण्डल में कैम्पा योजना को लेकर विगत 02 वर्ष में 10 से अधिक नामजद शिकायतें हुई हैं, मगर किसी भी दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आम जनता में भारी रोष है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि बिलासपुर वनमण्डल के अन्तर्गत कैम्पा के कार्यों में अनियमितता की जा रही है। यह सही है कि बेलगहना वन परिक्षेत्र के अन्तर्गत 29 सितम्बर, 2021 को भुगतान के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर के द्वारा उनके पत्र क्रमांक/स्टेनो/शि./2021/3809 दिनांक 06/10/2021 के माध्यम से उप वनमण्डलाधिकारी, कोटा को जांच हेतु निर्देशित किया गया था। उप वनमण्डलाधिकारी, कोटा के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 90 दिनांक 05/03/2022 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल को प्रस्तुत किया गया है। उप वनमण्डलाधिकारी, कोटा के जांच प्रतिवेदन में प्रारंभिक रूप से अनियमितता दिखाई दे रहा है। इसका परीक्षण उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। अंतिम जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जावेगी।

यह कहना सही है कि कहुआ नाला के अन्तर्गत कक्ष क्रमांक 1174 व 1175 में मजदूरों के भुगतान के सम्बन्ध में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है। मजदूरों के प्रमाणक में दर्शित राशि एवं खाते में की गई भुगतान में विसंगति के सम्बन्ध में मुख्य वन सरंक्षक, बिलासपुर वृत्त के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 293 दिनांक 05/10/2021 के द्वारा उप वनमण्डलाधिकारी, कोटा को जांच हेतु निर्देशित किया गया था, इसी सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 12/07/2022 को पुन: शिकायत प्रेषित किए जाने पर मुख्य वन सरंक्षक, बिलासपुर वृत्त पत्र क्रमांक 5289 दिनांक 18/07/2022 द्वारा जांच हेतु उप वनमण्डलाधिकारी, कोटा को निर्देशित किया गया। उप वनमण्डलाधिकारी, कोटा के पत्र क्रमांक 713 दिनांक 21/07/2022 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसका परीक्षण उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। अंतिम जांच प्रतिवेदन में दोषी पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जावेगी।

यह कहना सही नहीं है कि बिलासपुर वनमण्डल में कैम्पा मद के अन्तर्गत 10 से अधिक नामजद शिकायत प्राप्त हुई है। वास्तविकता यह है कि बिलासपुर वनमण्डल में कैम्पा मद के अन्तर्गत केवल 02 शिकायत प्राप्त हुई है, प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। अत: आम जनता में रोष व्याप्त नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी का जवाब आया है, इसमें उन्होंने 80 परशेंट को स्वीकार किया है, सारे तथ्य प्रमाणित हैं, वहां पर दो कार्य हुये हैं । एक आमानाला में ब्रसहुड चेकडेम का है और एक कार्य जो हुआ है कहुवा नाला में हुआ है । दोनों में जो फर्जी भुगतान किया गया है, फर्जी भुगतान करने के बाद में 8 लाख से ऊपर राशि, जो रेंजर है और उनके जो सबआर्डिनेट अधिकारी हैं, उनके द्वारा शासकीय राशि का गबन किया गया है, उसमें चार सौ बीसी किया गया है और यह सारे तथ्य प्रमाणित है । उसमें जो जांच अधिकारी है, उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया

और प्रतिवेदन देने के बाद में डी.एफ.ओ. को उस प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करनी थी । इतना समय निकल जाने के बाद भी उस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और उन्होंने रेंजर और दोनों अधिकारी को बचाने का प्रयास किया है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूँ कि जब प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया और प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद कार्यवाही नहीं की है, इसलिए वहां के डी.एफ.ओ. को सस्पेंड करेंगे क्या ? मैं यह मांग करता हूँ और सस्पेंड करने के साथ में उनके खिलाफ भी डी.ई. का मामला चलायें, उन्होंने कोई कार्यवाही क्यों नही की है । एक तो सस्पेंड करें और उनके खिलाफ में मामला चलायें । मैं यह आपसे मांग करता हूँ ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही लिखा है कि उप वनमंडल अधिकारी, कोटा के जांच प्रतिवेदन में प्रारंभिक रूप से अनिचयमितता दिखाई दे रहा है और इसका परीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है । यह परीक्षण करने के लिये अंतिम रूप से डी.एफ.ओ. के पास गया है । जहां तक कार्यवाही के संबंध में आप जो जानकारी दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि परिक्षेत्र अधिकारी प्रथम दृष्टया इसमें दोषी दिखाई दे रहा है, मैं उसके निलंबन की घोषणा करता हूँ । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- चलिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, जो दो अधिकारी और हैं, उसके बारे में विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- उसका भी मैं ओर जांच करा लूंगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- ठीक है ।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी । अब अगला धर्मजीत सिंह जी, बृजमोहन जी, सौरभ जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा जो ध्यानाकर्षण सूचना है, उस ध्यानाकर्षण सूचना की जो प्रति मुझे प्राप्त हुई है, उसमें मैंने रायपुर से संबंधित मामले उठाये थे और रायपुर से संबंधित मामले का जो जवाब आया है, उसमें रायपुर से संबंधित मामलों का कोई जवाब नहीं दिया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दुर्ग का भी नाम उसमें छपा था, उसमें भी जवाब नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसमें भिलाई, दुर्ग का नाम भी...।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत सिंह जी । कृपया ध्यानाकर्षण पढ़ें । पढ़ने तो दीजिए उनको ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यहां पर ध्यानाकर्षण में चर्चा हो ही नहीं सकती । चर्चा ही नहीं हो सकती। इसको आगे के लिए चर्चा में रख लें । मेरे पास ध्यानाकर्षण सूचना की प्रति है, जो मुझे मिली

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है । मुझे जो जवाब मिला है, उसमें रायपुर से संबंधित लोगों को काट दिया गया है, इस ध्यानाकर्षण पर चर्चा ही नहीं हो सकती । आप इसको अगले दिन ले लें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कैसे काटा गया है, क्यों काटा गया है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्यों काटा गया है, यह तो नियम प्रक्रियाओं की पूरी धज्जियॉ उड़ाई जा रही है । यह तो मजाक हो गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पहले दिया गया है, उसमें लिखा गया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुझे जब लाल पर्ची मिली ..। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जो उत्तर है, उसको आप देख लीजिए । हद हो गया महान अकबर ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमने मूल रूप से पूछा था कि रायपुर के शहीद चन्द्रशेखर वार्ड, मुंगेली, महासमुंद, पाटन, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, भिलाई, अभनपुर, सेजबहार, काठाडीह...।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, ध्यानाकर्षण सूचना में रायपुर का उल्लेख है । उनको पढ़ने दीजिए । पहले पढ़ने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप देख लें, मेरे पास जवाब है । यह काट दिया गया है । और जवाब नहीं है । मेरे पास जवाब भी है, दोनो है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है । यह वर्जिश है, ऐसा सरकार नहीं कर सकती ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- धमतरी, दुर्ग, भिलाई । यह आज तक कभी नहीं हुआ है । मेरे 33 साल के विधायकी कार्यकाल में यह पहली बार हो रहा है । मुझे लाल परिपत्र मिला । वह अलग था । मुझे अभी जों ग्रीन परिपत्र मिला, उसमें भी उसका उल्लेख है, परन्तु उसमें जो जवाब है, उसका कोई उल्लेख नहीं है । उसको काट दिया गया है ।

सभापति महोदय :- ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ी ही नहीं गई, जवाब की बात कहां से आ गई ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उसका परीक्षण करा लीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप पांच मिनट स्थगित करके उसका परीक्षण करा लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- परीक्षण करके तीनों का निर्णय दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप सोमवार को ले लीजिए । यह महत्वपूर्ण विषय है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप परीक्षण करके निर्णय दीजिए न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, आप कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित करके उसको परीक्षण करवा लीजिए। इसको आप सोमवार को ले लीजिए। क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है। प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर, जमीन के एलाटमेंट को लेकर सरकारी जमीनों को इस प्रकार से बरबाद किया जा रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- इस ध्यानाकर्षण की मूल आत्मा खत्म हो गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- खत्म हो गई है।

सभापति महोदय :- मैं कह रहा हूं कि मेरा निवेदन सुन लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- इस ध्यानाकर्षण में कई लोगों का पर्दाफास होता। वह सब छिपा दिया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- केवल कोरबा के बरबसपुर भर को शामिल किया गया है। हम लोगों के ध्यानाकर्षण के मूल विषय को खत्म कर दिया गया है। यह सरकार की दादागिरी है। यह नहीं चलेगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम मछली पूछ रहे हैं और आप सॉप दिखा रहे हो।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, पहले आप सूचना पढ़ तो लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, हम सूचना क्यों पढ़ें ? उसमें जवाब ही नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ने से फायदा नहीं है, वह पढ़ने के बाद में पटल पर आ जायेगी।

सभापति महोदय :- चूंकि विषय कार्यसूची में आ चुका है इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सूचना पढ़ें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारे अधिकारों का हनन करेंगे तो हम कौन से नियम से रूक जायेंगे ? आप जरा पढ़िये, इसमें क्या लिखा हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप स्थगित करके परीक्षण करवा लीजिए न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसमें देख लीजिए रायपुर शहर के शहीद चन्द्रशेखर आजाद वार्ड, मठपुरैना, डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड चंगोराभाटा, डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी वार्ड भाठागांव, संतोषीनगर रायपुर सहित राजीव पांडे वार्ड, बोरियाखुर्द, बोरियाकला, डूंगा, मुजगहन, काठाडीह, सेजबहार, अभनपुर, कुरूद, धमतरी इसको काट दिया गया है। यह कैसे संभव है ? आप जवाब देख लीजिए। जवाब में कहीं पर भी इन सब चीजों का उल्लेख नहीं है। यह कैसे संभव है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- इसको स्वीकृत करें और उत्तर इसमें दें। या तो यह सरकार उन लोगों को संरक्षण दे रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसको सोमवार के लिए बढ़ा दीजिए।

श्री धरम लाल कौशिक :- इसको सोमवार के लिए बढ़वा दीजिए।

सभापति महोदय :- ठीक है। मैं इसका परीक्षण करा लूंगा। इसको अगले दिन के लिए लिया जायेगा। आप लोग बैठिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरम लाल कौशिक :- हॉ, अगले दिन के लिए ले लीजिए। वह ठीक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, पर यह जो इतना अजीब हुआ है, यह तो हम लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है।

समय :

1:52 बजे

<u>नियम 267-क के अंतर्गत विषय</u>

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
2. श्री कुलदीप जुनेजा
3. श्री लालजीत सिंह राठिया
4. श्री चंदन कश्यप
5. श्री अरूण वोरा

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, जिसने ध्यानाकर्षण में छेड़छाड़ किया है, उस अधिकारी के ऊपर कार्यवाही की घोषणा होनी चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जिन लोगों ने भी यहां पर जवाब बनाकर जमा किया है, इसको काट दिया है उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाई के निर्देश आपको देना चाहिए। मैं तो सोचता हूं कि इससे बड़ा विशेषाधिकार के हनन का मामला कोई दूसरा नहीं हो सकता।

सभापति महोदय :- अभी सूचना पढ़ी नहीं गई है तो क्या निर्देश देंगे ? सूचना पढ़ी नहीं गई है, मैं इसको अगले दिन के लिए ले लिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पर आप इसके ऊपर में कार्यवाई तो करवाईये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आप जो कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी यह मेरे विधानसभा का मामला है। मेरे विधानसभा में जमीनों में अतिक्रमण हो रहा है, अवैध कब्जे हो रहे हैं, उस पर जवाब नहीं आ रहा है। इस ध्यानाकर्षण को स्वीकार करने के बाद जवाब नहीं आ रहा है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- क्या आप सिर्फ लिखे हुए से संतुष्ट होंगे ? आप प्रश्न पूछ लीजिए, मैं जवाब दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जिसने जवाब दिया है आप उस अधिकारी के ऊपर कार्यवाई करिये।

सभापति महोदय :- देखिये, मैंने विषय को आगे ले लिया है।

अप्रमाणित/असंशोधित के लिये नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- पूरे प्रदेश की जानकारी नहीं दी जा सकती।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, हमको सबकी जानकारी नहीं होती है। आपके अधिकारियों ने आपको भी गुमराह किया है। उस अधिकारी के खिलाफ में कार्यवाई तो होनी चाहिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आप पूछ लीजिये, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विधानसभा सचिवालय की हम यहां पर चर्चा नहीं करते हैं। परंतु मैं तो कहूंगा कि इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, इसके ऊपर में भी जिन लोगों ने गलत जवाब दिया है, उनके खिलाफ में कार्यवाई होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- अब मैं शासकीय विधि विषयक कार्य लूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन में घोषणा होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- मैंने परीक्षण कराने के निर्देश दे दिये हैं, अब वह विषय समाप्त हो चुका है। अब शासकीय विधि विषयक कार्य लूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, उस पर कार्यवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी यह ब्लंडर किया है, उनके खिलाफ में कार्यवाई होगी, हम आपसे यह आग्रह करना चाहते हैं कि आप यह निर्देश दीजिए।

सभापति महोदय :- अभी विषय आया नहीं है, विषय आने पर देखा जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, विषय तो सुधर जायेगा।

सभापति महोदय :- सूचना पढ़ी नहीं गई है। विषय समाप्त हो चुका है। मैं अगले दिन लेने का निर्देश दिया है। उसका परीक्षण कराया जा रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं है, लिखकर दिये हैं, वहां से कैसे गायब हुआ, कौन गायब किया ?

सभापति महोदय :- इसी का तो परीक्षण कराया जायेगा न।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप चाहते हैं कि विधायिका का अपमान हो, कार्यपालिका हमारे प्रति जवाबदेह नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी आप क्या चाहते हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जब आसंदी को किसी विषय को...।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप जानते हैं। विषय समाप्त हो चुका है। मैंने परीक्षण के लिए निर्देश दिये हैं। इसको अगले समय लिया जायेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, आपसे यही आग्रह है कि आप कार्रवाई के निर्देश दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, यदि कार्यपालिका हमारी विधान सभा का अपमान करती है और उसको गुमराह करती है तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका इस सदन के प्रति जवाबदेह है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- परीक्षण कराने के बाद ही बात होगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको कार्यपालिका के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये निर्देश देने चाहिये।

सभापति महोदय :- मैंने परीक्षण कराने के निर्देश दे दिये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं। जिन लोगों ने भी इसमें गड़बड़ की है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको इस बात का निर्देश देना चाहिये।

सभापति महोदय :- मैंने परीक्षण कराने के निर्देश दे दिये हैं। अब जवाब आने पर बात होगी। अब मैं शासकीय विधि विषयक कार्य लूंगा। माननीय जयसिंह अग्रवाल जी।

समय :

12:56 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022)

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमित चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- सभपति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) का पुर: स्थापन करता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) का पुर: स्थापन करता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022)

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) का पुर: स्थापन करता हूं।

(4) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) का पुर: स्थापन करता हूं।

समय :
12:59 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुये)**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(5) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) का पुर: स्थापन करता हूं।

समय :

1:00 बजे

(6) छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता)(संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 10 सन् 2022)

संसदीय कार्य मंत्री(श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता)(संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 10 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता)(संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 10 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री(श्री रविन्द्र चौबे):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 10 सन् 2022) का पुर: स्थापन करता हूँ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(7) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता)(संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022)

संसदीय कार्य मंत्री(श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता)(संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 11 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता)(संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 11 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री(श्री रविन्द्र चौबे):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता)(संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 11 सन् 2022) का पुर: स्थापन करता हूँ।

(8) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 12 सन् 2022)

संसदीय कार्य मंत्री(श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 12 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 12 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 12 सन् 2022) का पुर: स्थापन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे हर प्रस्ताव में दोनों पक्ष से एकदम हां होता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(9) छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता)(संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 13 सन् 2022)

मुख्यमंत्री(श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता)(संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 13 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता)(संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 13 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री(श्री भूपेश बघेल):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 13 सन् 2022) का पुर:स्थापन करता हूँ।

(10) छत्तीसगढ़ भू-जल(प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2022(क्रमांक 14 सन् 2022)

संसदीय कार्य मंत्री(श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ भू-जल(प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2022(क्रमांक 14 सन् 2022)
के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ भू-जल(प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2022(क्रमांक 14 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री(श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ भू-जल(प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2022(क्रमांक 14 सन् 2022)
का पुर: स्थापन करता हूँ।

(11) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 15 सन् 2022)

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 15 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 15 सन् 2022) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 15 सन् 2022) का पुर: स्थापन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) पर चर्चा विचार एवं पारण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित किया है। मैं समझता हूं, सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान के लिए....।

समय :
1:05 बजे

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। परम्परानुसार सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाती है और उस पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वे सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 42, 47, 51, 55, 56, 58, 64, 65, 67, 68, 69, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर दो हजार नौ सौ चार करोड, इकतालीस लाख, सत्तर हजार, पांच सौ इकहत्तर रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष जी, लंच के बाद कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या लंच के बाद शुरू करना चाहते हैं ? डेड़ तो बज ही गया। अभी डेड़ बजने में टाईम है, आप शुरू कर दीजिए और लंच तक समाप्त कर दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- हां, चर्चा शुरू करके लंच के पहले समाप्त कर दीजिए बोला।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, मैं आपको एक पंक्तियों के साथ चर्चा शुरू कर रहा हूं। अकबर जी, एकाध उर्दू शब्द होगा तो साहब को बता दीजिएगा।

"ये लोग पाव नहीं जेहन से अपाहिज है।

उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल इस सरकार का अपना कोई विवेक नहीं है। सरकार का जो रास्ता बताने वाला है, जो रहबर है, वह आजकल गिरफ्तारी...।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट । उसमें हमें संशोधन करने दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अब फिर एक सुधार कर दीजिए। अनुदान मांगों और विनियोग पर साथ-साथ चर्चा होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- सभी मांगों पर एक साथ चर्चा होगी।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, यह वही गुलाम वंश की सरकार हो गयी है। 1012 में गुलाम वंश था। रजिया सुल्तान, कुतुबद्दीन एबक, बड़े शासक थे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मोदी जी की सरकार में आपका क्या कहना है।

श्री अजय चंद्राकर :- बताता हूं, पूरा सुन लीजिए। आप इसमें भाग ले रहे हैं क्या ? एक वंश, साहब, कांग्रेस के बहुत बड़े-बड़े लीडर जेल गये। किन कारणों से गए, ठीक है, वह राजनीति हो जाएगी, मैं उसमें नहीं कहता। चिदंबरम जी रहे। मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी बन गये थे, मोहन मरकाम जी बन गये थे। मोहन मरकाम जी का उल्लेख कर दिया तो वह सिर्फ पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए ही अध्यक्ष बने हैं। जाकर पुलिस में रिपोर्ट करना है। दिल्ली का कोई भी नेता, पत्रकार हो। थाना में जाएंगे और रिपोर्ट करेंगे। यही उनकी स्थिति और हैसियत है। बाकी समय मुख्यमंत्री जी उनको डांट देते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां, डांट खाने के लिये बने हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- डांट खाने के लिये बने हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक वंश के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी पर इतना उबाल आया कि संविधान की शपथ ताक पर रख दी गई। वह भूल गये, छत्तीसगढ़ को शर्मिंदगी में डालने के लिये कि हमारा मुख्यमंत्री। गर्व से कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री। उसको पुलिस धक्का देगा, उसको पुलिस बस में डालेगा। संविधान में यह लिखा है कि जो

प्रकाशन के लिये नहीं

संवैधानिक पद पर बैठा है, वह व्यक्ति आंदोलन करेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैंने इस विषय पर विशेषाधिकार दिया है। जितनी गरिमा संवैधानिक स्थिति और विधायिका की इस संसदीय मंत्री के कार्यकाल में गिरी है, इतनी किसी संसदीय कार्य मंत्री के कार्यकाल में नहीं गिरी है । आज तक आपने देखा है ध्यानाकर्षण को । आप एक लाईन बोलने की स्थिति में नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि अग्निवीर में मैं पाटन में नेतृत्व करूंगा । प्रशासन हाथ बांध के खड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री जी आंदोलन करेंगे तो प्रशासन क्या करेगा ? मंत्री लोग आंदोलन करेंगे तो प्रशासन क्या करेगा ?ऐसी स्थिति संवैधानिक शून्यता किसी ने पैदा की है,किसी परिवार की सेवा करते हुये।परिवार के जतन करते हुये। वफादारी प्रदर्शित करते हुये और फल भी मिला। जो जोड़े थे वे बिखर गये। पंचायत विभाग चला गया। दो-चार दिन बाद, सत्र के बाद मंत्री पद भी चला जायेगा। दुर्ग जिले की राजनीति हम लोग भी जानते हैं। श्री महेन्द्र कर्मा जी नेता प्रतिपक्ष थे। श्री भूपेश बघेल जी उपनेता थे। पीछे बैठे हैं अकबर साहब, द ग्रेट अकबर। बाजू में बैठे हैं पंडित जी। कैसे बहिगर्मन करते थे ?कैसे उपेक्षा करते थे ?कैसे क्या होते थे ?अब समीकरण ऐसा बदला, सत्ता का आकर्षण। जिस तेजी से अब श्री रविन्द्र चौबे जी का कद बढ़ रहा है। उसका कारण बहुत सारा अवसर आयेगा अभी। मैं अविश्वास प्रस्ताव में भी बोलूंगा। तो आपके लिये एक कुर्सी बस आड़ है। जिस हिसाब से आपका कद बढ़ रहा है उसमें एक कुर्सी बस। मैं आपको अग्रिम तौर पर बधाई दे देता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बजट में दो लाईन बोल लेता हूं फिर आगे बढ़ूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप बजट में आ जाइये न।

श्री अजय चंद्राकर :- बजट में ही बोल रहा हूं। आप बजट और विनियोग दोनों में साथ-साथ चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। साथ-साथ चर्चा होगी।

श्री अजय चंद्राकर :-रूपये 2,904.41 करोड़ । आप देख लीजिये। आप बजट में बोलने के लिये बोलते हैं। वित्त विभाग के कौन बैठे हैं?सचिव वगैरह बैठे हैं क्या देख लीजिये आप। कौन से लेवल का अधिकारी बैठा है उसको। मुख्यमंत्री जी के विभाग में यदि मुख्यमंत्री जी सदन में स्वयं उपस्थित हैं और उनका एक भी आदमी दिखता नहीं है । कितना नियंत्रण और पकड़ है, आप खुद अंदाज लगा लीजिये। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह जो सरकार का बजट, अनुपूरक बजट होता है और इसमें सभी विभागों को पैसा दिया जाता है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप लगातार विधायिका की उपेक्षा कर रहे हैं तो वे सर में चढ़ रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सामान्यत: यह परम्परा है कि सभी विभाग के अधिकारी, मुख्य सचिव से लेकर वित्त विभाग केऔरसभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहें। जिन सदस्यों के द्वारा विषय

उठाये जायें उसके बारे में जवाब देने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी दें। परंतु यह दुर्भाग्यजनक है कि एक भी सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी यहां पर नहीं बैठा है।

श्री अजय चंद्राकर :-ए.सी.एस. है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- बैठे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पूरा सदन का अपमान है।

श्री अजय चंद्राकर :- चूंकि विधायिका का अपमान करना, यहां कि ब्यूरोकेसी का, खुद मुख्यमंत्री का स्वभाव बन चुका है तो इसकी गरिमा गिरेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको गरिमा को स्थापित करना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक बात बताइये। आपके कितने सेक्रेटरी, कितने प्रिसिंपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी है ?क्यों नहीं हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- मुख्यमंत्री जी सदन में हैं। सोचियेमाननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आपका फ्लोर मैनेजमेंट। बढ़ते कद के संसदीय कार्यमंत्री जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये हम सबका सम्मान बढ़ेगा। ये पूरे सदन का सम्मान बढ़ेगा। देखिये यह मजाक का विषय नहीं है। इस सदन के सम्मान की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। हम सबका दायित्व है तो सभी प्रमुख अधिकारी ऐसे अवसर पर उपस्थित रहना चाहिये। अध्यक्ष जी, इसकी ओर हम आपको ध्यान दिला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी है, संसदीय कार्यमंत्री जी हैं।

डॉ. (शिव कुमार डहरिया) :- आप तो देख ही नहीं रहे हो।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने अचानक चर्चा करवा दी। ये तैयार ही नहीं थे। इनके पास बोलने के लिये कोई विषय ही नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप ऐसे विषय में खड़े होने के विशेषज्ञ हैं। आप ऐसे विषय में खड़े होते हैं, बाकी समय में बाद में बता दूंगा, बोलते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है और ऐसी स्थिति में हमारे सदन का अपमान होता है। देखिये, हमें कुछ नहीं कहना है। यह सरकार जो करना चाहे करे परंतु हम संसदीय परंपराओं का, संसद का, हमारी विधानसभा की गरिमा बढ़े इसलिये हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि यह स्थिति न बने ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, ज्ञाता भी हैं, विद्वान हैं इसमें कोई शक नहीं है लेकिन दोनों सदस्य खड़े हैं । एक-बार अजय जी बोलते हैं, दूसरी बार बृजमोहन जी बोलते हैं फिर अजय जी बोलते हैं और फिर बृजमोहन जी बोलते हैं और दोनों ही खड़े हैं । आप पहले सामान्य प्रक्रिया का पालन कर लो फिर दूसरे को उपदेश देते । एक बैठ जाते तो दूसरे खड़े होते, दूसरे बैठ जाते फिर माननीय अध्यक्ष जी से अनुमति लेते । बस एक के बाद दूसरा और दूसरे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के बाद पहला, पहले के बाद दूसरा यही चल रहा है । चूंकि ध्यानाकर्षण था, ध्यानाकर्षण के बाद वे आते । चूंकि राजस्व विभाग का था तो राजस्व विभाग के अधिकारी बैठे थे, अब अचानक वह विषय कल के लिये बढ़ गया तो अधिकारी को आने में समय तो लगेगा । अभी सभी बैठ गये हैं और इतनी आलोचना कर रहे हैं, 15 सालों तक तो आपके साथ काम किया है । आज नहीं हैं तो इतनी आलोचना क्यों कर रहे हैं ? सब आ गये हैं भई, आप चिंता मत करिये । आप जब वित्त के बारे में बोलना शुरू करेंगे तो सारे लोग बोलेंगे । अभी आप गुलाम वंश से, रजिया सुल्तान से उबरे नहीं हैं । उसके बाद फिर आगे आयें, अभी तो माननीय अध्यक्ष जी व्यवस्था देंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आलोचना इसलिये कर रहे हैं चूंकि ऐसा है कि आज कोई इधर तो कल कोई उधर रहेगा परंतु वह तो 35-40 साल रहने वाले हैं इसलिये हमारी विधानसभा अर्थात् सबसे बड़ी पंचायत का सम्मान बना रहे यह हम सबका दायित्व है और इसलिये हम आपको ध्यान दिला रहे हैं, हम आपको यह ध्यान दिला रहे हैं, हम कोई कार्यवाही नहीं रोक रहे हैं । हमारे कार्यकाल में भी ऐसा हुआ है कि कई बार अधिकारी नहीं होते थे तो विधानसभा स्थगित हुई है, ऐसा भी हुआ है ।

श्री अजय चंद्राकर :- अब दोनों खड़े हो गये । आपके मंत्री जी खड़े हो गये, उसमें कुछ बोलिये ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- नहीं-नहीं खड़े नहीं हैं । हमारे आदरणीय विद्वान सदस्य अजय जी शुरूआत कर रहे हैं, अभी आपने कहा न कि मैं वित्त में आ जाता हूं । आप भी 50-52 साल के हो गये हैं, अब हर काम रजिया-सुल्तान से शुरू नहीं किया जाता है । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक व्यवस्था दे दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह आजकल की बताओ न कौन है ? नयी वाली बताओ, हमको तो उसका नाम नहीं मालूम है । माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी इस सदन को भी जवान होना चाहिए तो रविन्द्र चौबे जी को किसी जवान का नाम बोलना चाहिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रविन्द्र चौबे जी के संसदीय ज्ञान से सहमत हूं । वो यह कह दें कि बजट में चर्चा होनी है और विनियोग में चर्चा अलग से होगी तो मैं वैसा भाषण दूंगा, वह परम्परा स्थापित कर लें या वे यह स्वीकार कर लें कि केवल बजट भर में, विनियोग और बजट में अलग-अलग चर्चा होती है, बाकी सबमें विनियोग और बजट में साथ-साथ चर्चा होती है । आप इसमें बोल दीजिये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने कब कहा कि अलग-अलग चर्चा हो रही है ? आसंदी की व्यवस्था के बाद चर्चा शुरू हुई । आसंदी ने कहा कि दोनों में एक-साथ चर्चा शुरू होगी ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं जो विषय बोल रहा हूं, आप उसमें बोलिए न । आपके मुख्यमंत्री जी तो मेरी हंसी उड़ा रहे थे न ।

श्री रविन्द्र चौबे :- एक-साथ चर्चा हो रही है न लेकिन आप...।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरी हंसी उड़ा रहे हैं न कि आप दिल्ली में बोल रहे हैं, मुम्बई में बोल रहे हैं करके । आप व्यवस्था दे दीजिये कि विनियोग में बाद में चर्चा होगी, बजट में पहले चर्चा होगी करके, दोनों अलग-अलग विधेयक आयेंगे । आप विनियोग का दूसरा विधेयक लाईये न । बजट अलग होगा, विनियोग अलग होगा । आप लाईये, परम्परा बनाईये । आपको किसने कहा है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आपको रजिया-सुल्तान के बारे में कह दिया तो आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, समय का सदुपयोग करिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इन्होंने किसी जवान का नाम नहीं लिया इसलिये वे बोल रहे हैं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- उनका नाराज होना स्वाभाविक है ।

श्री कवासी लखमा :- आप दोनों एक-साथ क्यों बोलते हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैं बोलहूं ता दादी तें हा मोर बर फेर भड़क जबे । माननीय अध्यक्ष महोदय, 2904.41 करोड़ रूपये का अनुपूरक बजट आया है । उसमें राजस्व व्यय 2465.89 करोड़ रूपये है । लगभग जो 85 प्रतिशत बजट है वह राजस्व व्यय के लिये है, पूंजीगत व्यय के लिये 436.42 करोड़ रूपये है । चूंकि आपने अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है । जब अविश्वास प्रस्ताव का विषय आयेगा तब हम इस बात को रखेंगे। सारे विषय जो अभी 3 दिन में घटे हैं, उतने में ही मैं बात करूंगा कि इस सरकार का 3 साल का पूंजीगत व्यय में कटौती कितनी है? पूंजीगत व्यय में स्वीकृत करते हैं, उसमें भी कटौती करते हैं और इसलिए इस सरकार को पूरा जो बजट संहिता है, जो बजट अधिनियम है, उसे बदलना चाहिए और बताना चाहिए कि हम उतने ही पूंजीगत व्यय का आयोजन करेंगे जो बजट से डिलीट मत हो और उतने की हम प्रशासकीय स्वीकृति देंगे। ये दिखावे का बजट बनाते हैं। चाहे अनुपूरक बजट हो। चाहे मुख्य बजट हो, दिखावे का बजट बनाते हैं और ये ऐसे आइटम लाते हैं जो इनकी सरकार के उद्देश्यों को पूरा करते हों, जनता के उद्देश्यों को नहीं। कर जनता देगी। अभी विधेयक आ रहा है। ये किस-किस चीज के लिए सेस लगायेंगे? अभी विद्युत अधिनियम आ रहा है। कितना आदमी के ऊपर बोझ बढ़ेगा, जिस दिन बहस होगी, उस दिन पता चल जायेगा। इस सरकार को सबसे पहले इस बजट संहिता को, बजट अधिनियम को बदलना चाहिए। प्रशासकीय स्वीकृति पूंजीगत व्यय की तो यह देती ही नहीं। अब पूंजीगत व्यय कम होने का जो प्रभाव है, वित्तीय भार प्रदेश पर बढ़ते जा रहा है और बजट का घाटा बढ़ते जा रहा है और सरकार अभी मौन है। वह इसमें खुश है, नेता प्रतिपक्ष जी ने तर्कों के साथ साबित कर दिया, शिवरतन जी ने तर्कों के साथ साबित कर दिया कि आप बोनस भी कम दे रहे हैं। तथाकथित भावांतर की राशि जो न्याय योजना आप करें, यह आपका विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपने 670 करोड़ रूपये रखे हैं। वह पहले साल के लिए है।

अभी 7 लाख 81 हजार मकान और बनने हैं, जो स्वीकृत हैं। उसके लिए क्यों राशि नहीं है? वह राशि भी इसलिए रखी गयी कि उस मंत्री को असफल साबित करके निकलवाना था। इसे रिवाइज किया गया कि अब चौबे जी संभालने वाले हैं तो कम से कम उसकी जो ख्याति है, प्रतिभा है, क्षमता है, वह दिखे कि जो स्टेट कंपोनेंट है, उसे दे सकें तो रख दें। अभी बारिश है। चार महीने निकल जायेगा। 8 महीने बाद नया बजट आयेगा, तब तक आपकी एक सत्र से दूसरा सत्र आप लगाते हैं तो शायद प्रशासकीय स्वीकृति बन जाये, क्योंकि पहले साल का जो आपका स्वीकृत है, वह तो ध्वस्त हो चुके हैं। नया बनाना पड़ेगा। यह आपका पैसा पानी में जायेगा। यह आप नोट कर लीजिए। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए। जो आपकी पहले साल की स्वीकृति थी और आपने मैचिंग ग्रांट नहीं दिया, वे मकान टूट-फूटकर जमींदोज हो चुके। माननीय अध्यक्ष महोदय, राम वन गमन पथ में आपने 137 करोड़ रूपये लागत बताया है। उसमें क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसमें मैं आगे बोलूंगा, लेकिन उसमें प्रतीक 100 रूपये है। आइडियोलॉजी हम वो समझ रहे हैं कि हमारी धारभोथरी करेंगे, ऐसा राम वन गमन पथ, गोबर मूत्र, हाथी मूत्र खरीदने के या और भी किसी तरह के मूत्र क्रय करके, लीद क्रय करके जो बात करेंगे, उसमें हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके लिए 100 रूपया है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष जी, इसमें हाथी मूत्र खरीदने की तो कोई बात ही नहीं हुई है। इस प्रकार से आप कुछ भी बोले।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। आप क्या-क्या खरीद रहे हैं, उसे आप जानें, मैं थोड़ी न जानूंगा। और मैं खरीदने के लिए सुझाव दूंगा। अच्छा पुठ्ठा बनता है, हाथी का लीद खरीदिये, पुठ्ठा बहुत अच्छा बनता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष अवसरों पर प्रचार-प्रसार के लिये 7 करोड़। यह विशेष अवसर क्या है? मैं केवल जनसंपर्क की बात कर रहा हूं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 71.60 करोड़ रूपये, द्वितीय वर्ष 2020-21 में 111.88 करोड़ रूपये, सरकार जो कर्जा लेती है न, मैं उसे बता रहा हूं। वित्तीय वर्ष में इन्होंने 226.52 करोड़ रूपये, 3 साल में इन्होंने 410 करोड़ रूपया सिर्फ विज्ञापन में व्यय किया है। अब विज्ञापन के विषय क्या हैं? माटी पूजन के प्रचार-प्रसार में 120 करोड़ रूपये, बोरे-बासी के प्रचार-प्रसार में 50 लाख 30 हजार रूपये और बोरे-बासी तो आपका स्टार्ट-अप है।

श्री रविन्द्र चौबे :- बोरे बासी से इतना तकलीफ? कोई छत्तीसगढ़िया बात आ गई तो इतनी तकलीफ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मुझे इसमें उलझा नहीं सकते। अभी मैं छत्तीसगढ़िया में बोलूंगा। अभी आने दो। छत्तीसगढ़ का कितना कल्याण कर रहे हो, उसमें 27 तारीख को बात करेंगे। इसलिए मैं कम बात कर रहा हूं। समझे। किस चीज को आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति समझते हैं, उसमें बात करेंगे न।

श्री शिवरतन शर्मा :- कैसे ये सरकार के गठित होये से पहले बोरे-बासी नहीं खावत रहेस का गा? या गेड़ी नहीं चढ़त रहेव? या हरेली त्यौहार नहीं मनात रहेव? ये सरकार बनाने के बाद ही शुरू होये हे का सब छत्तीसगढ़ में?

श्री अजय चन्द्राकर :- यह संस्कृति का रक्षण नहीं है, यह सरकार का गम्मत है ।

डॉ. विनय जायसवाल :- बोरे बासी के 60 लाख में तकलीफ है और करीना कपूर के 1 करोड़ में तकलीफ नहीं हुई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नाचा देखे हस ना, वो गम्मत करत हे, अउ कुछ नो हे।

डॉ. विनय जायसवाल :- करीना कपूर के 1 करोड़ में तकलीफ नहीं हुई ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष जी, गम्मत भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति होती है ।

डॉ. विनय जायसवाल :- बोरे बासी से तकलीफ है और करीना कपूर के ठुमके पर 1 करोड़ खर्च कर दिया गया तो तकलीफ नहीं हुई ।

श्री कवासी लखमा :- ये लोग क्या त्यौहार मना रहे हैं तो पता चलता था, बिजली त्यौहार ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आपके ऊपर आ रहा हूं, भड़कना भर मत ।

श्री कवासी लखमा :- आपके जैसे नहीं भड़केंगे । ये भड़काने वाली बात अगर 90 लोगों में कोई करता है तो आप ही करते है । यहां भड़काने वाला काम अगर कोई करता है तो अजय चन्द्राकर जी ही करते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, गोधन योजना के प्रचार-प्रसार में 125.58 करोड़ रूपए । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, "चार आना के घाघर, बारह आना के फुदगौनी ।"

श्री नारायण चंदेल :- ए मामा, एक ठी अउ हाना हे, "बाबू ले बहुरिया गरू" (हंसी) ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- ये कहावत भारतीय जनता पार्टी पर लागू होती है ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन के समय मा वो करत रहो, "थोरे के झांझ अउ बहुते के मंझीरा ।"

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अभी तक कुल 142 करोड़ रूपए इन तीनों योजनाओं के प्रचार-प्रसार में खर्च हुए । मैं एक एयरपोर्ट में गया वहां मुख्यमंत्री जी का फोटो देखा । मैंने समझा कि मंत्री जी तो बहिष्कार कर दिये थे, दोनों केमियो कर रहे थे । मुख्यमंत्री का केमियो कर रहे थे । दोनों के हाथ कुछ नहीं लगा तो शायद चल दिये ऐसा लगता है । साढ़े तीन साल से दोनों केमियों कर रहे थे ना । केमियो यानी हम मुख्यमंत्री हैं, ऐसे हाव-भाव दिखा रहे थे, आज कल में बन जाबो कहिके, ओला केमिया करई कहिथे । लगभग दोनों गोल हो गे हे ।

श्री अरूण वोरा :- ये शब्द आप किस शब्दकोष से लाए ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे यार, भजन सिंह जी के जाने के बाद से आप दुखी हो, ऐसा आपने बोला है ना कि मैं बहुत दुखी हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में पम्प कनेक्शन की बात आई । कृषक कलयाण में मुख्यमंत्री जी ने घोर गर्जना की । दादी खड़े होते हैं, अब अपने प्रश्न में तो तीन लोग चुप रहते हैं, जैसे ही मैं बोलूंगा कि घोषणा पत्र पूरा हो गया, ये 17 या 19 बिंदु पूरे नहीं हुए हैं । उसमें जो उत्तर में आया है उसको पढ़ूंगा तो मुख्यमंत्री जी जैसे आई.पी.एल. में चौके छक्के पड़ते हैं, तो चार साल तक तो चीयर लीडर होते थे, जैसे ही चौके-छक्के पड़े तो नाचने लगते थे ऐसा-ऐसा (हंसी) ।

श्री अमितेश शुक्ल :- (हंसी) आज अजय भाई के भाषण में मजा आ गे गा ।

श्री भूपेश बघेल :- (हंसी) अजय जी एक बार और, वन्स मोर (हंसी) ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जैसे सी.एम. साहब ने घोर गर्जना की। आज तक का सबसे ज्यादा 53 हजार कनेक्शन हमने दिया । वह अभी वस्तुस्थिति आएगी और ये कुछ बोले तो तीन-चार चीयर लीडर हैं वे नाचने लगते हैं । इनके पास तो चार स्थायी हैं, इन्होंने कुछ कहा तो जो नाचने लगते हैं । 53 हजार की घोषणा हुई तो वे नाचने लगेंगे, टेबल थपथपाएंगे । वे लोग मंत्री और विधायक की भूमिका में कम रहते हैं, ये दोनों महाशय लोग बोले तो वे चीयर लीडर की तरह नाचने का काम करते हैं, वाह-वाह, वाह-वाह (हंसी) ।

श्री अमरजीत भगत :- बाकी तो ठीक है लेकिन चंद्रा जी की तरफ पीछे करके मत देखिए, उनका पूरा ध्यान आप ही की तरफ रहता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- काश, इतनी विद्वता के साथ आप अपने विभाग में बोलते । अध्यक्ष महोदय, 1.50 करोड़ रूपए है, 1 लाख रूपए मानें तो 150 पम्प लग सकते हैं । 50 हजार आवेदन लंबित हैं, जिनमें 15,273 तो इसी सत्र में प्रश्न के उत्तर में आया है । इसी सत्र के लंबित हैं । किसानों की रहनुमा सरकार है, कर्ज लेते हैं 410 करोड़ रूपया जो आपकी शक्ल को कोई देखना नहीं चाहता, उसी शक्ल को आप जगह-जगह पोस्टर लगाकर दिखा रहे हो । उसको कम से कम किसानों के खाते में डाल देते तो उतने किसानों का भला हो जाता, आप किसान-किसान बहुत बोलते हो। परम् आदरणीय गुरूदेव के जल जीवन मिशन में बहुत चर्चा हुई ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर भोजन की व्यवस्था की गई है, कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण कर लें । माननीय सदस्य का भाषण जारी रहेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- थैंक यू ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए 3.00 बजे तक के लिए स्थगित् ।

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय :

3:00 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं किसानों के बारे में बोल रहा था कि जितना बजट है और जितना बजट दिया जायेगा और जितना बाकी है, वह इस सदन में प्रश्न के उत्तर में आ गये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज तक 53 हजार नहीं दिया। जो दिया है वह एक रिकार्ड है। उसमें एक लाईन जोड़नी थी कि मैंने पौने चार साल में 53 हजार दिया, वह एक रिकार्ड है। यह रिकार्ड है तो उतने में चीयर लीडर्स नाचने लगे कि 53 हजार की घोषणा हो गई, 53 हजार की घोषणा हो गई और वे मेज को थपथपाने लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को उसको बोलना था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पूरे सदन के सामने कह रहा हूं, आप इस सदन के नेता हैं, आपके लिए कमजोर बात करना या देश के नेता के रूप में कमजोर बात करना, यह मुझे व्यक्तिगत तौर पर पसंद नहीं है और मुझे व्यक्तिगत आरोप लगाना भी पसंद है। जब भी मैं बोलूंगा तो यह दोनों बात को मैं बता देता हूं। जब आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। मैंने आपको एक बार अजानबाहु कहा था। भगवान श्रीराम जी अजानबाहु थे। आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं तो 53 हजार कनेक्शन देकर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और अपने आप को किसान हितैषी बता रहे हैं तो मैं आपको बधाई देता हूं। माननीय चौबे जी, आप तो अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं और आपको एक और पद मिल गया है। आप तो असली किसान हैं। आप केबिनेट में किसानों के बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री जी अर्थात् माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर क्या दबाव बनाते हैं, यह मैं नहीं जानता हूं। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन में बहस हो गई। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित हो। मैं असली बातें तो उस दिन कहूंगा। जल जीवन मिशन योजना में आपने उत्तर दिया कि केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया तो हमने राज्य से इतना पैसा देकर भुगतान किया। आपने तीनों साल पूरा मेचिंग ग्रान्ट नहीं दी है, यह उत्तर में है। गरीबों के लिए आपकी संवेदना यह है कि एक रूपया जल जीवन मिशन के लिए मेचिंग ग्रांट नहीं है, यह आपकी गरीबों के लिए संवेदना है। चाहे गरीबी आवास हो, चाहे स्वच्छता के द्वितीय-तृतीय चरण में गांवों में जो काम शुरू होंगे, उनके लिए पैसे की व्यवस्था हो, चाहे रूर्बन मिशन के लिए पैसे की व्यवस्था हो, चाहे नल के लिए पैसे की व्यवस्था हो। यदि हम आपको आंकलन करें, चूंकि आप पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं, तो आप यह जान लीजिये कि उसका असली उद्देश्य गरीबी मिटाना है, लेकिन आपकी सरकार में साढ़े तीन साल में गरीबी बढ़ाने का काम किया है, उनकी योजनाओं को चौपट कर दिया है, उनकी योजनाओं को शून्य में ला दिया है। आप 15वां वित्त आयोग में निर्देश दे रहे हैं। आपको निर्देश देने का अधिकार नहीं है। आप 15वें वित्त आयोग के terms and conditions को पढ़ लीजिये। अभी मनरेगा का जो अभिसरण हो रहा है, वह कौन से पैसे का अभिसरण हो रहा है? मैं

आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप गोठान के नाम से एक टी.एस. दिखाईये। यदि आपने गोठान बनाया है तो सदन में रखिये। आपने एक भी गौठान नहीं बनाया है। आप बोलते हैं कि 9 हजार, 10 हजार गौठान बनाये हैं, स्व-सहायता समूह आत्मनिर्भर हो गया है या रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क आत्मनिर्भर हो गया। आपके पास यदि नैतिक ताकत है तो आप उसमें बहस करिये ना कि आत्मनिर्भरता की परिभाषा क्या है? आपके पास नैतिक ताकत है तो बहस कीजिये कि रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क की अवधारणा यह है। आप विधानसभा के सामने क्यों नहीं आते? आप flagship योजना चलाते हैं - नरवा, गरूआ, घुरूवा, बाड़ी। आप इधर बैठे सबसे पुराने सदस्यों में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वरिष्ठतम सदस्य हैं। आपके जितने राज्य हैं, उसके मुख्यमंत्री के flagship योजना को मुझे बताईये, जिसके लिए जीरो परसेंट बजट होता हो। आप एक flagship योजना का नाम बता दीजिये, जिसके लिए जीरो परसेंट बजट होता हो। आप यदि उस एक भी योजना का नाम बता देंगे तो हम सर्वसम्मिति से इस बजट को पारित करेंगे। मैं एक गौठान बनाया हूं करके आप इस सदन के पटल पर गौठान के नाम से एक टी.एस. रखिये। आपने कोई गौठान नहीं बनाया है। आपने दूसरी चीजें बनाई हैं और आप इस सदन को और पूरे प्रदेश को गुमराह करते हैं कि हम गौठान बना रहे हैं, गौठान बना रहे हैं करके। फिर क्या है, उनके चिअर लिडर डांटने लगते हैं, वाह-वाह, वाह-वाह, वाह-वाह, वाह-वाह करके।

माननीय सभापति महोदय, भाई अरूण वोरा जी अभी बहुत दु:खी हैं। उन्होंने इसी वित्तीय वर्ष में एक प्रश्न पूछा था कि कुल कितने निगम-मण्डल हैं और उनमें कितने रूपये के कर्ज हैं ? आप मानेंगे नहीं कि 53 हजार करोड़ रूपये का कर्ज और उसमें संभवत: सब निगम मण्डल हैं। मेरे पास उसकी परिशिष्ट है। मुझे उसको ढूंढने में समय लगेगा। आप इन 44 निगम-मण्डलों को मिलाकर कुल 1 लाख, 56 हजार करोड़ रूपये के कर्ज में हैं। इसी सत्र में इनके प्रश्न के उत्तर में है। आप प्रश्नोत्तरी में इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ लीजिए। यह मेरा प्रश्न नहीं है। मेरे प्रश्न में तो आपने एक तकनीकी त्रुटि के कारण कर्जे को बताने से इंकार कर दिया, पर यह 1 लाख, 46 हजार करोड़ रूपये का कर्जा आपके पौने 3 साल के कार्यकाल का है। आप उन 44 निगम मण्डलों को, जो कि बजट में दिखते हैं उनको इनके प्रश्न के उत्तर में देख लीजिए। एक विषय यह है कि...।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- चंद्राकर जी, माननीय अरूण वोरा जी जिस निगम मण्डल के अध्यक्ष हैं, वह निगम मण्डल तो लाभ में है।

श्री अरूण वोरा :- चंद्राकर जी, वह निगम मण्डल तो 124 करोड़ रूपये के फायदे में है।

श्री अमरजीत भगत :- वह निगम-मण्डल फायदे में है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप 1 लाख, 60 हजार करोड़ रूपये प्लस 53 हजार रूपये को जोड़ लीजिए।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, चंद्राकर जी, अभी बुंदेलखण्ड में 15 हजार करोड़ रूपये का जो एक्सप्रेस वे बना है और जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, वह 7 दिन में ही ढह गया ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह जानकारी मुझे मिल गई है। यदि आप कहेंगे तो मैं इसको सदन के पटल पर रख देता हूं ? क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे ? अरूण वोरा जी के प्रश्न के उत्तर में जो कर्ज बताया गया है उसको मैं सदन के पटल पर रख देता हूं। मैं उसको प्रक्रिया के तहत रख देता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन कागज में कहीं से भी ला देथो। तुमन तो एक झन जिंदा ला मुर्दा बना दे रहे हों।

सभापति महोदय :- वह ऑलरेडी आराम से बोल रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक दूसरा प्रश्न है। अब आप भावुकतावश कहें या किसी अन्य कारण से कहें, लेकिन मैं उस नौजवान मंत्री माननीय उमेश पटेल जी की आलोचना नहीं कर सकता हूं, पर मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। मैं उनको यशस्वी पिता की यशस्वी संतान ही कहता हूं। अब मैं यह सोचूंगा कि उनको ऐसा कहूंगा या नहीं कहूंगा। ब्यूरोक्रेट जो कहे, वह सही है और जो जनता कहे, वह गलत है। एक बार रेणु जोगी जी के प्रश्न में बोलते हैं कि पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 18 लाख 18 हजार 558 है। यह जुलाई सत्र के उनके प्रश्न में बेरोजगारों की संख्या है। मैं जब उनसे प्रश्न पूछता हूं तो वह कहते हैं कि बेरोजगारों का पंजीकरण नहीं किया जाता। यह इसी सत्र का प्रश्न है।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अजय भैय्या, एक सेकण्ड।

श्री अजय चंद्राकर :- आप मुझे बोलने दीजिए। पूरा बोलने दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- कल आपको मौका मिला था न ? कल आपके पास इस प्रश्न को पूछने के लिए 2 मिनट का समय था। अगर आप पूछते तो मैं आपको इस प्रश्न का जवाब देता कि हम ऐसा क्यों लिखे हैं। अब वह प्रश्न चला गया है। जब आपके पास प्रश्न पूछने के लिए समय था तो आप उस प्रश्न को नहीं पूछे। यदि आप उस समय पूछते तो हम आपको उस प्रश्न का पूरा जवाब देते।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपको उसमें अच्छी बात बता रहा हूं न। आप उसकी जो भी परिभाषा तय कर लें। एक सी.एस. थी तो बेरोजगारों का पंजीयन होता था और एक अति विद्वान पी.एस. आये, जिसको आपने शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए तीसरा स्थान लाने के लिए कॉन्ट्रेक्ट सर्विस में रखा है और वह इस सरकार के हर मर्ज की इलाज है। आ इसको समझ रहे हैं न ? तो उन्होंने इसकी परिभाषा कर दी कि हम रोजगार चाहने वालों का पंजीयन करते हैं। अब आपने रोजगार की जो परिभाषा बताई है, जिस संस्था से सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। आप उस संस्था के वेबसाइट और उसके पोर्टल को पढ़ लीजिए। छत्तीसढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। मैंने इसमें मुख्यमंत्री जी का

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

वक्तव्य पढ़ा कि हम गोबर खरीदने के लिए उत्तरप्रदेश, राजस्थान और गुजरात भी जा रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ मॉडल है और दूसरे चीजों की नहीं हुई। स्टार्टप के बारे में मैं अविश्वास प्रस्ताव में बात करूंगा। मैं एक स्टार्टप देखा हूं क्योंकि मैंने बासी की बात की तो। जिसमें चम्मच से बासी खाने का फोटो वायरल हुआ था। हमने चम्मच से बासी खाने का एक स्टार्टप देखा है।

श्री रामकुमार यादव :- अभी बुल्डोजर के भी चर्चा चलत हे। अभी न छत्तीसगढ़ में बुल्डोजर के भी चर्चा चलत हे न।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने बेरोजगारी परिभाषित नहीं की । जिसके पास किसी भी तरह की आय होती हो । माने मेरे पिताजी मुझे जेब खर्च के लिए पैसे देते हैं तो मैं बेरोजगार नहीं हूं और इसी संस्था से आपने छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी बतायी। एक एन.जी.ओ. है, यह बाद में कम्पनी बन गई ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, जब भारत सरकार ने कहा था कि हम हर साल दो करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तो उसमें आपने भजिया तलने वालों को भी रोजगार की श्रेणी में ला दिया, उसको भी नौकरी बता दिए थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आज प्रश्नकाल में आपका परफारमेंस देखा है । आज आपके विषय में आपका परफारमेंस देखा है ।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, आप और कितना समय लेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपके ऊपर आरोप तो नहीं लगाया न ।

श्री उमेश पटेल :- आरोप ही बात नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ब्यूरोक्रेसी जो बोले, वह मत मानो । ब्यूरोक्रेसी परिभाषा तय नहीं कर सकती ।

श्री उमेश पटेल :- एक सेकेण्ड । मैं अपनी बात कह रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ब्यूरोक्रेसी परिभाषा तय नहीं कर सकती, उसके लिए मंत्रिमण्डल है, विधायक हैं ।

श्री उमेश पटेल :- अजय भैया, एक सेकण्ड ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चार महीने में दूसरी बात, चार महीने में तीसरी बात । फिर किसी को बदल दोगे तो वह 5वीं परिभाषा तय कर देगी । छत्तीसगढ़ के बेरोजगार परिभाषाओं में रहेंगे ?

सभापति महोदय :- सुन तो लीजिए कि वे क्या कह रहे हैं ?

श्री उमेश पटेल :- सभापति जी, केन्द्र सरकार ने कितने साल से बेरोजगारों का आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है, केन्द्र सरकार ने बेरोजगार की परिभाषा क्या बनाई है, यह बता दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक आग्रह कर देता हूं। शायद मुझे ऐसा लगने लगा है कि एक लाईन की घोषणा-पत्र में आप अगला चुनाव हारने वाले हैं । वह एक लाईन का

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

घोषणा-पत्र यह है कि हर बात में केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराव । छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, वह केन्द्र सरकार की देन है ।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, कितना समय और लेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं । मेरे पास अभी बोलने का असली अवसर बाकी है । उद्योग नीति एम.ओ.यू. पर्व है । एम.ओ.यू. पर्व में आपने कितने लोगों को नौकरी दी है ? एम.ओ.यू. में दो हजार कुछ लोगों को नौकरी दी है, जो उद्योग लगे हैं । पिछले सत्र में आपने कहा था कि 1725 उद्योग लगे हैं । अभी आपने कहा कि 925 उद्योग लग गए हैं । मैंने कुछ बोल दिया तो उद्योग मंत्री भड़क गए थे । आर्टिफिसियल इंटीलेजेंस, माई रहबर, माई मुर्सीद अकबर जी बैठे हैं । वे बता दें कि उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाये कि 925 उद्योग कहां-कहां लगे हैं । उसकी सोशल आडिट कराई जाए । यदि नैतिकता है तो आप हां बोलिए और नहीं तो रहने दीजिए ।

सभापति महोदय, इधर-उधर की दो-चार बात करके मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । छत्तीसगढ़ कैसे बन रहा है ? आपकी नीति, आपके योगदान, आपके कार्यक्रम, आप हमारे रहबर हैं, उसमें छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हो रहा है । छत्तीसगढ़ मॉडल की कुछ चर्चा कर देता हूं । पेपर छपता नहीं है, जो ऊपर बैठे हैं, वे मेरी बात का बुरा मानेंगे । इनको याद दिलाऊंगा कि स्वतंत्रता आन्दोलन में मराठा केसरी की क्या भूमिका थी ? समाज को परिवर्तित करने में संचार माध्यमों का क्या योगदान था ?

श्री अमरजीत भगत :- पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बोलिए कि समाचार जगत किसके अधीन है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आज प्रश्नकाल में आपका परफारमेंस देखा है ।

श्री अमरजीत भगत :- पूरे देश में पेपर वालों के ऊपर, न्यूज़ चैनलों के ऊपर उद्योग घराना कैसा कब्जा करके बैठा है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता । आपने यहां के पेपर वालों को बोल दिया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है, आपने अच्छा कहा, थैंक्यू । सभापति महोदय, जशपुर में एक महिला शिक्षिका शराब पीकर पढ़ाने पहुंची । आप कहेंगे तो मैं सदन के पटल पर रख दूंगा । 5 क्विंटल गांजा कल जप्त हुआ । गांजा और नशे की तस्करी के बारे में 27 तारीख को 12 बजे के बाद आपसे बात करेंगे । चौबे जी, शिक्षक को तो छोड़ दीजिए, शिक्षिका शराब के नशे में स्कूल पहुंची थी, यह छत्तीसगढ़ में क्या-क्या हो रहा है, आप उसको देख लीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- महिला शिक्षिकाओं के बारे में बोलकर आप उनका अपमान नहीं कर रहे हैं ? आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं । आप महिलाओं को शराबी बोल रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- गांजा तस्करी में 4 क्विंटल गांजा मिला, बोरेलो जप्त । यह कल की घटना है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं । मैं एक-दो बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपको समर्पित करके हाथ जोड़कर कह रहा हूं । भाटापारा के आपके पूर्व

अध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सोसायटी के अध्यक्ष बनने के लिए एक-एक लाख रूपया दीजिये। रायपुर के एक पदाधिकारी का भी नाम है, उसको पैसा पहुंचायेंगे, उससे बात हो चुकी है, उस वीडियो में है। यदि आप बोलो, तो मैं आपको वह वीडियो दे देता हूं। आप, अपने नेतृत्व में सार्वजनिक जीवन को क्या बनाना चाह रहे हैं ? गुरू जी, मैं आपको हमेशा गुरू जी कहता हूं। आप क्या बनाना चाह रहे हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- आप लोगों का सी.डी., वीडियो तो पुराना धंधा है, भाई।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप दिन भर खड़े रहोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अजय जी, उस वीडियो में उस पैसे की वसूली कैसे होगी, इसका भी तरीका बताया गया है। जिस बड़े नेता का नाम लिया गया है, उसको केबिनेट का दर्जा प्राप्त है।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन हम जानते हैं, पौने चार साल से एक शब्द कि कांग्रेसी होना, मतलब एक लायसेंस है। ठीक है साहब, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दिनों तक कलचुरियों ने राज किया, नौ सौ साल तक राज किया है, देश के और किसी भी राजवंश ने इतना लंबा राज नहीं किया है। आज वे कहां हैं, पता नहीं है। तो आपके पार्टी के ऐसे लोगों की हरकतें आपको डुबोयेगी। उसका भी पतन हुआ, आप यह मत समझिये कि यह लोकतन्त्र का मन्दिर आपके लिए बनी है।

श्री अमरजीत भगत :- मैं इधर का तो नहीं जानता लेकिन जैसा मोदी जी का चल रहा है, भा.ज.पा. को जरूर देश में डुबायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके लिए एक लाईन कहूंगा। आप संवैधानिक शपथ लिए हैं। सरकारी संस्थाएं हैं, केन्द्र सरकार की संघीय व्यवस्था है। राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, मैं आपसे कम से कम ऐसी अपेक्षा नहीं करता, आप करते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि मैं आपके लिए कोई शब्द नहीं बोलूंगा। ई.डी. माई का लाल दूध पीया हो तो ऐसा करे, आपके विधायक कलेक्टर के लिए भी वैसा ही बोलते हैं। यह कलेक्टर ऐसा, अभी मंत्री जी नहीं हैं, नहीं तो मैं उनको बोल देता किस कलेक्टर के लिए किस मंत्री ने कहा ? आप अपनी गिरफ्तारी देते हैं, आप नहीं थे तो मैंने विशेषाधिकार उठाया था। यदि आपके साथ धक्का-मुक्की हुई, चाहे किसी सरकार ने की हो, तो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों का अपमान है, मेरा अपमान है। यदि आपको वह अच्छा लगता है तो आपको सादर प्रणाम, आंदोलन का नेतृत्व करने जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, फिर से सादर प्रणाम, आप कल धरना देने जाते हो और ये शब्द बोलते हैं तो आपको फिर से सादर प्रणाम।

श्री अमरजीत भगत :- यार, हमन इतना बार आंदोलन मा गय हन, एको बार प्रणाम नइ करत हस, ले बता ? कम से कम एकाध बार कर देते।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। मैं एक संस्था में गया, मैं वहां जाकर बोला कि क्वालिटी क्यों इतनी खराब है ? मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, अभी नाम

भी लूंगा। वह बोला कि साहब हमको साढ़े सत्रह प्रतिशत देना पड़ता है। मैंने वहीं से तत्काल डहरिया जी को फोन लगाया और उनको कहा कि यह साढ़े सत्रह प्रतिशत क्या है भाई ? उसको 17 प्रतिशत कर दो या 18 प्रतिशत कर दो। यह साढ़े सत्रह प्रतिशत क्या है ? अभी माननीय मंत्री जी हैं, मैं सदन में जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, उनसे मेरी बात हुई, मैंने ऐसे ही कहा।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति जी, यह अनुपूरक पर चर्चा हो रही है या अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रहा है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप बताईये कि साढ़े सत्रह अच्छा है या अठ्ठारह अच्छा है ?

श्री नारायण चंदेल :- हिसाब गड़बड़ा जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, यह तो ठेके के बाद का है। सेंग्शन का 4 प्रतिशत उसमें और जुड़ेगा। वह साढ़े इक्कीस हो जायेगा। ओला बाईस कर दव।

सभापति महोदय :- चलिये कनक्लूड करिये।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, रायगढ़ के अधिवेशन में माननीय डाक्टर साहब बोले थे कि परसेन्टेज लेना बंद करो, नहीं तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। आप लोग बात नहीं माने, निपट गये। डाक्टर साहब ने आप लोगों को चेताया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, कल के भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी का शब्द वायरल हुआ है। मुझे दु:ख हुआ, आपका एक शब्द, मैं आलोचना कर रहा हूं। यदि गलत भी होगा तो भी मैं व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। पद की एक गरिमा होती है। प्रधानमंत्री हैं, पद की गरिमा होती है, राष्ट्रपति हैं, पद की गरिमा होती है। लेकिन हम उस गरिमा को बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, मैं वह आपके ऊपर छोड़ता हूं। यदि पत्रकार लोग उसको वायरल कर दें, दूसरो को पढ़ा दें तो शेर के जबड़े में हाथ कौन डालेगा ? इनको कला, संस्कृति को सरंक्षण देने के लिए अवसर मिला है, यह लोकतान्त्रिक सरकार, कल्याणकारी राज्य का दायित्व है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ मॉडल, और मॉडल में चर्चा करेंगे । गोबर कैसे बेचा जा रहा है ? गौ मुत्र कैसे खरीदे जा रहे हैं ? गौ मुत्र का परीक्षण कैसे होगा ? बोतल में लायेंगे ? कौन से साईज के बोतल में लायेंगे ? सब 27 तारीख को चर्चा करेंगे । अभी तो हमने देश में कीर्तिमान बनाया है । माननीय कृषि मंत्री जी, वह कीर्तिमान यह है कि आप शराब बेचने के लिए कंसलटेंसी दे रहे हैं । यह छत्तीसगढ़ की विद्वता का अद्वितीय स्वरूप है । क्या आपके अधिकारी तन्ख्वाह भी लेंगे, कंसलटेंसी चार्ज भी लेंगे ? अकबर जी ने बोला था कि .5 परशेंट इसमें और .2 परशेंट इसमें । आपकी जगह मैं होता तो छत्तीसगढ़ में सलाह भी मांगते तो नहीं देता । आप अध्ययन करो और चल दो । मेरे पास झारखंड के लोग आये थे, चुनाव नहीं हुआ था, मैं पंचायत मंत्री था, उनको मार्गदर्शन दिया कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ में महिलाओं का रिजर्वेशन किस तरह से हुआ है । मैं शराब बेचने का कंसलटेंसी नहीं करता । आपको बधाई हो, शराब बेचने की कंसलटेंसी करते हैं, आप ग्लोबल विज्ञापन दीजिए, 400 करोड़ रूपये खर्च किये हैं तो ग्लोबल में 10-20 करोड़ रूपया और खर्च हो जायेगा । छत्तीसगढ़ सरकार शराब बेचने की कंसलटेंसी करती है, आप आईये, एम.ओ.यू. कीजिए, रेट को और सस्ता कर देंगे, इससे छत्तीसगढ़ की मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी । माननीय सभापति महोदय, मैं साढ़े तीन साल में कुरूद, धमतरी वगैरह का प्रश्न लगाता नहीं हूँ ।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, समाप्त करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चार दिन पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया । बेरोजगारी भत्ता दो करके मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाये, अनबेलेबल धारा लगाई गई, यह कहा गया कि आतंक छत्तीसगढ़ में कैसा है । धमतरी जिले में 5-6 नेता है और यह छत्तीसगढ़ में सब जगह है । हाऊस से फोन आया था, हाऊस से फोन आया है तो कलेक्टर की बिसात है कि वह कन्फर्म करेगा ? कलेक्टर की बिसात होगी कि एस.पी. की बिसात होगी ? बच्चों के ऊपर नॉन बेलेबल धारा लगाये । भेजिये जेल ? आप लोकतांत्रिक होने की बात करते हैं, मैं अपनी बात बता देता हूँ, आपके आंदोलन में मेरा पुतला बनाया गया, मेरा खोपड़ा लगाया गया, उस पर पेशाब किये गये, उसको जूते से मारा गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई ? (शेम-शेम) मुझे मतलब भी नहीं है । मैं उस तरह के लोगों को कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मानता हूँ, मवाली मानता हूँ । लोकतंत्र में पार्टियां होनी जरूरी है, विरोध होना जरूरी है, लेकिन मुख्यमंत्री हाऊस का आतंक है । मैं मुख्यमंत्री जी से आज नहीं पुछूंगा तो किसी दिन पुछूंगा, कौन हाऊस वाला है, यह बताईये तो ? आपने किसको-किसको अधिकार दिये हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन चन्द्राकर जी, आपके जैसे विद्वान आदमी किसी मंत्री को आईटम गर्ल बोले, यह कहां का संसदीय परम्परा है । क्या शब्द का आप प्रयोग करते हैं ? अपने गिरेबान में तो झांककर देखिये कि आप क्या-क्या बोल रहे हो ? आपको बोलना शोभा देता है क्या ? ऐसे शब्दों का प्रयोग करना आपको शोभा देता है क्या ?

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी । न देखते हैं न सुनते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आईटम गर्ल को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, उसमें गलत क्या है, यह जरा बता दो ?

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, आप 40 मिनट बोल चुके हैं । अब कन्क्लूड करिये ।

श्री अमरजीत भगत :- अगर चन्द्राकर को मैं श्रीमती चन्द्राकर बोलूंगा...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बोलो क्या दिक्कत है, वह गाली थोड़ी है ।

श्री अमरजीत भगत :- इनका जेंडर चेंज कर दूंगा ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह गाली थोड़ी है । आईटम गर्ल गलत क्या है ? उसका छत्तीसगढ़ी अर्थ क्या है ? यह जरा आप बता दो ।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन मंत्री को आईटम गर्ल कैसे बोल सकते हो ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बताओ, क्या गलत है वो ? उस पर गलत क्या है यह बताओ ?

श्री अमरजीत भगत :- यह तो गलत है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको आईटम बोल रहा हूँ, क्या गलत है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- रूकिये ना, मैं चन्द्राकर जी से आग्रह करूंगा कि वह आईटम गर्ल की जगह आईटम ब्वाय बोल दो ।

श्री देवेन्द्र यादव :- क्या कर लोगे बोल देंगे तो क्या कर लेंगे हम ? जब आप धमकी भरे लहजे में क्या कर लोगे बोल दोगे तो फिर हमारे पास बचता ही क्या है ?

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर है, सम्माननीय शब्दों का प्रयोग होना चाहिये ।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, समाप्त करें । जरा समाप्त करिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो जनघोषणा पत्र में घोषणायें बोली गई, जो इसी सत्र के उत्तर में आया है । उनके शब्दों को मैं पढ़ रहा हूँ ।

श्री अमरजीत भगत :- सुन लीजिए ना । छत्तीसगढ़ी में एक कहावत तो सुन लीजिए । छत्तीसगढ़िया कहावत है कि नकटा के नाक कटावय, सौ बीता रोज बाढ़य, अब इसको कैसे परिभाषित करोगे, बताव ?

श्री अजय चन्द्राकर :- इनसे कुछ सीखो, जिसके कहने पर चीयर्स लीडर टाईप.. । यह जनघोषणा पत्र में घोषणाओं जानकारी जो पूरी हो गयी है । भाषा क्या है, उसको पढ़ लीजिए । इसी सत्र में ।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, कृपया समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। जनजातीय फसलों का न्यूनतम मूल्य तय कर क्रय किया जायेगा। माने यह घोषणा पूरी हो गई। खाद्‌य सुरक्षा अधिकार में नियंत्रित दर पर तेल, दाल, नमक, चीनी और केरोसीन प्रदान किया जायेगा। यह घोषणा पूरी हुई मान ली जायेगी। आप इन शब्दों को मानते हैं कि यह पूरा हो गया है। मैं आपके पास सिर्फ पठन के लिए भेज देता हूं, पटल पर नहीं रखता। आप लोगों को क्या समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग आपकी भाषा और बोली को नहीं समझ रहे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आइटम ब्याय आपके और बहुत सारे लोग होने वाले हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी आपको बोलते समय 40 मिनट से ज्यादा हो गये हैं। आपको कई बार बोल चुके हैं, आप समाप्त नहीं कर रहे हैं। चलिये, जल्दी समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में शराब के सेस में जो उत्तर दिया गया है, उसको बता देता हूं कि उसमें से कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है। उसमें उत्तर दिया है कि उसके विपरीत अन्य मदों में व्यय नहीं किया गया है। माननीय कवासी लखमा जी और हमारे artifical intelligent बैठे हैं। इसी प्रश्न के उत्तर के परिशिष्ट में लिखा है कि 245 करोड़ 25 लाख 8 हजार 123 करोड़ रुपये जमा हुई राशि है। उसके बाद उसमें खर्च बताये हैं, उसको बता देता हूं। उसमें कोरोना सेस लगा है, पंचायत परिवार कल्याण विभाग को निरंक राशि, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को 63.37 करोड़ रुपये, कृषि विभाग को 118.47 करोड़ रुपये दिये गये हैं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं यह सरकार विधायिका को क्या समझती है। मैं आपको और बता देता हूं जो सबसे खतरनाक चीज है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना, संधारण, उन्नयन प्राधिकरण में 400 करोड़ रुपये दिये गये हैं, उसमें 155 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं, 248 करोड़ रुपये अभी हैं, इसका कोई एक प्रतिवेदन, एक चर्चा नहीं हुई। किसी विधायकों को सूचना नहीं दी गई कि आपको उन्नयन प्राधिकरण बोर्ड में कोई सुझाव देना है, आपको कोई राशि एलाट करेंगे। प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कोई व्यय नहीं किया गया है और परिशिष्ट में उत्तर देते हैं कि यह व्यय किया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन प्राधिकरण में 404 करोड रुपये और दिये गये हैं जिसमें 144 करोड़ 55 लाख रुपये व्यय हुए हैं और 259 करोड़ रुपये अभी हैं। आप मुख्यमंत्री उन्नयन बोर्ड में 800 करोड़ रुपये में क्या कर रहे हैं? किसलिए, कौन सा ? यही मुख्य सचिव, यही वित्त अफसर, यही जांच करेंगे। आज आपकी सरकार की अवधि में डेढ़ घंटा और कम हो गया। यही 800 करोड़ रुपये के उपयोग की जांच करेंगे। मुख्यमंत्री सहायता कोष के अधिकारी कहीं पर बैठे हुए हैं। वह कोषालय में नहीं है, वह बैंक खाता वाला है। वह आप लोगों का अलग जेब खर्चा है। आप समझ रहे हैं न, वह अलग जेब खर्च है। उसके लिए अभी समय है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- पी.एम. केयर फंड के बारे में भी समाचार पत्रों में खूब छपता है। उसकी कौन सी जांच हो गई? आप ऐसे डरा रहे हैं, जैसे नई चीज है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके पास 5 और 2 मिलाकर 7 सांसद हैं और हमारे पास 4 और 2 मिलाकर 6 सांसद हैं। हमारे पास 9 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद मिलाकर 10 सांसद हैं। आपके पास 3 आयातित हैं और एक हमारी बहन हैं। आपकी भावनाओं को उनको बोल दीजिए, चिट्ठी लिख दीजिए। मैं प्रश्न बनाकर देता हूं। उन प्रश्नों में मेरे काम भी हुए हैं। मैं बता देता हूं। आप उनसे प्रश्न करवाईये कि पी.एम. केयर फंड में क्या डकैती हुई है? आपको जानने का अधिकार है, लोकतंत्र है। लेकिन जो बात जहां की है। आप राज्य की, केन्द्र की अनुसूची पढ़ लीजिए, concurrent list पढ़ लीजिए, क्या-

क्या किये जाते हैं और समझ में नहीं आता है तो माननीय रविन्द्र चौबे जी हैं, उनसे पूछ लीजिए। माननीय सभापति जी, अब आखिरी लाईन कहना चाहता हूं कि इस सत्र में और इस पूरे प्रकरण में रविन्द्र चौबे जी के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। इनकी अक्ल, इनका floor management, इनके ससंदीय कार्य का मैं प्रशंसक था। आपने आज के ध्यानाकर्षण का विषय देखा होगा। मैंने आपके पास दो उत्तर भेजे हैं कि क्या-क्या, कैसे-कैसे उत्तर भेजे गये हैं और एक में भी कार्यवाही नहीं की गयी है। विधायिका के प्रति केबिनेट की और कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। हम गलत उत्तर पायेंगे ? वह जो बोल दें वह सही है, तो यह सदन किसलिये है? इसकी क्या महत्ता है ? आपको इतिहास दोषी ठहराएगा, जो लेजिस्लेशन को समझता है वह जानता है कि आपने विधायिका की अवमानना की है (शेम-शेम की आवाज)। विधान सभा, छत्तीसगढ़ जो अपनी महान परंपराओं के लिये जाना जाता था, आप उसके स्तर को नीचे कर रहे हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, मैं आपका प्रशंसक हूं। अभी तक तो हूं यदि इसमें कार्यवाही हो जायेगी तो सदन तीन दिन और चलेगा। आप विपक्ष के संसदीय कार्यमंत्री नहीं हैं, सरकारी संसदीय कार्यमंत्री है, आप यह नोट कर लीजिये। इतने दिन में किसी विषय में, हमारा, आपसे कोई सार्थक संवाद नहीं हुआ है, यह बात ध्यान रखिये। विधान सभा की हाइट बढ़ें, यहां की घोषणाओं का पालन हो, मैं 27 तारीख को बताऊंगा कि कौन-सी घोषणाएं हैं, वह घोषणाएं पूरी हो, उसमें कार्यवाही हो। तब विधायिका का, जनता का विश्वास, प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत के प्रति बढ़ेगा।

माननीय सभापति जी, मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि - ''आंसू तमाम शहर की आंखों में हैं मगर, आंसू तमाम शहर की आंखों में है मगर, रहबर बता रहा है कि सब ठीक-ठाक है।'' (मेजों की थपथपाहट) प्रदेश की पूरी जनता रो रही है और यह मार्गदर्शक बता रहे हैं कि सब ठीक-ठाक है। पूरी जनता की आंखों में आंसू है। सिर्फ और सिर्फ सत्यमेव जयते जैसे लिखा है, जिसमें विवाद भी चल रहा है। भारत का जो ध्येय वाक्य है, आप उसके नीचे कैप्शन लिखवा दीजिये कि इस सरकार की वसूली जरूरी है।

श्री अमरजीत भगत :- छत्तीसगढ़ के किसान नहीं रो रहे हैं, सब खुश है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी आपने बजट दिया उसके लिये धन्यवाद। आपसे यह भी अपेक्षा करूंगा कि जो गलत हो रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिये, आप नेता है, इससे सदन की ऊंचाई बढ़ेगी। बृजमोहन जी का और यह भाई साहब का ध्यानाकर्षण था, इनके दो उत्तर भेजा हूं देखने के लिये, यह अच्छी चीजें नहीं है।

सभापति महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी।

श्री अजय चंद्राकर :- कभी आप इधर आयेंगे, कभी हम उधर जायेंगे। लेकिन यह जो हाऊस है, यह हमेशा रहेगा। अभी तो यह लग रहा है कि हाऊस का कोई महत्व नहीं है। हम बजट के लिये औपचारिकताएं कर रहे हैं, ऐसा लगने लग गया है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी, शुरू करिये।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुमान मांग संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 42, 47, 51, 55, 56, 58, 64, 65, 67, 68, 69, 79, 80 एवं 81 के लिये कुल दो हजार नौ सौ चार करोड़, इकचालीस लाख, सत्तर हजार, पांच सौ इकहत्तर रूपये की इस सदन से मांग की गयी है। मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जो 2022-23 का बजट था उसमें एक लाख बारह हजार छः सौ तीन करोड़, चालीस लाख, उन्तीस हजार रूपये और प्रथम अनुपूरक दो हजार नौ सौ चार करोड़, इकचालीस लाख, सत्तर हजार पांच सौ इकहत्तर रूपये मिलाकर कुल एक लाख पंद्रह हजार पांच सौ सात करोड़, इकचालीस लाख, निन्यानवे हजार, पांच सौ इकहत्तर रूपये कुल बजट हो जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की प्रगति, छत्तीसगढ़ के विकास, छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिये लगातार काम कर रहे हैं। अनुपूरक में जो मांग की गई है जिसमें हम देखते रहे हैं कि रोड, पुल-पुलिया से लेकर मूलभूत सुविधाओं के लिये इस अनुपूरक में मांग की गई है और हम सभी सदस्यों को इसका समर्थन करना चाहिये। हमारे सम्माननीय विद्वान सदस्य, श्री अजय चंद्राकर जी की बातों से ही मैं अपने भाषण की शुरूआत करना चाहता हूं। उन्होंने शुरूआत ही गुलाम वंश से की है।

माननीय सभापति महोदय, तीन बार के मुख्यमंत्री माननीय डॉ. रमन सिंह के सांसद पुत्र की टिकट कट जाती है। रायपुर से 7 बार के सांसद की टिकट कट जाती है। मगर इनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति चूं तक नहीं करता। यह जो पहले गणवेश हाफ पेंट हुआ करता था, अभी पुल पेंट हो गया है। उनके सामने इनकी चूं तक नहीं निकलती। तो आखिर गुलामवंश के लोग कौन है? माननीय विद्वान सदस्य माननीय अजय चन्द्राकर जी को यह बताना चाहिए कि गुलामवंश के लोग कौन है? जो तीन-तीन बार मुख्यमंत्री के बेटे की भी टिकट कट जाती है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, उसको अनुशासन बोलते हैं।

श्री मोहन मरकाम :- मगर इनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति चूं तक नहीं करता। आखिर गुलामवंश के लोग कौन है? शाह और शंहशाह के सामने इनकी चूं तक नहीं निकलती। आखिर इनकी कितनी गुलामी होगी ? यह इनकी बात है। आज देश के प्रधान सेवक बड़ी-बड़ी बात कहते थे। मैं न खाऊंगा, न खाने दूंगा। सचमुच में यह कहते थे कि देश का 80 प्रतिशत या देश की जनसंख्या हिन्दू है।

आज पहली बार आजादी के बाद अनाज, दूध, पनीर में भी जी.एस.टी. लगा दी गई है। इस सरकार के प्रधान सेवक, देश के प्रधान सेवक ने जी.एस.टी. लगाकर बच्चों का निवाला भी छिन लिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मरकाम जी, क्या पहले अनाज में वेट नहीं था? आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप यह बता दीजिए कि पहले अनाज में वेट था या नहीं ?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आपको पता है कि मीट, मांस में जी.एस.टी. नहीं है। मगर यह जो कहते हैं कि हिन्दू खतरे में है। आज हिन्दू की दुहाई देने वाले लोगों के मुंह में ताला कैसे लगा हुआ है ? आज इन लोगों के मुंह में ताला कैसे लगा हुआ है ? इस देश में हिन्दू खतरे में कहां हैं ? इसके बारे में आप चुप क्यों हैं? आज आजादी के इतने वर्षों बाद पहली बार अनाज में जी.एस.टी. लगा है। उन्होंने गरीब लोगों का निवाला छिनने का काम किया है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पहले भी अनाज में वेट था। वह सुन ही नहीं रहे हैं। आप अध्ययन कर लीजिए। पहले भी अनाज में वेट था।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, ब्रेटली से ज्यादा फेंकने वाले देश के प्रधान सेवक से देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है। कल तक डॉ. मनमोहन सिंह जी के उम्र को गिरते हुए रूपये से जोड़ते थे। आज रूपया 1 प्रति डॉलर के मुकाबले 80 रूपये से अधिक गया हुआ है। हमारा रूपया रसातल में चला गया है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आप अनुपूरक मांगों में बोल रहे हैं या लोकसभा में बोल रहे हैं ? आप अनुपूरक मांगों पर बोलिए। यह लोकसभा का भाषण नहीं है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आज कहीं न कहीं महंगाई आसमान छू रही है। इस देश में बेरोजगारी दर कहां से कहां पहुंची है ? मैं धन्यवाद् देना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार की नीतियां बहुत अच्छी हैं। जहां देश में बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत से ज्यादा है वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.6 प्रतिशत है। इसका मतलब साफ है कि हमारी सरकार की नीतियां, हमारी सरकार की योजनाएं, हमारी सरकार की उपलब्धियों की आज देश के हर सूबे में चर्चा होती है। अभी हमारे विद्वान सदस्य जी जो कह रहे थे। वह जो कह रहे थे मैं उनका ही जवाब दे रहा हूँ। आज देश में जो हालात हैं इन 8 सालों में केन्द्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार देश को किस ओर ले जा रही है ? माननीय पूर्व सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी ने शेरों-शायरी से अपने भाषण की शुरूआत की थी, मैं भी वही बातें कहना चाहता हूँ:-

"वह मुल्क की सारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर जाएगा
लगता है वह मेरे देश की बुनियाद हिलाकर जाएगा।
झोला तो उठाकर जाना है, लेकिन ये भी सच्चाई है
गुजरात जलाकर आया था अब देश जलाकर जाएगा।।"

माननीय सभापति महोदय, आपने देश की हमारा पड़ोसी राज्य श्रीलंका का राष्ट्रपति झोला लेकर, भागने पर मजबूर हुआ। आज हमारे देश की हालत यही है। हमारे देश में जो कर्ज बढ़ रहा है। प्रधान सेवक जी कल तक कहते थे। मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ। आज देश का प्रधान सेवक, देश का चौकीदार चाय बेचते-बेचते देश बेचने चला है। आज एयरपोर्ट बेच रहे हैं, आज भारत पेट्रोलियम, एल.आई.सी. बेच रहे हैं। हर जो लाभ है जो हमारी नवरत्न कंपनियां हैं जो भारत पेट्रोलियम से लेकर एल.आई.सी. ऐसी संस्थाओं को भी बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है । माननीय सभापति जी, हम दो, हमारे दो की सरकार चल रही है। खरीदने वाले भी गुजरात के और बेचने वाले भी गुजरात के हैं तो देश की हालत क्या है, आज दुनिया देख रही है ? असत्य की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। आज देश की 135 करोड़ जनता, देश के बुद्धजीवी देख रहे हैं, जो बड़े-बड़े वादे किये थे, दो करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, अच्छे दिन लायेंगे, ऐसे जुमले वादे करके केन्द्र सरकार में आये थे, मगर आज जो बातें हैं, आज देश की जनता देख रही है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करिए न।

श्री मोहन मरकाम :- मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री सौरभ सिंह :- आप लोकसभा में जईहा, लोकसभा मा भाषण देहा। अभी लोकसभा के तैयारी करिहा।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, अभी अजय चंद्राकर जी ने बड़ी-बड़ी बातें की है, पूंजीगत और राजस्व व्यय की बात की है। आज छत्तीसगढ़ को केन्द्र सरकार से लगभग 24 हजार करोड़ रूपये लेने है। वर्ष 2022 के बाद GST Compensation में भी 5 हजार करोड़ रूपये का नुकसान छत्तीसगढ़ को हो रहा है। साहब, मतलब पूंजीगत व्यय कहां से बढ़ेगा ? आप हमको 24 हजार करोड़ रूपये भी नहीं दे रहे हैं, हमको 5 हजार करोड़ रूपये का भी नुकसान कर रहे हैं तो हमारा पूंजीगत व्यय कहां से बढ़ेगा ? हमारी सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ का विकास कर रही है। आपने राम वन गमन पथ की बातें की है। आपको 15 साल मौका दिया, आप भगवान के नाम पर वोट मांगते थे। जब-जब चुनाव आता था, भगवान के नाम से वोट मांगते थे। आपने 15 साल में भगवान को याद नहीं किया। मैं हमारी सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। भगवान राम चन्द्र जी 14 वर्ष के वनवास में लगभग 12 वर्ष छत्तीसगढ़ में गुजारे थे। हमारी सरकार ने उस पथ को भी विकास करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। श्री राम वन गमन पथ की चर्चा आज पूरे देश में होती है। हमारी सरकार ने मौता कौशिल्या की भव्य मंदिर बनायी है। आज इनको तकलीफ हो रही है जिनके नाम से वोट मांगते थे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। माननीय चंद्राकर जी कल गोबर की बात कर रहे थे। आज उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और केन्द्र सरकार ने भी हमारी गोबर खरीदी योजना

की तारीफ की है। इसका मतलब साफ है कि हमारी सरकार की जो भी नीतियां, योजनाएं हैं, वह हमारी सरकार के लिए लगातार काम कर रही है। माननीय सभापति जी, आज हम देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, चाहे बस्तर, सरगुजा गये हों, सभी लोगों की मांगे रहती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती है, इसीलिए अनुपूरक में मांग संख्या एक में स्वेच्छानुदान के लिए 30 करोड़ रूपये की मांग की गयी है। मुख्यमंत्री जी जो तत्काल घोषणा करते हैं, उसके लिए मांग संख्या एक मध्य क्रमांक 2 से 4 में 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार के मुखिया अलग-अलग परियोजनाओं के लिए लगातार काम कर रही है। उसके साथ-साथ मैं हमारे मुखिया जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे नये जिले खैरागढ, छुईखदान, गंडई बनी, उसमें पहली बार ऐसा लगा कि जो-जो घोषणाएं हुई, चाहे तहसील की घोषणा हो, चाहे जिले की घोषणा हो या अन्य घोषणाएं हो, उसके लिए बजट में तत्काल प्रावधान किया गया। नवीन जिला खैरागढ़ छुईखदान के लिए जिला कार्यालय और अन्य कार्यालयों के लिए भी प्रावधान किये गये हैं। माननीय विद्वान सदस्य श्री अजय चंद्राकर जी, प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे थे, जब हमारी केन्द्र में सरकार हुआ करती थी, इंदिरा आवास के लिए 100 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार राज्यों को देती थी। मगर जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब बने हैं। नाम तो प्रधानमंत्री आवास, नाम प्रधानमंत्री का, राशि राज्य दे। अगर प्रधानमंत्री का नाम है तो 100 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार क्यों नहीं देती है ? जब हमारी सरकार थी, तब 100 प्रतिशत राशि दिया करती थी। आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भी उसके लिये प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास के लिये भी रूपये 600 करोड़ से अधिक राशि रूपये 670 करोड़ का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है। माननीय सभापति महोदयजी, मैं देख रहा था कि हर जिलों के लंबी-चौड़ी सड़कों, पुल-पुलियों के लिये भी इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। इसीलिये 15 सालों से सरकार में रहने के बाद जनता इनको नकार दी है और आज 14 सीटों में सिमट गये हैं और फिर से मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं 2023 में सरकार बनाने की। यहां की जनता समझ चुकी है। चाहे किसानहो, मजदूर हो, आम जनता हो या बेरोजगार हो, सभी की चिंता करने वाली अगर कोई सरकार है तो हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है। कहीं न कहीं आज हमें लगता है कि जो अनुपूरक होती है वह एक सीमित खर्चे होते हैं जो उस समय की मांग होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी दौरे करते हैं, उन मांगों को इस अनुपूरक में प्रावधान किया गया है और उसके लिये हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।

सभापति महोदय जी, आज हमें लगता है कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता 71 सीटों के साथ हम लोगों को जनादेश दिया है। हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात, किसानों की चिंता की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसानों के बारे में एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। जो 15 सालों में चिंता नहीं कर पाये हैं वे बार-

बार घोषणापत्र की बात करते हैं। हमारी सरकार को बने पौने चार साल हुये हैं। 15 साल में इनकी सरकार कुछ नहीं कर पायी। हमारी सरकार इन पौने चार सालों में लगातार किसानों की चिंता की है। आज हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है इसीलिये इन तीन सालों में 65 हजार से अधिक ट्रेक्टर अगर खरीदी होती है तो किसानों के जेब में, आम जनता के जेब में पैसा जाता है तो यहां का व्यापार एवं व्यवसाय भी बूम करता है। कहीं न कहीं यहां का व्यापारी भी खुश है। यहां का किसान भी खुश है। यहां की जनता भी खुश है। यहां के कर्मचारी भी खुश हैं। हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। हमें लगता है कि सभी सम्मानीय सदस्यों को इस अनुपूरक मांगको सर्वसम्मति से पूरा कर लेना चाहिये। क्योंकि विपक्ष के साथियों की जो मांग थी, आप बोल नहीं पाते थे। हमारी सरकार के मुखिया और हमारे संसदीय मंत्री ने आप लोगों के लिये भी दिल खोलकर विशेष ख्याल रखा है। आप लोगों ने पिछले 5 सालों में जब हम विपक्ष में थे तब भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं सरकार के मुखिया, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, चाहे किसान हो, सभी की चिंता इसमें की है तो कहीं न कहीं इस अनुपूरक मांग को.....।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके भाषण से लगा कि आप पूरी तरह से प्रसन्न हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। हमें कोई तकलीफ नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माने कुल मिलाकर डांट खाना अच्छा लगता है। आपडांट खाकर प्रसन्न हैं।

श्री मोहन मरकाम :- देखो, बड़े भाई की डांट भी मिल जाये तो उससे सीख मिलती है। बड़े भाई का आर्शीवाद समझकर उसे लेते हैं और हम बड़े भाई का आर्शीवाद लेकर के आगे काम करते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- वाह । इस बात को टी.एस. बाबा को तो समझाओ। वहां उल्टा समझाते हो, यहां उल्टा बोल रहे हो।

डॉ. कृष्ण कुमार बांधी :- बाबा के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा ये जय वीरू की जोड़ी, गब्बर और ठाकुर में परिवर्तित हो गई है, उस पर कुछ बोलेंगे क्या?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, मैं सदन से इस अनुपूरक मांग का सर्वसम्मति से पास करने की गुजारिश के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जय वीरू, गब्बर और ठाकुर के बाद ये अरे हो सांभा (हंसी)

सभापति महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी ।

श्री अरूण वोरा :- उसके बाद कालिया उधर है, अरे ओ कालिया । (हंसी)

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, जो अनुपूरक बजट लाया गया है । आप ऐसा सोचते हैं कि यह छत्तीसगढ़ के लिये लाभप्रद है और इससे छत्तीसगढ़ के हित में काम होगा लेकिन आप थोड़ा सोचकर देखिए कि जिसका राजस्व ही 85 परसेंट हो गया होगा उससे क्या लाभ मिलेगा ? बाकी 15 परसेंट रहा, आप 15 परसेंट में जो लागू कर रहे हैं इसमें किस बात पर खर्च कर रहे हैं ? क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस 15 परसेंट के लिये जिसमें अनुसूचित जनजाति का बजट खर्च कर रहे हैं । क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप उनके हॉस्टल के लिये खर्च करें ? यदि आप उसमें पूंजीगत व्यय कर रहे हैं तो क्या आपने उनके हॉस्टल के लिये सोचा है कि आप अनुसूचित जनजाति के बजट का उपयोग कर रहे हैं ? उसके हित में कुछ नहीं है । क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस बजट का जो उपयोग अनुसूचित जाति के लिये कर रहे हैं, उनके पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल के लिये कुछ कर रहे हैं ? इसमें कुछ भी नहीं है । इसमें किस बात का हित समाहित है ? आपने अभी देखा है कि 15 परसेंट का जो बजट है, जो पूंजीगत व्यय है, वे लाखों कर्मचारी जो आपसे उम्मीद करके चल रहे हैं, आपके ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं, क्या इस बजट से उनको कोई फायदा हुआ ? वे लोग इस बजट को टकटकी से देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर यह जो बजट होगा इसमें हम लोगों को फायदा हुआ लेकिन फिर भी आपने सुनकर के अनसुना किया, छत्तीसगढ़ का अनहित किया । छत्तीसगढ़ के जो मैदानी कर्मचारी हैं, जो गांव में रहते हैं उन कर्मचारियों के साथ आपका यह जो प्रस्तुत होने वाला अनुपूरक बजट है, यह एक बहुत बड़ा धोखा है । आपने इस बजट से कोई ऐसी व्यवस्था की कल्पना नहीं की जिससे छत्तीसगढ़ में अपराध कम हों, इतने अपराध बढ़े हुए हैं, इतनी हत्याएं बढ़ी हुई हैं उनको कम करने के लिये क्या आपने इस बजट में कोई प्रावधान किया है कि किसी तरीके से किसी चीज में, किसी निर्णय से इनमें कमी आये । आपने पूर्णत: गृह विभाग में, पुलिस विभाग में उनके मनोबल को कम करने का काम किया है और अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का आपने बहुत काम किया है । इस बजट से ऐसा कुछ परिलक्षित नहीं होता है कि आपने छत्तीसगढ़ की सुख-शांति के लिये, यहां पर कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये आपने कुछ किया हो ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखता है ।

माननीय सभापति महोदय, ये किसानों की बात करते हैं । किसानों को लेकर बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे उसके खाद की व्यवस्था हो सके । मजबूरन उनको व्यापारियों के पास जाना पड़ रहा है और आपने किसानों को 500-600 रूपये के लिये व्यापारियों के पास जाने के लिये मजबूर कर दिया है । उन गरीब आदमियों के लिये भी आपने इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा । करीब 8 लाख जो प्रधानमंत्री आवास हैं उन आवासों में भी आपने उनको निर्माण करने के लिये कोई योजना नहीं बनायी । आपकी सरकार ने उन आंगनबाड़ी सहायिकाओं को जिन्होंने तपती धूप में प्रदर्शन किया और उम्मीद की, सरकार ने उनको साड़ी देने का प्रावधान भी बनाकर रखा हुआ था, आपने साड़ी के प्रावधानों में भी चोरी की, उसमें भ्रष्टाचार किया । सरकार को जिस साड़ी को करीब साढ़े 500 रूपये में देना था, उसको आपने

50-60 रूपये में दिया और इस प्रकार से आपने इसमें तगड़ा भ्रष्टाचार किया । इसमें लगभग 5 करोड़ रूपये का भ्रष्टाचार, आपने उनकी साड़ी भी चोरी की । उनको दिया भी नहीं, उनको कोई आश्वासन भी नहीं दिया, उनकी मांगों की पूर्ति नहीं की बल्कि उनकी साड़ी के लिये जो पैसा था उसमें भी बट्टा मार दिया, लगभग 5 करोड़ रूपये का बट्टा मार दिया । यह कैसी कल्पना है ? आप इस बजट से क्या करने वाले हैं ? इस बजट से केवल राजस्व बजट की पूर्ति होगी ।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा आपने एक सिद्धांत बना रखा है कि जब तक जियो, सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पिओ । यह बड़े-बड़े सिद्धांत हैं । इस सिद्धांत के कारण जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो बजट है वह हमारे ब्याज में जा रहा है इससे छत्तीसगढ़ की दिशा-दशा किस तरफ जायेगी ? इन ब्याजों से छत्तीसगढ़ का जो विकास होता, चूंकि आपने इतने कर्ज ले रखे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है और वह कर्ज छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग कर्जा छोड़कर गये हैं तो छूटेगा कौन?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- नहीं-नहीं। बहन जी, हमन तो 15 साल में कर्जा ले रहन। 15 साल मा 35 हजार। एमन तो 15 ही साल मा चौका-छक्का मारे हे। अतका कर्जा। आपने अपने अनुपूरक बजट में उन गांवों में जो अभी बिजली कटौती से परेशान हैं, बिजली बिलों से परेशान हैं, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा। आपने उन ट्रांसफार्मरों के लिए बिजली के लिए कोई प्रावधान ही नहीं किया। सभापति महोदय, इसलिए यह जो अनुपूरक बजट है, यह केवल एक कोरम है। यह छत्तीसगढ़ के हित के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ियों के विकास के लिए नहीं है। न इसमें आपका गौठान होने वाला है। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव परेशान हैं कि ग्राम विकास के लिए कोई पैसा नहीं है। हमें कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा है और गौठान में क्या बोलते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा आता है वह भी 15वें वित्त आयोग से आता है। रोजगार गारंटी से पैसा आ जाता है। कभी डी.एम.एफ. फंड से आ जाता है। वह भी पैसा अधिकारी लोग खींचकर गौठान में डाल देते हैं और गौठान में ऐसे प्रशिक्षित गाय हैं कि यहां के गायों के आने-जाने का समय है। वैसा लगता है। आपने निर्धारित किया हुआ है कि गौठान में गाय कब आयेगी, गाय कब वहां से चारा-पानी खाकर जायेगी, वापस लौट जायेगी। ऐसा लगता है कि गाय वहां पर एम.ए. बी.ए. पढ़ने जा रही है। ऐसा लगने लगा है कि उसका क्लास रूम है कि वहां प्रशिक्षित होकर गाय यहां आयेंगी और घर जायेंगी।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- ए साल तोला भी उहें भर्ती करबो। (हंसी)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- डॉ. शिवकुमार डहरिया जी, तै तो एके काम कर आप गाय के मूत्र का और हाथी वाला बस टेक्नीक बता देना। उसका क्या scientific analysis है। केवल इसको बता देना।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आपको टेस्टिंग कमेटी में रखेंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- हां, बिल्कुल। आपको पिला-पिला कर दिखायेंगे और आपको टेस्ट करवायेंगे। (हंसी) पूरे ग्राम पंचायत का, गांव के लोगों का छत्तीसगढ़ के लोगों का इसमें भविष्य और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है। गांव के लोगों के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, जिसे हमने छोड़ा नहीं है। सबके साथ हमने किसी न किसी तौर पर धोखा देने का ही काम किया है।

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा, बांधी जी, आप किसानी काम करते हैं या नहीं करते हैं? खेती-किसानी काम करते हैं?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अभी थरहा लगाये हों।

श्री अमरजीत भगत :- आपको राशि मिल रही है न या नहीं मिल रही है?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप कैसे दे रहे हो, वह भी मालूम है। अभी तो लास्ट आपने पैसा ही काट लिया है। रो-रोकर देते हो। कलप-कलप के देते हो। कलहर-कलहर के देते हो। पड़ता नहीं पड़ता और अभी का पड़ता पड़ेगा कि आपने ऐसी नकली दवाई भेजी है कि 5-5 6-6 बार भूरामाहो के प्रकोप से छिछने को मजबूर हो गये।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- बांधी जी, मैं बोल रहा था कि बहुत आसानी से मिल रहा है। आपके जमाने में तो मिलता भी नहीं था। आप तब नहीं कलप-कलप कर बोलते थे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- लेकिन किसान खुशहाल था। अभी तो किसान खुशहाल हैं, लेकिन आत्महत्या में कोई कमी नहीं है। कैसे खुशहाल हैं? सभापति महोदय, गांव के डेव्हलपमेंट के बारे में बोलना चाहूंगा। अब तो माननीय मंत्री जी के पास पंचायत विभाग आ गया है और निश्चित तौर पर पंचायत विभाग में उम्मीदें ज्यादा हैं कि किसी भी तरीके से जो पंच-सरपंच सचिव लोग हैं, गांव के डेव्हलपमेंट की बांट जोह रहे हैं, जो अभी तक किसी भी मद से किसी योजना के तरीके से नहीं हुआ है और इस अनुपूरक बजट में भी नहीं है। शायद माननीय पंचायत मंत्री जी कुछ विशेष सोचें, नहीं तो आपके इस अनुपूरक से गांव का भी भला नहीं होने वाला है। मैंने कई बार आवेदन लिखकर दिया कि कुछ गांव हैं, नवागांव है, कछार है। मैंने अपने क्षेत्र में भी मीडिल स्कूल खोलने के लिए बात की। मेरे पांच ऐसे गांव है, जिसमें मीडिल स्कूल खोलने के लिए बात की, आप उसके लिए भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अपडेट करना है, उन्नयन करना है। उसमें भी आप पीछे हैं। आप उन्नयन करने में पीछे हैं। गांव कछार है। नवागांव है, उसमें नहीं कर पा रहे हैं। सभापति महोदय, यहां तक कि यह बात है कि मैंने हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिए कि हायर सेकेण्डरी स्कूल जोंधरा का हो जाये, इटवापाली का हो जाये, इनकी भी मैंने मांग की, वह भी आपने इस अनुपूरक बजट में शामिल नहीं किया । मांग करने के बाद भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया । मैंने कॉलेज की भी मांग की थी, माननीय राजस्व मंत्री जी गए थे तो उन्होंने भी पचपेड़ी और खम्हरिया में कॉलेज खोलने के लिए आश्वासन दिया था । लेकिन इस अनुपूरक बजट में वह भी नहीं था । कॉलेज

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खोलने की कोई बात नहीं इसमें नहीं है। आंगनबाड़ी में डी.एम.एफ. से राशि दे रहे हैं फिर भी वहां की व्यवस्था ऐसी है कि कुपोषण को दूर करने के लिए भी कोई पहल नहीं हो रही है, बजटेड नहीं हो पा रहा है । उनमें कुपोषण बढ़ा हुआ है, इस अनुपूरक बजट में गांव का विकास परिलक्षित होना चाहिए, वह इसमें नहीं है इसलिए मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करता हूं ।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- वोरा जी, आप इस अनुपूरक बजट के बजाय, यंग इंडिया और ए.जे.एल. के बजट के बारे में बताएंगे कि उसका ट्रांसफर कैसे हुआ तो सबका ज्ञान वर्धन हो जाएगा ।

श्री अरूण वोरा :- उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और न ही मैंने कभी हस्तक्षेप किया । माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का मैं समर्थन करता हूं और सदन से यही आग्रह करता हूं कि इसे समवेत रूप से पारित करें । माननीय सभापति महोदय, अजय चन्द्राकर जी अभी यहां नहीं है लेकिन मैं उनके सम्मान में कहना चाहता हूं - "मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है ।" आप कितनी भी आलोचना कर लें, कितनी भी विफलताएं निकाल लें लेकिन अगली सरकार और उसके बाद फिर अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी और भूपेश बघेल जी उसके मुखिया होंगे । जिस तरीके से वे प्रदेश का संचालन कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप रविन्द्र चौबे जी के विरोधी हैं क्या, फिर से भूपेश जी का नाम ले रहे हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- देखिए, ऐसा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप चौबे जी के विरोधी हैं क्या, यह बता दो ?

श्री अरूण वोरा :- मैं चौबे जी का समर्थक हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- फिर से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे बोल रहे हो । चौबे जी को उस लायक नहीं समझते ?

श्री नारायण चंदेल :- चौबे जी अभी सबसे योग्य व्यक्ति हैं ।

श्री अरूण वारा :- आप कहां लगाए, चौबे जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- चौबे जी को नहीं समझते तो बता दो ।

श्री नारायण चंदेल :- चौबे जी योग्य हैं लेकिन वे भी वृष्ट हैं, वृष्टि छाया से वे भी नहीं बच पाए ।

सभापति महोदय :- चंदेल जी, हो गया । वोरा जी को बोलने दीजिए ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा :- सभापति महोदय, अगर मैं इस बात को कहूं विश्वास और विकास का दूसरा नाम भूपेश बघेल है तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी । विगत् साढ़े तीन वर्षों से छत्तीसगढ़ के लगभग 3 करोड़ रहवासियों के वे संवाहक बने हुए हैं । राज्य शासन की योजना के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाने में सक्रियता बनाए हुए हैं । सभापति महोदय, 17 दिसम्बर, 2018 से जो जनकल्याणकारी कार्यों की शुरूआत हुई वह अनवरत् रूप से अभी तक जारी है। माननीय विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि मैं भी पिछले सदन में था और किसानों के आत्महत्या के मामले हमारे सामने आए । पूरे प्रदेश में लगभग 4 हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की । राज्य सरकार की बागडोर अपने हाथ में लेते ही सबसे पहला काम मुख्यमंत्री जी ने किसानों को धान का बोनस दिया, किसानों को समर्थन मूल्य दिया और आज जैसा मैंने कहा कि निरन्तर विकास की यात्रा चलती जा रही है । आज राजीव गांधी योजना, गोधन न्याय योजना और किसानों से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं, जिनकी कल्पना हम लोग 15 सालों में किया करते थे । जब हमारा छत्तीसगढ़ बना तो हम लोग सोचा करते थे कि छत्तीसगढ़ में किसानों का फायदा होगा, महिलाओं के उत्थान के कार्यक्रम बनेंगे । लेकिन ये सपने केवल सपने ही बनकर रह गए । इन सपनों को साकार करने के लिए भूपेश बघेल जी ने जो कार्य किया है, मैं नहीं समझता कि आने वाले कई वर्षों तक छत्तीसगढ़ के लोग इसे भुला पाएंगे । आज हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर कर रहे हैं। उन्होंने 174 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले हैं। आप कर्जे की बात करते हैं। आपने जो कर्जा छोड़कर गये थे और उन्होंने किसानों के लिए जो कर्जा लिया तो किसानों के लिए कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं है। मैं यह नहीं मानता हूं कि किसानों के लिए कर्जा लेना गलत बात है। उन्होंने किसानों के हित में निर्णय लिया है। मैं रविन्द्र चौबे जी धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जहां उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है, जो कार्य पिछले 15 सालों में अछूते थे। उन्होंने अपने ही शहर स्वास्थ्य के क्षेत्र में 25 करोड़ रूपये की क्रिटीकल केयर यूनिट की अभी घोषणा की। उसके पहले भी कोरोनाकाल में बहुत से कार्य संपादित हुए हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र को अछूता नहीं रखा। यह मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ। रविन्द्र चौबे जी ने सिंचाई व कृषि के क्षेत्र में जो कार्य किया है। मैं रविन्द्र चौबे जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि हमने उनसे पिछले सत्र में मांग की थी कि हमारी शिवनाथ नदी में लक्ष्मण झूला का निर्माण किया जाये, जिसका हम लोग कई वर्षों से कल्पना कर रहे थे। आपने उसके लिए 30 करोड़ रूपये प्रावधानित किया है। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार मानता हूं। बहुत सारी ऐसी याजना हैं, जैसे दाई दीदी क्लिनिक योजना, शहरी स्लम योजना, यह सारी योजनाएं, जो हम लोगों को कभी काल्पनिक लगा करती थी, अब वास्तविकता में दिखलाई दे रही है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें आ गई है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि 2 हजार, 904 करोड़, 41

लाख, 70 हजार, 571 रूपये की जो अनुपूरक राशि है, उसे आप सर्वसम्मति से पारित करें, क्योंकि आपके भी क्षेत्र में यह जाना है और यही मुख्यमंत्री जी काम करेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- वोरा जी, इसमें रोका-छेका योजना का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अरूण वोरा :- रोका-छेका वाले चले गये।

श्री नारायण चंदेल :- रोका-छेका योजना इसलिए जरूरी है कि जब हम अभी दुर्ग-भिलाई जायेंगे तो एक-डेढ़ हजार गाय बैठे होंगे। तो रोका-छेका योजना के लिए भी इस बजट में प्रावधान होना चाहिये।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- माननीय श्री सौरभ सिंह जी।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाये गये अनुपूरक मांग में बोलने के लिए खड़ा हूं। माननीय सभापति महोदय, इसमें स्वेच्छानुदान के लिए प्रावधान किया गया है। हमारे बहुत सारे सदस्य लोग बोल रहे थे। मेरे विधानसभा क्षेत्र और जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में एक निर्भया कांड हुआ और इतनी विभत्स घटना हुई, जिस घटना का इस पवित्र सदन में उल्लेख नहीं किया जा सकता। यह छत्तीसगढ़ की सभ्यता नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की सोच नहीं है और छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति इतने नीचे उतर कर कोई कार्य कर सकता है, यह हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। परंतु ना तो कोई अधिकारी आज तक उनके परिवार एवं परिजन को पूछने गया, ना तो कोई सरकारी आदमी उनको सांत्वना बताने गया, ना आज तक कांग्रेस पार्टी का कोई आदमी उस महिला के पास सांत्वना देने गया। यदि आप उत्तर प्रदेश में 50 लाख रूपये की स्वेच्छानुदान राशि देते हैं तो कम से कम छत्तीसगढ़ के किसी महिला के साथ ऐसी साथ घटना हुई, उसके परिजनों को कुछ देते।

श्री शैलेश पाण्डे :- आप तो चुनाव जीत गये हैं, फिर क्यों रिपिट कर कर रहे हैं?

श्री सौरभ सिंह :- महाराज जी, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप छत्तीसगढ़ में 50 लाख दे रहे हैं, आपकी राजनीतिक मजबूरी होगी, मैं यह नहीं बोल रहा हूं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आपके क्षेत्र की घटना है, तो आपको उसे प्रभाव दिखाकर करना चाहिये।

श्री सौरभ सिंह :- आज इस छत्तीसगढ़ के इस अनुपूरक बजट में छत्तीसगढ़ की जनता का अधिकार है और यह छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा है। हम चुने हुए जनप्रतिनिधि उनके बिहॉफ में काम कर रहे हैं और उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो उनको पैसा मिलना चाहिये। बिजली कंपनी के बारे में बहुत सारी बात हुई कि बिजली कंपनी का इतने ब्याज का छुटारा किया जायेगा। उसमें बिजली कंपनी का ज्यादा पैसा है। बिजली कंपनी का इतना सारा जीरो-जीरो जुड़ा होता है, बिजली कंपनी का जीरो-जीरो बहुत जुड़ा है। परंतु जो मूल काम है कि बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, बिजली का

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है, इन्सुलेटर उपलब्ध नहीं है और पूरी पद्धति को ठेका में दे दिया गया है। ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जा रहा है तो ठेकेदार कोई लेबर नहीं दे रहा है और कोई टेक्नेशियन नहीं दे रहा है कि वह जाकर ट्रासंफारमर को भी बदल दे, जंपर को बदल दे और इंसुलेटर को बदल दे। तो यदि छत्तीसगढ़ की मूलभूत सुविधा का विस्तार नहीं होगा तो इन बिजली कंपनियों को करोड़ों रूपये इधर का उधर और उधर का इधर देने में फायदा है ? इससे ज्यादा, यदि आप इस पैसे से ट्रांसफारमर खरीद लें और सामान खरीद लें तो जनता को इससे ज्यादा लाभ होगा। यह बजट जनता के लिए बन रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन में गोबर खरीदी की बात होती थी। वर्मी कंपोस्ट को जबरदस्ती किसानों को दिया जा रहा है। माननीय चौबे जी बैठे हैं। कंपोस्ट खाद की एक बोरी में 2 प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। जिसको आप 300 रूपये में किसानों को दे रहे हैं और जो यूरिया की बोरी होती है उसमें 46 प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। यदि आप किसान को इस खाद उपयोग करने के लिए रहे हैं तो आपके रेट के हिसाब से किसान को 9000 रूपये लगेगा। एक एकड़ धान की फसल में एक बोरी यूरिया के अनुपात में किसानों को जो कंपोस्ट खाद दिया जा रहा है वह कंपोस्ट खाद 9000 रूपये का होगा। आप कहां ले रहे हैं ? आपके खाद की 1 बोरी में केवल 2 प्रतिशत यूरिया होता है और यूरिया की एक बोरी में 46 प्रतिशत नाइट्रोजन होता है तो उस हिसाब से किसानों को 23 बोरी खाद लगेगी। उसकी जो क्वालिटी है, यदि हम उसकी क्वालिटी की बात करें तो क्या आपने उसके लिए कोई लैब बनाया ? क्या आपके पास इसके लिए कोई टेस्टिंग सिस्टम है ? फर्टिलाइजर एक्ट के तहत अगर आप 50 क्विंटल से ज्यादा इस तरह के किसी भी फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करते हैं तो फर्टिलाइजर एक्ट के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्या आपकी समितियों का रजिस्ट्रेशन है ? क्या आपके किसी सिस्टम का रजिस्ट्रेशन है ? क्या उसमें क्वालिटी है ? अगर मैं किसान हूं और यदि मैं खाद खरीद रहा हूं तो किसानों को उस खाद को जबरदस्ती खरीदाया जा रहा है और यदि मैं जबरदस्ती में दबाव में भी खरीद रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि इस खाद में क्या कैमिकल कंपोनेंट है? इसकी क्या-क्या एक्सपाइरी है ? इसकी एक्सपाइरी है या नहीं है ? इसकी क्या सेल्फ लाईफ है ? इस ढंग से तो यह प्रदेश चल रहा है और अनुपूरक के लिए सारी-सारी चीजें दी जा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसमें सी.आर.एफ. (सेंट्रल रोड फंड) मद से लगभग 800 करोड़ रूपये की 15 सड़कों का उल्लेख है और बार-बार यह आरोप लगाया जाता है कि सेंट्रेल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। माननीय नितिन गडकरी जी भारत माला एक्सप्रेस हाई वे एक सड़क का उद्घाटन करने के लिए आये थे। उन्होंने 4 सड़कों का उद्घाटन किया और 4 सड़कों में घोषणा की। सी.आर.एफ. (सेंट्रल रोड फंड) से इस घोषणा का परिपालन हुआ और 15 सड़कों का उद्घाटन हुआ, जिनका मूल्य 800 करोड़ रूपये है और वह सड़क बन रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, सड़क तो बन रही हैं लेकिन सड़कों के क्रियान्वयन में राज्य सरकार क्या कर रही है ? माननीय ननकीराम कंवर जी के क्षेत्र से माननीय डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी के क्षेत्र से और मेरे विधानसभा क्षेत्र से भारत माला एस्प्रेस हाईवे बन रही है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी बड़ी योजना है ! धनबाद से लेकर विशाखापटनम तक इकोनॉमिक कॉरीडोर का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा भाग आता है। यह कॉरीडोर आदरणीय राठिया जी के क्षेत्र से भी जा रहा है और डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी के क्षेत्र से भी जा रहा है। यदि वह इकोनॉमिक कॉरीडोर बन रही है तो उसके भू-अर्जन में आप देरी क्यों कर रहे हैं ? समय-सीमा में उसका भू-अर्जन क्यों नहीं हो रहा है ? एक तो आप वैसे भी किसानों का गाइडलाईन रेट कम कर दिये हैं और किसानों का गाइडलाईन रेट कम करने से किसान उसमें 40 प्रतिशत का नुकसान खा रहा है। उसके बाद भी किसान दर-दर भटक रहा है और उसका पैसा नहीं मिल रहा है। जब रोड बन रही है और किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या इस ढंग से सड़क बनेगी और इस ढंग से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा ? अगर केन्द्र सरकार के 100 प्रतिशत पैसे से छत्तीसगढ़ के लिए कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई होगी और उसमें इस तरह की नाकामी और इस तरह काम और फिर इस अनुपूरक में, तो फिर यह समझ के परे है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर नहीं हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिस व्यक्ति के नाम से यह स्कूल चालू किया गया है छत्तीसगढ़ के ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो स्वामी आत्मानंद जी के रूप से आत्मिक रूप से उनके साथ जुड़े हुए थे। स्वामी आत्मानंद जी के स्कूल में जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जिस ढंग से उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है और उस भ्रष्टाचार और क्रियान्वयन के कारण स्वामी आत्मानंद जी का नाम चौक-चौराहों में जो खराब किया जा रहा है और जिस ढंग से आम जनता की उस पर टिप्पणी होती है, वह शर्मनाक है। आज मैं आपको उदाहरण देता हूं। केशव चंद्रा जी यहां पर नहीं हैं। उनके यहां जैजैपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल खुला।

समय :
4:15 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, उस स्कूल में डी.एम.एफ. मद से खरीदी कर दी गई। वहां 12 क्लास रूम हैं और 15 स्मार्ट क्लास लगा दिया गया । अब बाकी 3 स्मार्ट क्लास कहां हैं ? स्मार्ट क्लास लगाने के लिए जगह नहीं है तो एक स्मार्ट क्लास में टीचर रूम में लगाया गया, एक साईंस लैब में लगाया गया और एक टायलेट में लगा दिया गया । अब स्मार्ट क्लास ऐसा चल रहा है । आप पूरी जगह जाकर देख लीजिए, जहां-जहां डी.एम.एफ. का पैसा है, डी.एम.एफ. के पैसे से सिर्फ स्वामी आत्मानंद

अशोधित/असंपादित के लिए नहीं

स्कूल के लिए फर्नीचर खरीदा गया है, पर उस फर्नीचर के लिए बिल्डिंग ही नहीं है, कमरे नहीं हैं तो फर्नीचर कहां रखा गया है ? कहीं फर्नीचर खुले में पड़ा हुआ है, कहीं खेल मैदान में, कहीं टायलेट में फर्नीचर भरा हुआ है । स्वामी आत्मानंद जो छत्तीसगढ़ के नामी व्यक्ति थे, उनके नाम का मजाक मत करवाईए । बहुत सारी नई पीढ़ियां जो स्वामी आत्मानंद को नहीं जानती, वह इसलिए जान रहे हैं कि यह स्कूल भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य डी.एम.एफ. फंड के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं । जब आपकी सरकार थी तो उस मद से स्वीमिंग पुल बना करते थे और अधिकारियों की बड़ी-बड़ी पार्टी हुआ करती थी । अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का पूरा चैन चल रहा है ।

श्री सौरभ सिंह :- आप बोल लीजिए । अगर मैं बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी । मैंने बहुत सारी चीजों पर बोलने के लिए 27 तारीख का दिन निर्धारित किया है । बहुत सारी चीजें ध्यानाकर्षण में आएंगी और बहुत सारी चीजों को मैंने 27 तारीख के लिए रखा है । अगर मैं बोल दूंगा कि डी.एम.एफ. में क्या-क्या हो रहा है और कहां-कहां पर कैसे-कैसे हो रहा है और कैसे-कैसे कलेक्टर लोग डी.एम.एफ. में काम कर रहे हैं, वह मैं आदरणीय चौबे जी को एक दिन बता रहा था ।

डॉ. विनय जायसवाल :- हम लोग भी 27 तारीख को आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- आप जिसकी बात कर रहे हैं, मेरे पहले दिन के प्रश्न का जवाब पढ़ लीजिएगा । कोरबा के कलेक्टर ने इंटरेस्ट राशि का पैसा किस चीज के लिए खर्च किया है, आप स्वीमिंग पुल की बात कर रहे थे । Airstrip के मेंटनेंस के लिए अभी खर्च किया है । माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बोलते थे कि आप अपने डी.एम.एफ. में Airstrip बना रहे थे । जिस बात को वे बोलते थे, जिस बात का चार्ज हमारी सरकार के ऊपर लगाते थे, वही आपने किया है । आप जवाब पढ़ लीजिए ।

माननीय सभापति महोदय, पी.डी.एस. डिलरशिप की मार्जिन के लिए 133 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । इस बजट में हम 133 करोड़ देंगे और 133 करोड़ केन्द्र सरकार से आएगा । अमरजीत भगत जी, आप बार-बार बोलते हैं कि केन्द्र सरकार ने यह नहीं दिया, केन्द्र सरकार ने वह नहीं दिया । केन्द्र सरकार तो आपको 51 हजार करोड़ रूपए दे दी ।

श्री अमरजीत भगत :- कहां मिला है ?

श्री सौरभ सिंह :- आज ही आपने अपने जवाब में बताया है कि 51 हजार करोड़ रूपए धान खरीदी में मिले हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- ऐसे ही थोड़ी दे दिए । उन्होंने चांवल का पैसा दिया है।

सभापति महोदय :- सौरभ सिंह जी, कृपया सीधी बात न करें ।

श्री सौरभ सिंह :- अभी तो मैंने अपनी बात शुरू की है ।

सभापति महोदय :- मैं वह नहीं बोल रहा हूं ।

श्री सौरभ सिंह :- जी, आपकी तरफ मुखातिब होकर बोलता हूं । 133 करोड़ रूपए पी.डी.एस. डीलरशिप के लिए दिया गया है । 133 करोड़ रूपए यहां से दिया जाएगा । माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इसकी वसूली चालू हो गई है । जितने पी.डी.एस. डीलर हैं, उनको मार्जिन मनी दी जाएगी, जो वे काम करते हैं, उसका एक निर्धारित पैसा उनको प्रोत्साहन राशि बोलिए, मार्जिन मनी बोलिए, कमीशन बोलिए, कमाई बोलिए, शब्द कोई भी हो, वह उनको दिया जाएगा । अच्छी बात है । अगर वे काम कर रहे हैं तो उनको देना चाहिए, यह व्यवस्था है । संघीय व्यवस्था में वह पैसा उनके पास जाना चाहिए । मैं इस बात को जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि उसका बंदरबांट चालू हो गया है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए । इतने छोटे लेवल पर भ्रष्टाचार, इतने लोगों पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, कैंसर अस्पताल, बिलासपुर का जिक्र है । तीन साल में कैंसर अस्पताल, बिलासपुर की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई है । जब आखिरी बार केन्द्र सरकार ने यह लिखा कि अगर आप प्रशासनिक स्वीकृति नहीं देंगे तो हम इस पैसे को वापस ले लेंगे, तब आनन-फानन में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पूरा पैसा केन्द्र सरकार का है, सब कुछ केन्द्र सरकार का है । क्या यह बिलासपुर से दुर्व्यवहार है ? अगर नया कैंसर अस्पताल खुल जाएगा तो क्या बुरा हो जाएगा, आपने तीन साल में प्रशासनिक स्वीकृति क्यों नहीं दी ? क्यों यह ब्यूरोक्रेसी हावी हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- इससे शैलेश पाण्डे जी को यश मिल जाएगा ।

श्री सौरभ सिंह :- आपने सही बात बतायी । कैंसर अस्पताल खुलने के लिए शैलेश पाण्डे जी को यश न मिल जाये, इसलिए इसको रोका गया ।

श्री शैलेश पाण्डे :- वह हमारी सरकार की उपलब्धि है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको निपटाने के लिए लगे हैं और आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं । आपको निपटाने के लिए यहां से लेकर वहां तक सब लगे हुए हैं । कुर्सी से हटाने से, नहीं बिठाने से, मंच पर नहीं बुलाने से लेकर सकल करम आपके लिए कर रहे हैं, फिर भी आप खुश हो । आप ऐसे ही हंस-हंस कर इन सबको फेल कर रहे हैं ।

श्री शैलेश पाण्डे :- आपको क्या लगता है कि मैं निपटाने से निपट जाऊंगा ?

श्री धर्मजीत सिंह :- बिलकुल नहीं निपटोगे। लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं, उनसे तो सचेत रहो।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं।

श्री केशव चन्द्रा :- पांडेय जी, हम आपके साथ हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, ये बिलकुल नहीं निपटेंगे। शैलेष पाण्डेय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।

श्री केशव चन्द्रा :- हम आपके साथ हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- पहले आप लोग अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिये कि हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- शैलेष पांडेय के संग हैं। वह वहां के विधायक हैं, बहुत सम्मानित विधायक हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- मतलब आप कांग्रेस के साथ हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- भाई, यहां कांग्रेस और भा.ज.पा. की बात कहां हो रही है। देवेन्द्र, हम तो आपके संग भी हैं। आप अच्छे हो।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी, मैं भी आपके संग हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप हाथी छाप में रहोगे तब भी हमारे लिए अच्छे हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- देवेन्द्र जी, आप किसके साथ हो, विधायक दल की बैठक की रिपोर्ट हम लोगों के पास है।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने जो प्रस्ताव रखा उसकी भी जानकारी है।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- तो किसके साथ हो, हम सबको मालूम है।

श्री देवेन्द्र यादव :- वैसे ही आपके यहां के प्रस्ताव की जानकारी हमारे पास भी है।

श्री नारायण चंदेल :- धर्मजीत जी, मैं इनको बोल रहा हूं कि इसमें रोका-छेका के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

सभापति महोदय :- चंदेल जी, कृपया बैठिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, अगर बिलासपुर में कैंसर हास्पिटल खुल जायेगा तो उसमें क्या बिगड़ जायेगा ? यह प्रशासन किस ढंग से चल रहा है, किस ढंग से व्यवस्थाएं चल रही हैं, बता रहा हूं। जब वह अखबार में छपेगा और उसके बाद उस पर प्रतिक्रियाएं आयेंगी, उसके पहले ही कैंसर हास्पिटल खुल जाना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, यदि हम हास्पिटल की बात करें तो महासमुन्द में मेडिकल कालेज, कोरबा में मेडिकल कालेज, कांकेर में मेडिकल कालेज का बार-बार प्रावधान किया जा रहा है। ये मेडिकल कालेजेस कब से चालू होंगे ? किस दिन से मेडिकल कालेजेस चालू होंगे ? जब लोग यूक्रेन में पढ़ने गये थे और तो यूक्रेन से आये हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, मेरे पास जवाब है। सूचना के अधिकार में जानकारी आया है कि राज्य सरकार ने सिर्फ 9 लाख रूपया खर्च किया है। केन्द्र सरकार ने सारा पैसा खर्च किया था। जो बच्चें यूक्रेन पढ़ने गये थे, यहां पर सिर्फ 9

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लाख रूपया खर्च किया गया है। अगर ये मेडिकल कालेज सही समय पर खुल जाते तो हमारे बच्चों को यूक्रेन नहीं जाना पड़ता।

श्री रामकुमार यादव :- सौरभ भईया जी, तुंहर जमाना जो आंखी के आपरेशन होय हे ओ मन अभी ले डरावत हे। ओ समय तुमन कैसे आपरेशन करवा दे रहा। आज ले भय बने हे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, कृपया बैठे।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, सौरभ सिंह जी ज्ञानवान सदस्य हैं, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं, सदन में बात कर रहे हैं। पहली बात अभी जितने मेडिकल कालेजेस की बात किए, सारे मेडिकल कालेज खुल गये हैं और एकाध मेडिकल कालेज प्रोसेस में है।

श्री सौरभ सिंह :- नहीं, आप तो बोल रहे हैं कि सारे खुल गये हैं।

सभापति महोदय :- डाक्टर साहब, आप बैठिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- दूसरी सबसे बड़ी बात, ये बोले कि इन मेडिकल कालेजेस के खुलने से यूक्रेन नहीं जाना पड़ता। यह बिना रिसर्च, बिना शोध किए बात किए हैं। जो बच्चे यूक्रेन जाते हैं, उनका परसेन्टेज बहुत ज्यादा नीचे होता है। अगर आप सौ मेडिकल कालेज खोल दोगे तब भी आप उनको एडमिशन नहीं दे पाओगे। तो आपको ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, मैं यह बात बोलना चाहता हूं।

श्री सौरभ सिंह :- चलिये, नहीं बोलते। छत्तीसगढ़ के कुछ बच्चे तो डाक्टर बनते, उसमें तो आप सहमत हैं और जल्दी डाक्टर बनते ? इसमें तो सहमत हैं ना कि छत्तीसगढ़ के कुछ बच्चे डाक्टर बनते ?

श्री केशव चन्द्रा :- और गरीब बच्चे डाक्टर बनते, जिनके पास यूक्रेन जाने के लिए पैसा नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, गरीब बच्चे डाक्टर बनते, जिनके पास पैसा नहीं है, उन लोग डाक्टर बनते। मेडिकल कालेज खुलना तो चाहिए। हमारा मूलभूत रूप से यह कहना है कि सरकार की एफिसियेंसी क्या है ? सरकार की एफिसियेंसी इस चीज से पता चलती है कि सरकार कितना एफिसियेन्टली काम कर रही है। यह सरकार का पैसा है, अनुपूरक पर जो चर्चा हो रही है, यह जनता का पैसा है और जनता के एक-एक पैसे का हिसाब तो देना पड़ेगा और जनता के पैसे में काम करना पड़ेगा। आज हम यहां पर जो बोल रहे हैं, उसको जनता देख रही है। जो गर्वनेंस का डेफिसियेट है, वह गर्वनेंस के डेफिसियेट को देख रही है, यह दिखाता है, यह गर्वनेंस के डेफिसियेट का उदाहरण है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जांजगीर चांपा जिले में भी एक कालेज खुलना था। हमारे नारायण चंदेल जी चिल्ला रहे हैं कि एक ही लोकसभा क्षेत्र बच गया है, जहां मेडिकल कालेज नहीं है। बाकी सारे लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कालेज खुल गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, 30 करोड़ रूपये हेलीकाप्टर किराये की भी बात आई। इतने में तो नया हेलीकाप्टर आ जाता। यदि नहीं आता है तो नया हेलीकाप्टर ले लीजिये। माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा और आप जितने लोग उसमें जाते हैं, उनकी सुरक्षा ...।

श्री रामकुमार यादव :- मोदी जी घलो हवाई जहाज ले हवय। कतना पैसा के ले हावय। मोदी जी घलो ले हवय। ओखरो बारे में कुछ गोठयाहिया ?

श्री शिवरतन शर्मा :- तुहू मन घलो ले लेवा, येही गोठयात हवन।

श्री सौरभ सिंह :- भईया, हमन थोड़ी कहत हन ?

श्री रामकुमार यादव :- मोदी जी हा ले हवय, कहत हा ? ओखर कना हावय तभो ले हावय।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- पैसा जल्दी दे बर कहा ना।

श्री रामकुमार यादव :- हमर पास नही हे तो किराया मत लेत हवन। ओखर पास हावय तभो ले हावय।

श्री नारायण चंदेल :- रामकुमार येमा ये कहत हे कि आउ पुरो के ले लेवा।

सभापति महोदय :- माननीय सौरभ सिंह जी, 15 मिनट से ज्यादा समय हो गया है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- छत्तीसगढ़ के पैसा देय ला कहव।

श्री सौरभ सिंह :- जी. एक मिनट में अंतिम बात । दो सत्र पहले माननीय डॉ. रमन सिंह जी का सवाल था, आप किसी एजेंसी को हेलिकाफ्टर दे रहे हैं ? दो सत्र उन्होंने कहा कि आप किससे किराया ले रहे हैं, डेंजरस हेलिकाफ्टर एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या उस हेलिकाफ्टर की डी.जी.सी.एस. से मान्यता है ? किस हाईट तक फ्लाई करेंगे ? हमारे यहां वेदर खराब होता है, अलग-अलग जगहों पर मैग्नेटिक करेंट्स हैं, दो-तीन बार एक्सीडेंट हो चुका है, आप किस एजेंसी से हेलिकाफ्टर ले रहे हैं, किसी को अनुग्रहित करने के लिए किराये दे रहे हैं ? हेलिकाफ्टर का इतना किराया क्यों दे रहे हैं ? हमारा यह कहना है कि आप नया हेलिकाफ्टर खरीद लीजिए । कर्जा लेकर ही हेलिकाफ्टर लेना है तो उसके लिये भी आवेदन दे दीजिए, क्या दिक्कत है ? आप लोग सुरक्षित रहें, यही बात तो सोच रहे हैं । कर्जा और बढ़ा लें, क्या दिक्कत है ? उसके लिये भी कर्जा मिल जायेगा । प्रधानमंत्री आवास के लिये कर्जा लिया जा रहा है, कौन सा देना है ।

एक माननीय सदस्य :- कौन से घर से लगाना है ?

श्री सौरभ सिंह :- कौन से घर से लगाना है, देना अगला सरकार ला हे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- रामकुमार जी, अऊ सुन तो । माना में गिरे हे तेन 60-70 फीट से ही गिरे हे, ज्यादा ऊंचा ले नई गिरे हे । तेन मा दू झन निपट गे रिहिन हे । तै ज्यादा हेलिकाफ्टर के शौक थोड़ी करथस ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- झन चढ़बे तैं । माननीय मंत्री जी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि ये जो फालतू के हेलिकाफ्टर आकर घूम रहे हैं, बड़ी-बड़ी एजेंसियां घूम रही है, किराये का हेलिकाफ्टर यहां पर चला रही है, उनका एक बार मान्यता देख लें, उनके एक बार सिस्टम को चेक कर लें, सिक्यूरिटी सेफ्टी को चेक कर लें, वह किसके कारण आ रही है, कौन भेज रहा है, कौन उसको ला रहा है, कहां भुगतान हो रहा है, कितने आवर्स की फ्लाईंग है और उसका रेट क्या है, उन सारी चीजों पर जाना नहीं चाहता । एक बार कम से कम उनकी सेफ्टी का निर्धारण कर लें, क्योंकि पुख्ता यह बात है कि उनको ज्यादा पैसा देकर अमानक हेलिकाफ्टर का यहां उपयोग किया जा रहा है, जिनके पास फ्लाईंग लायसेंस नहीं है, जो पुराने हेलिकाफ्टर हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है । माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय देवेन्द्र यादव जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एखरो बर कुछ प्रावधान करना है ।

श्री सौरभ सिंह :- रामकुमार के शादी बर कुछ प्रावधान नहीं है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- एड करवाना है ।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं अनुपूरक बजट के मांगों के समर्थन में कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ । पिछले चार वर्षों में मूलत: माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में जो प्रदेश सरकार की कार्यशैली है, उसको देखकर अंतर समझ आ जाता है । यह अंतर वैचारिक रूप से जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, उसकी कार्यशैली को अलग बताता है, जो हमारे विपक्ष के साथी है, उनकी नीति निर्धारण और कार्यशैली रही है, उसको अलग बताता है । आप पिछले चार वर्षों को देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि किस तरीके से एक-एक व्यक्ति पर ध्यान देकर उनके जीवनशैली में उठाव आये, उस नीति के तहत यह सरकार काम कर रही है । आरंभ से ही किसान को हमेंशा यह कहा जाता रहा है कि यह विपक्ष का मुद्दा है, इस सरकार ने किसान को सरकार का मुद्दा बनाया, यह सरकार किसान के पक्ष में है । ऐसी योजनायें और ऐसे कामों का क्रियान्वयन किया गया, जो कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में और देश के अंदर हमारी सरकार को किसानो की हितैषी सरकार के रूप में स्थापित की । चाहे समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे कर्जमाफी की बात हो, किसानी को अगर हम व्यापक रूप में देखें तो हमारे जो वनोपज हैं या हमारी और जो किसान से जुड़ी हुई चीजें हैं, अरहर, मूंग, उड़द आदि को एम.एस.पी. में सम्मिलित किया जा रहा है । इस तरीके से वनोपज की खरीदी हो रही है, आदिवासियों को उसका लाभ मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिल रहा है । छत्तीसगढ़ कहीं न कहीं देश के अन्य राज्यों में जिसकी राजधानी को लेकर भी लोगों को जानकारी नहीं रहती थी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ को आज पूरा देश उनकी योजनाओं के कारण जाना जा रहा है । छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी होती है तो हमारे विपक्ष के मित्र उसको राजकीय चिन्ह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

घोषित करने की मांग करते हैं, उपहास करते हैं, लेकिन उनकी ही अन्य राज्यों की सरकार इस योजना को अपनाती है । इससे डिफरेंस दिखता है, हमारी कार्यशैली में और उनकी कार्यशैली में अंतर दिखता है । आज मैं देखता हूं कि एक तरफ विपक्ष के लोग आरोप के बाण चलाते हैं। वह बहुत मजबूती से कहते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं कि हम यह नहीं कर रहे हैं, वह नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं इनकी बात सुनता हूं तो मुझे लगता है कि इनकी बातों में शायद कहीं कोई गंभीरता है इसलिए यह बड़ी मजबूती से बात रख रहे हैं, लेकिन बात रखते वक्त, आरोप लगाते वक्त यह गंभीर दिखते हैं। जब इनकी नैतिक जिम्मेदारी की बात आती है कि यह छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, तब इनकी नैतिकता और आवाज नहीं निकलती। जब जी.एस.टी. की बात आती है कि जी.एस.टी. का पैसा केन्द्र सरकार क्यों नहीं दे रही है? तब इनकी आवाज नहीं निकलती है। मैं इनके हर विषय का इनके साथ खड़े होकर समर्थन कर देता अगर यह जी.एस.टी. के पैसे के लिए और धान खरीदी में जो हमारा समर्थन मूल्य है, उस पर जो केन्द्र सरकार रोक लगाती है, उसके खिलाफ यह छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मांग कर देते तो समझ में आता कि नहीं यह एक व्यापक सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए चाय की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में और पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर व्यवस्था की गई है, कृपया सुविधानुसार ग्रहण करें। आप अपना भाषण जारी रखें।

वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह समझ में आता कि व्यापक सोच के साथ राजनीति हो रही है। कोई एक मानसिकता, एक विचारधारा या एक नीति पर केवल आरोप लगाने की बात नहीं हो रही है। लेकिन जब-जब हमारे विपक्ष के मित्रों की बात सुनते हैं तो कहीं न कहीं यह महसूस होता है कि एक नीति निर्धारण से एक नेरेटिव बनाने के लिए ये एजेंडा बनाया जा रहा है। मैं सौरभ सिंह जी को सुनता हूं और उनकी प्रशंसा भी करता हूं और उनके पीछे भी प्रशंसा करता हूं। लेकिन आज उनको सुनकर वह आनंद नहीं आया जो पहले कभी आता रहा है। उन्होंने जो स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात उठाई, जिस तरीके से स्वामी आत्मानंद स्कूल खुलने से हजारों, लाखों परिवारों को लाभ हो रहा है, पूरे प्रदेश की जनता में जिस योजना को लेकर एक खुशी का माहौल है। जहां माननीय

मुख्यमंत्री जी जाते हैं वह सबसे पहले मांग आती है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाईये। यह एक सोच है। हो सकता है कि हम अच्छा सोच रहे हैं, उसमें कहीं कुछ कमी हो सकती है। लेकिन लेकिन उसको इस तरीके से आरोपित करना, उनके नाम को भ्रष्टाचार से जोड़ना आपकी यह सोच बताती है कि आपको किसी विषय से मतलब नहीं है। आने समय के लिए क्या नीति बन रही है, एक ऐसी कार्य प्रणाली बन रही है जिसको कोई सरकार नहीं रोक पायेगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल उसका एक उदाहरण है। आज हम सरकार में हैं, कल भी रहेंगे, 20 साल रहेंगे, लेकिन जब हम सरकार में नहीं भी रहेंगे तो आप भी सरकार में आ जाओगे तो स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद नहीं कर पाओगे, रोक नहीं पाओगे। यह कांग्रेस सरकार की नीति है, आपको यह समझना चाहिए। एक विचार दिया। कब से बात हो रही थी कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, शिक्षा का व्यापारीकरण बढ़ते जा रहा है, privatization बढ़ते जा रहा है। आप 15 साल सरकार में थे, आपको उस समय सोचना था। आपको नीति बनानी थी। आपको अच्छे स्कूलों का निर्माण करना था। अंग्रेजी माध्यम के और हिन्दी माध्यम के स्कूलों का निर्माण करना था, लेकिन आपने उसमें विचार नहीं रखा। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि यह सरकार उन सभी विषयों पर बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रही है जो आम आदमी की जरूरत है। पहला काम स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए जिससे गरीब आदमी भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, उसके लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, आप देखिये आज स्वास्थ्य योजना के माध्यम से कितने परिवारों का ईलाज हमारी सरकार कर रही है। केन्द्र सरकार की मदद से जो एम.बी.बी.एस. कालेज हमारे यहां खुल रहे हैं, उसका लाभ व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश को रहा है। हम उस पर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। यह बार-बार क्या कहते हैं कि केन्द्र सरकार पैसा देती है। केन्द्र सरकार अपने घर से निकालकर पैसा नहीं देती है, वह हमारी जनता का पैसा है, हमें वापिस करती है। ऐसा नहीं है कि केन्द्र सरकार पैसा रोक सके। आपको तो केन्द्र सरकार से यह पूछना चाहिए कि जो हमारा पैसा बचा हुआ है, वह क्यों नहीं दे रही है? वह भी देना चाहिए और देना पड़ेगा। जी.एस.टी. का पैसा रोक दिये हैं। धान खरीदी में यह रहते हैं तो स्वीकृति देते हैं और हम रहते हैं तो रोक देते हैं। यदि कहीं न कहीं समस्या है, तो वह नीति और नीयत में है। हमारी नीति स्पष्ट है, हमें Individual को आगे बढ़ाना है, एक-एक परिवार को ऊपर आने का मौका देना है। इनकी नीयत और नीति स्पष्ट है कि इनको सरकार बनानी है और सरकार बनाने के लिये जो भी कर सके, ये वह करते हैं। ठीक है अपनी-अपनी नीयत और नीति की बात है, हम अपनी नीयत और नीति के आधार पर काम कर रहे हैं और आप अपनी नीति, नीयत के आधार पर काम करिये। लेकिन मेरा सम्मानित साथियों से यह अनुरोध है कि कभी तो मुस्कुराकर बोलिये। भूमिहीन किसानों को सात हजार रूपये का सालाना दिया जाना, क्या यह पहले कभी हुआ था या पहले कभी सोचे थे? जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें युवाओं के लिये शुल्क माफ करना, आप लोग क्या यह कभी

सोच पाये थे? इसकी तो प्रशंसा कीजिये। आप प्रशंसा कीजिये क्योंकि शहरों के लोग कितने समय से पट्टे की मांग कर रहे थे, आज शहर के लाखों परिवारों को पट्टा मिल रहा है, उनको उनकी छत मिल रही है, आप इसकी तो प्रशंसा कीजिये।

सभापति महोदय, पहले, मैं एक घटना बताता हूं कि मेरे विधान सभा में एक छावनी क्षेत्र है, वह पिछले 60 सालों से बसा हुआ है, वहां बस्ती बसी हुई है। आज तक जब-जब पट्टे की, भूमि के हक की बात हुई तो यह बोल दिया जाता था कि सी.एस.आई.डी.सी. की जमीन है, इसका अधिकार नहीं है और इसका पट्टा नहीं मिल सकता, यह राजस्व में नहीं आता, यह वह करके बात हो जाती थी। लेकिन आप देखिये, जहां नीयत होती है, वहां समाधान निकल जाता है। सी.एस.आई.डी.सी. की जमीन पर भी जो काबिज बस्तियां थीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिलाई छावनी क्षेत्र में भी उसके पट्टे की घोषणा की और उनको पट्टा मिल रहा है। हमारे सत्तू भैया यहां उपस्थित नहीं है, उनके क्षेत्र में भी यह काम हुआ है। बात नीयत की है कि आप जनता को किस नीयत से देख रहे हैं और कितना हाथ फैला कर आप उनके कामों का समाधान करना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे प्रकरण है।

सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आदिवासी समाज को ऊपर उठाने के लिये लगातार काम कर रहे हैं। बस्तर में जो भेंट-मुलाकात का कार्यक्रम हुआ, जब सुकमा में झीरम काण्ड हुआ था, मैं भी उस समय वहां उपस्थित था, उस समय के बस्तर को याद करता हूं और आज के समय के बस्तर को देखता हूं, तो दोनों में बहुत परिवर्तन आ चुका है। आज बस्तर में लोग कहीं न कहीं घूम पा रहे हैं, आ जा रहे हैं। आप क्या-क्या बात करते हैं मुझे समझ नहीं आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी मन करें तो महंगाई पर भी बोल दो, महंगाई पर क्यों नहीं बोलते? हम लोग जब कॉलेज में थे तो उस समय सिलेण्डर 500 रूपये था, मैं उतना नहीं जान पाऊंगा। हां, मैं 2013 में कॉलेज में था।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- 492 रूपये था।

श्री देवेन्द्र यादव :- हां, 2013 में सिलेण्डर 492 रूपये था। अब सिलेण्डर कितना हो गया है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी 1033 रूपये हो गया है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- सभापति महोदय, वर्ष 2014 के पहले 6 सिलेण्डर दे या 9 सिलेण्डर दे करके जी.ओ.एम. (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर) बना था। 11 करोड़ लोगों को सिलेण्डर नहीं दे पा रहे थे। आप 2012-13 को देखिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग 1100 रूपये में सिलेण्डर देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हो। यह बातईये कि आज का क्या रेट है ? आपके नेता लोग पहले सिलेण्डर लेकर जमीन में बैठ जाते थे और ठपली बजाते थे। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- श्रीमती स्मृति ईरानी और स्व. सुष्मा स्वराज जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- देवेन्द्र जी, एक समय था जब आपकी सरकार में लोग सांसदों के पीछे घूमते थे कि उससे गैस के कनेक्शन का कोटा ले ले। बी.जे.पी. सरकार के आने के बाद यह वेटिंग समाप्त हो गयी। आप जब चाहो सिलेण्डर ले सकते हो।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, ओ ले तेला फिर ..। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- साल में 6 सिलेण्डर या 9 सिलेण्डर देना है इसके लिये मंत्रियों की कमेटी बना दी।(व्यवधान)

सभापति महोदय :- शर्मा जी, कृपया बोलने दें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- डीजल, पेट्रोल का दाम भी बढ़ा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शर्मा जी, कृपया स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- हमे इस बात की खुशी है कि महंगाई की बात हुई तो आप उठें। महंगाई की बात हुई तो आप खड़े तो हुए। आप .. में उठे तो। (व्यवधान)

सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, इनके समय में कोटा से सिलेण्डर मिलता था और सांसदों को कोटा से पेट्रोल पम्प एलॉट होता था। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अभी सिलेण्डर भरा नहीं पा रहे हैं, ऐसी खाली पड़ा है, .. हिला-हिला कर दिखा रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से बात न की जाये।

श्री सौरभ सिंह :- आपकी सरकार ने .. करके अपनी सरकार बचाई थी।

श्री नारायण चंदेल :- चौबे जी, जब से ... मिला। उस समय से सांसदों को कोटा समाप्त हो गया। यह अटल जी की सरकार ने किया।

सभापति महोदय :- माननीय चंदेल जी।

श्री सौरभ सिंह :- उस समय सांसदों को पेट्रोल पम्प का और गैस सिलेण्डर का कोटा होता था।

श्री नारायण चंदेल :- इन्हें अटल जी ने खुल बाजार में लाया है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, महंगाई पर बात हुई तो मित्रों को आनंद आ गया। मित्र अपनी कुर्सी से खड़े होकर चिल्लाये तो यह लग रहा है कि यह अपनी नीति पर ही चल रहे हैं कि सच को छिपाना है और झूठ का प्रचार करना है। इसलिये यह हल्ला करके, हमेशा सच को छुपाने की कोशिश करने का काम करते हैं। लेकिन जनता माफ नहीं करेगी। यह जनता देख रही है।

श्रीमती रंजना डिपेन्द्र साहू :- आप ई.डी. से डरें और धरना दीजिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- यह जनता देख रही है। आज पेट्रोल डीजल का क्या हाल है ?

अप्रवर्तित/असंशोधित के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- माननीय देवेन्द्र जी, एक बहस करा लेते हैं कि आप यहां पर वेट का कितना प्रतिशत टैक्स लेते हैं ? पेट्रोल, डीजल जी.एस.टी. में नहीं आता। वेट आता है। हम बहस कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ किस नंबर पर आता है और आप कितना वेट टैक्स लेते हो ?

संसदीय सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री से संबंद्ध (श्री यूडी.मिंज) :- अभी तो आप लोगों ने रेलवे में भी हमारे सयाने लोगों को नहीं छोड़ा है। जो उनको सीनियर सिटीजन की छूट मिलती थी, वह नहीं मिल रही है। आप लोग बुजुर्गों के साथ क्या ज्यादती कर रहे हो।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, आज रेलवे में सीनियर सिटीजन को छूट मिलती थी, वह भी ले लिये। आप एक निन्दा प्रस्ताव तो पारित कर दीजिए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, एक चीज के लिए 10 बार जी.एस.टी. लगा रहे हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- अगर हिम्मत है तो केन्द्र सरकार को हमारे साथ महंगाई के खिलाफ, समर्थन करके, एक पत्र तो भेज दीजिए। तो हम मान जाएंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता का हित सोचते हो। आप क्या वेट टैक्स की बात करते हो। हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। हम भी पढ़ते आये हैं जब क्रुड ऑयल का रेट बहुत कम था तब भी तो आप रेट कम नहीं कर रहे थे। तो ऐसा है कि यह सोच की बात है। अगर आज बहुत ज्यादा नीति और नियत की बात करते हो तो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आप लोग क्या कर रहे हैं ?

श्री सौरभ सिंह :- छत्तीसगढ़ सरकार ने कितनी बार पेट्रोल का रेट कम किया? और पेट्रोल का रेट कितना कम किया ? सारे राज्यों की सरकार ने, आपकी राजस्थान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल का रेट कम किया। आपने पेट्रोल का रेट कितनी बार कम किया ? हम यहां मध्यप्रदेश की चर्चा की नहीं कर रहे हैं। हम हमारे छत्तीसगढ़ की चर्चा कर रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ में कितनी बार पेट्रोल, डीजल का रेट कम किया ? यहां पर मध्यप्रदेश की चर्चा नहीं हो रही है। यह मध्यप्रदेश का सदन नहीं है। यह छत्तीसगढ़ का सदन है और छत्तीसगढ़ की जनता का सदन है। यहां छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही है।

डॉ. विनय जायसवाल :-, मध्यप्रदेश में पेट्रोल, डीजल का रेट क्या है ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मोदी जी ने कोई गुंजाईश ही नहीं छोड़ी है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सौरभ भईया, मध्यप्रदेश में पेट्रोल, डीजल का रेट क्या है, यह बताईये ? और छत्तीसगढ़ में क्या है ?

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यही समस्या है। जब हम सच सामने लाते हैं तो यह बहुत चिल्ला-चिल्ला कर सच को छुपाने की कोशिश करते हैं।

श्रीमती रंजना डिपेन्द्र साहू :- आप तो सच बोलने पर भी चिल्लाते हैं। जहां पर सच बोलना है तब भी आप चिल्लाते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, इनके नेता कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज देख लीजिए एयरपोर्ट, हमारी पी.एस.यूस्., हमारे रेलवे स्टेशन क्या बच रहा है ? आप जवाब दीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- आज माननीय धर्मजीत सिंह जी का हसदेव क्षेत्र का अशासकीय संकल्प है, आप उसमें जवाब दीजिएगा। आप कृपापूर्वक उसमें बोलिएगा।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी।

श्रीमती रंजना डिपेन्द्र साहू :- माननीय देवेन्द्र जी, आप चिंता मत करिये। अब यहां भी अडानी, अंबानी सीमेंट फैक्ट्री में आ गये। आप चिंता मत करिये।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य यादव जी, आपको 15 मिनट हो गये हैं।कृपया संक्षेप करें।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस चर्चा में विपक्ष के लोग हिस्सा ले रहे हैं मतलब हम उनकी नीति के खिलाफ जा रहे हैं इसलिए वह चिल्ला रहे हैं।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षेप में करें।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, लेकिन मैं विपक्ष के साथियों को यह कहना चाहता हूँ कि वह जिस फोरम, जिस विषय पर जब भी चर्चा करें, हम चर्चा से भागने वालों में से नहीं है। चर्चा, संवाद से कोई भागता है तो इनके नेता भागते हैं। पिछले 7-8 सालों में आज तक प्रेस कॉन्फ्रेन्स भी नहीं हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेन्स हुई है क्या ? यदि हुई है तो आप बता दीजिए ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- नहीं।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन रेडियो में गोठियथव बस।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, प्रेस कॉन्फ्रेन्स नहीं हुई है इसलिए हमारे सामने यह बातें न करें। आप कहीं और जाकर करिएगा। यदि मैं और बहुत सारी बातें कहूंगा तो आपके पास जवाब नहीं रहेगा।

श्री सौरभ सिंह :-वर्ष 2014 में आपके नेता ने अरूणा गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था। उसके इंटरव्यू के बाद साफ हो गये। उस इंटरव्यू को एक बार यू-ट्यूब में दिखवा दीजिए। अरूणा गोस्वामी के इंटरव्यू बाद 10-20 सीट में निपटा दिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, वह तो आपके आदमी हैं। यही डर से आप इंटरव्यू नहीं देते क्या ? आप इसी डर से आपके नेता इंटरव्यू नहीं देते क्या ?

सभापति महोदय :- आप कृपया समाप्त करिये।

श्री सौरभ सिंह :- हमारे नेता क्या करते हैं। दूसरी बार सरकार में आपका क्या हाल है, आप देख लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा :- अगर सौरभ सिंह जी, 8 सालों में कुछ किया होता तब तो कुछ प्रेस के सामने आते। हमारे मुख्यमंत्री जी तो हर दूसरे दिन प्रेस के सामने आते हैं।

श्री सौरभ सिंह :- आदरणीय आप मत बोलिए। [4][XX] के नाम से, आपका कम से कम एक फोटो देख लीजिए[XX] [XX] के साथ। नहीं तो [XX] [XX] [XX] आपको टाईम नहीं देते। [XX] के नाम से कम से कम आपकी एक फोटो तो आनी चाहिए।

श्री अरूण वोरा:- देखिए, वह हमारे नेता हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, इस तरह से नामों का उल्लेख कर रहे हैं। यह असंसदीय है। इसे विलोपित करना चाहिए।

सभापति महोदय :- कृपया माननीय सदस्य व्यवधान न करें। जो नाम लिये गये हैं उसे विलोपित किया जाए। माननीय देवेन्द्र यादव जी संक्षिप्त करें।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, अगर मैं नाम लेने लग जाऊं, उद्योगपतियों को कितना सहयोग कर रहे हैं। सभापति महोदय, बस एक मिनट में मैं भाषण खत्म कर रहा हूं। इनकी सरकार, इनके नेता उद्योगपतियों से कितना प्रेम करते हैं, मैं परसों का पेपर देख रहा था, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उनके करीबी मित्र हैं या क्या हैं, सहयोगी हैं, वह हम नहीं जानते, आदरणीय अडाणी जी, पूरे विश्व में अमीरों की श्रेणी में चौथे नंबर पर आ गये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- एक ही साल में दोगुना।

श्री देवेन्द्र यादव :- एक ही साल में दोगुना। सभापति महोदय, इससे नीति और नियत समझ में आती है। आप अपनी नीति और नियत को सुधारिये। हम छत्तीसगढ़ की जनता के विश्वास से आए हैं। ऐसे नहीं आए हैं। 71 लोगों का समर्थन है और इससे मजबूती से दोबारा आएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं इस अनुपूरक का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- माननीय श्री पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री रामकुमार यादव :- बबा, सही ला गोठयाबे। तै नेता आदमी अस।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, आपका राजस्व का बजट 85 प्रतिशत है लेकिन खर्च शून्य है। शून्य का मतलब यह बताना चाहूंगा कि बहुत कम खर्च है। सरकार समाज और प्रदेश के लिए खर्च नहीं कर रही है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने वाली सरकार 2500 रूपये देने में नाकाम रही है। इसमें अगर बजट देते तो अच्छा रहता।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- बबा, महंगाई के खिलाफ जरूर बोलबे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हां, महंगाई के बारे में बोल रहा हूं।

---

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

श्री रामकुमार यादव :- बबा, ओ अग्निवीर के बारे में बोल देते।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप खाद्य मंत्री तो हैं साथ ही उपभोक्ता संरक्षण मंत्री भी हैं। उपभोक्ता काम करो पोकता और महंगाई हो जाएगा सोकता। क्यों हो जाएगा क्योंकि जहां-जहां कालाबाजारी हो रही है, चाहे खाद, चावल, सब्जी, तेल में हो या अन्य सामग्री हो, आप वहां पर छापा मरवाते, इससे स्टॉक लिमिट होता तो आपका काम हो जाता। आपके पास महंगाई रोकने का तरीका है। आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। सरकार को इनका उपयोग करना चाहिए। अगर सरकार को डीजल और पेट्रोल की महंगाई रोकनी है तो उसका वैट टैक्स कम करना चाहिए। उनको अन्य राज्यों का उदाहरण न देकर वैट कम करना चाहिए जिससे यहां के लोगों को राहत मिलेगी।

श्री नारायण चंदेल :- एक मिनट, अमरजीत जी, इन्होंने कहा है, काम करो पोकता, हिसाब करो चोकता।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति जी, डीजल, पेट्रोल और महंगाई को रोकना जो दिल्ली में बैठे हैं, उनके हाथ में है। ओ रोके तब तो।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- महंगाई रोकना भी आपके हाथ में है। उपभोक्ता फोरम में अच्छा काम कर सकते हैं, मैं भी उस विभाग में मंत्री रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं, आप उस बात को ध्यान दीजिए। आप हर बात में खड़े हो जाते हैं, महंगाई में भी खड़े होकर काम करें। सरकार गोबर खरीदती है, 100 करोड़ रूपये की गोबर खरीदी हो रही है और 125 करोड़ रूपये ज्ञापन में खर्च हो रहा है। सरकार कर्मचारी आंदोलनरत हैं, उनको राशि देते तो उनका भला होता। बिजली और ट्यूबवेल लगाने में भी समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि ट्यूबवेल का कनेक्शन देने में और विद्युतीकरण करने में एक हजार प्रकरण लंबित है। एक उदाहरण मैं मुंगेली का देना चाहूंगा। ट्यूबवेल और विद्युतीकरण में एक हजार से ज्यादा कनेक्शन दे नहीं पा रहे हैं। एक वर्ष में एक बजट सत्र में मात्र 147 लोगों को कनेक्शन दिया है। ऐसे में चार साल में नहीं दे पाएंगे। इनके कनेक्शन के लिए भी बजट में राशि होती तो इस अनुपूरक बजट का उपयोग होगा। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के मामले में चाहे बठेना की घटना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में तीन लोगों की जघन्य हत्या, जलाकर मार डालने की घटना घटित हुई। बलौदाबाजार क्षेत्र के कोसी गांव में भी एक नाबालिग की हत्या करके कुएं में फेंकने की घटना घटित हुई। सरकार नाकाम है। आयुष्मान भारत योजना में जो पांच लाख रूपये देने का प्रावधान है, उसको सरकार प्राईवेट अस्पतालों में नहीं देती है जिससे लोगों को ईलाज कराने में परेशानी होती है और लोग इधर-उधर भटक रहे हैं। कई बच्चों के ऑपरेशन का है, उसके लिए सरकार पैसे नहीं देती है। हार्डअटैक की बीमारी है। जो कम पैसे में ईलाज हो जाता है, उनके लिए भी सरकार पैसा दे जिससे लोगों का हित हो सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में सड़क बनाये जा रहे हैं। सड़क बनाने का प्रावधान पिछले 2, 3, 4 सालों से है। बजट से

निकाल दिया गया, दो साल से बजट में है। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों की सड़क के लिए राशि नहीं दी गयी है, जिससे वे वंचित हैं और सड़क नहीं बन रही है। गांव के हर क्षेत्र की सड़क में गड्ढे पढ़ गये हैं, हमारी सरकार ने जो सड़कें बनाई थी, उस सड़क में गड्ढे पड़ गये हैं। आवागमन की सुविधा अवरूद्ध हो गयी है। इसमें अगर सरकार दे तो अच्छा होगा। खाद की जो समस्या है, खाद के लिये ज्यादा देते तो लोगों को खाद मिलता। बीज आप समय में नहीं देते। अगर बीज भी आप पहले उपलब्ध करा देंगे तो लोगों को बीज मिलेगा। लोगों को सहूलियत होगा। जिसे आम लोगों को अच्छा लगेगा। सरकार को आर्शीवाद देंगे। लेकिन इस तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। अगर मैं कहूं कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में, गांव में पीने की पानी की व्यवस्था, चाहे जल ग्रहण मिशन के लिये, उसमें में भी बजट में कम राशि दी गई है। जिससे 2023 तक बन जाना था, परंतु 2022 में अभी तक आधा नहीं हुआ है, कम हुआ है। आपका जल संसाधन विभाग में भी राशि नहीं है इसमें भी पर्याप्त राशि के लिये मैं जल संसाधन मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इसमें भी वह कहते तो अच्छा रहता। और बात कहूं तो 15वें वित्त का जो पैसा है उसको दूसरे मद में खर्च कर दिया गया। गौठान के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बात बना रहे हैं गौठान, पर राशि का नहीं है प्रावधान। कैसा है आपका ये बजट ?यह तो हमें सोचने की आवश्यकता है। इन बातों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है ऐसा मैं आपसे कहना चाहूंगा। इन बातों को लेकर अगर हम कहें तो शिक्षित बेरोजगारों के बाद लोगों को नशा मुक्ति केंद्र, जैसा आप कहते हैं कि नशाबंदी करेंगे, परंतु तीन साल हो गये हैं नशाबंदी नहीं हुई है। अगर नशाबंदी नहीं कर सकते हैं तो नशा मुक्ति अभियान चलाया जाये। नशा मुक्ति के लिये प्रशिक्षण दिया जाये । नशा छुड़ाने के लिये,दवा -पानी के लिये व्यवस्था होती तो लोगों को व्यवस्था होती । इस बात को भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, मैं मुंगेली जिले की बात करूं। मुंगेली विधानसभा है। जब 3 साल पहले पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व पंचायत मंत्रीगये थे, माननीय डहरिया जी भी गये थे, उन्होंने जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन लगाने कीघोषणा की थी, परंतु तीन साल में अभी तक सीटी स्कैन मशीन नहीं लगा है,और क्या बात कहूं । मुंगेली जिले के खुड़िया बांध के पानी को पर्याप्त मात्रा में लाकर के पाईप लाइन द्वारागंदगी को ठीक करने के लिये, पीने के लिये स्वच्छ जल देने के लिये, नगर निगम, मुंगेली तक पहुंचाने की बात थी, वह भी इसमें नहीं किया गया है। महाविद्यालय खोल तो दिये गये हैं पर वहां के महाविद्यालय के भवन के लिये राशि नहीं दी गई है। ऐसे अनेक कार्य हैं जिससे लगता है कि सरकार नाम की चीज नहीं है। बजट में सिर्फ दिखावा है। इसलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय :- श्री शैलेश पाण्डेय जी।

श्री शैलेश पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है उसकी मांगों के संबंध में मैं अपनी बात रखूंगा। माननीय सभापति

महोदय, सरकारें सभी चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी 15 साल हमारे प्रदेश में अभी रही है और हमारी सरकार भी वर्ष 2018 के बाद प्रदेश में है। हर समय की जो प्राथमिकतायें होती हैं, किसी भी सरकार का जो बजट होता है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पाण्डेय जी, 15 साल के पहले भी तो आपकी सरकार थी।

श्री शैलेश पाण्डेय :- अभी लेटेस्ट का लेते हैं। इस 15 साल का आपको याद होगा या रहेगा इसलिये ले रहा हूं क्योंकि उसके पहले का नहीं ले रहा हूं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- गुलाम वंश तक नहीं जायेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा, शैलेश जी दिल से बोलो।

श्री शैलेश पाण्डेय :- दिल से बोलेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप पक्ष में हैंक्या?

श्री शैलेश पाण्डे :- क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- शैलेश जी दिल से बोलो। अंतर्रात्मा से बोलो, आप इसके पक्ष में हैं क्या ?

श्री शैलेश पाण्डेय :- किसके?

सभापति महोदय :- शर्मा जी कृपया बैठिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये 69 वाले में हैं। कंफर्म है।

श्री सौरभ सिंह :- आप 69 में हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :-71 वाले में है। सभापति महोदय, प्रदेश जिस स्थिति में था, उस स्थिति से 15 साल आपने काम किया। आपने काम करके जो प्राथमिकतायें सेट की है । आपने जो बजट बनाये हैं। आप जो बजट लाये हैं। आप जो योजनायें लाये हैं। उन योजनाओं में ....।

श्री नारायण चंदेल :- पाण्डेय जी, इन लोग बोल रहे हैं कि अंतर्रात्मा की आवाज आपको छूकर निकल गई। (हंसी)

श्री शैलेश पाण्डेय :-माननीय सभापति महोदय, जो बजट बनाये हैं उन बजट में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति थी,उस स्थिति में आपने काम किया । आप 15 साल, जो बजट काएक सेट फिक्स किये थे, उसी सेट में आप 15 साल काम करते रहे हैं। आपने कभी यह नहीं सोचा कि प्रदेश में स्कूलों का क्या हाल है ? प्रदेश में आदिवासियों का क्या हाल है ? आपने यह कभी नहीं सोचा कि प्रदेश में किसानों का क्या हाल है ? क्यों ? क्योंकि आपका जो माइंडसेट और आपकी जो विचारधारा थी वह अलग थी । आपने 15 साल जो कमियां की, हम लोगों ने उन कमियों को ही तो टारगेट किया, हमने उन आवश्यकताओं को ही तो टारगेट किया और हमने उन आवश्यकताओं को टारगेट करते हुए, छत्तीसगढ़ की जनता को टारगेट करते हुए, उनकी जरूरतों को टारगेट करते हुए हमने अपना बजट प्रावधान किया ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, यदि हम बजट की बात करते हैं तो वर्ष 2019-20 की बात करते हैं । उस समय पहले साल हमारा राजस्व व्यय 80 प्रतिशत था और हमारा पूंजीगत व्यय लगभग साढ़े 9 प्रतिशत था । यदि हम वर्ष 2020-21 की बात करते हैं तो राजस्व व्यय 73 प्रतिशत था और पूंजीगत व्यय फिर से साढ़े 9 प्रतिशत था । यदि हम वर्ष 2021-22 की बात करते हैं तो हमारा राजस्व व्यय 77 प्रतिशत था और हमारा पूंजीगत व्यय लगभग साढ़े 11 प्रतिशत था । माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरे, प्रदेश में ऐसी योजनाएं लागू की जायें जो कि ग्रामीण क्षेत्र में भी उतनी ही असरकारक हो जिससे कि वह अपना जीवनयापन, अपना स्तर सुधार सकें । अगर हम भारत सरकार के बजट की बात करते हैं, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारत सरकार का बजट लगभग-लगभग 39 लाख करोड़ रूपये है और उस 39 लाख करोड़ रूपये में जो लोन की राशि है वह लगभग-लगभग 35 प्रतिशत है यानी कि भारत सरकार 39 लाख करोड़ रूपये का जो बजट अचीव करती है उसमें 35 परसेंट लोन रहता है, कर्जा रहता है और इस कारण आज देश में जन्म लेने वाले बच्चे से लेकर बुजुर्ग आदमी तक लगभग 35,000 रूपये कर्ज में इस देश का हर नागरिक है । भारत सरकार की जो नीतियां हैं उसकी गलत नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है । आज हम इतना कर्जा ले चुके हैं कि हम देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, आज हम इतना कर्जा ले चुके हैं कि हम देश को बेचने में लगे हुए हैं । देश की जनता की गाढ़ी कमाई से जो चीजें बनायी गयी हैं, चाहे वह रेल्वे हो, चाहे वह हवाई सेवा के हवाई अड्डे हों, चाहे वह एल.आई.सी. हो, चाहे वह कोई भी सेक्टर हो ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- पाण्डे साहब, आप प्रदेश की चर्चा करिये न ।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मोदी सरकार ने ऐसे 17 सेक्टर आईडेंटीफाई किये जिनको वे प्राईवेटाईजेशन की ओर लेकर गये । प्रमोद भाई, मैं इस बात को इसलिये रखना चाहता था कि हम बजट किस प्रकार से बनाते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- पाण्डे साहब, हम लोग यह देखना चाहते हैं कि आपको कितने दुखी मन से इस सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी । हम आपके चेहरे का भाव देखना चाहते हैं ।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, हम अपना काम नहीं देख पा रहे हैं, हम अपना तरीका नहीं देख पा रहे हैं, हम अपनी सरकार का काम नहीं देख पा रहे हैं, हम कांग्रेस की सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ? उसकी जरूरत क्या है ? आप अपनी अच्छी बात रखिये । आप लोग 15 साल रहे ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- पाण्डे जी, हम लोग देख रहे हैं कि आपको कितने दुखी मन से इस सरकार की तारीफ करनी पड़ रही है ।

सभापति महोदय :- शर्मा जी कृपया बैठिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा ।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं बिल्कुल सच्चाई से तारीफ कर रहा हूं । आप चिंता मत करिये । माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि वर्ष 2014 का चुनाव आया और आपने पूरे देश में एक नारा दिया कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार । यही आया था न ? वह वर्ष 2014 में तब आया था जब साढ़े 400 रूपये का सिलेण्डर मिलता था । आदरणीय देवेन्द्र भाई ने अभी इस बात का उल्लेख किया है । जब उसकी कीमत साढ़े 400 रूपये हुई थी तो वही स्मृति ईरानी मेडम चौक-चौराहों में सिलेण्डर लेकर बैठ गयीं थीं । अजय चंद्राकर जी हमारे बड़े भाई हैं, आज वे मुख्यमंत्री जी को शिक्षा दे रहे थे, अच्छी बात है, बोलते रहना चाहिए कि आपकी गरिमा के अनुकूल है कि नहीं है ? आप अपना समय याद करिये न जब डीजल की कीमत थोड़ा सी 2 रूपये बढ़ गयी थी तब आपने भी तो पूरे शहर भर में मुख्यमंत्री को साईकिल चलवा दी थी । क्या वह गरिमा के अनुकूल था ? नहीं था । आप जो करें वह सब सही था, ये जो कुछ करें, हम जो कुछ करें वह सब गलत । ऐसा नहीं होना चाहिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप साईकिल से रोज बिलासपुर से आओ, हमको क्या लेना-देना है ? हम तो बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो । देखिये, पेट्रोल-डीजल ये सब चीजें महंगी हैं इसको सब लोग मान रहे हैं उसके बाद भी गाड़ी की कमी नहीं है । सभी के घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- पाण्डे जी, ई.डी. के विरोध में पण्डाल मत लगाओ, महंगाई के विरोध में पण्डाल को लगाओ न ।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं वही कहना चाहता हूं कि आप महंगाई की बात करते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप महंगाई के खिलाफ जुलूस नहीं निकालते, ई.डी. के खिलाफ जुलूस निकालते हैं ।

श्री शैलेश पाण्डे :- 16 दिन हम लोगों ने आदरणीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में बिलासपुर में महंगाई के खिलाफ पदयात्रा निकाली। आपको याद होगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज एक गरीब आदमी, एक आम आदमी कैसे खाना खायेगा? आज आपने दूध में जी.एस.टी. बढ़ा दिया है। आप चाय में जी.एस.टी. बढ़ा रहे हैं। आपने रसोई गैस कितना महंग कर दिया है? पेट्रोल का दाम क्या हो गया है? डीजल का दाम क्या हो गया है और तो और अभी 2 दिन पहले फ्रंट पेज में न्यूज थी कि मिट्टी के तेल का दाम बढ़ा दिये। मतलब गरीब आदमी मिट्टी का तेल डालकर जल जाये, मर जाये, लेकिन जो केन्द्र की सरकार मोदी सरकार है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। (शेम-शेम की आवाज)

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- खिचड़ी खाये बर डॉक्टर हा बोलथे त गरीब आदमी हा खाये नहीं पाथे।

श्री शैलेश पाण्डे :- आपने मिट्टी के तेल का दाम बढ़ा दिया। आपने रसोई गैस का दाम बढ़ा दिया। ये क्या तरीका है? आपने ट्रेनें बंद कर दी। आपने ट्रेनें क्यों बंद कर दी? आपने कभी नीचे उतरकर

गरीब आदमी से पूछा कि वह अपना घर कैसे चलाता है? मैं एक अहिरवार परिवार को जानता हूं। वह बेचारा चर्मकार का काम करता है। मैंने उससे पूछा कि तुम रोज कितना कमाते हो तो वह बोलता है कि मैं डेढ़ सौ रूपये कमाता हूं। तो मैंने कहा कि 80 रूपये में सब्जी मिल रही है, टमाटर इतना महंगा है, कैसे खाओगे? बोलता है का करो बाबू जो मिल जाता है, वह लेकर घर चला जाता हूं। बताइए। दिल्ली वालों को नहीं दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता कितनी परेशान है? आपने ट्रेनें बंद कर दी। आप एकदम तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि ट्रेनें बंद। ये क्या तरीका है?

श्री सौरभ सिंह :- आप तो जाकर चालू करवा लिये महाराज। आपने तो पेपर में छपवाया। आपने तो प्रतिवेदन दिया। आपके कहने पर तो जी.एम. ने आपकी बात मानी और ट्रेन को चालू कर दिया।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- महंगाई से जनता कर्ज में डूब रही है और कर्ज में डूबकर सोसाइड कर रहे हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- हमारा काम है कि हम जनता की बात सुनेंगे। जनता की बात रखने जायेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- आदरणीय, आप अपनी सरकार की उपलब्धियों को बोलिये। आपकी सरकार में अगर साढ़े 3 साल में कोई अच्छा काम है तो उसे बोलिये। आप केन्द्र सरकार को कहां यहां धरकर ला रहे हो। साढ़े 3 साल में जो आपने अच्छा कार्य किया है, उसे बोलिए न। अगर किया है तो उसे बोलिए। आप बार-बार केन्द्र सरकार बोल रहे हैं। यह लोकसभा का बजट नहीं है। लोकसभा में चर्चा नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- मतलब आप सहमति दे रहे हैं।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अच्छा करती है, उसको तो रोकती है।

श्री शैलेश पाण्डे :- सौरभ भैया, अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। हम आपकी बुराई नहीं करेंगे। चलिए, हम अपनी बड़ाई करना शुरू करते हैं तो बड़ाई सुनिए। ठीक है अब आपको यह अच्छा लगता है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य व्यवधान न करें।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने वह काम किया, इनकी 15 साल की सरकार ने न जनता की इज्जत की और न ही जनप्रतिनिधियों की इज्जत की। हमारी सरकार के पूरे साढ़े 3-4 साल हो गये हैं, हम किसानों की इज्जत करते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा काम क्या होता है, खेती होती है। हमारी सरकार ने किसान का सम्मान किया। 2500 रूपये समर्थन मूल्य में हमने धान खरीदा। आपने 2500 रूपये समर्थन मूल्य में रोड़ा लगाया तो भी हमने उन्हें राजीव गांधी न्याय योजना लाकर 2500 रूपये दिया। हमने दिया या नहीं दिया। 22 लाख किसान पंजीकृत हुए। हुए या नहीं हुए।

श्री शिवरतन शर्मा :- पाण्डे जी, आज ही मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि वर्ष 2019-20 में 85 रूपये कम दिया। वर्ष 2020-21 में 32 रूपये कम दिया। उसको देंगे क्या तो जवाब नहीं आया। ये 2500

रूपये का झूठा आंकड़ा मत बताओ। आज के प्रश्न के उत्तर में आया है। माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, आप पूछ लो। (व्यवधान)

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- किसान को मालूम है कि उसे मिला या नहीं मिला।

श्री शैलेश पाण्डे :- आप लोग तय कर लीजिए कि क्या बोलना है। आप जो बोलो, वह बोले।

श्री शिवरतन शर्मा :- जो बोलो सत्य बोलो, झूठ मत बोलो।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य कृपया अपने में संवाद न करें।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- मिला है। किसानों को पता है कि कितना मिला है।

श्री सौरभ सिंह :- आप अपनी आत्मा की आवाज से बोलो।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- पाण्डे जी, आपको स्पष्ट बोलना है।

श्री शैलेश पाण्डे :- हमारी सरकार ने 2500 रूपये समर्थन मूल्य दिया। हमारी सरकार ने प्रदेश के जितने भी सरपंच हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत स्तर के हों, चाहे नगरीय निकाय के हों, अगर उनका वेतन बढ़ाया, उनका मानदेय बढ़ाया, उनकी निधि बढ़ायी तो यह सम्मान यदि सबसे ज्यादा किसी ने बढ़ाया तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाया। (मेजों की थपथपाहट) भूपेश बघेल जी की सरकार ने बढ़ाया। हमने ये अच्छा काम किया। आपने उसकी तारीफ नहीं की। विधायक निधि को एक करोड़ रूपये से चार करोड़ रूपये कर दिया। जनप्रतिनिधि का सम्मान किया। विधायकों का सम्मान किया। आप यह बात बाहर क्यों नहीं बताते? हमारी ताकत और हमें सशक्त बनाया तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने बनाया। आपने कभी क्यों नहीं बोला? नहीं बोला। अच्छी बात नहीं बोलेंगे। क्योंकि उनका धर्म विरोध करना है । माननीय सभापति महोदय, मेरे बहुत सारे मित्रों ने स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात की। आप बताइए। क्या हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश में कितनी माताएं हैं, जिनके पति नहीं है। कितने ऐसे बच्चे हैं, जिनके बाप नहीं हैं। क्या हम जानते हैं कि वह कैसे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती होगी? कैसे फीस दे पाते होंगे? आपने कभी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर गरीबों को लेकर वह संवेदनशीलता कभी नहीं थी । अगर हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले हैं तो यह हमारी सरकार की उपलब्धि है । आज मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि मैं पन्द्रह दिन पहले एक स्वामी आत्मानंद स्कूल में गया था, आप भी सुनिये । उस स्कूल का विजिट करके बाहर निकला ही था तो स्कूल के सामने सड़क पर एक कर्मकार जो शू-मेकिंग का काम करता है । उसने मुझे बुलाया, विधायक जी इधर आइए । मैं गया उसके पास जमीन पर बैठ गया तो उसने कहा मेरी बेटी को 11वीं क्लास में इंग्लिश मीडियम में एडमीशन करवा देते तो बहुत अच्छा होता । एक शिल्पकार, एक चर्मकार, शू-मेकिंग का काम करने वाले व्यक्ति ने सपना देखा कि एक बेटी को जो बायोलॉजी संकाय की थी, उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं, मैंने उसी वक्त प्रींसीपल साहब को बुलाया और उस शिल्पकार के बगल में बिठा दिया, मैंने कहा कि इसके पास बैठो और इसकी बात सुनो, ये पति-पत्नी

क्या बोल रहे हैं ? प्रिंसीपल ने आश्वासन दिया कि अगर नियमों के अंतर्गत होगा तो मैं जरूर कर दूंगा और मुझे बहुत खुशी हुई कि नियमों के तहत् वह हुआ और उस शिल्पकार की बेटी का 11वीं कक्षा में आत्मानंद स्कूल में एडमीशन हुआ । यह हम सबके लिए खुशी की बात है । यह केवल सरकार की नहीं, पूरे प्रदेश की जीत है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- पाण्डे जी, कौन से नियम से हुआ, इसको थोड़ा बताएंगे ? आपने सदन में बोला है । स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमीशन का जो नियम है, वह किस नियम के तहत् हुआ है उसको जरूर बताएंगे । (व्यवधान) इसका नियम आप जरूर बताएंगे ?

श्री शैलेश पाण्डे :- उनको शर्म नहीं आई । पूरे प्रदेश में 3000 आदिवासी स्कूल बंद कर दिये । आप कभी यह नहीं पूछते कि रोजगार का क्या हुआ, आप यह कभी नहीं पूछते कि आई.टी. कम्पनी क्यों नहीं आ रही है ? आप विरोध करते हैं शराब का, दारू का । आपको यह सब बातें करने में बहुत मजा आता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप दारू का समर्थन करते हैं क्या ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आपके समय में भी तो दारू थी । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- हम विरोध करते हैं तो आपको बुरा लगता है ।

श्री दलेश्वर साहू :- शिवरतन जी, बोलते हो तो सुनने का भी माद्दा रखो ना।

श्री शैलेश पाण्डे :- अगर विपक्ष जिस बात का ध्यान आकर्षण करेगा तो प्रदेश का ध्यान वही जाएगा । आप अच्छी बात करिये ना, आप रोजगार की बात करिये, आप इंडस्ट्रीज़ की बात करिये, आप एज्युकेशन की बात करिये । आप ये बातें नहीं करते हैं । आप बातें करते हैं कि शराब में कितना सेस लग गया है, शराब का क्या करने वाले हो ?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- चलिए बताइए, कितने लोगों को रोजगार दिया है, बताइए ना ।

सभापति महोदय :- कृपया बैठिये ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अरे, आपके पास पैसा ही नहीं है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय पाण्डे जी कृपया समाप्त करेंगे । 15 मिनट हो गए हैं ।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, मैं क्या करूं । मैं अभी तक केवल 5 मिनट ही बोला हूं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति महोदय, अभी तो इन्होंने एडमीशन ही कराया है, अभी पास तो कराने दीजिए उसको ।

श्री संतराम नेताम :- सभापति जी, अभी हमारी रंजना मैडम बोल रही थीं कि रोजगार कितनों को मिला ? सब इंस्पेक्टर के 975 पद निकले हैं, हमारे बस्तर संभाग में आरक्षक के 2100 पद निकले हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- होर्डिंग 5 लाख का लगा है । होर्डिंग 5-5 लाख का लगा है ।

सभापति महोदय :- आपस में संवाद न करें ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम :- 15 सालों में तो आप रोजगार नहीं दे पाए । आप मूल्यांकन करके आंकड़ों में बात करो ।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बोलने दीजिए, वैसे भी अजय भइया नहीं रहते हैं तभी सब लोग बोल पाते हैं, अन्यथा किसी की आवाज भी सुनाई नहीं देती । अभी नहीं है तो थोड़ा-बहुत बोलने दीजिए ।

सभापति महोदय :- माननीय पाण्डे जी, समाप्त करेंगे ।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । उदाहरण के लिए बिलासपुर की 2-3 बातें बताना चाहता हूं । आपके पास सरकार थी । बिलासपुर के पास दो बड़े ब्रिज हैं । बिलासपुर के हमारे संरक्षक, हमारे नेता, बड़े भाई आदरणीय धर्मजीत भइया बैठे हैं, हमारे बड़े भाई सौरभ जी बैठे हैं, बड़े भाई रजनीश जी बैठे हैं, पुन्नूलाल मोहले तो पितामह टाइप के आदमी है, वे बैठे हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- देवेन्द्र जी, आपने सुन लिया कि पाण्डे जी ने क्या कहा ? उन्होंने कहा, हमारे नेता । आप पूछ रहे थे कि बीजेपी में आ गए क्या ? अभी इन्होंने कहा कि हमारे नेता ।

श्री शैलेश पाण्डे :- हम सबके नेता है धर्मजीत भइया । वे दल के नेता नहीं है लेकिन वे हम सबके नेता है । यह उनका अपमान है यदि हम यह कहते हैं कि वे जोगी कांग्रेस के आदमी हैं ।

श्री देवेन्द्र यादव :- उनसे हमारा प्रेम सार्वजनिक है, उसमें क्या आपत्ति है ।

श्री शैलेश पाण्डे :- और अगर हम लोग धर्मजीत सिंह के प्रेमी हैं तो हैं, उसमें क्या है, बिल्कुल डंके की चोट पर हैं ।

श्री अरूण वोरा :- धर्मजीत जी पुराने कांग्रेसी हैं, उनका दिल कांग्रेस है। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, जब मैं जोगी कांग्रेस में था, उस समय तो मैं विधायक नहीं बना था। जब दिग्विजय सिंह जी नर्मदा परिक्रमा की पद पर निकले थे तब मैं उनके स्वागत के लिए मण्डला गया था। वहां पर मीडिया वाले ने मुझसे पूछा कि क्या आप वहां दिग्विजय सिंह जी के सम्मान में गये थे? तो मैंने कहां, हां। दिग्विजय सिंह जी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वे हमारे नेता रहे हैं और वह अभी भी हमारे नेता हैं। मैं वहां दल के रिश्ते से नहीं, बल्कि मैं दिल के रिश्ते से गया था। तो मेरा शैलेश पाण्डेय जी और देवेन्द्र जी से दिल का रिश्ता तो है ही, इससे इन्कार बिल्कुल नहीं है और यह रिश्ता बना भी रहे, ऐसी में कामना भी करता हूं।

श्री देवेन्द्र यादव :- दिल के रिश्ते के साथ ही साथ वैचारिक रूप से जो विचारधारा की बात है, उसमें भी समानता है। वह भी दृष्टिकोण जो जीवन को देखने गये, वह भी समान है, इसलिए हमारी किसी-किसी विषय पर बात बन भी जाती है और कहीं-कहीं सहमति, असहमति भी रहती है, वह भी स्पष्ट रहता है।

श्री शैलेश पाण्डेय :- सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें दो मिनट में बालूंगा।

सभापति महोदय :- चलिये, जल्दी समाप्त करें।

श्री शैलेश पाण्डे :- जब आपकी सरकार थी। अभी यहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष जी नहीं बैठे हैं। आप लोग 9 साल तक बिलासपुर में ब्रिज बनवाते रहे। बिलासपुर को एक शहर से गांव के रूप में ला दिया।

श्री संतराम नेताम :- पाण्डेय जी, 15-15 लाख कितने लोगों को मिला है, यह भी तो पूछ लीजिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- 9 साल में बिलासपुर शहर को गांव में लेकर आ गये। आपकी सरकार ने उसमें क्या ब्रिज बनाया? इतना सकरा-सकरा ब्रिज बना दिया। धर्मजीत भैया, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, चाहे उसलापुर हो, चाहे तिफरा का ब्रिज हो।

सभापति महोदय :- कृपया, समाप्त करिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- मेरे बिलासपुर शहर के शान को इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। वहां बिलासपुर के चीफ जस्टिस को बोलना पड़ा कि मुझे शहर में आने में अच्छा नहीं लगता है, यह कितनी शर्म की बात है। यह चीफ जस्टिस, छत्तीसगढ़ ने कमेंट किया। आदरणीय सभापति महोदय, घोधापुर, गट्ढापुर, सीवेज परियोजना, नसबंदी कांड, यह तो सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाम हो गये।

श्री रामकुमार यादव :- तरी म तौरे बर रायपुर में घलौं लगाय हावय लागथे ।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 22 करोड़ रूपये बिलासपुर को दिये। हमारे पास 132 के.व्ही का नया सब स्टेशन आ रहा है, इससे बिलासपुर जिले में जो पॉवर की समस्या है, उससे निदान मिलेगा। मैं इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिलासपुर में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन किया है। बहुत जल्द ही कैंसर अस्पताल बन जायेगा और हम उम्मीद करते हैं कि बिलासपुर में यह अस्पताल छत्तीसगढ़ का पहला कैंसर अस्पताल होगा। मैं इन बातों का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पास किया जाये ताकि प्रदेश की भलाई हो सके। सभापति जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एवं सभी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। आदरणीय धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक बजट की किताब है, उसको मैंने नहीं पढ़ा है, परंतु मैं फिर भी इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि मैंने अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में कई अनुपूरक बजट की किताबें पढ़ा है। वैसा ही लगभग इस अनुपूरक बजट की किताब में भी होगा। यह एक परंपरा रही है और कोई भी सरकार आती है तो उसको अनुपूरक बजट पेश करना ही पड़ता है। यह एक वित्तीय आवश्यकता होती है, लेकिन इस

अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जब मूल बजट में जो आपने प्रावधान किया है, ऐसे कई काम जो मूल बजट में आता है, लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं हो पाती है। हालांकि इसमें जरूरी खर्चों के लिए पैसा लिया गया है, इसमें कोई निर्माण के लिए पैसे नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि मूल बजट के पैसे में जो काम समाहित हैं, उसको स्वीकृति देकर उस काम को शुरू होने की प्रक्रिया अभी तक दो-दो साल से नहीं हुई है। आखिर ऐसे बजट का क्या औचित्य है, जिसका जिक्र करने से हम खुश हो? आप हमको कहें कि हमने आपका काम किया, हम आपको बोले कि बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। हम पब्लिक को बताते हैं, फिर पब्लिक उसका हमसे प्रश्न पूछती हैं कि यह काम जो बजट में मंजूर हुआ था, वह कहां गया? तो हमको जवाब देते बनता नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है और ना ही हम किसी से पूछ सकते हैं। हम यहीं पर आकर ही जो कुछ भी बालना है, वह बोल सकते हैं। मेरा मतलब है कि उतना ही काम बजट में शामिल करिये, जितना काम हो सकें। मैंने तो आज ही कहा है कि मैं तो एक भी काम बजट में शामिल करने के लिए नहीं बोलूंगा। यदि कोई कर भी रहा होगा तो उसको रोकवा दीजिये। हमको नहीं करवाना है। उसका क्या मतलब होगा, उस बजट की क्या शोभा रहेगी? यदि उसका काम मंजूर नहीं होना है, उनका काम स्वीकृत नहीं होना है, वह काम परिणति में बदलना नहीं है। सभापति जी, इसलिए आप बजट का सही मितव्ययता कर देंगे तो भी बहुत-सा पैसा बचेगा और वह पैसा आपके काम आयेगा। मैं आपसे एक छोटा-सा आग्रह करना चाहता हूं। स्मार्ट सिटी के दफ्तर से 634 करोड़ रूपये के कार्य मंजूर हुए हैं जबकि वह दफ्तर खुद डेढ़ करोड़ रूपये का है। मेरे पास वहां की फोटो है जिसमें वहां का पूरा हाल-बेहाल है। केबल मुक्त बनाएंगे लेकिन खुद तार फैला हुआ है। साफ-सफाई रखेंगे लेकिन आरो में जंग लगा है। खूबसूरत बनाएंगे लेकिन खुद ही बद्सूरत दिख रहे हैं। औरों के नजीर पेश करेंगे और गार्डन में कुत्ते गंदगी फैला रहे हैं। यह आपके रायपुर शहर का स्मार्ट सिटी का एक उदाहरण है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके कोई मंत्री उसका विसिट जरूर करेंगे। यदि आप स्मार्ट सिटी के नाम पर काम कर सकते हैं तो करें, लेकिन आप उसे कलंकित करने का काम न करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं गन्ना के किसानों के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। हमारे पंडरिया में 7 माह बाद भी गन्ना के 6000 किसानों को अभी तक के 32 करोड़ रूपये का भुगतान नहीं हुआ है। कारखाना प्रबंधकों द्वारा प्रति माह उसे 4 करोड़ रूपये दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन 6000 किसानों को भुगतान करने के लिए 8 माह लगेंगे...। क्या पाण्डे जी चले गये ? भैय्या, पाण्डे जी कहां हैं ?

श्री देवेन्द्र यादव :- वह पानी पीने के लिए गये हैं। पानी पीकर आ रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप उनको बुलवाइये। उनको बोल दीजिए कि वह पानी को भी यही ले आएं। मुझे उनको किसानों के बारे में थोड़ा बताना है। माननीय मंत्री जी, 8 माह में उन गन्ना किसानों को भुगतान होगा।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- धर्मजीत जी, पाण्डे जी किसान के बारे में सुनकर भी क्या करेंगे ? क्योंकि उनको तो बिलासपुर के गढ्ढों को पाटना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, हालांकि हमारे बहुत ही आदरणीय और वरिष्ठ मंत्री श्री चौबे जी यहां पर उपस्थित हैं। यह उनका विभाग नहीं है लेकिन उनका हस्तक्षेप जरूर काम आएगा। अभी खेती का समय है और खाद के लिए, बीज के लिए और दवाई के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा नहीं है। बोनस की राशि और रिकवरी की राशि भी अभी तक नहीं दी गई है तो मैं चाहता हूं कि आप उस पर जरूर ध्यान दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज के ही अखबार में एक न्यूज छपा है। सुबह अखबार पढ़ते-पढ़ते मैं उसको क्लिक किया और मैं यह चाहूंगा कि माननीय चौबे जी यहां पर उपस्थित हैं तो इसका जिक्र जरूर करूंगा। छत्तीसगढ़ के 4 बांध 100 साल से ज्यादा पुराने और 21 बांधों की उम्र 99 साल तक। अधिकांश भरे इसलिए मजबूती की चिंता। अब बनानी पड़ेगी बांध सुरक्षा समिति। उसमें मुरूमसिल्ली, खारंग, मनियारी, गोंदली, नवागांव, ठाकुड़िया, सरोदा, ठेलका, दुधावा, खरखरा, खपरी, पेंड्रावन, दर्रीटोला, तांदुला वगैर:-वगैर: बांध हैं। आपके जिले में ही सबसे ज्यादा बांध हैं। यदि मैं इसमें खुड़िया डेम का ही उदाहरण दूं तो यह डेम सन 1903 में बना था। अंग्रेजों ने इसको राहत कार्य में बनवाया था और अब वह बांध 100 साल के करीब होने वाला है। मैंने उस बांध की मरम्मत के काम के लिए यहां पर आग्रह भी किया था और वहां पर आपकी टीम गई थी लेकिन आज तक कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ है। मैंने एक और मांग भी की थी कि वहां तक सड़क नहीं है और उसमें एक छोटा-सा पुल बनाना है। जब मैंने उस पुल के लिए कहा तो बजट में उसके लिए प्रावधान तो हुआ, लेकिन यदि आज वहां पर कोई दुर्घटना हो जाए तो वह पुल नहीं होने से वहां तक कोई भी सरकारी मदद, जनता की मदद नहीं पहुंचेगी। तो जब बजट में इसका प्रावधान है तो वित्त में उसकी जो भी स्वीकृति होती है, आप उसकी स्वीकृति कराने की कृपा करें। लोरमी विधानसभा के कारीडोंगरी के पास मनियारी नदी में एक पुल बनाना है।

माननीय चौबे जी, यह 30 जून तक के बांधों की सुरक्षा को लेकर कानून बना दिया गया है इसलिए 30 जून तक इसको गठित करनी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक डेम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बना है। तो कृपा करके आप इसको बनाइये और इसको राज्य स्तरीय समिति के पास भेजकर इन कामों को भी कराने की कृपा करें, ताकि किसानों के लिए जो बांध हैं, वह सुरक्षित रहें और वह काम आ सके। आपने डी.एम.एफ. मद में भी बहुत-सी कोशिशें की, फिर वह बदला। दिल्ली का कुछ गाइडलाईन आया लेकिन अभी भी कई खरीदी बेतरतीब, बिना वजह और बिना कोई कारण के की जा रही हैं। एक-एक चीज और एक-एक रूपये बहुत कीमती है। हम लोग कहीं पर छोटे-छोटे पुल में रेलिंग लगवाने के लिए, कहीं पर एक गांव से दूसरे गांव के बीच में थोड़ा सा पुल बनवाने के लिए पैसे के

अभाव में भटकते हैं। हर चीज तो पी.डब्ल्यू.डी. और इरीगेशन के बजट में आ नहीं सकता, तो कलेक्टर को ऐसी चीजों की खरीदी करनी चाहिए, तो खरीद लिये। क्या बतायें? क्यों, सौरभ जी ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- ग्रास कटर। ग्रास कटर।

श्री सौरभ सिंह :- ग्रास कटर।

श्री धर्मजीत सिंह :- कितने राईस मिल हैं ?

श्री सौरभ सिंह :- राईस मिल और कोलेलाइजर।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- राईस मिल में 92 हजार रूपये का खरीदी किये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- राईस मिल, ग्रास कटर खरीद लिये हैं। उससे क्या लेना-देना है ?

श्री सौरभ सिंह :- डी.एम.एफ. का सारा पैसा इंदिरा आवास के लिए दे दें, क्या दिक्कत हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- वह सब जांजगीर जिले में है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जो भी हो, जांजगीर जिला भी तो आपके ही अधीन है ।

श्री सौरभ सिंह :- पूरी कहानी बाहर आ रही है, कोरबा की कहानी दब रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सब जगह वही हाल है । बलौदाबाजार, कोरबा में वही हाल है, यह मंत्री जी बोल रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- जांजगीर जिले में विपक्ष के विधायक हैं इसलिए कहानी बाहर आ रही है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कोरबा के बारे में तो माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं । पूरे छत्तीसगढ़ में बंदरबांट चल रहा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कुछ जिले में काम ठीक कर रहे हैं । कुछ ही जिले में काम कर रहे हैं, जो ठीक है । बाकी तो जो हुक्म है, मेरे आंका करके आदेश कर देते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- वैसे एकाध जिले का नाम बता दीजिए भैया ।

श्री रामकुमार यादव :- तुहर जमाना में तो डी.एम.एफ. के पैसा गरीब मन में उपयोग करबे नहीं करत रेहेव ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मुंगेली में ठीक है, अभी मुंगेली में गड़बड़ी नहीं किये हैं।

श्री रामकुमार यादव :- ठाकुर साहब, पहिली तुहर जमाना में 15 साल में पईसा गरीब मन मेर नहीं आत रिहीसे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बईठ न । अब मैं तोरे बात कहात हव । माननीय चौबे जी, जो बाढ़ आपदा का मद होता है, उसे मैं पहले ऐसा समझता था कि वह आपके हिस्से में है, लेकिन वह पता चला कि पीछे राजस्व मंत्री जी के हिस्से में है। उसमें पैसा मंजूर कैसे होता है, मैं आजतक नहीं समझा । राफेल का पैसा कैसे मंजूर होता है, उसका भी सिस्टम हमने पता कर लिया कि वह रक्षा मंत्रालय में होता है । पी.डब्ल्यू.डी. का समझ लिए । आपदा मद में कैसे काम होता है और कितना काम मंजूर होता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं आपको बता दूं कि अब वह फाईल मंत्री के पास भी नहीं आ रही है । सीधा सचिव और मुख्यमंत्री के बीच से स्वीकृति हो रही है । मंत्रियों को मालूम नहीं है । उसमें आप मंत्री से पूछ लीजिए, राजस्व मंत्री को भी मालूम नहीं है, मैंने कल ही बात की थी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह तो बिल्कुल गलत है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- उसमें ऐसे लोग हैं, जो न चुने हुए हैं, न कुछ । जिनको बिचौलिया बोलते हैं, वही काम करवा पाते हैं । आप और हम नहीं करवा पाएंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इस प्रदेश में अभी जोगी यूनिवर्सिटी के गिने-चुने हुए लोग ही तो सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं ।

श्री अरूण वोरा :- शर्मा जी, आप सरकार की अंदरूनी बातों को कैसे जान जा रहे हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- अंदर में आप कौन रंग का क्या पहने हो, यह भी मालूम है । (हंसी)

श्री दलेश्वर साहू :- शिवरतन जी, यह आपदा प्रबंधन का पैसा इसी साल से नहीं, आपकी सरकार के समय से ही चालू हो गया है । मैं साबित करूंगा ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, धर्मजीत जी ने जो बात कही है, वह बहुत ही आपत्तिजनक है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसको विलोपित करवा दो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पहले एक कमेटी की बैठक होती थी, मैं उस कमेटी का सदस्य रह चुका हूं । समिति बनी थी, समिति की बैठक होती थी, उस समिति में अशासकीय संस्था होती थी ।

श्री दलेश्वर साहू :- हां, बैठक होती थी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, चौबे जी बैठे हैं, कहकर मैं बोल रहा हूं। मुझे बोलना ठीक लग रहा है, कोई जिम्मेदार आदमी सुन तो रहे हैं । सभापति जी, यहां बहुत से विधायक साथी हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं, नये हैं, पहली बार आये हैं। सत्र के समय में बैठक होती है, हम लोग बड़ी-बड़ी स्कीम बनाते हैं कि जमीन दे देंगे, यह करेंगे, वह करेंगे । हम और आप सबको तो जमीन मिला हुआ है, आप हमें जमीन दो या नहीं दो, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेचारे इन नये विधायकों का भला कर दो । आखिर इन लोगों का भला कब होगा । सरदार जी सुबह 11 से 12 बैठते हैं, 12 बजे के बाद उनका पता नहीं रहता । उनको बोलिए कि नये विधायकों के लिए जमीन की जो प्रक्रिया है, उसको ठीक करा दीजिए और उन लोगों को जमीन दिलवा दीजिए । मैं कल सरदार को बोलूंगा कि 12 बजे के बाद भी बैठा करिए । वे ठीक 12 बजे उठकर चले जाते हैं ।

सभापति महोदय, बहतराई में बी.आर. यादव के नाम से एक स्पोर्ट्स स्टेडियम हैं । उसे 125-130 करोड़ रूपए की लागत से बीजेपी की सरकार ने बनवाया था, लेकिन यह कहने में बहुत दुःख हो रहा है कि वहां पर उसके रख-रखाव, साफ-सफाई, स्टाफ की कमी होने के कारण वहां का जो बहुत बड़ा

इंडोर स्टेडियम हैं, मैं अभी बीच में एक कार्यक्रम में गया था, जिसमें आपको भी बुलाये थे, आप नहीं आ पाये । वहां पर 27 प्रदेश के 22 सौ बच्चे कराटे खेलने आये थे । जब मैं उस स्टेडियम में गया तो मुझे बैठे-बैठे याद आ रहा था कि जब मैं आईफा फिल्म फेयर अवार्ड देखने शेफील्ड में इंग्लैंण्ड में था, वह हॉल उससे छोटा था, जहां पर वह हुआ था, पर वहां पर कोई 2 करोड़ का केबल चोरी कर दिये, कहीं बल्ब, कहीं कुछ चोरी कर दिए तो कई सौ करोड़ रूपए की चीज को दो-चार करोड़ रूपए लगाकर कृपा करके उसको बनवा दीजिए । मैंने खेल मंत्री को भी बुलाया था, पर वे नहीं आये । आप देख लीजिए, राजनीति की व्यस्तता के बीच में से कभी-कभी गरीब बच्चों का भी ख्याल रख लिया करें ।

माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, एयरपोर्ट, बिलासपुर के लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज मेरा प्रश्न भी है, उसका जवाब भी है । उसको लंबा पढ़ूंगा तो ठीक नहीं है । बिलासपुर में नाईट लैण्डिंग की सुविधा के लिए और नई टर्मिनल बिल्डिंग के लिए, रक्षा मंत्रालय से जमीन वापस लेकर, जिसे हमने ही दिया था, वहां वे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका कोई काम भी नहीं है । जब कोई 5-10 साल काम नहीं करे तो वह उसकी बपौती नहीं हो जाती है । उस जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया करिए । हमारे बिलासपुर एयरपोर्ट के रनवे के लिए एयरपोर्ट को जमीन देना चाहिए ताकि वहां पर 4C License मिल सके और हमारे बिलासपुर में भी बड़े प्लेन की सुविधा शुरू हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी, मैं छोटे प्लेन की तकलीफ भी बता देता हूं, थोड़ा सुन लीजिये। आप (डॉ. शिव कुमार डहरिया, मंत्री) तो सुन रहे हैं, मैं चौबे जी को सुना देता हूं। सर, मैं छोटे प्लेन में बिलासपुर से भोपाल गया, मैं खुश हुआ कि बिलासपुर से प्लेन चल रहा है, मैं प्लेन में बैठकर गया, गर्मी का दिन था। वह प्लेन भोपाल एयरपोर्ट में उतरे और नीचे रनवे को टच करके फिर ऊपर उड़ा लेता था। मैं बोला कि यह प्लेन लैण्डिग कर रहा है या टेक आफ कर रहा है ? तो बोले कि बहुत हवा है, इसमें नहीं उतर पायेगा। मैं डर के कारण उस प्लेन से वापस नहीं आया। तो मैं यह कह रहा हूं कि आपको बड़े प्लेन के लिए 4C License दिलाना होगा तो उसके लिए सौ, दो सौ एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। आप वह जरूर करवा दीजियेगा।

माननीय सभापति महोदय, अब तो आप पंचायत मंत्री हो गये हैं। आपने पंचायती राज सम्मेन में भी घोषणा की थी, एकाध कोई मानदेय वगैरह को छोड़कर कोई घोषणा पूरी नहीं हुई है।

श्री रविन्द्र चौबे :- मानदेय पूरा हो गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- परन्तु उनका अधिकार, फाईल वगैरह, मिलना-जुलना यो-त्यों, ये सब अभी पूरा नहीं हुआ है। मुझे उन लोगों ने कागज दिया है, मैं पढ़ूंगा तो एक घंटा लगेगा। उनका थोड़ा ध्यान रखियेगा। यह भला आप ही कर दीजिये ना, कम से कम आपका नाम हो जायेगा। मान लो वह पहले नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसमें कई इब्बट हो सकते हैं, लेकिन आप में तो कोई इब्बट नहीं है। आप

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसको करा दीजियेगा। मैं यह पंचायती राज का पत्र रखा हुआ हूं, मैं इसको अभी आपको दे दूंगा, पढ़ लीजियेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपकी सरकार अनिर्णय की स्थिति में है।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- आज के कार्यसूची के पद क्रमांक- 8 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जायें, मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

<u>वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, सर, आपकी सरकार अनिर्णय की स्थिति में है। 3 साल पहले स्काई वाक के लिए सदन में चर्चा हुई थी, आपने कमेटी बनाया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस साढ़े तीन साल में स्काई वाक पर क्यों फैसला नहीं ले सके ? या तो आप उसको तोड़ दीजिये या उसका उपयोग करिये, या उसके दोषियों को दण्डित करिये या उसको बनाने वालों को पुरस्कृत करिये। लेकिन जो भी करना हो करिये, कुछ तो करिये। लेकिन कुछ नहीं, आपकी कमेटी का क्या फैसला है, जनता को यह तक मालूम नहीं है। आपने शराबबंदी के लिए कमेटी बनाई थी, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। उस कमेटी कोई दौरा नहीं किया। ढाल के रूप में उस कमेटी का उपयोग किया जाता है कि हमने शराब बंदी के लिए एक कमेटी बनाई है। यहां से ज्ञान देने के लिए झारखण्ड में एक टीम जा रही है। आप छत्तीसगढ़ के बाहर कोई अच्छी चीज का ज्ञान देने के लिए भेजते। आप गोबर का ही ज्ञान दे देते, गौ मूत्र का ज्ञान दे देते। तो आपने कहां के शराब, नकली शराब, असली शराब जो भी है, उसका ज्ञान देने के लिए भेज दिए। भईया, कोई बाहर में बोलता है कि आपके यहां से शराब का ज्ञान देने के लिए भेजे तो हम लोगों को शर्म आती है।

माननीय मंत्री जी मुझे एक बात बहुत दिन से खटक रही थी, मैं उसके लिए आपको बोलना चाहता था। आपने बिलासपुर में कृषि मेला किया था। वह बहुत अच्छा मेला था। हमारा इन्टरेस्ट भी था कि वहां मेला हो। जब तक पूरे गांव-गांव में कृषि संगोष्ठी नहीं फैलेगा, हमारे किसान आधुनिक तकनीक को अपनाने में पीछे रहेंगे। बहुत पहले मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार में अशोक राव जी पशुधन मंत्री थे तब सकरी में बहुत बड़ा पशु मेला हुआ था। फिर उसके बाद आपने मेला कराया। हमारी

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

दिली इच्छा थी। परन्तु पता नहीं आपके अधिकारियों में क्या खराबी दिखी, हम लोगों का रंग खराब है या चेहरा खराब है, हम लोगों नहीं बुलाया गया, क्यों ? यदि हम लोग चले जाते तो वह खराब हो जाता क्या ? अगर हम लोग उस कार्यक्रम में शामिल हो जाते तो कार्यक्रम की गरिमा खत्म हो जाती क्या ? निमंत्रण तक नहीं दिए थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, क्या आप यह निर्देश जारी करेंगे कि विधायकों के क्षेत्र या उनके जिले में कोई कार्यक्रम होता है तो विधायकों को ससम्मान बुलाया जाये, आप इसकी कोई व्यवस्था करेंगे ? ऐसे निर्देश हैं या नहीं है ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- बैठेंगे तब तो बोलूंगा ना । आदरणीय धर्मजीत भईया, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं । हालांकि कृषि मेला में हमारे बहुत ही सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष मेरे साथ मंच पर थे, मेरे आदरणीय भाई रजनीश सिंह जी भी मंच पर थे, परम सम्माननीय सांसद श्री अरूण साव जी भी मंच पर थे, सब का भाषण हुआ, सब को आमंत्रित किया गया था । चूंकि आपने सदन में बात कही है, आपको निमंत्रण कैसे नहीं मिला ...।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- बिलासपुर जिला और मुंगेली जिला हमारा एक है । केवल बिलासपुर जिले को निमंत्रण दिये हैं । मुंगेली जिला के विधायक को किसी को निमंत्रण नहीं दिये हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं बता देता हूँ सर । मुझे भी स्पष्टीकरण देने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- खाली आपकी बात नहीं है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम होते हैं । सभी विधायकों के लिए कि उनका एक प्रोटोकॉल है, सम्मान है, अगर उनके क्षेत्र में कोई कार्यक्रम होता है तो उन विधायकों को आवश्यक रूप से आमंत्रित करें । प्रोटोकॉल में सीनियारिटी, जूनियारिटी का भी ख्याल रखें । मैं आसंदी से चाहूंगा कि विधायकों के सम्मान की जिम्मेदारी आसंदी की भी है और यहां से आपके सामान्य प्रशासन के निर्देश हैं । अधिकारी पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ में आपको निर्देश देना चाहिये और फिर से आप निर्देश एक बार जारी करवा दें । इस बात का मेरा आग्रह है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बिल्कुल ठीक बोले हैं, नेता प्रतिपक्ष थे करके उनको बुलाया गया । उनके विधान सभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा था तो बुलाया गया । सांसद है करके अरूण साव जी को बुलाया गया । कृष्णमूर्ति बांधी जी का भी तो किनारे में उनका क्षेत्र है । मोहले जी, ग्यारह बार, पन्द्रह बार के अजेय योद्धा हैं, हम लोगों को निमंत्रण तो भेज देते । हम लोग आ जाते तो कौन सा कार्यक्रम ख्राब हो जाता । यह आपके अधिकारियों का दोष है । मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, आप अपने अधिकारियों को बताईये ।

श्री कवासी लखमा :- समय हो गया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी तो इसके बाद और बोलूंगा । तुम जाके सो जाओ । हवाई सुविधा का जो भोपाल लेन शुरू हुआ, उसमें भी हम लोगों को नहीं बुलाया गया था । बिलासपुर हवाई सुविधा के लिए लोक सभा के हिसाब से भी देखोगे तो हम लोगों को बुलाना चाहिये था । कुछ नेताओं के द्वारा ही रोक दिया जाता है । उन लोगों को हमारा बैठना पसंद नहीं है । ऐसा तो नहीं है कि स्थायी पट्टा लिखाकर ले आये हैं । कल यह व्यवहार आपके साथ भी हो सकता है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय मुंगेली तक की बैठक में आपको मेरे आदरणीय कहीं कोई बात नहीं है । आप रहते हैं तो हमारी गरिमा बढ़ती है । माननीय बृजमोहन जी ने कहा कि हम पुन: निर्देश जारी कर देंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हवाई अड्डे में आपका कोई दोष नहीं है । मैंने आपके विभाग में बोल दिया, हवाई अड्डे से आपके विभाग का क्या लेना देना है, कब शुरू हुआ, आप यह नहीं जानते, लेकिन वह बुलाते नहीं है । अगर हम पहुंच जायेंगे तो कई लोगों को गिल्टी फील होने लगता है, दबा-दबा महसूस करते हैं । ऊपर नहीं तो नीचे बैठवा दीजिए, पर बुलवा लीजिए । बहस तो हम लोग कर रहे हैं, हवाई अड्डे के लिए मेरे अशासकीय संकल्प में 26 करोड़ रूपया मुख्यमंत्री जी दिये हैं । हवाई जहाज उड़े तो धर्मजीत सिंह को निमंत्रण ही नहीं है । क्या हमारे भविष्य का फैसला, हमारे मान सम्मान का फैसला कलेक्टर करेगा ? आपको यह देखना है, मैं आपसे यह कह रहा हूँ । माननीय मंत्री जी, वन्य प्राणियों की बहुत सी मौतें हो रही है...।

श्री शैलेश पाण्डेय :- जिस दिन भोपाल वाली फ्लाईट उड़ी थी ना, उस दिन नेता प्रतिपक्ष जी भी वहां पर थे । आपने कलेक्टर को डांटा था, थोड़ा सा बताईये ना । बोलिये ना, बोलिये । आपका मंच पर अपमान हुआ था । आप इस बात का उल्लेख करिये ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- सभापति महोदय, मैं अपने अपमान को कैसे बताऊंगा ? आप उनके भी आदमी हैं, हमारे भी आदमी हैं । आप बतायेंगे तो अच्छा रहेगा ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- आदमी वाली बात नहीं है । बात सही वाली बात है । वास्तव में वहां पर ..।

समय :
5:34 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण) शर्मा पीठासीन हुये)

श्री धरमलाल कौशिक :- चलो मैं बता देता हूँ । एक मिनट । क्योंकि वह संसदीय कार्यमंत्री जी हैं ना । संसदीय मंत्री जी हैं, मैं इसलिए बता देता हूँ..।

श्री धर्मजीत सिंह :- हॉ, बता दीजिए ना ।

अशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- आप हैं, धर्मजीत वाला कुछ विषय रखे हैं तो मैं बता देता हूँ कि हमारे शैलेश पाण्डेय जी कुछ और विषय रखे हैं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- कौन सा विषय रखे हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- वही विषय आ गया । मान सम्मान कितना हो रहा है ? हम मंच पर हैं, मंच पर होने के बाद में कलेक्टर नेता प्रतिपक्ष का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं । यह स्थिति अधिकारियों की है । इसी बात को वह बोल रहे हैं । (शेम-शेम की आवाज)

श्री धर्मजीत सिंह :- कलेक्टर लोग डरते नहीं हैं न, पहले डरते थे।

श्री धरम लाल कौशिक :- उनको केवल प्रदेश में एक व्यक्ति दिखाई देता है, वह माननीय मुख्यमंत्री हैं। मंत्री भी जा रहे हैं तो कलेक्टर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। मैं उदाहरण सहित बता दूंगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- यह केवल एक जिले की बात नहीं है, यह हर जिले की बात है। हर जिले में यही हो रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- मंत्री बैठक ले रहे हैं, वहां कलेक्टर है, लेकिन मंत्री की बैठक में नहीं आ रहा है। मैं उदाहरण बता दूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी, मैं बस दो बात कह कर अपनी बात खत्म करूंगा। वन्य प्राणियों के मरने की बहुत घटना बढ़ रही है। कुछ प्राकृतिक और कुछ अप्राकृतिक मौत है। कृपा करके उसको आप जरूर दिखवायेंगे। आज सवेरे अजय चन्द्राकर जी बोल रहे थे कि भाटापारा की सोसायटी का टेप आया था। मैं बाहर निकला तो मुझे भी एक टेप सुनाया गया। पंडरिया का एक टेप आया है कि कोई दीदी को पैसा देना है, करके कोई बोल रहा है। मैंने कहा कि भैया आप थोड़ा देखकर के रोक लगवाओ। ये दीदी भैया लोगों से बचाओ। आप किसान के नेता हो, जरा आप दोनों मिलकर अच्छे लोगों को बनवाओ। ये दीदी, दादा वाले लोग बहुत सक्रिय हैं, इनकी जरा सा कुचलकर रखिये। यही आपसे प्रार्थना है।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, अब समाप्त करें। आपको बोलते हुए 22 मिनट हो गये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। अब मुख्यमंत्री जी को देखकर थोड़ा बोलने की इच्छा हो गई।

सभापति महोदय :- ठीक है, चलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके ही पैसे देने के बाद भारत के संसदीय इतिहास में अशासकीय संकल्प पर पहली बार कोई मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए पैसा दिया, उसके कारण हवाई अड्डे में निर्माण हुआ और उस निर्माण के बाद वहां पर प्लेन शुरू हुआ। आपने आज ही मेरे प्रश्न के जवाब में कहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन देने के लिए defence ministry से पत्राचार हो रहा है और वहां terminal building और night landing की सुविधा के लिए इसमें आप विशेष रूचि लीजियेगा। आपसे बिलासपुर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बहुत आशा करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर बिलासपुर में हवाई सेवा दिये हैं तो वह आप ही दिये हैं। इसलिए हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप इसको जरूर देंगे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैं अनुपूरक बजट नहीं पढ़ा था। मेरे को आपको दो-तीन बातें बोलनी थी। मैं बहुत दुखी थी कि आपके विभाग के अधिकारी लोग बुलाते नहीं हैं। हम लोग भी इतने खराब तो नहीं हैं कि वहां पर नहीं बैठ सकते। आप तो बुलाते हैं, पर अब अधिकारी लोग नहीं बुलाते तो उनको तो आप बोलोगे तो वह बुलायेंगे न। आप बुलवा लिया करो। हम लोग आकर आपका सम्मान ही करेंगे। कोई आपका विरोध करने तो जाते नहीं हैं। कृपा करके इसको विचार करियेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति जी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं प्रथम अनुपूरक बजट के समर्थन में खडे हौं। माननीय भूपेश बघेल जी के वर्तमान सरकार के बजट ला मैं देखतौं तो मैं वो महापुरूष मन के स्लोगन ला याद करथौं। जेमा ओमन कहे रहिन हे- ऐसे राज चाहू मैं, सबन को मिले अन्न, छोट-बड़ सम रहे, रविदास प्रसन्न। यहां पर 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार चलत रहिस हे। जब चुनाव आवै, एमन जा करके लोकलुभावन भाषण दे करके वोट ला ले करके ये छत्तीसगढ़ के जो सपना रहिस हे, मध्यप्रदेश ला अलग होईस, अलग हो करके ओमन के सपना रहिस हे, ओमा कुठाराघात करै के एमन काम करत रहिस। माननीय सभापति जी, मैं जहां तक समझथौं विकास के परिभाषा रोड, पानी, बिजली, स्वास्थ्य हे, ये तो होवच करथै। ओकर साथ-साथ ओ प्रदेश के बोली, खाना, संस्कृति विकास के परिभाषा होथे। ये तमाम प्रकार के खेल-कूद अभी विकास से जोडे जाथे। लेकिन मैं देखत रेहौं, एमन बोलथे, हमन तो पहली बार चुनकर आये हन। एमन कोई 4 घा, 4 घा, कोई 7 घा चुनकर आये हे। एमन बोलथे, एमन हमन देखथन। हमन मुटुर-मुटुर सुनत रहिथन। पहल बार आये हन, ज्यादा गोठियाओ तो कहिही कि पहली आये हो, तुम क्या जानते हो। लेकिन 7 बार चुन के ये मन ये नई जानिन कि छत्तीसगढ़ चाहथे का ? 15 साल ला ये प्रदेश के आदिवासी समाज सौरा, पाव, कोबिया, खड़िया, मांझी, उराव, धनवार, कोड़, कोडाकू मन के लइका मन अपन जाति जाति प्रमाण के लिए बिलख-बिलख के रोवत रहै। हमन बहुत अच्छा राज चलाथन, येहा सोचकर ये मन मगन रहै। माननीय सभापति जी, मैं आज कहना चाहत हौं और आपके माध्यम से ये सदन ला पूरा छत्तीसगढ़ के जनता मन देखत होही, जब ले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने हे, आज हमन गेड़ी ला जानथन, हमन लइका रहन तो अभी हरेली तिहार आथे। हमन के एक ही ठन सपरा रहेन, ददा तै मोर बर गेड़ी बना देबे, ये हमन के सपरा रहै। लेकिन 15 साल में ए मन गेड़ी ला भुलवा दे रहिन हे। काला गेड़ी कथे, काला बरा कथे, काला चीला रोटी कथे, सब ला भूला गे रहिन हे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद दे हा, आज हमन के तीज, तिहार के घलो आगे बढ़ाये के काम करथे। अगर रोड, पानी के बात किया जाये, मैं जे चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र ले आथव, चंदपुर कह ले, पूरे 90 विधान सभा में चर्चित विधान सभा

रहिथे लेकिन 15 साल के राज में अइसने हो गे रहिसे, ऊंहा जो मुख्य मार्ग होथे, जे मा आम आदमी मन अपन जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय यहां तक की रेल चिघिया बर जावे, ये मन अइसने रोड ला भी 15 साल में गड्ढा बनाकर रख दे रहिन हवै।

सम्मानीय सभापति महोदय, जहां चंदहासिनी मंदिर है, अइसने कौन जांजगीर कलेक्टर नहीं बने हे, जो चंद्रहासिनी मंदिर के जा के दर्शन नहीं करे रहै। लेकिन ये मन के 15 साल के सरकार, एक कहना चाहिये कि वहां तक एक गौरव पथ तक नहीं बनाइन। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ला बात करै, मैं आज ओला प्रणाम करथो। ओला घोषणा करे हे कि आज गौरव पथ बनही। उड़ीसा के, आंध्रप्रदेश के, तमिलनाडु के, कहां-कहां के लइका मन, सियान मन, चंद्रहासिनी मंदिर के दर्शन करे बर नहीं आये ? वहां टलाटल पानी भरे हे, ऐ मन एक ठन बोट चला दे रथिन, वहां के लोग, लइका मन बोट में चेकथिन, किंदरथिस तो कथिस कि आज हमन एक पर्यटन स्थल आये हन कही के। लेकिन हमन मुख्यमंत्री जी, ये सब के ध्यान देथें।

सभापति महोदय, हमर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी मन ला कहना चाहथ हव। अभी जगह-जगह में स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में, मोरो क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मन आंदोलन करत रेहेन हवै कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में ऐसा हो गया । मैं वो घर के व्यक्ति हव, मैं अंतिम छोर के व्यक्ति के भावना ला जानथ हव। हम मां-बाप के सपना रहिथे कि मोरो लइका हा सरकारी स्कूल में इंग्लिस मीडियम में पढ़कर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, अइसने इंग्लिस बोलथे कहि के उहु मन के शौक रहै। लेकिन ए मन स्कूल खोले के बजाय, स्कूल ला बंद करै के काम करै। आज हमन के सरकार, आज इंग्लिस मीडियम स्कूल खोलत हे, तो ए मन के पेट में दर्द होत हे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता मन ला कहना चाहत हव कि ये अइसने सरकार है कि आज वह गरीब आदमी, जे गड्ढा कोड़त हे, आने के खेत में काम करत हे, जब ओकरो लइका हा घर में आके किलकारी दे के कहिथे, इंग्लिस पढ़थे, ओ घर के सियाहना के छाती जोड़ा जात हे कि आज मोर लइका हा इंग्लिस गोठियात हे। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक मन ला कहना चाहत हव, हमेशा विरोध करना हे कहिच के कोई चीज के हमेशा विरोध मत करो। चूंकि आप ला एक दिन जा के अपन आत्मा बर पूछे ला लागथे। हर चीज के विरोध करना। में ओ दिन ला याद करथो, हालांकि समय कम है, हमर माननीय डहरिया जी मोला कान में आ के कहे कि कम बोलबे दाऊ कह के, ज्यादा समय नहीं हे। लेकिन मैं अपन दो शब्द अउ बोलियाहच। मैं अभी प्रश्न लगाये रहव हा कि चंद्रपुर विधान सभा अइसने कै, कौन ठव गांव हैं जहां आज तक ओ गांव में रोड नहीं पहुंचे हे। मोला जवाब मा मिले हे, मोर क्षेत्र मा मिले हवै, चिखली से बड़ेकोट, लटेसरा से महुआपाली, चिखली से बड़ेकोट, खेमड़ा से बरभाठा, सिंघीतरई से बेनीपाली, बोहारडीह से हरदीडीह, सिंघीतरई से कटहर्रापाली, निमोही से

कटहर्रापाली। बताओ, अतका गांव मा अभी रोड नहीं गे हे। ये 15 साल के सरकार कुंभकरणीय नींद में सोवत रहिस हवै।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहत हव कि 15 साल तक सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के जनता के साथ में छलाव करे हे।

सभापति महोदय :- देखिये, सभी बातें बराबर आ चुकी है। आपको अपने क्षेत्र की जो बातें कहनी है, दो मिनट में कह दें।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एक दू ठोक और करथ हव ओकर बाद अपन बात हा समाप्त करिहा। मोर आपसे निवेदन हे अभी यहां अधिकारी मन भी सुनथे, मोर मंत्री जी मन भी सुनत हे। जांजगीर जिला में ये मन ला अतका दिन ला कंपनी खोल दिस। आर.के.एम. कंपनी, डी.बी. कंपनी, जतका बड़े-बड़े जिंदल के, मोनेट के, कंपनी हरे, गाड़ी हा ओही डहार मा राखथे। अउ रोड हा ठीक से बने नहीं हे तो कम से कम रोडो ला बढ़िया बना देवै। वहां पर एक ठोक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देवै। वहां के धुर्रा ला, वहां के माटी ला, वहां के राखड़ ला हमन खावत पियत हन, वो हमन के साग भात में उड़ियाहावत हन, तो हमन वहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज के भी हकदार बनथन। इंजीनियरिंग कॉलेज ला डभरा ब्लॉक में ही खोलय। मैं एक ठो अउ मांग करत हव कि हमर जो चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र है, ऊंहा पर्यटन स्थल घोषित करै और हमर अड़भार में अष्ठभुजी मां के दरबार हे, ऊंहा ला आदिम जमाना से बहुत पुराना जमाना से, पाछिन जमाना के वहां पर जो भगवान के माने जाथे, वहां के गांव ला, ओला पर्यटन स्थल घोषित करे। आप मोला बोले के मौका देया और हमन सदन के हमन नेता जी, हमर के जो सचेतक हे, वह मोला बोले के पारी दिस उहु मन ला बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपन वाणी ला विराम देथो।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मय अनुपूरक बजट में बोले बर खड़े होय हों। दोनों पक्ष के साथी मन बहुत अकन कहिन हावय। जो सकारात्मक बात हे तेला तो कम करिन हे, एती के मन केन्द्र सरकार के विरोध में बोलिन हे अउ ऐती मन राज्य सरकार के विरोध में बोलिन हे। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के आदमी मन ला बासी खवाके मतावए। छत्तीसगढ़िया हो, बासी ला खा लेवव। बाकी बात हा बनत रही।

माननीय सभापति महोदय, अगर छत्तीसगढ़ के आदमी काकरो बात में आ जथे तो ए नो हरे कि ओ नासमझ हे। अगर काखरो ऊपर विश्वास करथे तो ए नइ हे कि छत्तीसगढ़ के आदमी नामसझ हे। बल्कि बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति हे। अगर छत्तीसगढ़ के आदमी के साथ विश्वासघात होथे तो ओ ह बनाए ला जानथे तो गिराए ला भी जानथे।

माननीय सभापति महोदय, कई झन साथी मन कहिन कि आत्मानंद स्कूल के विरोध करत हे। हमन आत्मानंद स्कूल के विरोध काबर करबो, हमर लईका अंग्रेजी माध्यम में पढ़ही ता। रामकुमार जी,

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

आत्मानंद स्कूल के कोई विरोध नइ हे। आत्मानंद स्कूल 171 ठन खोले हाववं। आप आत्मानंद स्कूल 520 ठन अउ खोलववं, हमन समर्थन देवत हन। आप मन कतका अकन पइसा मांगिहौ, आप मांगवव। हम ओखर बर बजट देबो। लेकिन आप आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम मा खोलिहौ तो हिन्दी माध्यम के स्कूल ला काबर बंद करिहौ ? तुहरे यहां लइका मन आन्दोलन करे रिहिन हे कि एक झन गुरूजी नइ हे। तुहरे विधान सभा के मालखरौदा मा जे लइका हमर पढ़त हे, जेला पढ़ना हे, जेला पढ़ाई में समय देना हे, आज हमन ओला गुरू जी मांगे बर सड़क में खड़े होए बर लाचार अउ बेबस कर दे हन।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय चन्द्रा जी, कुछ नवा हांडी करिहौ न। तबेला, हांडी, डुआ, चटुआ, सब बर लागथे। धीरे-धीरे होथे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- जुन्ना तबेला हे तेला काबर फोड़ दिहा। नवा खरीद लिहौ, लेकिन जुन्ना ला मत फोड़ा न भाई। कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल जैजेपुर में बंद, उहां कोई गुरूजी नहीं हे। डभरा के स्कूल बंद होगे। यह आपके विधान सभा हे। माननीय अध्यक्ष जी के विधान सभा हे। सक्ती स्कूल हिन्दी माध्यम बंद हो गे। अगर हिन्दी में पढ़ही ता का हमर लईका मन बिगड़ जही। माननीय मंत्री जी आप विधान सभा में जवाब दे रहेव कि हम प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर करे हन। आज प्रक्रिया के तहत स्कूल खुलगे, एको झन गुरू जी काबर पदस्थ नइ करौव। इहां बिना गुरूजी के स्कूल चलत हे। आप मन आत्मानंद स्कूल में कतका अकन स्थायी रूप से शिक्षा के व्यवस्था करेव ? या तो प्रतिनियुक्ति में हे या संविदा में शिक्षक हे। छत्तीसगढ़ में कतका झन अइसे हे जो आपके मापदण्ड में अंग्रेजी पढ़ाने वाला गुरूजी हे। आज प्रतिनियुक्ति में हे, दूसर जगह चल दिही। संविदा में हे, स्थायी व्यवस्था हो ही तो चल दिही। हमर लइका मन के भविष्य अंधकार मय हो जही। एकर लिये आप करा निवेदन हे। ए बढ़िया बात हे आप आत्मानंद स्कूल खोलत हो, ओकर बढ़िया व्यवस्था बनाववं। सही शिक्षक बनाववं। हमु 2-4 ठन आत्मानंद स्कूल में गे हावन। ओ ह चकाचक पोताए हे। कुरसी टेबल हा अतका अकन गे हे कि कमरा मन भरत नइ हे। कम्प्यूटर अतका अकन हे कि रखे के जगह नइ हे। बाकी गुरू जी कतका अकन हे, जतका अकन रहना चाहिए तेखर आधा हावए। बाकी तमाम् व्यवस्था हे, लेकिन जेखर से लइका मन ला शिक्षा मिलना हे, ओ गुरूजी के कमी हावए। ए सच्चाई हे, ये यर्थाथ हे। पाण्डे जी कहात रिहिन कि 12 में लइका ला एडमिशन करा दे हे। हमर तो लाटरी निकलिस हे तेमे एडमिशन होईस हावए। हमन के.जी. वन में भी एको झन के एडमिशन नइ कराये सकेन। कतका झन लाईन लगे रिहिन। ए सही बात हे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आत्मानंद स्कूल में एडमिशन बर लाईन लगत हे। मोरो लइका ला एडमिशन करा देववं। लेकिन जो लॉटरी निकले हे, ओतकी झन के एडमिशन होईस हे। अब अलग बात हे, माननीय पाण्डे जी सत्ता पक्ष के विधायक हे, जूता बनाने वाला करा बइठ के प्रिंसपल ला बुलाकर, बइठाके 12 वीं में एडमिशन करवा दीन ते अलग बात हे। लेकिन हमन तो एडमिशन ला नइ करवा सकत हावन।

माननीय सभापति महोदय, बजट के पीड़ा ला तो मय आज विधान सभा के प्रश्न में बताए कि

हमर विधान सभा में हमला दू साल में एक-एक किलोमीटर सड़क भी प्रशासकीय स्वीकृति नइ मिलिस। सड़क के प्रशासकीय स्वीकृति काबर नइ मिलिस । हो सकत हे कि कभु लोक निर्माण विभाग चिंतन, समीक्षा करही। तो ये बात आना भी चाहिए। ओ गांव मा का सड़क के आवश्यकता नइ रिहिस हे ? अगर सड़क के आवश्यकता नइ रिहिस तो ओ बजट में कइसे सम्मिलित होईस ? अगर बजट में सम्मिलित होईस तो सरकार काबर ओकर स्वीकृति नइ दीस ? अगर ओकर प्राक्कलन नइ हे तो कौन दोषी हे ?तो ए बजट के हमर तो पीड़ा हावए। अभी माननीय कृषि मंत्री जी रहिन हावए। अभी चल दिन हे, बीज उत्पादक किसान, किसान मन ला 200 रूपये के मण्डी बोर्ड ला जो प्रोत्साहन राशि मिलथे, आज भी वर्ष 2020-21 के राशि नइ मिल पाये हे । आज तीसरा साल होत हे। मैं लगातार पत्राचार करे हावव, एक ठन चिट्ठी आए हावए कि ओ पैसा स्वीकृत होय हाबे लेकिन किसान के खाता मा नई गे हावए। वर्ष 2021-22 के पैसा तो अभी अईस हावए। प्रोत्साहन राशि अभी नई मिले हे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा नई मिले हे। वर्ष 2020-21 में बीज उत्पादन किसान मन ला पहली बीज के जो वजन मा जतका आए ततका अकन लेवय, अब पेकिंग के आधार पर लिही, मतलब एक किसान ला दू किलो प्रति क्विंटल पुन: नुकसान हो गिस। आखिर किसान के सरकार ऐ कथैय, कोन करा किसान के सरकार ए। आप कहां किसान के हित मा काम करत हावव। आप बिजली के कनेक्शन किसान ला नई देत हावव। ट्रांसफार्मर जल गिस ता ट्रांसफार्मर ला 15 दिन मा बदले नई पावत हावव। केवल धान ला एक ठन उदाहरण पा गे हावव कि 2500 रूपया क्विंटल देत हन। ऊहू हा आज ए प्रश्न मा सिद्ध हो गिस कि हर साल आप 2500 रूपया ऊहू ला नई दे हावव। माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक ला हमन विरोध करबो तभो ले पास होही, काबर कि 71 झन हे। हालांकि कि दू झन थोड़ा डगमगाय हे। दू झन मन थोड़ाकन डोले हे। लेकिन 71 झन हावय। अनुपूरक तभ भी पास होही, हम तो सरकार करा एके ठन निवेदन करबो। योजना सब सरकार बढ़िया बनाथे, योजना हा सही ढंग से लागू होवय, योजना के लाभ सबसे नीचे जीवनयापन करने वाला व्यक्ति ला मिलय, एखर बार आपके जो प्रशासन मा बैठे हुए अधिकारी हे, जो नौकरशाह हे, तेला आप ला टाईट करे बर लागही। आज पूरा प्रदेश मा आप कुछ भी कहा, पूरा प्रदेश मा हल्ला हे कि कतका अकन करप्सन हे, कतका अकन भ्रष्टाचार हे। कोन पटवारी करा, कोन तहसीलदार करा, कोन किसान के काम कैसे होवत हावय, ऐ बात के चर्चा हावय।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्रा जी, सही ला बताहा, जैजेपुर से गोबरा रोड 15 साल ले नई बनिस, अभी के सरकार मा बनिस की नई बनिस, सही ला बताहा।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बनिस हे ना।

श्री रामकुमार यादव :- हां, चला ठीक हे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बनत हे, पूरा नई बने हे। अऊ बहुत अकन हे। जेला बनना चाहिए। ओ एक-एक किलोमीटर के रोड ला काबर बनन नई देत हौव। माननीय सभापति महोदय, माननीय रामकुमार

जी सरकार कोई भी रहाय, कुछ अच्छा काम भी करथे, जो भी योजना बनाथे, ऊही ब्यूरोक्रेट मन बनाथे। योजना ला सही सोच के बनाथे। कोई भी योजना गलत नई राहय, केवल लागू कइसे होना हे, ओ जनता तक लाभ मिलत हे या नहीं, तेखर ऊपर हे। तेखर लिए हम तो आपके हित के लिए आगाह करना चाहत हन। अभी आपके देवेन्द्र यादव जी कहिन ना कि सरकार मा के साल रबो हो सकत हे, सरकार बदल जही। बढ़िया रहे राहव न, जनता के हित मा काम करव, हमन ला का नुकसान हे। हमन ला पीड़ा हे का लेकिन बढ़िया काम करिहा ता रिहा। जनता के हित मा बढ़िया काम नई करिहा तो नई रिहा। जनता दुख पाही ता तुमन ला वोट थोड़ी देही भाई। काबर वोट दिही। रामकुमार जी, पईसा मा वोट नई दे, पैसा कमा लिहा लेकिन वोट ला नई खरीद सका। आज छत्तीसगढ़ के जनता जागरूक हे, समझदार हे। आप ओखर योजना के लाभ ला ही दिला के आप कर सकत हावव। मोर आप मन करा निवेदन हे, मुख्यमंत्री जी भी आ गिन। मुख्यमंत्री जी विकास सब क्षेत्र मा चाहिए। आप पंचायत मंत्री बदल दे हो, मंत्री जी नई हे। ओखरों करा निवेदन हे। विगत तीन साल तक कोई भी पंचायत मा, ग्रामीण विकास विभाग ले कोई काम नई होय हे। मोर हिसाब से एक-एक ठन गौरव पथ एक-एक विधानसभा मा मिले हे। ओखर बाद कोई भी काम न समग्र मा न कोई अन्य माध्यम से होय हे। एक निर्मला घाट बने हावय, न एक ठन सी.सी. रोड बने हे, न एक नाली बने हावय, अब नया मंत्री बनाय हौ तो निवेदन हे, थोड़ बहुत गांव के विकास ला देखव। शहर में तो बड़े-बड़े विकास होत हे, कोई रही या नई रही। रामकुमार जी, आप भी केवल ग्रामीण अंचल मा आथव। दुवे तीन ठन नगर पंचायत हे, ऊहू गांवे कस हे, कोई शहर नई हे। ता गांव के विकास के तरफ भी सरकार के नजर होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आप बोले के मौका दे हव ओखर लिए धन्यवाद।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक बजट के रूप में दो हजार नौ सौ चार करोड़, इकतालीस लाख, सत्तर हजार, पांच सौ इकहत्तर रूपये की अनुपूरक बजट है। मैं इसके समर्थन में मांग संख्या 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 37, 41, 47, 64, 65, 69 के समर्थन में अपनी बात रखना चाहती हूं । चूंकि अपने क्षेत्र की बात कहने हेतु आपका आदेश है । मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार के माननीय मुखिया, छत्तीसगढ़ के मुखिया ने जो कहा है वह किया है और प्रदेश की जनता में यह लहर है कि भूपेश है तो भरोसा है। पैसा जनता का है और इस पैसे का कहां-कहां उपयोग करना है, बड़े ही मितव्ययिता के साथ हमारे माननीय मुखिया कर रहे हैं और आम जनता नीचे तबके तक सुविधायें देने का काम कर रहे हैं। लोगों की, जनता की यह मानसिकता है कि कका है तो हमारा काम होगा, इस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार आज पूरे साढ़े तीन साल पूरा करने जा रही है। इन मांगों के अनुसार माननीयमुखिया, हमारी सरकार ने स्वेच्छानुदान की व्यवस्था की है। स्वेच्छानुदान हम लोगों को दिया है, ताकि हम गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति को अचानक कोई तकलीफ, कष्ट हो रहा है। तो उसको हम लोग दूर कर रहे हैं । साथ माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र में दो बार गये हैं। उन्होंने जो दो बार घोषणा की उसे उन्होंने पूरा किया है और आज काम संपन्न हो रहा है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिये एन.ई.आर.एस. योजना के तहत डॉयल 112 और वूमेन हेल्प डेस्क कीस्थापना की है जिसके तहत महिलायें अपना स्वतंत्र रूप से विकास कर रही हैं। अपने व्यक्त्वि का विकास कर रही है। अपनी कठिनाइयों को दूर कर रही है । सरकार पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिये जो पुलिस चौकी है। नवीन पुलिस चौकी, संबलपुरऔर सूरजपुर के उदरगढ़ के लिये भी नयी संरचना का भी निर्माण कर रही है। इसके साथ- साथ जेलों में सी.सी.टी.वी. कैमरा ताकि जेलों का रख रखाव और अपराधी वहां किस प्रकार से हैं उसके लिये भी सचेत है। मरवाही का चुनाव हुआ। खैरागढ़ का चुनाव हुआ। चुनाव में नया जिला बनाने की घोषणा की गई। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही और खैरागढ़ गंडई, ये जिला बनाने की बात हुई। इस पर भी उन्होंने बजट दिया है। वहां की जनता जो जिले के लिये तरस रहे थे उसे भी पूरा किया है । साथ ही साथ जो पॉवर कंपनी के ऋण के लिये भी टेक ओवर के लिये ब्याज कीभुगतान, जनता को एकल बत्ती, हमारे यहां भी मिल रहा है। एच.पी. के कृषि पंपों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान और घरेलू उपभोक्ताओं को भी छूट दिया गया है। शहरी विद्युतीकरण के लिये कुटेलाभांठा दुर्ग में भी विद्युत आपूर्ति की जा रही है। साथ ही इंदिरा गंगा गांव योजना के तहत भी विद्युत की पूर्ति की जा रही है। इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। साथ ही साथ चिराग योजना के क्रियान्वयन और हमारे यहां वन पट्टा जो हमें वर्षों से नहीं मिला था, बड़े झाड़केजंगल में और जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार और शहरी क्षेत्र में आज तक वन सामुदायिक अधिकार पट्टा नहीं दिया था, वह भी देने का काम भी किया है। साथ ही साथ जैसे हाट बाजार योजना है। दीदी दाई क्लीनिक योजना है। वैसी ही वेटनरी के क्षेत्र में नवीन 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट की स्थापना। राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना। ये निश्चित तौर से हमारे पशु चिकित्सक विभाग के लिये बहुत उल्लेखनीय कार्य है। ताकि हमारे पशुपालक इसका आसानी से लाभ ले सकें। नाबार्ड सहायता के तहत् हमारी सहकारी समितियों में जो गोदाम निर्माण है, हमारा जो धान और जितना भी हमारा उत्पादन है उसके लिये भी चबूतरा निर्माण का कार्य किया गया है जिसके कारण धान और सारी चीजें सुरक्षित है उसी तरह से दुर्घटना के लिये भी ट्रामा सेंटर इस बजट में दिया है । देउंर गांव में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नांदघाट में ट्रामा सेंटर तथा स्मार्ट सिटी रायपुर के लिये भी बजट दिया है ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में भारतमाला और एडीबी की रोड जा रही है । इसके साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगी कि मेरे क्षेत्र में दूर-दूर गांव हैं । वहां पीएमजीएसवाय की सड़क होना बहुत जरूरी है, मेरे क्षेत्र में बड़े-बड़े बांध भी हैं और उस बांध में बड़े-बड़े पुल का भी बजट दिया है, नहरों का भी बजट दिया है इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री

जी को धन्यवाद देती हूं । आने वाले समय में मेरा जो वनांचल क्षेत्र है, उसमें विकास की जरूरत है और जब भी आप नगरी-सिहावा आयेंगे तो उस क्षेत्र में जरूर जाकर देखेंगे और वहां के लोगों की समस्याओं को हल करेंगे । इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाये गये अनुपूरक अनुमान मांगों पर बोलने के लिये खड़ी हुई हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे सभी पक्ष के साथियों ने छत्तीसगढ़ सरकार को विकास के लिये विकास पुरूष कहा है लेकिन मेरी नजरों में नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी के अलावा किसी भी तरह का कोई विकास कार्य छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है । मैं इसमें भी आपका ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगी कि करोड़ों-अरबों रूपये खर्च करके गांव-गांव में जो गौठानों का निर्माण करवाया गया है उसमें मवेशी रहते ही नहीं हैं, पूरे मवेशी सड़कों पर निवासरत हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि रोका-छेका के माध्यम से आप मवेशी को गौठान में ले जाने का कार्य करें जिससे एक्सीडेंट जैसी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं वह ज्यादातर मवेशियों के सड़कों पर होने के कारण होती हैं तो इसमें आसानी होगी । अभी सम्माननीय साथियों के द्वारा आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बारे में बहुत सारी बातें कही गयी हैं ।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से मैं छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने गरीब बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिये आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ किया है लेकिन मैं आपका ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगी कि हर एक ब्लॉक में जितने भी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं और जिसमें यह नियम है कि कोरोनाकाल में जिन बच्चों के माता-पिता गुजर चुके हैं या हमारे बी.पी.एल. के जो बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं उनको प्राथमिकता में लिया जायेगा लेकिन आप लिस्ट निकलवाकर देख लीजिये कि किसी भी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जितने भी हमारे गरीब के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं उनको नहीं लिया गया है बल्कि सिफारिश के माध्यम से या पैसे के लेन-देन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान शिक्षा के क्षेत्र की ओर आकर्षित कराना चाहूंगी कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में ग्राम पंचायत जोगीडीपा है जिसमें प्राथमिक शाला भवन अत्यंत जर्जर है, जिसमें खपरैल की छावनी है और वहां बरसात में पूरा पानी स्कूलों में भर जा रहा है और वहां सांप-बिच्छू भी निकल रहे हैं जिससे वहां के छात्र-छात्राएं और उनके पालक बहुत भयभीत हैं । जब शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम मनाया गया तो पूरे ग्रामवासी और पूरे पालकों द्वारा उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया था तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि जो ग्राम पंचायत जोगीडीपा है, वहां जो प्राथमिक भवन अत्यंत जर्जर है उसके लिये आप

बजट दें जिससे हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो । इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत शिवरीनारायण से तुसमा होते हुए जो खैरताल सड़क है और देवरी मोड़ से ग्राम पंचायत भुलगांव तक जो सड़क चौड़ीकरण और नये सड़क निर्माण को बजट में शामिल किया गया था लेकिन बजट से इसे हटा दिया गया है और किस कारण हटाया गया है यह मुझे ज्ञात नहीं है या मैं विपक्ष में हूं इसलिये हटाया गया है या आने वाले भविष्य में मेरे मान-सम्मान पर ठेस पहुंचे इसलिये हटाया गया है, मैं यह जानती नहीं हूं लेकिन मैं आपके माध्यम से पुन: माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, चूंकि यह जो सड़कें हैं, वह अत्यंत जर्जर हो चुकी हैं । बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं और हजारों-करोड़ों लोग इसमें चलते हैं और कई सारी अनैतिक घटनाएं भी घट चुकी हैं। सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है।

सभापति महोदय :- चलिए, धन्यवाद। माननीय रजनीश कुमार सिंह जी।

श्रीमती इंदू बंजारे :- सर-सर, एक मिनट। सर, मैं अस्पताल के बारे में बोलना चाहूंगी। चूंकि सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने दीदी दाई क्लीनिक, धनवंतरी मेडिकल स्टोर और ऐसे बहुत सारे हाट बाजार क्लीनिक खोले हैं, लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आपने निश्चित रूप से इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मेरे पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ऐसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां भवन अत्यंत जर्जर हैं। जो केवल रिफर सेंटर बनकर रह गये हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी कि मेरे पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक केरा ग्राम पंचायत है, जिसमें प्राथमिक सामुदायिक भवन बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन डेढ़ साल हो चुका, आज तक हैण्ड ओव्हर नहीं हुआ है, जिसका लाभ ग्रामवासी को नहीं मिला है। इसके संबंध में मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा था और मिलकर भी उनसे चर्चा की थी।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। समाप्त करें। माननीय प्रमोद कुमार सिंह जी।

श्रीमती इंदू बंजारे :- जी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय संगीता सिन्हा जी। संक्षेप में अपने क्षेत्र की बात कह दें, क्योंकि काफी समय हो गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय सभापति महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो प्रथम अनुपूरक पेश किया गया है, उसके समर्थन में बात रखने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे क्षेत्र के बारे में बोलने के लिए कहा, लेकिन मेरे क्षेत्र में अभी तक कोई समस्या है ही नहीं।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। बैठ जाइए। (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं।

सभापति महोदय :- संक्षेप में कर दें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी, मेरे विधान सभा में जितने भी बड़े-बड़े पुल थे, वे पूरे हो चुके हैं और अभी वर्तमान में अभी एक कार्यक्रम बासीन में हुआ था। हकॉलेज का उद्घाटन और पुल का लोकार्पण के कार्यक्रम में माननीय ताम्रध्वज साहू जी गये थे और साथ में हमारे उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी गये थे। उस दिन बहुत बारिश हुई थी और जो पुल है उसी के कारण वह गांव बचा हुआ था। नहीं तो आवागमन का पूरा रास्ता बंद था। उससे लोगों को समझ में आ गया कि हमारी सरकार ने हमारे लिए क्या किया। नहीं तो अभी तक की जो सबसे बड़ी जो समस्या थी, वह पुल की थी। जो 2-4 पुल हैं, वे पूरे हो चुके हैं। गांव टापू के रूप में हो जाते थे और आज हम लोग बहुत सुखी हैं। साथ में अभी आत्मानंद स्कूल की चर्चा हुई तो आत्मानंद स्कूल के बारे में कहना चाहूंगी कि गांव वाले बहुत खुश हैं। हमारे गांव के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं मिलता था। अगर किसी को इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए रहता था तो उसके लिए उन्हें 2-2, 3-3 लाख खर्च करने पड़ते थे और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आत्मानंद स्कूल खोले हैं, उसकी मांग अभी बढ़ चुकी है। अभी तो हर ब्लॉक में मांग बढ़ रही है और हर ब्लॉक में खोला जाना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं। साथ में जो हर विषय में हमारे विपक्ष के साथियों ने चर्चा की, लेकिन एक जो विशेष छोटी सी बात है, हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, इस पर मैं कहना चाहती हूं। जो छत्तीसगढ़ के अंचल में रामायण मंडली में कार्यशील कलाकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कला दलों को सतत् रामायण मंडली को प्रोत्साहन योजना हेतु 10 करोड़ रूपये का प्रावधान है। सभापति महोदय जी, इसके लिए तो इनको धन्यवाद कहना चाहिए और साथ में जो एकल बत्ती के कनेक्शन हेतु 42 करोड़ 31 लाख रूपये का प्रावधान किया है, उसके लिए भी धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय :- चलिए, धन्यवाद। माननीय ममता चन्द्राकर जी। 2 मिनट में समाप्त करें। समय काफी हो गया है।

प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदा बाजार) :- सभापति महोदय, मेरा नाम छूट गया था। इसलिए मैं निवेदन करता हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चलिए ठीक है। दो हजार नौ सौ चार करोड़, इकतालीस लाख, सत्तर हजार, पांच सौ इकहत्तर रूपये की जो अनुपूरक राशि का प्रावधान किया है, उसे सर्वसम्मति से पास कर दिया जाना चाहिए। सभापति महोदय जी, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय अनिता योगेन्द्र शर्मा जी।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत् अनुपूरक अनुदान मांग के समर्थन में खड़ी हुई हूं । सभापति जी, क्षेत्रवासी और जनता की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद् ज्ञापित करती हूं कि आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा हाट बाजार मेडिकल यूनिट के माध्यम से ग्रामीण लोगों का इलाज किया जा रहा है, उससे महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है । जो महिलाएं कभी अपना इलाज नहीं करवा पाती थीं, आज जब वे हाट बाजार में जाती हैं तो बड़ी उम्मीद के साथ मेडिकल यूनिट में जाकर अपना इलाज कराती हैं, दर्द की दवा और एनीमिया जैसी शिकायत जो महिलाओं में होती थी, आज उस शिकायत को दूर करने में माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिल रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके तहत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल शामिल है । जिस इंग्लिश स्कूल के लिए गांव, गरीब तरसते थे, वे सोचते थे कि हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे लेकिन आज उनका सपना साकार हो रहा है । बहन इंदू बंजारे जी बोल रही थीं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं कहना चाहूंगी कि कहीं भी ऐसी शिकायत नहीं है । वहां गरीब तबके के लोग और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं उन्हीं को आज महत्व दिया जा रहा है, मध्यम वर्ग से लेकर हर परिवार को सहयोग मिल रहा है । आज भूमिहीन किसान जिस किसान के पास एक एकड़ भी जमीन नहीं है, उस किसान को सम्मान देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है । आज गौठान में गौ मूत्र खरीदने की योजना चलाई जा रही है, वह योजना गौपालकों के वरदान साबित होगी । आज गौवंश की रक्षा हो रही है, आज गौ माता के नाम से लोग गौ सेवक बनते थे । सही मायने में गौ सेवा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद् देना चाहती हूं । सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने क्षेत्र की कुछ समस्या बताना चाहूंगी । ग्राम पंचायत बरबंदा जो कि स्वामी आत्मानंद जी की जन्मस्थली है, वहां स्वामी आत्मानंद जी के नाम से हिंदी मीडियम स्कूल बनाने की मांग करती हूं ताकि स्वामी आत्मानंद जी का नाम वहां बना रहे । साथ ही साथ विधान सभा चौक जिसे ज़ीरो प्वाइंट के नाम से जाना जाता है, उस चौक का नाम भी स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर रखा जाए, मैं ऐसा निवेदन करती हूं । सभापति महोदय, मेरी कुछ मांगें हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत धनेली जहां कन्या महाविद्यालय नहीं होने के कारण बच्चे वहां आठवीं तक की ही पढ़ाई कर पा रहे हैं, आगे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है । हाईवे के कारण बच्चों को सिलतरा तक जाने में काफी तकलीफ है । मैं निवेदन करती हूं कि वहां कन्या महाविद्यालय खोला जाए । साथ ही साथ ग्राम पंचायत पथरी में भी कन्या महाविद्यालय की मांग करूंगी । इसके अलावा बरोंडा में हाईस्कूल की मांग है। ग्राम पंचायत पथरी, ग्राम पंचायत खपरी, बोहरही धाम को बंजारी माता मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की कृपा करेंगे, धन्यवाद् ।

सभापति महोदय :- प्रमोद कुमार शर्मा जी, संक्षिप्त में अपने क्षेत्र की बात करें।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- धन्यवाद् माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद् । सबसे पहले मैं अपनी खुद की समस्या की चर्चा इस सदन में कर लेता हूं ।

सभापति महोदय :- खुद की समस्या का निराकरण तो आप खुद ही कर लें ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, मैं खुद की पिस्टल के लायसेंस के लिए आवेदन दिया था, एक साल हो गया और मेरा सीधा कहना है कि अगर कोई कांग्रेस का विधायक रहता तो अधिकारी द्वारा अभी तक बना दिया जाता । लेकिन एक साल से आवेदन पड़ा हुआ है । क्या सरकार को हमारी सुरक्षा का ख्याल नहीं है। मान लीजिए मुझे गोली मार दी जाए या कुछ हो जाए तो उसका जवाबदार कौन होगा? मान लीजिए ऐसी कोई घटना घट जाए तो क्या होगा ? मैंने एक लायसेंस के लिए आवेदन दिया है, यहां अधिकारी दिख नहीं रहे हैं । उनहें बोलते एक साल हो गया है । यह बात रिकार्ड की जाए कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो उस अधिकारी को जवाबदार माना जाए ।

सभापति महोदय :- मान लीजिये कि आपको पिस्टल का लाईसेंस दे दिया जायेगा और आपके द्वारा गोली चल गई तो। (हंसी)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं ऐसा नहीं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मुझे लाईसेंस दिलवा दें। मुझे एक साल से पिस्टल का लाईसेंस नहीं दे रहे हैं। (हंसी)

सभापति महोदय :- चलिये, आपकी बात आ गई।

श्री धर्मजीत सिंह :- भैया, उनके चैंबर से ले लेना। (हंसी)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपने जिले के अपने विधानसभा की समस्या के बारे में कहना चाहूंगा कि सरकार के बारे में बड़ा-बड़ा गुणगान कर रहे थे कि सरकार यह कर रही है, वह कर रही है। मैं गौठान संबंधी बात कहना चाहूंगा कि बलौदाबाजार में सिर्फ एक ही गौठान है। आप रिकार्ड देख लीजिये, पुरैना खपरी गांव में एक गौठान है। तो जो भी मंत्री, जो भी अधिकारी आते हैं, उनको सिर्फ एक ही गौठान दिखाने के लिए जाते हैं। कम-से-कम एकाध गोठान और बनवा दीजिये। मतलब जो अधिकारी आये, जो मंत्री आये, सिर्फ एक ही गौठान को दिखाते हैं।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- प्रमोद जी, आप पांच गौठान और प्रस्तावित कर दीजिये, हम उसको भी आपके देखने लायक बना देंगे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नहीं भैया, यह तो सिर्फ कागजी है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप बोलेंगे तब तो हम बनायेंगे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं बता दूंगा, लेकिन पूरा कागज में खेल चल रहा है। सिर्फ गौठान के नाम पर ...।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- शर्मा जी, मंत्री जी बताने के लिए कह रहे हैं तो आप बता देना।

श्री धर्मजीत सिंह :- शर्मा जी, आप गौठान की बात छोड़िये। आप सोमवार को मुख्यमंत्री जी के पास जाकर पिस्टल लाईसेंस की बात करिये। (हंसी)

सभापति महोदय :- चलिये, धन्यवाद।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक छोटा-सी मांग है। यहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, पता नहीं कि वह मेरी मांग को पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वह मेरी मांग पूरी कर देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री प्रमोद कुमार शर्मा) :- प्रमोद शर्मा जी, आपको पिस्टल की क्या जरूरत है, आपकी तो ऐसे ही जबानी गोली चलती है। आपको बंदूक की क्या जरूरत है?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- क्या है कि धर्मजीत भैया कहथे कि मुख्यमंत्री जी के पास जाकर चेम्बर में मिल लेबे। ओहर सब ला साक्षी रखथे कि मुख्यमंत्री पहली मया करत रहीसे, आज कल मया नइ करथे। (हंसी)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- हाँ, ओहर सही बात हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, प्रमोद जी, समाप्त करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या है कि प्रमोद जी नहीं जा रहे हैं तो दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें, ऐसा पुराना गाना है, इसको याद करिये। आप मिलने जाओ, इसमें क्या दिक्कत है?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत पुराना मांग है, वहां बहुत समस्या है। एक सद्भामा गांव है, जहां पर तीन किलोमीटर तक जाने का कोई रोड नहीं है। माननीय चौबे जी प्रभारी मंत्री हैं, तो मैं माननीय चौबे जी से निवेदन करूंगा कि अब तो आपके पस पंचायत विभाग का भी फंड आ गया है तो उस गांव में तीन किलोमीटर रोड की मांग है। (हंसी) इसको कम से कम बना देते, इसको बनवाने का कम से कम आश्वासन दे देते।

सभापति महोदय :- प्रमोद जी, हो गया?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- जी-जी, हो गया। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय प्रकाश नायक जी।

श्री प्रकाश नायक (रायगढ़) :- [5][xx]

सभापति महोदय :- माननीय कौशिक जी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है। उसमें 2 हजार, 904 करोड़, 41 लाख रूपये की पूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत की गई है। इसमें 2 हजार, 44.67 करोड़, 98

[5] [xx] अनुपस्थित

अभिलेख/प्रकाशन के लिये नहीं

लाख का राजस्व व्यय है और मात्र 436 करोड़, 42 लाख का पूंजीगत व्यय का प्रावधान रखा गया है। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया था, तब मूल बजट में 1 लाख, 04 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान था, जिसमें राजस्व व्यय 88,371 करोड़ और पूंजीगत व्यय 15,240 करोड़ रूपये का था। उस बजट में यह बताया गया था कि राजस्व आधिक्य 701.64 करोड़ और वित्तीय घाटा 14,599 करोड़ है। यह जो 701.64 करोड़ रूपये का राजस्व आधिक्य और 14 हजार करोड़ का राजस्व घाटा बताया गया है। तो जो राजस्व आधिक्य प्रस्तुत किया गया था, उसको यदि हम अनुपूरक बजट का राजस्व व्यय के साथ मिला देते हैं तो यह राजस्व घाटा में बदल जायेगा। माननीय सभापति महोदय, हम बजट में प्रावधान रखते हैं, लेकिन बजट में प्रावधान रखने के बाद में उसमें खर्च कितना करते हैं? हम बजट के आकार को जितना बढ़ा लें, लेकिन यदि खर्च नहीं हुआ तो फिर आपको उस बजट का लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि कल इस विधानसभा में वर्ष 2020-2021 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा रिपार्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें बताया गया है कि 20 हजार 650 करोड़ रूपये तो खर्च ही नहीं हो पाये। यह चिकित्सा शिक्षा से संबंधित बजट है। यदि आप बजट रखते हैं और बजट रखने के बाद में यदि आप 20 हजार करोड़ रूपये खर्च नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो बजट रखा और जो खर्च हुआ, यह वास्तविकता से कोसों दूर है। वर्ष 2021-2022 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 15 हजार 72 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया था और यदि हम पूरे वर्ष के लेखा का मिलान करेंगे तो पूंजीगत व्यय केवल 10 हजार 504 करोड़ रूपये हुआ। यदि पूंजीगत व्यय नहीं होगा तो प्रदेश में विकास कैसे होगा ?

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई। अब इन 5 मेडिकल कॉलेजों की जो स्थिति है उसके लिए बजट का प्रावधान भी रखा गया। अभी सप्लीमेन्ट्री बजट में भी उसके लिए प्रावधान रखा गया है। लेकिन बजट में प्रावधान रखने के बाद में मैं यह कहता हूं कि यदि सरकार की इच्छाशक्ति हो तो उसका इप्लीमेन्ट होगा और आप उन कॉलेजों को खोलेंगे। अब तो आपने मूल बजट में भी प्रावधान रखा है। आपने सप्लीमेन्ट्री बजट में भी प्रावधान रखा, तो क्या आप इसकी समय-सीमा बताएंगे कि हमारे ये मेडिकल कॉलेज कब तक खुल जाएंगे ? आपके एक भी मेडिकल कॉलेज को अनुमति नहीं मिली तो कहां से खुलेंगे ? जब उसमें भर्ती होगी और उसमें पढ़ाई शुरू होगी तो उसके बाद आपको पता लगेगा।

माननीय सभापति महोदय, केवल इतना ही नहीं है। मैं अभी शुरू किया हूं। अब प्रश्न यह है कि अभी जो अनुपूरक बजट लाया गया है उसमें निश्चित रूप से हम लोग आशान्वित थे कि वर्तमान में प्रदेश में जो समस्या है उस समस्या के ऊपर इस बजट में प्रावधान रखे जाएंगे और उस समस्या का निराकरण होगा। आज सड़कों की स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है। हमारी सड़कें बनी हुई हैं लेकिन उनकी मरम्मत करने के लिए आपके बजट में प्रावधान भी नहीं है। आपने विमानन विभाग के लिए तो

300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया। हवाई जहाज भी जरूरी हैं लेकिन जनता के चलने के लिए सड़क भी जरूरी है और आपने उसके लिए बजट में प्रावधान नहीं रखा। मैं बजट को देख रहा था तो ऊर्जा विभाग में 500 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है लेकिन यह प्रावधान किसके लिए रखा गया ? यह आपके पॉवर कंपनी के 300 करोड़ रूपये के ऋण के टेक ओवर के लिए है। मतलब, कंपनी के द्वारा जो कर्जा लिया गया है उस कर्जे के एवज में आप उसको बजट से 300 करोड़ रूपये दे रहे हैं। आपने पंप कनेक्शन के लिए 200 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। कल बात हो रही थी और बात होने के बाद में आपने बताया कि हमने इतना पैसा दिया है।

माननीय सभापति महोदय, अभी 50 हजार से ज्यादा पंप कनेक्शन पेंडिंग हैं तो यदि उसके लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाता तो किसानों को पंप की सुविधा मिलती, क्योंकि किसानों को 1 लाख रूपये की सब्सिडी देने का प्रावधान है लेकिन यह सरकार उस स्थिति में नहीं है कि किसानों के पंप के कनेक्शन के लिए 1 लाख रूपये की सब्सिडी दे सके। आज यह सरकार इस स्थिति में भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे लगभग 3 लाख कर्मचारी डी.ए. की लगातार मांग कर रहे हैं। अभी 25 तारीख से अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। केन्द्र सरकार ने 34 प्रतिशत डी.ए. दे दिया और 34 प्रतिशत डी.ए. देने के बाद में हिंदुस्तान के लगभग 13 राज्यों ने 31 प्रतिशत डी.ए. दिये हैं और इन राज्यों के द्वारा 31 प्रतिशत डी.ए. देने के बाद में छत्तीसगढ़ में हम लोग 17 प्रतिशत डी.ए. में अटके हुए हैं। हम लोग 17 प्रतिशत डी.ए. से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब इस मांग को लेकर पूरे अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल में जाने वाले हैं। आज मैंने बताया था कि हमारे 1 लाख 9 हजार सहायक शिक्षक सड़कों पर हैं। यह शिक्षक किसके लिए सड़कों पर हैं ? वह इसलिए सड़कों पर हैं क्योंकि उनके वेतनमान में विसंगति है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, यदि मुख्यमंत्री जी उस आश्वासन के अनुरूप प्रावधान कर दिये होते तो उनको लाभ मिलता, लेकिन वह इस लाभ से भी वंचित हैं और उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया। हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की लगभग 23 हजार किलोमीटर सड़कें हैं । आज जो उनकी स्थिति है, उसमें मुझे लगता है कि यदि हम हर साल कम से कम 10 प्रतिशत सड़कों का सरफेस बदलेंगे तो ही उस सड़क की मरम्मत होगी । नहीं तो आगे और खराब होगी, उसके लिए भी इस अनुपूरक बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । बाकी हम देख रहे हैं कि बिजली की क्या स्थिति है, केन्द्र की योजनाओं का क्या हश्र हो रहा है, जल-जीवन मिशन में नीति आयोग की जो रैंकिंग हैं, हम उसमें आखिरी में 30वें नम्बर पर हैं । उसके लिए यदि सरकार मैचिंग ग्रांट की राशि देती तो गरीब के घर में टेप नल के द्वारा पानी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी इनके पास पैसा नहीं है कि प्रावधान कर सकें और घर-घर पानी पहुंचाने में भी यह सरकार फिसड्डी निकली है ।

माननीय सभापति महोदय, यदि हम उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो उच्च शिक्षा का तो उल्लेख ही नहीं है । मैंने सुबह बताया था कि शिक्षा की क्या स्थिति है? अभी एक सर्वे का रिपोर्ट आया, यह नेशनल एचीव्हमेंट सर्वे, 2021 की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में देश भर में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से कराए गए सर्वे में राज्य के बच्चों का परफारमेंस 36 राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेश में हमारे प्रदेश के बच्चों का परफारमेंस 30वां स्थान है । शिक्षा में हमारे प्रदेश की स्थिति लगातार गिरती जा रही है । आज तो यह स्थिति है कि जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं, वे दूसरी और तीसरी के लिखने के लायक नहीं हैं । अभी कॉलेज की ऑनलाईन परीक्षा हुई, उस परीक्षा में भी विद्यार्थियों ने घर में पेपर बनाया, उसमें भी 10-15 लोग फेल हो गए । हिन्दुस्तान में हमारे प्रदेश की यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है ? मतलब जहां रैंकिंग की बात आती है तो छत्तीसगढ़ का नाम चश्मा लगाकर ढूंढना पड़ता है । हम 150 की रैंकिंग से भी नीचे चले गए हैं । यह स्थिति छत्तीसगढ़ की शिक्षा की है, हम चाहे हायर एजुकेशन की बात करें, यूनिसर्विटी की बात करें या हम स्कूल शिक्षा की बात करें । शिक्षा में हमारे प्रदेश का स्तर नीचे जा रहा है, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है क्योंकि यदि किसी को भी आगे बढ़ना है तो संभव नहीं है कि बिना शिक्षा के आगे बढ़ सकें ।

माननीय सभापति महोदय, अभी जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम खैरागढ़-छुईखदान को जिला बनाएंगे, एक दिन में कलेक्टर बिठा देंगे । यह तो अभी की बात है । इसके पहले आपने मोहला-मानपुर, मनेन्द्रगढ़, सारंगढ़ को जिला बनाने की घोषणा की है, परन्तु वह आज भी अमल में नहीं आया है और जो बजट का प्रावधान किया गया है, वह एक जिले के लायक भी नहीं है कि उसको अस्तित्व में लाया जा सके । आप तुष्टिकरण की नीति में केवल चुनाव जीतने के लिए घोषणा करेंगे, उसके बाद में आपको जिला घोषित किए एक साल हो गए, मैं समझता हूं कि उसके लिए पर्याप्त राशि रखनी चाहिए थी । वहां कलेक्टर, एस.पी. और सारे अधिकारी बैठ जाते तो उस जिले के लोगों को लाभ मिलता । आपने एक प्रकार से जिला बनाने की घोषणा तो की, आपने वोट भी लिया तो क्या वहां की जनता का अपमान नहीं हैं ? आप वोट लेने के बाद भी जिला नहीं बना पाये और उनको आजतक पूर्ण जिले का दर्जा नहीं मिला ।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । प्रधानमंत्री आवास योजना पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, 27 तारीख को चर्चा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जहां कर्ज की स्थिति की बात है, मुझे लगता है कि आज से डेढ़ साल बाद देखेंगे तो एक लाख करोड़ रूपये से ऊपर का कर्ज छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा। आज हमारी कर्ज की क्या स्थिति है ? आपने कर्ज लिया है, मैंने इसमें कर्ज देने वाली कम्पनी का नाम भी बताया है, हमको कर्ज के किश्त और ब्याज की राशि की अदायगी के लिए 10 हजार करोड़ रूपये चाहिए। यदि हमको किश्त और ब्याज पटाना है तो 10 हजार करोड़ रूपये चाहिए। मै पूर्व वर्षों का बताना चाहता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आप साढ़े सात साल पूर्व का निकालकर देखिये, उस समय 3,600 करोड़ रूपये के आसपास किश्त की राशि रहा करती थी। इस तरह हम देखेंगे तो इन तीन सालों में इसमें तीन गुना की वृद्धि हुई है। पहले तो सरकार सीधे कर्ज ले लेती थी, आजकल तो निगम- मण्डल, कम्पनी के माध्यम से कर्ज ले रही है। यह पहली बार हुआ है कि निगम-मण्डल, कम्पनी के माध्यम से कर्ज लें और उसकी अदायगी सरकार के बजट से हो। पहले ढाई साल में मात्र 4,965 करोड़ रूपये का कर्ज था और जो अब लगभग 29 हजार करोड़ रूपये का कर्ज हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, कल विधानसभा में एक एम.ओ.यू. के प्रश्न का जवाब आया, मैं उसको देख रहा था। छत्तीसगढ़ मॉडल, यह हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल है। एक इनवेस्टर मीट हुआ, उसमें 84 उद्योगपतियों ने भाग लिया और उसमें लगभग 94 हजार करोड़ रूपये का निवेश होना था। लेकिन निवेश कितना हुआ ? 15 सौ करोड़ हुआ। उसमें 1 लाख 20 हजार लोगों को रोजगार मिलना था, लेकिन आपने 25 सौ लोगों को रोजगार दिया। मुख्यमंत्री जी, यही आपका छत्तीसगढ़ मॉडल है?

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार आने के बाद एक नई बीमारी लगी है। जो सरकारी बैंक में पैसा जमा है, उसको ले जाकर प्रायवेट बैंक में जमा कर रहे हैं। अब अंदर क्या बात है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिस प्रकार से उस पैसे को ले जाकर प्रायवेट बैंक में जमा कर रहे हैं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, यह पहली बार हुआ है। पहले प्रायवेट बैंक से पैसा निकालकर सरकारी बैंक में जमा करते थे, लेकिन सरकारी बैंक से पैसा निकालकर प्रायवेट बैंक में जमा कर रहे हैं। उस पर 3 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें कौन सा खेल खेल रहे हैं ?

माननीय सभापति महोदय, ये केन्द्र सरकार के ऊपर हमेशा आरोप लगाते हैं कि केन्द्र सरकार ने क्या किया ? समाचार-पत्रों के माध्यम से पता चलता है कि केन्द्रीय मंत्री आ रहे हैं तो हमारे प्रदेश को क्या मिला ? मैं आज धान के बारे में बता रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पहले की बात पर नहीं जाता हूं, वर्ष 2018 को जोड़ दें तो वर्ष 2018 से अभी तक 65 हजार करोड़ रूपया केन्द्र सरकार ने चावल लेकर धान के लिए राशि दी है। आने वाले वर्ष के लिए 20 हजार करोड़ रूपया और मान लें, तो लगभग 85 हजार करोड़ हो जायेगा। इस तरह छत्तीसगढ़ के एक साल के बजट के समतुल्य आपको, छत्तीसगढ़ को केवल धान की खरीदी और चावल लेने के लिए दिया गया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप थोड़ा शब्द को सुधार लीजिये। केन्द्र सरकार ने दिया नहीं है, केन्द्र सरकार ने चावल के विरूद्ध अदाय किया है। दिया नहीं है, छत्तीसगगढ़ को अलग से कोई पैसा नहीं दिया है।

श्री धरम लाल कौशिक :- मंत्री जी, आपने धान खरीदने के बाद चावल बनाकर दिया है, हम लोगों ने भी देखा है कि पहले कितना दिया गया था, लेकिन आज आपको कितना मिला है ? तो आपको इस बात को चुपचाप स्वीकार करना चाहिए, आपको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी रोज एक नई योजना लांच करते हैं और उसके लिए कहीं फण्ड नहीं है, बजट की व्यवस्था नहीं है। आपकी अनेक योजनाएं हैं, जो बिना बजट के हैं। तो आपको कम से कम आरोप नहीं लगाना चाहिए, नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। उस राशि से योजनायें संचालित हो रही है । सभापति महोदय, मुझे आज बोलने की बहुत आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश किस दिशा में है, छत्तीसगढ़ में केन्द्रीय योजनाओं का क्या हश्र हो रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है । पानी देने में आप सक्षम नहीं हुये हैं, आपका प्रदेश तीसरे नंबर पर आ रहा है । शिक्षा जो महत्वपूर्ण है, आज ही इनोवेशन हुआ है, आप तीसरे नंबर पर आ रहे हैं । इसके बाद प्रधानमंत्री आवास का आपने देख लिया है, मैं ऐसे अनेक योजनाओं के बारे में बता सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रही है । छत्तीसगढ़ में आपकी प्रमुखता जो है, वह शराब है । शराब में मास्टरी पता नहीं कहां से प्राप्त कर लिये हैं, शराब में इतने परिपूर्ण हो गये हैं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं दूसरे प्रदेशों में जाकर भी इंकम जनरेट करने का काम हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकारी करेंगे । छत्तीसगढ़ में शराब की क्या स्थिति है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, चर्चा करते हैं और आगे चर्चा करेंगे ।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- नेता जी, मध्यप्रदेश वाले बुलाये हैं ।

श्री शैलश पाण्डे :- एक बात बताईये भईया, निवेदन है । जब आपकी सरकार में शराब बेचने की पालिसी लाये थे तो आप लोगों के मंत्री हुआ करते थे, वह पांच-छैः राज्यों में स्टडी करने गये थे । स्टडी करने के बाद आपकी सरकार ने दारू की पालिसी बनाई थी, उसके बाद उसको लागू किया । यही छत्तीसगढ़ सरकार चार-पांच प्रदेशों में स्टडी करने के लिए जाकर अपने यहां लागू कर सकती है तो दूसरा प्रदेश भी स्टडी करने के लिये आयेगा ना ? उसमें गलती क्या है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय शैलेष जी, जब आपकी नई पालिसी आई थी ना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठा करते थे, जहां खेलसाय जी बैठे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी का कथन था कि सरकार का काम शराब बेचना नहीं है, उन्होंने विरोध किया था । जिस बात का उस समय विरोध कर रहे थे, उसको आज लागू क्यों किये हो, आप जरा यह बता दें ।

श्री शैलश पाण्डे:- इस बात का विरोध तो आज भी करते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, जैसे शराब में इनकी मास्टरी है, यदि शिक्षा में भी इनकी मास्टरी होती और शिक्षा में अव्वल नंबर पर आ जाते तो बेहतर होता । अव्वल नंबर कहां से आ रहे हैं, पीछे से अव्वल नंबर पर आ रहे हैं । वास्तव में यदि अव्वल नंबर आते तो शायद प्रदेश की दिशा और दशा दोनों सुधर जाती । लेकिन जिस प्रकार से अनुपूरक बजट लाया गया है, मैं यह कह सकता हूँ कि जनहित में होने के बजाय जो आवश्यक चीजों के लिए प्रावधान रखते तो निश्चित रूप से हम समर्थन करते । आप यदि डी.ए. देने की बात करते, यदि आप किसानों के पम्प कनेक्शन देने की बात करते, आप 50 हजार पम्प कनेक्शन लगवा देते और हम समर्थन करते कि और इसको बढ़ा लीजिए ।

यदि आप केन्द्र की योजना लाये तो कब लाये, उन घरों को जाकर देखेंगे, पहले एक बार उसका परीक्षण करा लें । परीक्षण कराने के बाद में क्या स्थिति बनेगी, उसे देखें । जिस प्रकार से लाये गये और लाने के बाद में आज सारे अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक लोग सड़कों पर है और जिस प्रकार से प्रदेश का वातावरण दूषित हुआ है, सामूहिक आत्महत्या से लेकर आत्महत्या का दौर चल रहा है, इस प्रदेश में पता नहीं क्या नजर लग गई है, आप देखेंगे कि आत्महत्या में प्रदेश दूसरे नंबर पर है । आप देखेंगे कि इस प्रदेश में अनाचार की घटनायें बढ़ रही है, चाकूबाजी की घटनायें लगातार हो रही है । गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, अऊ रोज चाकू मारबो । यदि यह संस्कृति डेवलप हो गई तो कभी छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो सकता और इसलिए मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करते हुये आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी एक मिनट । मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस बजट में आपने ही जांजगीर-चांपा में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी । बजट में कोई प्रावधान नहीं है । प्रदेश का एकमात्र लोक सभा क्षेत्र है, जो अनुसूचित जाति बाहुल्य है । अनुसूचित जाति वर्ग के लिये आरक्षित है । आप इसमें प्रावधान करवा देते, इसमें घोषणा कर देते जांजगीर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने वाले आदरणीय अजय चन्द्राकर जी, माननीय मोहन मरकाम जी, माननीय डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी जी, माननीय श्री अरूण वोरा जी, माननीय सौरभ सिंह जी, माननीय देवेन्द्र यादव जी, माननीय पुन्नूलाल मोहले जी, माननीय शैलेष पाण्डेय जी, माननीय धर्मजीत सिंह जी, माननीय श्री रामकुमार यादव जी, माननीय श्री केशव प्रसाद चन्द्रा जी, माननीया डॉ.लक्ष्मी ध्रुव जी, माननीया श्रीमती इंदू बंजारे जी, माननीया श्रीमती संगीता सिन्हा जी, माननीया श्रीमती अनीता योगेन्द्र शर्मा जी, माननीय श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी और बहुत ही सम्माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक जी । मैं सभी वक्ताओं को हद्य से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने प्रदेश के बहुत से समस्याओं के बारे में, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, प्रदेश में चल रहे विकास योजनाओं के बारे में, इस पवित्र सदन के माध्यम से अपनी बात रखे हैं । मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़े ही गौरव के साथ याद दिलाते हुए अपने उद्बोधन की शुरूआत करना चाहता हूं कि आज हमारे "राष्ट्रीय झंडा अंगीकार दिवस" की 75वीं सालगिरह है। (मेजों की थपथपाहट) 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने वर्तमान स्वरूप में जो तिरंगा है, उसे स्वीकार किया था। आज तिरंगे के स्वरूप के जन्मदाता पिंगली वैंकैया जी का पावन स्मरण और सादर नमन करता हूं। केसरिया, सफेद और हरे रंग से सजे तिरंगे के मध्य नीले रंग का चक्र है। यह

तिरंगा झंडा हमारे भारत की आन, बान, शान का प्रतीक है। भारत की आजादी की 75 वीं सालगिरह 15 अगस्त 2022 को होगी। लेकिन वर्तमान स्वरूप में हमारे तिरंगे झंडे को संविधान सभा द्वारा अंगीकार करने की 75वीं सालगिरह है। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, प्रथम अनुपूरक 2022-23 कुल बजट में कुल विनियोग 1 लाख 12 हजार 603 करोड़ 40 लाख रुपये का था। प्रथम अनुपूरक का आकार 2,904 करोड़ 42 लाख रुपये, प्रथम अनुपूरक सहित बजट का आकार 1 करोड़ 15 लाख 507 करोड़ 82 लाख रुपये का था। इस 2 लाख 904 करोड़ रुपये में से देय में राजस्व व्यय 2467 करोड़ 99 लाख रुपये और पूंजीगत व्यय 436 करोड़ 43 लाख है। कुल बजट 1 लाख 15 हजार 507 करोड़ 82 लाख रुपये का हो जायेगा। इस तरह छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब बजट का आकार सबसे बड़ा हो गया है। बहुत सारी चुनौतियां थीं। बहुत सारी केन्द्र सरकार की कुनीतियों के बावजूद भी हमने राज्य के वित्तीय प्रबंधन की बदौलत प्रथम अनुपूरक बजट अनुमान लाये हैं। केन्द्र सरकार ने हमारे हक के हिस्से, वित्तीय संसाधनों में समय-समय पर कमी करती रही। उसके बारे में अनेक मंचों पर मैंने बात की और अब भी इस बात को मैं कहता हूं। फिलहाल मैं वित्तीय प्रबंधन की उपलब्धियों के बारे में कहना चाहूंगा। वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियां 79,688 करोड़ रुपये है जिसमें राज्य के स्वयं की राजस्व प्राप्तियां 41 हजार करोड़ रुपये तथा केन्द्र से प्राप्तियां 38,688 करोड़ रुपये है। यह बहुत वर्षों बात यह स्थिति आई कि राज्य के राजस्व की प्राप्ति केन्द्र की तुलना में अधिक है। यह हमारी अर्थनीति की सफलता का परिचायक है। सभापति महोदय, 2021-22 में राजस्व व्यय 75,366 करोड़ रुपये है जो कुल व्यय का 87 प्रतिशत है। वर्ष 2021-22 में राज्य के राजस्व में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा राजस्व आधिक्य 4,321 करोड़ रुपये है। वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय 10,890 करोड़ रुपये है जो कुल व्यय का 12.6 प्रतिशत है तथा अब तक का सर्वाधिक है। जब से राज्य बना है तब से ये सर्वाधिक है।

माननीय सभापति महोदय, कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण वर्ष 2021-22 के प्रथम तिमाही तथा राज्य के राजस्व में कमी तथा जनहित के कार्यों में पूंजीगत व्यय के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने हेतु 4 हजार करोड़ रुपये का बाजार से ऋण लिया था। कोरोना के समय पूरे देश की स्थिति खराब थी, उस समय हमने भी बाजार से ऋण लिया था। वर्ष 2021-22 में बाजार ऋण का 3 हजार करोड़ रुपये भुगतान भी कर दिया गया है। इस प्रकार से वर्ष 2021-22 में लिये गये शुद्ध बाजार ऋण केवल 1000 करोड़ रूपये है जो कि वर्ष 2012-13, पिछले 10 वर्ष में सबसे कम है।

सभापति महोदय, वित्तीय घाटा 6,812 करोड़ रूपये है जो जी.एस.डी.पी. का मात्र 1.70 प्रतिशत है। इसमें से जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति ऋण 4,965 करोड़ तथा केन्द्र द्वारा दिया गया पूंजीगत व्यय हेतु ऋण, 423 करोड़ रूपये है। इसे कम करने पर यह 1424 करोड़ रूपये होगा जो कि जी.एस.डी.पी. का

मात्र 0.36 प्रतिशत होगा। सभापति महोदय, आर.बी.आई. के अनुसार छत्तीसगढ़ का विगत पांच वर्षों का औसत कमिटेड व्यय वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान सभी राज्य में सबसे कम है। राजस्व व्यय का 23 प्रतिशत है।

सभापति महोदय, विगत पांच वर्षों में औसत विकासात्मक व्यय भी सभी राज्यों में सर्वाधिक 73.04 प्रतिशत है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति में पूर्ण ऋण अदायगी 82,961 करोड़ रूपये है जो कि जी.एस.डी.पी. 4,61,000 करोड़ के प्रतिशत के रूप में केवल 20.74 प्रतिशत है। 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार यह अनुपात 25 प्रतिशत से कम होना चाहिये। वित्त आयोग ने जो अनुशंसा की कि यह 25 प्रतिशत तक हो सकता है तो हमारे यहां 20.74 प्रतिशत है।

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ का ऋण जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के अनुरूप के रूप में उड़ीसा और गुजरात के बाद सभी राज्यों में सबसे कम है। भारत सरकार के लिये यह अनुपात 48 प्रतिशत है। जहां हमारा 20.74 प्रतिशत है तो भारत सरकार का 48 प्रतिशत है, मतलब हमारे राज्य के दुगुना से भी ज्यादा है। खुद ही गाइडलाइन बनाये हैं और उसका पालन खुद नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2021-22 ब्याज भुगतान 5,657 करोड़ रूपये है, जो राजस्व प्राप्तियां 79,688 करोड़ के प्रतिशत के रूप में 7.10 प्रतिशत है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार यह अनुपात 10 प्रतिशत से कम होना चाहिये। हम उस पैमाने पर भी खरे उतर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, जिस दिन से हमारी सरकार बनी, हमने उस दिन से एक राह बनाई और उसी रास्ते पर चलते हुए आज हम सफलता के नए-नए आयाम गढ़ रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भी हम अपने रास्ते पर डटे हुए हैं। मैंने शुरूआत तिरंगे से की, वास्तव में यह भारत का राष्ट्रीय पहचान तो है ही, बल्कि यह उस जज्बे की भी पहचान है जिसके साथ हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। आजादी के मूल्यों को जीवित रखते हुए हमको संघर्ष का जज्बा बनाए रखना है। हमने इसी जज्बे के साथ छत्तीसगढ़ में किसानों, अनुसूचित जातियों, जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के हितों के लिये बड़ा फैसला किया है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना, सार्वभौम टी.डी.एस. सिस्टम, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, देवगुढ़ी विकास, राजीव माघी पुन्नी मेला, रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना, गिरौधपुरी, भण्डारपुरी, दामाखेड़ा के विकास के रूप में जो पहल की थी, हम उसमें निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह न्याय, राहत और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा यह अनुपूरक बजट इसी त्रिवेणी को समर्पित है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे साथियों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में बहुत सारी बातें कही। मैं इस योजना की अपने ही शासन काल से तुलना करना चाहूंगा। वर्ष 2018-19 में

18,43,000 किसानों ने लाभ लिया था, अब उसमें नये 4,69,000 किसान जुड़कर, 23,12,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं(मेजों की थपथपाहट) । देश के दूसरे राज्यों में कृषि जोत जहां सिमट रहा है, वही छत्तीसगढ़ में यह बढ़ रहा है। यदि आपके शासनकाल के वर्ष 2017 की तुलना करूं तो उस समय केवल 15 लाख किसान थे और आज 23 लाख किसान हैं मतलब डेढ़ गुना से भी ज्यादा किसान अब कृषि की ओर आकर्षित हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, इस योजना के प्रारंभ से अब तक 12,921 करोड़ रूपये की राशि किसानों को भुगतान की जा चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई। आज नरवा योजना के कारण से जंगलों में हो, चाहे मैदानी हिस्सों में हो, जहां-जहां नरवा योजना बनी है वहां-वहां जल स्तर ऊपर उठ रहा है। अचानकमार से आपके क्षेत्र में आता है। वहां हाथी घुसे हैं, अब निकल नहीं रहे हैं। क्योंकि नरवा योजना है। गर्मी के दिन में भी पर्याप्त पानी, चारा मिल रहा है तो अब अचानक मार के जंगल से हाथी भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं सही बात बोल रहा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, यहां सदन में गौधन न्याय योजना के बारे में बड़ी चर्चा हुई। इनको बहुत तकलीफ है। यह लोग गाय के नाम से वोट तो मांगते हैं। यह कभी गौसेवा नहीं कर सके। इन्होंने समस्या बढ़ाने का काम किया। आपके पास समाधान नहीं था। आपने गौशालाओं को अनुदान देने का काम किया। सदन में जिसके बारे में भी बहुत बार चर्चा हुई। हमने गोबर खरीदने का फैसला किया। अभी तक पशुपालकों को 153 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। 14000 स्वसहायता समूहों के द्वारा गोबर से वर्मीकम्पोस्ट बनाने का काम किया जा रहा है। उनको 56 करोड़ 58 लाख रूपये के लाभांश की राशि दे दी गई है। कम्पोस्ट उत्पादन के साथ-साथ महिला समूहों के द्वारा बहुत सारी सामग्री दीया, गमला, अगरबत्ती बनाने का यह सब काम कर रहे हैं। उनको 62 लाख रूपये का लाभ मिला है। मशरूम, बड़ी, मछली, मुर्गी, बकरी पालन इन सब गतिविधियों के माध्यम से करीब 75 करोड़ रूपये की राशि स्वसहायता समूहों को प्राप्त हुई है।

माननीय सभापति महोदय, अभी सदन में माननीय अजय जी नहीं है। अब वह कह रहे थे। अब हाथी की बात हुई। पता नहीं, वह क्या-क्या बोल रहे थे। वह रहते तो मैं उनको सब जवाब देता। मैं उनको धन्यवाद् दूंगा जब वह गये तो उसके पहले उन्होंने कहा कि मुझे एक आवश्यक काम है और इसलिए मैं आपसे अनुमति लेने आया हूँ। यदि वह अनुमति भी नहीं लेते तो हम क्या कर लेते?(हंसी) लेकिन यह उनका बड़प्पन है कि वह पूछकर गये। मैं उनको धन्यवाद् देता हूँ। लेकिन मैं इस पवित्र सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ यहां गोबर के माध्यम से गौपालकों के आय में वृद्धि हुई। अभी आपके मुंगेली के ही आपकी पार्टी के कोषाध्यक्ष आर्या जी हैं। वह आये थे, मैंने उनको सम्मानित भी किया। उन्होंने यह कहा कि मैंने 18 लाख रूपये का गोबर बेचा है। (मेजों की थपथपाहट) वह 24 लाख रूपये पार हो गया।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय चंदेल जी, चन्द्राकर जी जो बोल रहे थे वह वाला आप भी बेचने का काम करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने जवाब में बता रहे हैं कि हमने 153 करोड़ रूपये का गोबर खरीदा और आपने प्रचार में सवा सौ करोड़ रूपये खर्च किया। यह कहां तक उचित है?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यदि जनसंपर्क विभाग का बजट है तो सभी विभागों के लिए बजट होता है। केवल गोबर खरीदने के लिए प्रचार में नहीं लगता। पता नहीं, आपको अब सावन में पता नहीं क्या दिखता है ? पता नहीं, आपको सावन में हरा ही हरा क्यों नजर आ रहा है ? मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप इस योजना की जितनी आलोचना करना है, आप करिए, लेकिन आपके पास इससे अच्छा कोई समाधान हो तो वह बताईयेगा। हमने तो देश के सामने प्रस्तुत किया है। हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। जब नया काम करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए नया काम है तो निश्चित रूप से बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन मैं आदरणीय रविन्द्र चौबे जी, उनके तमाम् अधिकारियों, उन जनप्रतिनिधियों और साथियों को धन्यवाद् देना चाहूंगा, जो गौठान समिति से जुड़े हुए हों, चाहे स्वसहायता समूह की बहनें हों और उनके माध्यम से यह निरन्तर चल रहा है इसमें निरंतर सुधार भी होते जा रहा है। यदि पिछले साल की तुलना में देखेंगे तो गोबर के क्रय में वृद्धि भी हो रही है, उत्पादन भी हो रहा है। हम लोग समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम वनांचल में जाएंगे वहां राजस्व भूमि नहीं है तो उसको आवर्ती चराई के माध्यम से कर रहे हैं। मैं वन मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने जमीन भी उपलब्ध कराई। कभी वन विभाग केवल लकड़ी काटने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते थे। माननीय धर्मजीत भईया हमेशा इस विषय में प्रश्न उठाते रहे हैं, लेकिन यहां पहली बार वन विभाग वाले नरवा का काम कर रहे हैं, वहीं आवर्ती चराई के लिए काम कर रहे हैं, वह फलदार वृक्ष भी लगाने का काम कर रहे हैं। सही मायने में आदिवासियों के हित में काम हो रहा है। वहां के रहने वाले जितने पशु पक्षी हैं, नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी के माध्यम से उनके हित में एक बड़ा काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि यह आज ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है । हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश में देश का एक डिग्री टेंपरेचर बढ़ा, 20 प्रतिशत गेंहू के उत्पादन में कमी आई। एक डिग्री टेंपरेचर बढ़ने के कारण से 20 प्रतिशत की कमी आई। यह इतनी बड़ी चुनौती है जिसको हम इसी माध्यम से लड़ाई लड़ सकते हैं, यह पूरी दुनिया के लिए भी उदाहरण बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में नरवा के माध्यम से, गरूआ के माध्यम से लगातार काम हो रहा है, उससे कार्बन उत्सर्जन भी कम हो रहा है और वनों में हरियाली लाने का काम, जल स्तर ऊपर लाने का काम जो कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से इस चुनौती का सामना किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पवित्र सदन में यह घोषणा करना चाहता हूं कि हरेली पर्व में हमने गोबर खरीदी का काम शुरू किया है, अब चूंकि बहुत सारे किसान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तो यदि जैविक खेती करना है तो दवाई भी पेस्टिसाइड नहीं डालना चाहते, केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डालना चाहते। इसके लिए जरूरी है कि गौमूत्र खरीदी जाए और उससे दवाई बनाई जाए जिससे किसान अपने खेत में जो जैविक खेती करना चाहते हैं, उसके लिए व्यवस्था हो सके। इसलिए हरेली के दिन दो साल बाद फिर हरेली के दिन गौमूत्र खरीदने का फैसला किया है, जो 4 रूपये प्रति लीटर होगा। (मेजों की थपथपाहट) अब कोई कह रहे हैं कि बोतल में कैसे लाएंगे। भैया, जब गोबर खरीदना शुरू की तो फोटो छापते थे। ये छररी-दररी पोक देहे तेला कइसे तौलही। (हंसी) यही विधायक लोग हंसी उड़ाते थे। वह राजकीय चिन्ह बना, अब बोलती बंद है। क्योंकि अब मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश सब सरकार खरीदने जा रही है, तब आप बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि केन्द्र की सरकार जितनी भी आपकी लोकसभा की समितियां हैं, वह आकर अध्ययन करके जा रही है। आपके गुजरात विधानसभा के सब विधायक लोग आए थे, वह देखकर गये हैं, अधिकारी लोग देखकर जा रहे हैं। यहां से इससे अच्छा करे, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं लेकिन हमने एक बेस तैयार किया है और उस आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत आगे बढें, हमारी शुभकामनाएं है। इससे भी अच्छी योजनाएं दूसरे प्रदेश के लोग लागू करे लेकिन हमने अध्ययन करने के लिए जो शुरूआत की है, देश के अनेक राज्य के लोग आ रहे हैं।

सभापति महोदय, पशुओं के उपचार एवं देखभाल हेतु 163 मोबाईल वेटनरी यूनिट का संचालन भी शीघ्र प्रांरभ किया जाएगा। इसके आवर्ती व्यय हेतु अनुपूरक बजट में 10 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। हम लोग प्रदेश में बी.पी.एल., ए.पी.एल. परिवार को रियायती दर पर खाद्यान्न दे रहे हैं और इसका वितरण भी हो रहा है। कोरोनाकाल में जिस प्रकार से घर-घर में पहुंचाने का काम किया और जो पी.डी.एस. के संचालक हैं, जो डीलर का मार्जिन है, उसकी राशि के लिए 266 करोड़ रूपये का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है। वे लोग भी सेवाएं किए हैं। जो डीलर लोगों का कमीशन है, वह मिलना चाहिए, उसके लिए 266 करोड़ रूपये का इसमें प्रावधान किया है। हमने चना वितरण को पहले केवल अनुसूचित क्षेत्रों में किया था, कोरोनाकाल में सामान्य क्षेत्र में भी उसका वितरण किया और उसके लिए भी 100 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है।

सभापति महोदय, हाट बाजार क्लिीनिक योजना को बहुत सफलता मिल रही है। लाखों लोग उसका लाभ उठाएं हैं, कोरोनाकाल में और अब भी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए, चलित स्वास्थ्य इकाई संचालन हेतु 300 चिकित्सा अधिकारी के पद के अनुरूप बजट में शामिल किया गया है। ताकि हम डॉक्टर भर्ती कर सके ताकि योजना अच्छी से चलायी जा सके। सभापति महोदय, ग्राम सिलघट, भिंभौरी जिला बेमेतरा, ग्राम संतनपल्लीएवं ग्राम कैका जिला बीजापुर, ग्राम सहनपुर जिला सरगुजा में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिये

पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। ग्राम देउरगांव जिला बेमेतरा, ग्राम फरसेगढ़, ग्राम पालागुड़ाएवंग्राम बेदरे जिला बीजापुर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिये पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पामेरएवं बासागुड़ा जिला बीजापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन तथा ग्राम छोटे डुंगर जिला नारायणपुर में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिये 111 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिये 50 करोड़ रूपये अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, कोरबा एवं महासमुंद के भवन निर्माण तथा चिकित्सकीय उपकरण क्रय हेतु और बिलासपुर के केंसर संस्थान के लिये कुल 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

आदरणीय सभापति महोदय, आदिवासियों की संस्कृति जो घोटुल है, देवगुड़ी है इसके मरम्मत के लिये भी हमने व्यवस्था की है। नारायणपुर जिले में 104 देवगुड़ीएवं 94 घोटुल निर्माण के लिये 9 करोड़ 60 लाख रूपये, बलरामपुर में 10 देवगुड़ी हेतु 50 लाखरूपये, सरगुजा जिले में 6 देवगुड़ी के निर्माण के लिये 30 लाख रूपये। इस प्रकार से120 देवगुड़ी और 94 घोटुल निर्माण हेतु 25 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, राजीम पुन्नी माघीमेला हेतु प्रस्तावित स्थल, मेला स्थलका जो चयन किया गया है। विभिन्न निर्माण कार्यके विकासहेतु 1 करोड़ 85 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। गिरौदपुरी, भण्डारपुरी के समन्वित विकास हेतु 1 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान अनूपुरक में किया गया है। छत्तीसगढ़ अंचल में रामायण मंडली के कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धनएवं कला दलों के सतत् विकास हेतु रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दामाखेड़ा के अधोसंरचनात्मक विकास हेतु 9 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के बारे में पूरे प्रदेश में इसकी मांग है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ हेतु कक्षा पहलीं से लेकर बारहवीं तक विद्यार्थियों हेतु स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना की गई है। पूर्व से संचालित 171 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश हेतु पालकों एवं विद्यार्थियों के रूचि को देखते हुये सत्र 2022-23 में 76 अंग्रेजी माध्यम एवं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिये 32 हिंदी माध्यम प्रारंभ किये गये हैं। इस प्रकार इन स्कूलों में वर्तमान में 1 लाख 64 हजार 379 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। जिसमें से 84 हजार 215 छात्र तथा 80 हजार 164 छात्रायें हैं। वर्तमान मेंप्रवेश प्रक्रिया जारी है। बस्तर संभाग में 7 जिलों में 46 अंग्रेजी माध्यम, 7 हिंदी माध्यम एवं सरगुजा संभाग में 5 जिलों में 46 अंग्रेजी माध्यम तथा 5 हिंदी माध्यम के कुल 104 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिये 9098 शैक्षणिक स्टॉफ एवं 2585 गैर शैक्षणिक स्टॉफ के पद स्वीकृत किये गये हैं।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, इन महाविद्यालयों की बेहतर अधोसंरचना विकसित की गई है जिसमें उत्कृष्ट प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर लैब, खेल मैदान, उत्कृष्ट शैक्षणिक सामग्री की सुविधा उपलब्ध कराई गई है एवं समयबद्ध परीक्षा तथा मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के स्तर के आकलन की व्यवस्था की गई है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये समीप में संचालित बालक कन्या छात्रावासों के अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु इस अनुपूरक बजट में 19 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारा ध्यान केवल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी या हिंदी माध्यम स्कूल ही नहीं है, बल्कि हम पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं और इसे ध्यान में रखते हुये प्रदेश के अन्य स्कूलों लगभग 10 हजार नये शिक्षकों के भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट) जहां शिक्षकविहीन शालाओंकी बात हो रही थी वहां शिक्षक की भर्ती की जा सकेगी। पहले भी वर्ष 1998 के बाद 14 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती हमने की है और अब 10 हजार नये शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। 5 हॉर्स पावर के कृषि पंपों की नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 6 हजार ...।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी, वर्ष 2019 से 14 हजार लोगों की आज तक नियुक्ति पूरी नहीं हुई है। आज भी 6 से 7 हजार लोग नियुक्ति के लिये बाकी हैं।

श्री भूपेश बघेल :- भैय्या उसके लिये जो प्रक्रिया है उसका तो पालन करना पड़ेगा न। आपको पुलिस वेरिफिकेशन, दूसरे सर्टिफिकेशन हैं, वह कर दें। आप ज्वाइनिंग करा दें और उसके बाद सर्टिफिकेट नहीं दे तो फिर शिकायत होगी, जांच करो फिर उसके खिलाफ कार्यवाही करो।

श्री शिवरतन शर्मा :- ढाई साल-तीन साल से प्रक्रिया ही चल रही है।

श्री भूपेश बघेल :- कोरोना काल भी तो था। स्कूलें भी बंद थी। कोरोना काल भी था। दो साल, इस बात को कैसे भूल जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी कृषि पंपों में जो बिजली छूट दी जा रही है उसके लिये 200 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है । माननीय नेता प्रतिपक्ष अभी कह रहे थे कि आपने एक-तरफ 53,000 बिजली लगाया है उसकी बात तो कह रहे हैं लेकिन 50,000 की डिमांड है । मैं नहीं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 की डिमांड आयी हो । हम आपके कार्यकाल का भी देखें तो 10,000-20,000 से ज्यादा आवेदन नहीं आये हैं इसका मतलब यह है कि किसानों के पास पैसा पहुंचा, उन्होंने बोर खनन किया और इस कारण से पम्प कनेक्शन हुए, इस साल 53,000 लगाये हैं। आपका ही प्रश्न था जिसमें हमने 32,000 की घोषणा की और 36,000 से अधिक कनेक्शन दिया । इस साल भी हमने 20,000 का प्रावधान किया है लेकिन डिमांड 50,000 की है इसका मतलब यह है कि किसानों में संपन्नता आ रही है, बस्तर-सरगुजा में जो आदिवासी किसान हैं, वे भी बोर खनन करवा रहे हैं और वहां भी पम्प कनेक्शन देना है तो जो सब्सिडी है उसकी भी मात्रा बढ़ती जायेगी इस बात को आप समझिए ।

माननीय सभापति महोदय, बिजली बिल हाफ योजना 400 यूनिट तक के अभी 41 लाख 16,000 हितग्राही लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इसके लिये बजट में 115 करोड़ 37 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है । गौठान में अब जितने भी काम हो रहे हैं चाहे वह हालर मिल लगाये हों, चाहे दाल मिल लगाये हों, चाहे तेल मिल लगाये हों या रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अब जो लगेंगे उसमें सभी औद्योगिक पार्कों में बगैर किसी खपत सीमा के, हमने तो एग्रीकल्चर में सीमा बांधा है कि 6000-साढ़े 10,000 इसमें कोई सीमा नहीं रखी है और बिजली बिल हाफ योजना का लाभ कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में हमारी जितनी स्वसहायता समूह की बहनें हैं, हमारे नौजवान लोग जो भी इंडस्ट्री डालेंगे उनको पूरी बिजली का आधा बिल ही पटाना पड़ेगा । मैं इस सदन के माध्यम से इस छूट की घोषणा करना चाहता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, 17 लाख बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के लिये भी 84 करोड़ 63 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान इसमें किया गया है । उदय योजना के लिये 100 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान इसमें किया गया है । मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना हेतु आई.आई.टी. भिलाई कुटेला भाठा में उसके लिये भी 79 लाख 68,000 रूपये का प्रावधान किया गया है । पावर कंपनी के ऋण का टेकओवर योजना के लिये 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में समस्त नगरीय निकायों में अमृत मिशन 2.0 अटल नवीनीकरण एवं शहरी प्रवर्तन मिशन अंतर्गत शहरों के लिये अधोसंरचना विकास एवं नागरिकों को उन्नत बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने तथा संपूर्ण कवरेज के आधार पर अधोसंरचना का विकास किये जाने हेतु 155 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, नवीन जिला खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, जिला कार्यालय के लिये 43 एवं भू-अभिलेख कार्यालय के लिये 15 पदों के सृजन हेतु प्रावधान किया गया है । साल्हेवारा, पिपरिया, कुण्डा, बचरापोड़ी, चलगली, हसौद तथा सरगांव कुल 7 तहसील कार्यालयों के लिये 104 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है । वृहद पुलों के निर्माण योजना अंतर्गत 2 पुल निर्माण के लिये भी इसमें व्यवस्था है । केंद्रीय सड़क निधि योजना अंतर्गत 15 निर्माण कार्य, जवाहरसेतु योजना अंतर्गत 2 पुल निर्माण कार्य, मूलभूत न्यूनतम सेवा योजना अंतर्गत 14 ग्रामीण सड़क निर्माण, न्यूनतम आवश्यक योजनांतर्गत अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिये 40 सड़क निर्माण, मुख्य जिला सड़क योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 2 मुख्य जिला सड़क निर्माण, सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. के द्वारा निर्माण कार्य योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 31 सड़क एवं पुल निर्माण । अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में सड़कों के निर्माण योजनांतर्गत 2 सड़क निर्माण, लोकनिर्माण विभाग अंतर्गत 2 ऑडिटोरियम एवं 5 विश्राम गृह का निर्माण । इस प्रकार 115 कार्य विभागीय बजट से किये जायेंगे इस हेतु आवश्यक प्रावधान किये गये हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, मुझे धर्मजीत भैया की एक बात अच्छी लगी । उन्होंने कहा कि मैंने बजट पढ़ा ही नहीं है । आपने सत्य बात कही उसके लिये आपको साधुवाद लेकिन अजय जी बजट में कुछ बोले ही नहीं । वे पहुंच गये थे रजिया-सुल्तान और फिर उसके बाद आये तो चियर्स लीडर्स और फिर आईटम गर्ल । वे उसी में उलझे रहे, वे उससे बाहर आ ही नहीं पाये और बहुत पहुंचे तो कल जो भाषण मैंने दिया था कि यदि मां का दूध पीया हो तो मैंने कहा कि यहां ई.डी. में एक प्रावधान है, व्यवस्था है कि जब तक एफ.आई.आर. न हो, तब तक आप छापा नहीं डाल सकते। तो मैंने कहा कि न सोनिया जी के खिलाफ, न राहुल जी के खिलाफ देश के किसी भी थाने में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुआ है। 90 करोड़ रूपये कांग्रेस पार्टी ने अपने ही नेशनल हेराल्ड को दिया है, जो नेहरू जी ने, किदवई जी ने, सरदार पटेल जी ने, पुरूषोत्तम दास टंडन जी ने ए.जे.एल. कंपनी बनाया था। इन लोगों ने वर्ष 1937 में ए.जे.एल. बनाया था। उस कंपनी को जिंदा रखने के लिए देश के तमाम कांग्रेस जनों की इच्छा थी कि वह समाप्त न हो और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने उसे 10 साल के भीतर 100 किश्तों में 90 करोड़ रूपये दिया। उसके लिए पूरा ई.डी. लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी 6 हजार करोड़ रूपये से अधिक राशि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता से, आदिवासियों से, किसानों से, श्रमिकों से, नौकरीपेशा वाले लोगों से लूटकर ले गये और उसमें एफ.आई.आर. भी है। उसके डॉयरेक्टर भी गिरफ्तार हैं। मैं बोला कि अगर आप मां का दूध पीये हो तो ये जो गरीब जनता का पैसा लूटे हैं, उसे ई.डी. के माध्यम से क्यों जांच नहीं कराते? (मेजों की थपथपाहट) यही तो मैंने है। यहां तो एफ.आई.आर. भी दर्ज है। कोर्ट के आदेश से एफ.आई.आर. दर्ज हुआ। उसके बाद अब हिम्मत नहीं है। गरीब जनता का पैसा जा रहा है, वह हजारों करोड़ है। उसमें आप जांच नहीं करोगे। मैंने यह भी कहा। मैं आई.टी., आई.बी. ई.डी. सी.बी.आई. जितने भी सेन्ट्रल एजेंसी हैं, सबका सम्मान करता हूं, लेकिन आपको किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था और आप कर क्या रहे हैं? इसलिए मैंने यह चुनौती दी और मैं अपनी बात पर कायम हूं। आज अजय जी नहीं हैं, नहीं तो मजा आता। वे कुछ बोलते और हम भी कुछ बोलते।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने यंग इंडिया और ए.जे.एल. का उपयोग किया। माननीय मोतीलाल वोरा जी ए.जे.एल. के अध्यक्ष थे। यंग इंडिया में भी वे ही डॉयरेक्टर बने। अगर आपको नेशनल हेराल्ड ए.जे.एल. से इतना ही प्रेम था तो उसे यंग इंडिया में ट्रांसफर करने की क्या जरूरत थी? उसके ट्रांसफर की जरूरत ही क्या थी?

श्री भूपेश बघेल :- देखिए, सुनिए। आप अगले दिन चाहते हैं तो यहां डिटेल चर्चा करा लीजिए। कोई तकलीफ नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- बिल्कुल करा लीजिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं।

श्री भूपेश बघेल :- हम यहां बिल्कुल तैयार हैं। इसमें चर्चा करा लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- बिल्कुल, हम भी चर्चा के लिए तैयार हैं।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, आप समय निश्चित कर दीजिए, निर्धारण कर दीजिए और हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- बिल्कुल तैयार हैं। सभापति महोदय, आप बिल्कुल निर्धारित कर दीजिए। इस विषय पर चर्चा हो जायेगी।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी, आप बोल रहे हैं तो आप चिटफंड कंपनी के मामले को ई.डी. को सौंप दीजिए न। आप क्यों नहीं सौंप सकते?

श्री भूपेश बघेल :- बहुत अच्छी बात। सौंप दूंगा तो जांच करेंगे?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप दीजिए न। आप भेजिए। मनी लांड्रिंग हुई होगी तो ई.डी. जांच करेगी।

श्री भूपेश बघेल :- जांच कराएगी?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर मनी लांड्रिंग हुई होगी तो ई.डी. जांच करेगी। आप सौंप दें।

श्री भूपेश बघेल :- हां-हां, बिल्कुल सही कहा। बृजमोहन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके मुंह में घी शक्कर। हालांकि आपको डायबिटीज है। (हंसी) लेकिन आपको घी शक्कर।

श्री शिवरतन शर्मा :- तो भी खा लेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मामले में मैंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा है और ई.डी. के हेड को भी चिट्ठी लिखा है। चूंकि ई.डी. पहले वित्त मंत्रालय के हाथ में था। अब आपके एच.एम. के हाथ में है। मैंने उन्हें भी पत्र लिखा है। आप कहेंगे तो मैं आपको पत्र पहुंचा दूंगा। अब कृपा करके आपसे निवेदन है कि जांच को जल्दी शुरू करवाइए ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को इसका लाभ मिल सके। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर मनी लांड्रिंग पायी जायेगी तो करेंगे। अगर मनी लांड्रिंग हुई होगी तो ई.डी. जांच करेगी।

श्री भूपेश बघेल :- हां-हां, मैं भी वही कह रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ई.डी. का परिक्षेत्र है मनी लांड्रिंग।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल सही कहा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर मनी लांड्रिंग हुई होगी तो वह जांच करेगी।

श्री भूपेश बघेल :- बृजमोहन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। धर्मजीत भाई मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मनी लांड्रिंग हो तब ई.डी. जांच करेगी। अब नेशनल हेराल्ड में कौन सी मनी लांड्रिंग होगी। चेक से भुगतान हुआ है। मनी लांड्रिंग कहां हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार बनी है तब से जितने भी चिटफंड कंपनी हैं, उसके संपत्ति का हम लोग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

असेसमेंट करा रहे हैं। हर जिले में हो रहा है। हमारे कलेक्टर, एस.पी. उसमें लगे हुए हैं। कोर्ट से कुर्की कराये हैं। देश में हमारा पहला राज्य है जो राजनांदगांव जिला, धमतरी जिला, रायपुर जिला, बिलासपुर में हमने राशि वापस करायी। यह पहला राज्य है, लेकिन अभी तक हम केवल 40 करोड़ ही वापस करा पाए । अब लोग बता रहे हैं कि 6 हजार, साढ़े 6 हजार करोड़ रूपए है, उसकी सम्पत्ति तो दिखाई नहीं पड़ती । नहीं हुई है तो इसका मतलब ही मनी लॉड्रिंग हुआ है । वो पैसा गरीब जनता से लिया गया है और उसकी सम्पत्ति यहां है ही नहीं तो इसका मतलब मनी लॉड्रिंग हुआ है और मनी लांड्रिंग हुआ है तो इसकी जांच करे । हम तो यही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का साढ़े चार हजार करोड़ आना चाहिए और यह पवित्र सदन इससे सहमत है । इसके लिए हमने कहा कि हमने ई.डी. को पत्र लिखा है तो उसमें जांच क्यों नहीं करते ? इसीलिए मैंने चुनौती दी, जब मैंने पत्र लिखा है तो उसका जवाब तो आता । मैंने जो पत्र लिखा है उसका जवाब तो आज तक नहीं आया है । इसीलिए तो मैं चुनौती दे रहा हूं । मेरी बात वे समझ रहे थे जब आपने बात खोल दी तो मैंने बात कह दी । धर्मजीत भईया आप कुछ कह रहे थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने अपना विचार विधान सभा के अंदर बता दिया । लेकिन यहां आई.टी., ई.डी. के बारे में चर्चा करने का अधिकार न तो इस सदन को है और न ही हम चर्चा कर सकते । इसलिए आपने अपना विचार अभिव्यक्त कर दिया और सदन के माध्यम से जनता तक पहुंच भी जाएगा । लेकिन उनके बारे में हम यहां चर्चा क्यों करें, उनका क्या अधिकार है, वे क्या करेंगे या नहीं करेंगे ? वह अलग चीज है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अर्थ-अनर्थ निकलेगा । अभी तो आप बजट पर बढ़िया बोल रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- इस सदन के माध्यम से उनसे आग्रह तो कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा डूबा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने अपनी बात कह ली । सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को मैसेज चला गया । अब उनके बारे में आप बोल रहे थे, इधर से भी बात हो रही थी । उनके बारे में हम चर्चा क्यों करेंगे भाई ? हमारे प्रदेश में बहुत सी समस्याएं हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यहां हो ही नहीं सकती ।

श्री भूपेश बघेल :- खड़े होकर तो बोल रहे थे, अब बैठे बैठे बोल रहे हैं कि चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनकी चर्चा यहां हो ही नहीं सकती । माननीय चेयर को भी अधिकार नहीं है कि वह चर्चा करवाए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, उसी को जारी रखिए, हम लोग सुन रहे हैं ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो अनुपूरक मांग की चर्चा में सब साथियों ने भाग लिया और पूरे सदन से मैं चाहूंगा कि प्रथम अनुपूरक को ध्वनिमत से पारित करें । बहुत-बहुत धन्यवाद् (मेजो की थपथपाहट) ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 42, 47, 51, 55, 56, 58, 64, 65, 67, 68, 69, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर दो हजार नौ सौ चार करोड़, इकतालीस लाख, सत्तर हजार, पांच सौ इकहत्तर रूपए की अनुपूरक राशि दी जाये ।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने सत्यनारायण जी को और कुछ तो नहीं दिया लेकिन आज अनुपूरक पास करने का अवसर दे दिया । इसके लिए बधाई ।

सभापति महोदय :- इनके मुंह से शक्कर निकाल लीजिए, घी रहने दीजिए (हंसी) । सर और चारों उंगली घी में ।

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2022

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3), 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) का पुर:स्थापन करता हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3), 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) पर विचार किया जाए ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

सभापति महोदय :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

<u>अशासकीय कार्य को अगले दिवस में लिया जाना</u>

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति जी, आज का जो शेष कार्य हैं, वह अन्य कार्य दिवस में ले लिया जाय, क्योंकि काफी समय हो गया है। ऐसा हम सबकी इच्छा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, इस सदन में पहले भी ऐसा हुआ है कि अशासकीय दिवस को किसी अन्य दिवस में लिया गया है। तो आप इसको मंगलवार को ले लें, उसकी कोई तिथि तय कर दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- आसंदी तय कर देंगे, उसमें कोई अड़चन नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आसंदी तय कर दें कि इसे मंगलवार को लिया जाये। हमारे पास जो बिजनेस है। सोमवार को आपके पास विधेयक आ जायेंगे, मंगलवार को हमारे पास में समय रहेगा, तो अशासकीय बिजनेस को मंगलवार को ले लें।

अप्रशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- मेरे ख्याल में जहां तक अशासकीय संकल्प केवल शुक्रवार को लिया जा सकता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, पूर्व में भी यह परंपरा रही है। पूर्व में भी आसंदी को यह अधिकार है। पूर्व में भी यह परंपरा रही है कि अशासकीय विषय को मंगलवार को लिया जायेगा, यह आज तय कर दें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, यदि आप शुक्रवार की बात करेंगे तो आने वाले कार्य दिवस में तो शुक्रवार आना नहीं है। आज उसका कार्य दिवस है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी व्यवस्था रखे थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, यदि सदन सहमत हैं और आप सहमत हैं तो आप उसको मंगलवार को ले सकते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, यदि आप और संसदीय कार्य मंत्री जी सहमत हैं तो शुक्रवार, शनिवार कुछ नहीं रहता है। आप जब चाहो तब उसमें चर्चा करवा ले। आपको जब फुर्सत मिले, तब उसको करवा दीजियेगा।

सभापति महोदय :- ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री जी की सहमति है तो शेष अशासकीय कार्य को अगली तिथि को लिया जायेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंगलवार को करवा दें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कार्य दिवस सोमवार, मंगलवार और बुधवार भी तय है। इसको मंगलवार को ले लें।

श्री धर्मजीत सिंह :- भैया, आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार या जब कराना होगा, तब करवा लेना।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 25 जुलाई, 2022 को 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(रात्रि 07 बजकर 23 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 25 जुलाई, 2022 (श्रावण 03, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनाँक : 22 जुलाई, 2022

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं